SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
वर्ष 2024–25 के लिए
राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 4
(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
वर्ष 2024–25 के लिए
राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

विवरण	*कंडिका क्रमांक*	*पृष्ठ क्रमांक*
प्राक्कथन		v-vii
कार्यकारी सारांश		ix-x
अध्याय I: राज्य के वित्त का अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य की जनसांख्यिकी	1.1.1	1
राज्य की अर्थव्यवस्था	1.1.2	2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	1.1.2.1	2
जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2.2	3
वित्त का आशुचित्र	1.1.3	4
धन के स्रोत और अनुप्रयोग	1.1.4	6
शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियों का आशुचित्र	1.1.5	6
राज्य की संचित निधि	1.2	7
राजस्व प्राप्तियां	1.2.1	7
पूंजीगत प्राप्तियां	1.2.2	19
वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक	1.2.3	20
व्यय	1.2.4	21
राजस्व व्यय	1.2.4.1	24
पूंजीगत व्यय	1.2.4.2	29
आकस्मिकता निधि	1.3	33
लोक लेखा	1.4	34
निवल लोक लेखा शेष	1.4.1	34
आरक्षित निधियां	1.4.2	35
रोकड़ शेष	1.4.3	36
राजकोषीय स्थिरता	1.5	37
लोक दायित्व प्रबंधन	1.5.1	37
देयता प्रोफ़ाइल: घटक	1.5.1.1	38
उधार ली गई निधियों का उपयोग	1.5.1.2	40
ऋण रूपरेखाः परिपक्वता और अदायगी	1.5.1.3	42
राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण संरचना	1.5.1.4	43
लेखापरीक्षा के बाद के घाटे के संकेतक	1.5.2	44
राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5.3	44
ऋण स्थिरता विश्लेषण	1.5.4	46
गारंटी की स्थिति – आकस्मिक देनदारियां	1.5.5	48
राजकोषीय स्थिरता के मार्ग	1.5.6	49
राज्य के राजस्व में सुधार	1.5.6.1	50
व्यय पक्ष पर मुद्दे	1.5.6.2	52
निष्कर्ष	1.6	54
अच्छी प्रथाएं	1.7	55
अनुशंसाएँ	1.8	55

विवरण	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
अध्याय II: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	2.1	57
बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविक के बीच का अंतर	2.2	57
बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक/सेवावार विश्लेषण	2.2.1	61
जेंडर बजट	2.2.2	62
चाइल्ड बजट	2.2.3	62
बजट लक्ष्य प्राप्ति	2.3	63
विनियोग लेखे	2.4	64
बजटीय और लेखा प्रक्रिया	2.5	65
आधिक्य व्यय और उसका नियमितीकरण	2.5.1	65
कुछ अनुदानों में लगातार आधिक्य व्यय	2.5.1.1	67
अनुपूरक अनुदान गैर–आवश्यक प्रदान किए गए	2.5.2	68
अप्रयुक्त राशि और समर्पित की गई विनियोग और/या बड़ी बचत/ समर्पण	2.5.3	69
राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	2.5.4	72
कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका वास्तविक वित्त पोषण	2.5.5	73
त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना	2.5.6	73
राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का कार्यान्वयन	2.6	75
एकल नोडल एजेंसी	2.6.1	75
एकल नोडल एजेंसी – स्पर्श	2.6.2	76
आकस्मिकता निधि	2.7	77
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.7.1	77
निष्कर्ष	2.8	78
अनुशंसाएँ	2.9	78
अध्याय III: वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालियाँ		
राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से ऑफ–बजट उधार	3.1	79
शासन की बकाया देनदारियां	3.2	82
बकाया ब्याज देयता	3.2.1	83
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम योगदान	3.2.2	83
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम हस्तांतरण	3.2.3	84
अधोसंरचना विकास उपकर का हस्तांतरण न होना	3.2.4	85
पर्यावरण उपकर का हस्तांतरण न होना	3.2.5	85
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि	3.2.6	85
केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि का कम हस्तांतरण	3.2.7	86
छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि में अंतरण न होना	3.2.8	86
पेंशन निधि में कम अंतरण	3.2.9	86
धन वापसी के लंबित प्रकरण	3.2.10	87

विवरण	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में विलंब	3.3	88
संक्षिप्त आकस्मिक देयक	3.4	88
व्यक्तिगत जमा खाते	3.5	89
लघु शीर्ष–800 का संचालन	3.6	91
उचंत एवं ऋण, जमा, प्रेषण शीर्षों अंतर्गत बकाया शेष राशि	3.7	92
विभागीय आंकड़ों का मिलान	3.8	92
रोकड़ शेषों का मिलान	3.9	94
लेखांकन मानकों का अनुपालन	3.10	94
स्वायत्त निकायों के लेखों का प्रस्तुतिकरण	3.11	95
दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि के प्रकरण	3.12	95
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.13	96
निष्कर्ष	3.14	97
अच्छी प्रथाएं	3.15	97
अनुशंसाएँ	3.16	98
परिशिष्ट		
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	1.1	99
वर्ष 2023–24 और 2024–25 के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार	1.2	102
31 मार्च 2025 तक छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय स्थिति का सारांश	1.3	105
ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुआ	2.1	107
ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ या अधिक) अत्यधिक साबित हुआ	2.2	109
वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान समर्पण (₹ 100 करोड़ से अधिक) के बाद बड़ी बचत वाले अनुदान	2.3	111
वित्त वर्ष 2022–23 से वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निरंतर बचत (100 करोड़ रुपये से अधिक) वाले अनुदान	2.4	113
वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान बजट और बचत के उपयोग का अनुदान–वार प्रतिशत	2.5	114
वर्ष 2024–25 के दौरान बिना किसी व्यय के नई नीतिगत पहल	2.6	117
अनुदान–वार उप–शीर्ष जहां मार्च 2025 में बजट प्रावधानों (₹ 50 करोड़ से अधिक) के मुकाबले पूरा खर्च किया गया	2.7	118
वर्ष 2024–25 के दौरान सभी प्रमुख मदों के लिए तिमाहीवार व्यय	2.8	119
31 मार्च 2025 तक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के खातों के बकाया का विवरण	3.1	123
दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों का विवरण	3.2	124

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करना और वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधानसभा को जानकारी प्रदान करना है। प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं।

अध्याय I: राज्य के वित्त का अवलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और राज्य की वित्तीय स्थिति का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। इसमें प्रमुख सूचकांकों का व्यापक राजकोषीय विश्लेषण और घाटा/आधिक्य, ऋण स्थिति और प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति शामिल हैं।

अध्याय II: बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य शासन के विनियोगों और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलनों को प्रतिवेदित करता है।

अध्याय III: वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालियाँ

यह अध्याय राज्य शासन के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर–अनुपालन पर टिप्पणी करता है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा और लेनदेन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों वाली प्रतिवेदनें, वैधानिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां और राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन अलग–अलग प्रस्तुत किए जाते हैं।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की राज्य के लेखों से संबंधित प्रतिवेदनें राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती हैं, जो उन्हें राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत कराने का प्रबंध करते हैं।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य शासन के नियंत्रण में आने वाले कोषालयों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचर, चालान और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों के साथ–साथ भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे और विनियोग लेखे संकलित करते हैं। इन लेखों का स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए आकड़ों का मुख्य स्रोत हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजटः अनुमानों के संदर्भ में राजकोषीय मापदंडों और आवंटन प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ–साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए।
- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम।
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषालयों के पास मौजूद अन्य डेटा (लेखांकन के साथ–साथ एमआईएस)
- जीएसडीपी डेटा और राज्य संबंधी अन्य आँकड़े
- राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम
- वित्त आयोग की सिफारिशें।
- भारत के सीएजी की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनें।
- भारत सरकार के सर्वोत्तम प्रथाएँ और दिशानिर्देश।

विशेष सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ 17 सितंबर 2025 को एक आगम सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने में अपनाये जाने वाली लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को बताया गया। सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ 03 फरवरी 2026 को एक बर्हिगमन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। शासन की प्रतिक्रिया (06 फरवरी 2026) को प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

शासकीय लेखे की संरचना

राज्य शासन के लेखें तीन भागों में रखे जाते है।

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य शासन द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य शासन द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और राज्य शासन द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित हैं। इस निधि से कोई भी धनराशि केवल विधि के अनुसार और भारत के संविधान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों और रिति से ही विनियोजित किया जा सकता है अन्यथा नहीं। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण भुगतान आदि) राज्य की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होती हैं और विधानसभा में मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानसभा द्वारा मतदान द्वारा किए जाते हैं।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधानसभा द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया जाता है, और राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है ताकि राज्य विधानसभा द्वारा ऐसे व्यय को अधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि दी जा सके। निधि की प्रतिपूर्ति, राज्य की समेकित निधि के संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे करके की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखे (संविधान का अनुच्छेद 266 (2))

उपरोक्त के अलावा, शासन द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धन राशि, जहां शासन बैंकर या न्यासी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा किए जाते हैं। लोक लेखे में अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और बिना ब्याज सहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और बिना ब्याज सहित), प्रेषण और सस्पेंस मद (ये दोनों ही अस्थायी मद हैं, जिनका अंतिम वर्गीकरण होना बाकी है) जैसी चुकाने योग्य मदें शामिल हैं। शासन के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा में शामिल है। लोक लेखा विधानसभा के मतदान के अधीन नहीं होता है।

शासकीय लेखों की संरचना

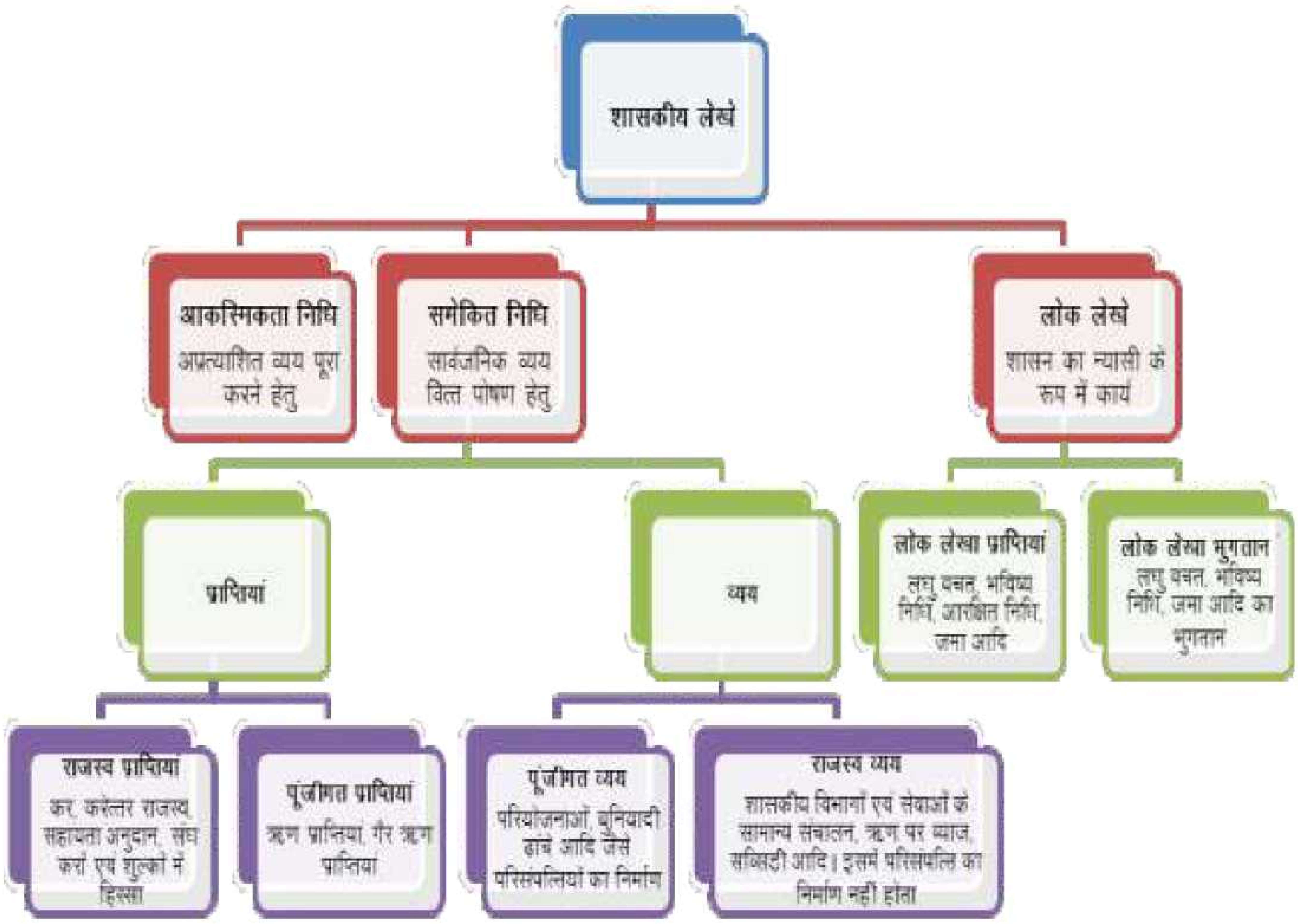

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए छत्तीसगढ़ की राजकोषीय स्थिति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करती है। यह राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करता है और उसके राजस्व और व्यय के रुझानों की समीक्षा करता है, राज्य की ऋण स्थिति और उधार लेने के तरीकों का आकलन करता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर उसके प्रदर्शन की तुलना करता है।

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान मध्यम वृद्धि दर्ज की, जिसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान 1.72 प्रतिशत था। पिछले पांच वर्षों में यह योगदान कम हुआ है, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है। हमने पाया कि राज्य की राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 16.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण कर संग्रह में वृद्धि, विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में वृद्धि और केंद्र सरकार द्वारा कर हस्तांतरण में वृद्धि है। इसके अलावा, करेत्तर राजस्व में भी मजबूत वृद्धि (15 प्रतिशत) दर्ज की गई। राज्य के स्वयं के राजस्व प्रदर्शन में सुधार हुआ और पिछले दस वर्षों में केंद्रीय अनुदानों पर निर्भरता में काफी कमी आई है।

राज्य के व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा अधिक था, जो कि 86.02 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का क्रमशः 54.39 प्रतिशत और 52.18 प्रतिशत थे, जिससे पूंजीगत निवेश के लिए राजकोषीय गुंजाइश सीमित रही। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना और कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली अनुदान जैसी योजनाओं के कारण सब्सिडी में तेजी से वृद्धि हुई। पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय में वृद्धि का रुझान देखा गया है। राजस्व आधिक्य के लक्ष्य के मुकाबले राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.80 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार, राजकोषीय घाटा एमटीएफपीएस/एफआरबीएम अधिनियम के तहत अनुमानित 2.90 प्रतिशत के मुकाबले जीएसडीपी का 4.48 प्रतिशत रहा। यद्यपि बकाया देनदारियां 15वें वित्त आयोग के अनुशंसित अनुमानों के भीतर रहीं, फिर भी यह बजट अनुमानों में अनुमानित स्तर से अधिक हो गईं, इसे राज्य शासन के बकाया ऑफ–बजट उधारों और गारंटी के कारण आकस्मिक देनदारियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य शासन ने खनिज विकास निधि, केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि, अवसंरचना विकास उपकर और पर्यावरण उपकर, ब्याज देनदारियों आदि के संबंध में ₹ 6,194.54 करोड़ की महत्वपूर्ण बकाया देनदारियों को भी आगे बढ़ाया है, जो वित्त वर्ष 2024–25 में जीएसडीपी का 1.09 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा ने अपनी विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से पहले ही कर राजस्व में बकाया राशि की वसूली, कराधान में अनुपालन जोखिमों को कम करने, एसपीएसई में किए गए पूंजी निवेशों का पुनर्चक्रण करने और राजस्व वृद्धि के अनुरूप राजस्व व्यय को युक्तिसंगत बनाने के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को उजागर किया है।

इस वित्तीय वर्ष में भी 69 अनुदानों में भारी बचत और छह अनुदानों/विनियोजनों में आधिक्य व्यय देखने को मिला। वर्ष के दौरान किए गए ₹27,897.20 करोड़ के पूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहे क्योंकि कुल व्यय मूल बजट के भीतर ही रहा। वर्ष 2024–25 में ₹1,538.65 करोड़ के आधिक्य व्यय को विधायिका द्वारा नियमित करना आवश्यक है। इसके अलावा, 129 पीडी खातों के तहत ₹ 1,372.27

करोड़ का अंत शेष, स्वायत्त निकायों के लिए लंबित खाते, और लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियां/व्यय का अधिक उपयोग वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

प्रतिवेदन में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में बेहतर निधि ट्रैकिंग के लिए सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) और एसएनए–स्पर्श के कार्यान्वयन जैसे सकारात्मक कदमों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इन प्रणालियों में पूर्ण रूप से स्थानांतरण अभी लंबित था।

अच्छे अभ्यासों में 97.87 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मंजूरी और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) निधि का समय पर हस्तांतरण जैसी चीजें शामिल थीं।

बढ़ता हुआ ऋण भार, उच्च प्रतिबद्ध व्यय, और सीमित पूंजीगत निवेश राजकोषीय स्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ाते हैं। दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए राजस्व वृद्धि, बेहतर व्यय नियंत्रण और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। ऑफ–बजट उधारों में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए, समय पर लेखांकन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

अध्याय I
राज्य के वित्त का अवलोकन

अध्याय I: राज्य के वित्त का अवलोकन

यह अध्याय 2024–25 के लिए छत्तीसगढ़ के वित्त का एक आशुचित्र प्रदान करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतक और राज्य की राजकोषीय संरचना शामिल है। यह राजस्व और व्यय, ऋण स्तर और राजकोषीय घाटे के रुझानों का विश्लेषण करता है, लगातार असंतुलन और उधार पर निर्भरता को उजागर करता है। अध्याय में उच्च प्रतिबद्ध व्यय, निवेश पर कम रिटर्न आदि जैसे मुद्दों को चिह्नित किया गया है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

छत्तीसगढ़, मध्य भारत में मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है, जो 1,35,192 वर्ग किमी में फैला हुआ है और इसमें 33 जिले और 20,363 गांव शामिल हैं। 2011 की जनगणना और जुलाई 2020 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट **भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–2036** के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 2025 में 3.09 करोड़, जबकि देश की जनसंख्या 141.33 करोड़ है और जनसंख्या घनत्व 228 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है। यह खंड राज्य की जनसांख्यिकी, जीएसडीपी और राज्य की प्रति व्यक्ति आय का अवलोकन प्रदान करता है।

1.1.1 राज्य की जनसांख्यिकी

राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य का जनसांख्यिकीय विवरण नीचे **तालिका 1.1** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.1: राज्य की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

(प्रतिशत में)

जनसंख्या	2011 की जनगणना के अनुसार		जनसंख्या पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार (2025 के लिए आंकड़े)	
	राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय
ग्रामीण आबादी	76.76	68.86	72.24	64.3
शहरी आबादी	23.24	31.14	27.76	35.7

	छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय औसत
जनसंख्या घनत्व *(भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–36)*	228	430
प्रति 1,000 पुरुषों पर लिंग अनुपात *(भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–36)*	994	947
प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर *(एसआरएस बुलेटिन सितंबर 2025)*	37	25
प्रति लाख महिलाओं पर मातृ मृत्यु दर *(भारत में मातृ मृत्यु दर पर एसआरएस बुलेटिन सितंबर 2025)*	10	5
कुल प्रजनन दर *(एनएफएचएस–5, 2019–21)*	1.82	1.99
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा *(एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी 2019–23, सितंबर 2025)*	64.60	70.30
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (प्रतिशत में) *(बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023, नीति आयोग)*	16.37	14.95
साक्षरता दर (प्रतिशत में) *(आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24)*	78.50	80.90

1.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और प्रति व्यक्ति आय राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं जैसा कि बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है, जबकि जीएसडीपी राज्य स्तर पर इसे मापता है, और दोनों आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को दर्शाते हैं। जीएसडीपी और जीडीपी के रुझान **तालिका 1.2** में दिए गए हैं। जीएसडीपी और जीडीपी की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि और जीडीपी में जीएसडीपी का योगदान **चार्ट 1.1** में दिया गया है और देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी और राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी को **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: भारत की जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी में रुझान (वर्तमान कीमतों पर)

वर्ष	भारत की जीडीपी (₹ करोड़ में)	छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ में)	छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ में)
2015–16	1,37,71,874	2,25,163	1,07,341	81,907
2016–17	1,53,91,669	2,62,802	1,18,489	94,083
2017–18	1,70,90,042	2,82,737	1,30,061	99,612
2018–19	1,88,99,668	3,27,107	1,42,424	1,13,413
2019–20	2,01,03,593	3,44,672	1,49,915	1,19,066
2020–21	1,98,54,096	3,52,328	1,46,480	1,20,113
2021–22	2,35,97,399	4,11,613	1,72,422	1,38,623
2022–23	2,68,90,473	4,58,891	1,94,451	1,52,775
2023–24	3,01,22,956	5,12,107	2,15,935	1,68,567
2024–25	3,30,68,145	5,67,880	2,34,859	1,84,833

स्रोतः एनएसओ (एमओएसपीआई) और आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, छत्तीसगढ़

चार्ट 1.1: जीडीपी और जीएसडीपी में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि और जीडीपी में जीएसडीपी की हिस्सेदारी

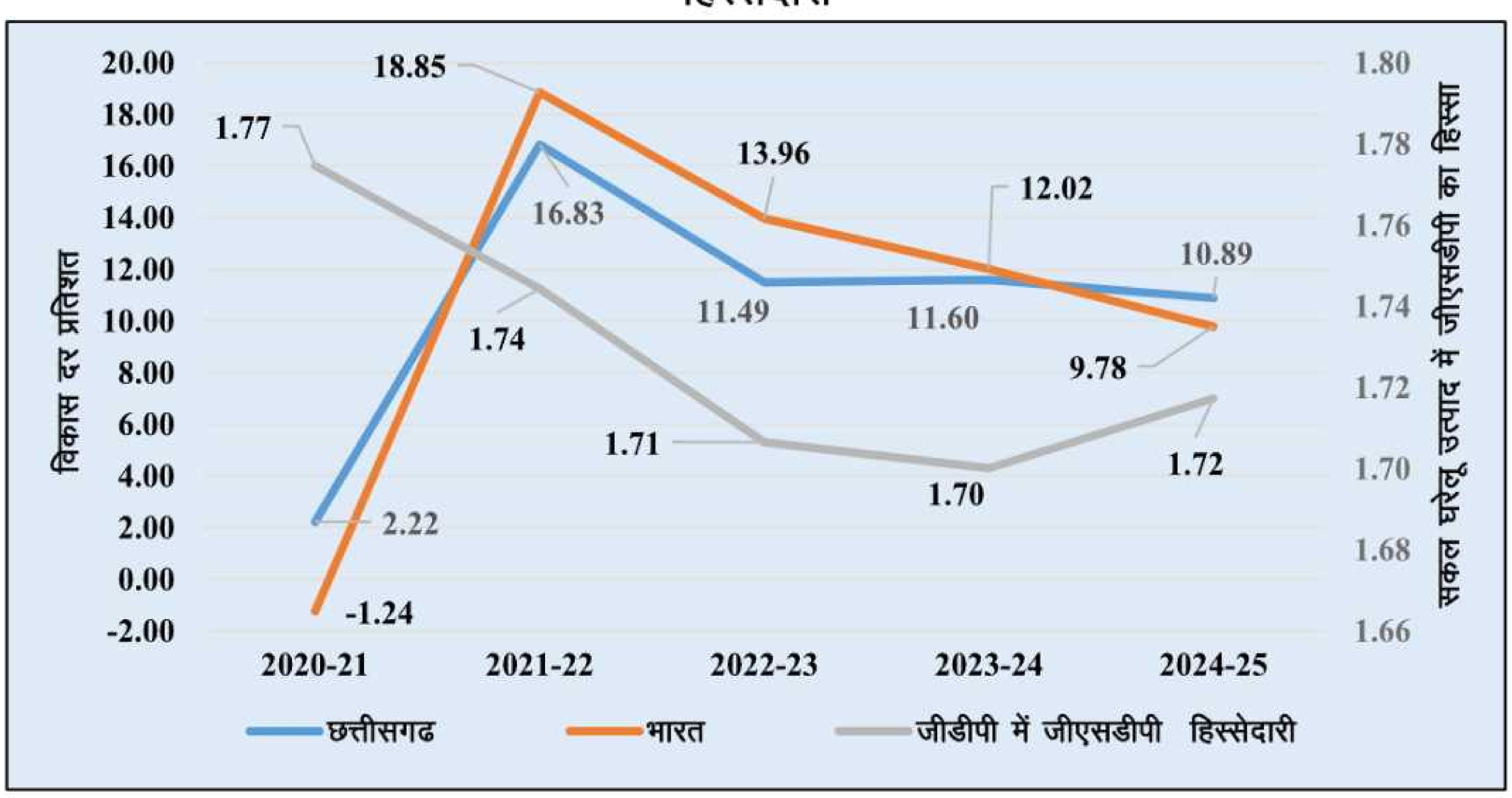

चार्ट 1.2: भारत और छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति जीडीपी/जीएसडीपी

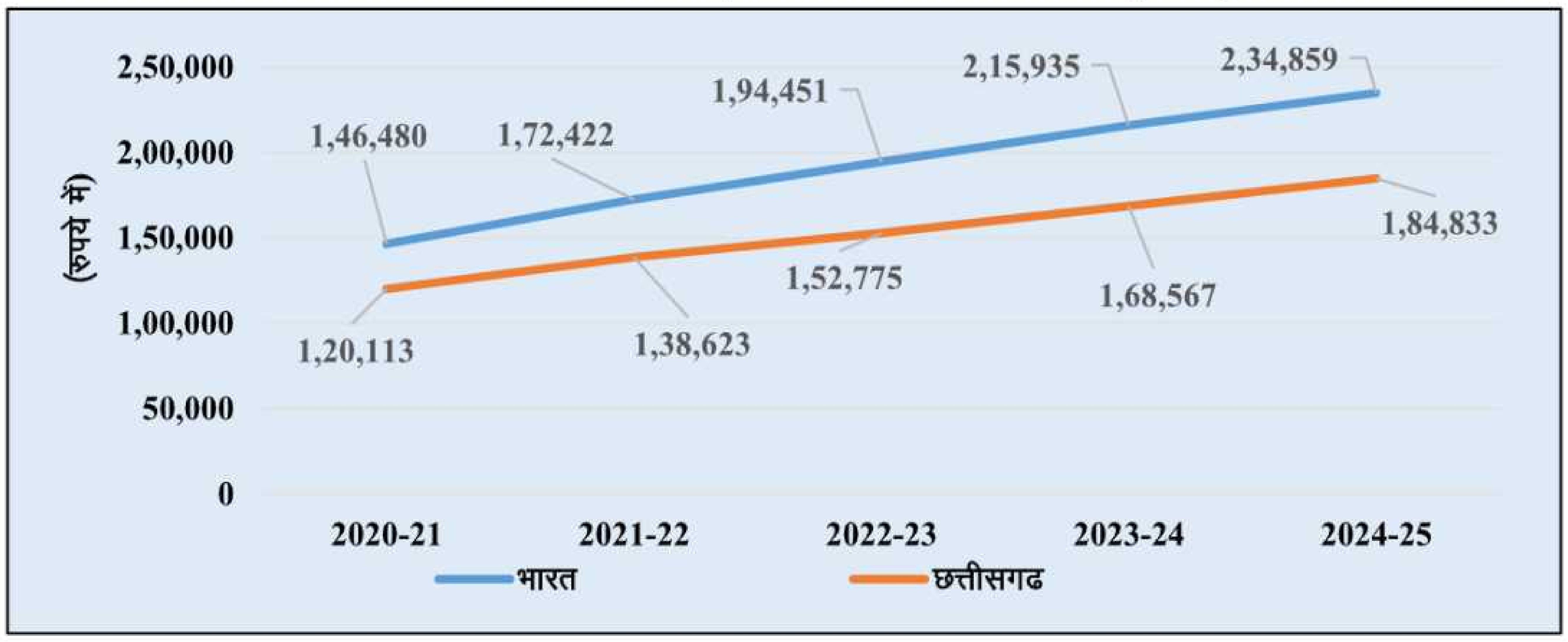

वर्ष 2024–25 के दौरान छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी की विकास दर (10.89 प्रतिशत) भारत की जीडीपी की विकास दर (9.78 प्रतिशत) से अधिक थी, जबकि पिछले तीन वर्षों 2021–24 की अवधि में छत्तीसगढ़ की विकास दर भारत की विकास दर से कम रही। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में राज्य की हिस्सेदारी में पिछले पांच वर्षों में मामूली गिरावट देखी गई, जो 2020–21 में 1.77 प्रतिशत से गिरकर 2024–25 में 1.72 प्रतिशत हो गई। यह इंगित करता है कि यद्यपि राज्य की अर्थव्यवस्था निरपेक्ष रूप से बढ़ रही है, लेकिन समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में इसकी विकास गति थोड़ी धीमी रही है।

जीएसडीपी के संदर्भ में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य के अलावा 18 राज्यों में से, छत्तीसगढ़ राज्य पड़ोसी राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश की तुलना में कम जीएसडीपी के साथ 16वें स्थान पर है, जबकि झारखंड की तुलना में जीएसडीपी अधिक है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य की तुलना में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के साथ 13 वें स्थान पर है, जबकि ओडिशा की तुलना में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कम है।

1.1.2.2 जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान

वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रीय योगदान और पिछले पांच वर्षों के दौरान जीएसडीपी में क्षेत्रीय वृद्धि को क्रमशः **चार्ट 1.3** और **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: क्षेत्रीय योगदान 2024–25

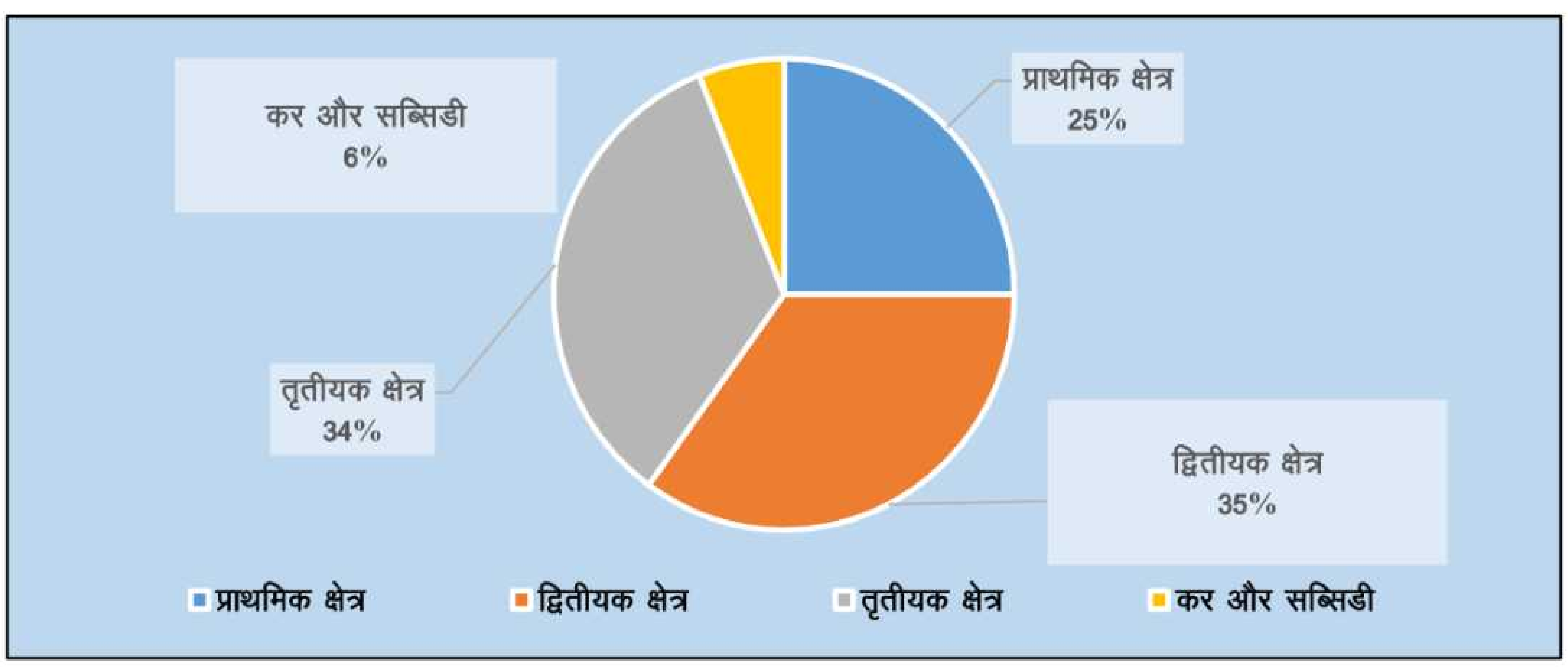

चार्ट 1.4 जीएसडीपी में क्षेत्रीय वृद्धि

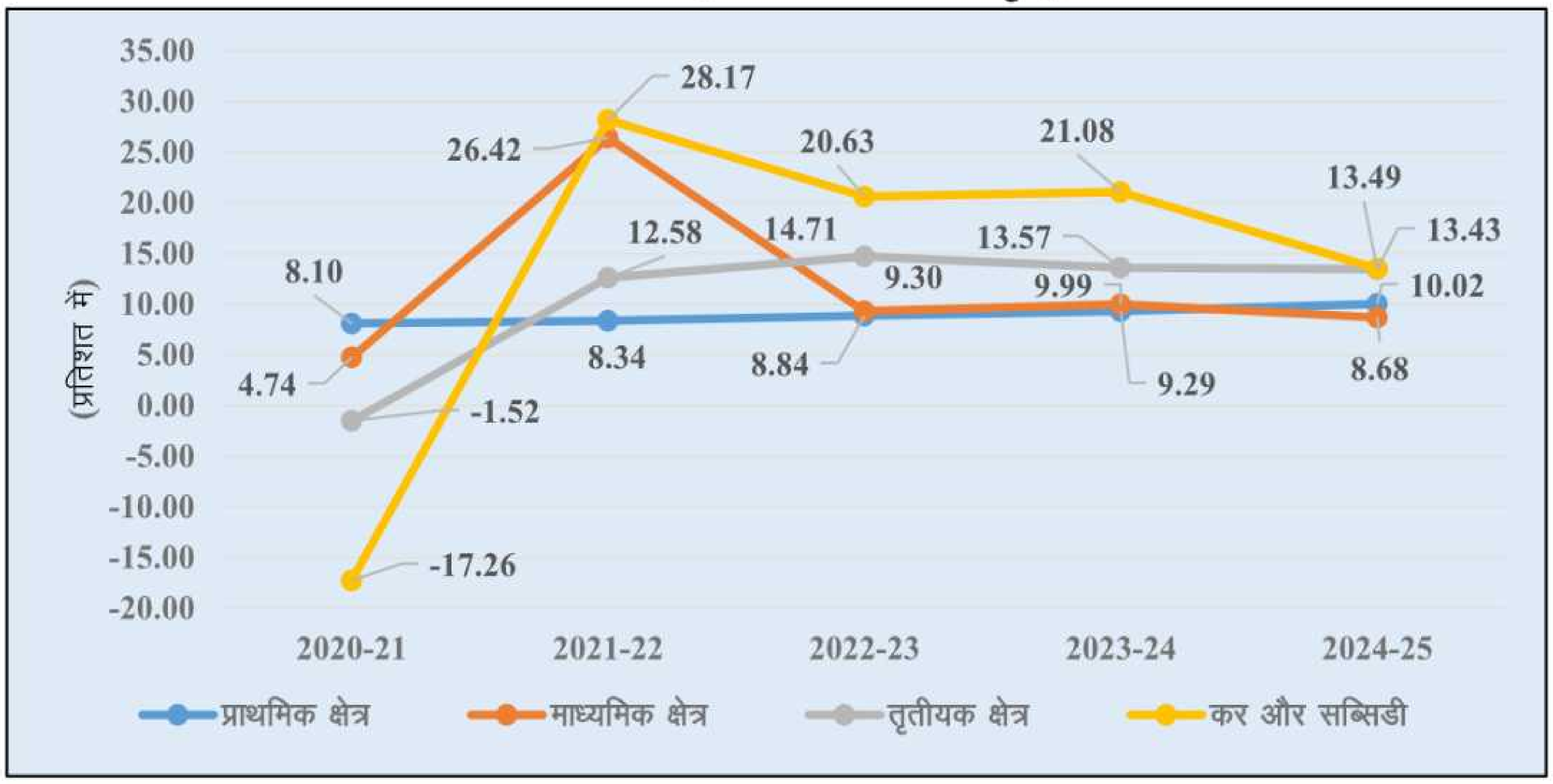

चार्ट 1.5 वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र की संरचना को उसके प्रमुख योगदान देने वाले खंडों के संदर्भ में दर्शाता है।

चार्ट 1.5: क्षेत्रवार वितरण, वर्ष 2024–25

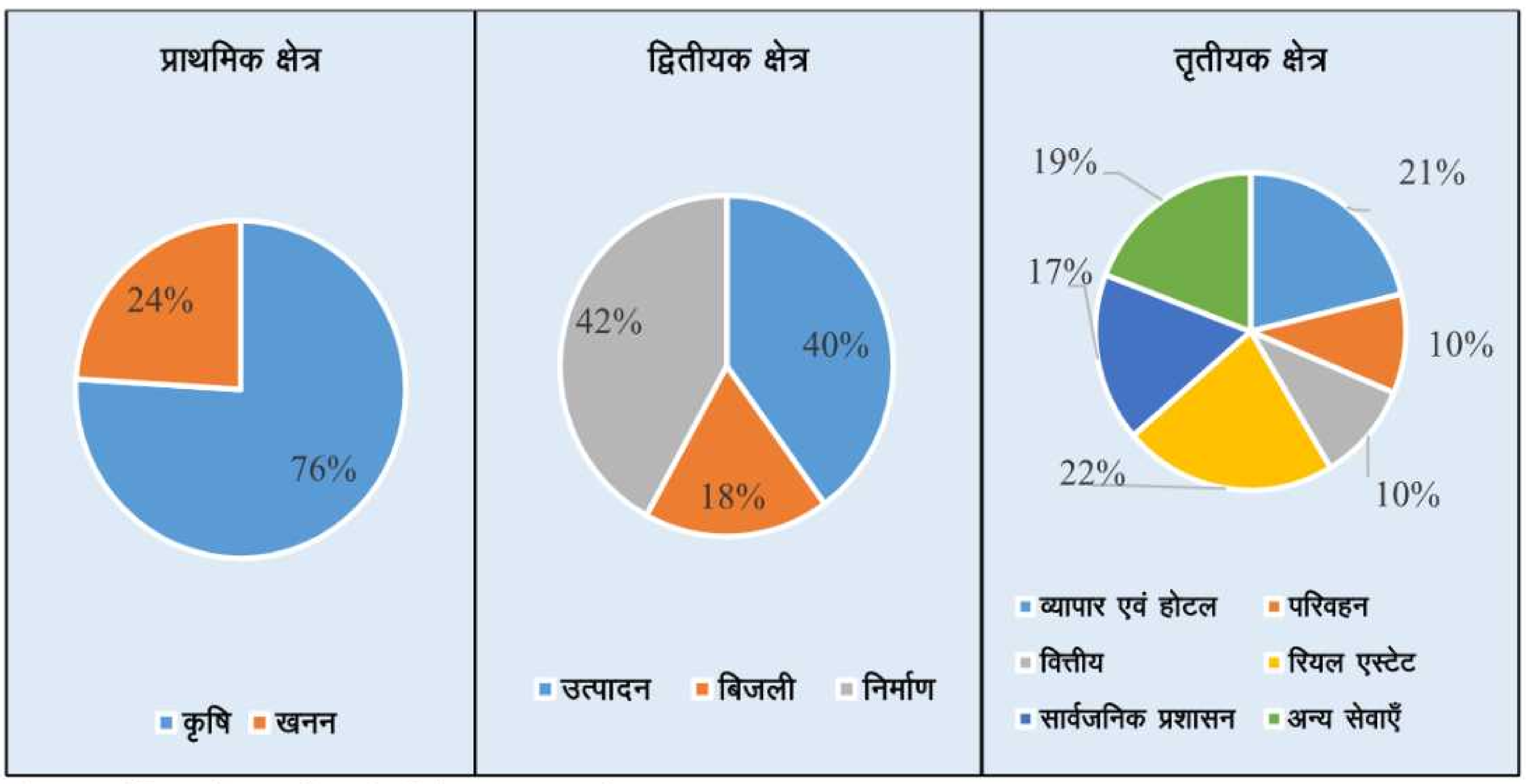

स्रोतः आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, छत्तीसगढ़

द्वितीयक क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा, जबकि तृतीयक क्षेत्र ने उच्चतम विकास दर दर्ज की और प्राथमिक क्षेत्र ने विकास दर में लगातार वृद्धि के साथ अपेक्षाकृत स्थिर हिस्सेदारी बनाए रखी।

1.1.3 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 वर्ष 2023–24 और 2024–25 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन के वास्तविक वित्तीय परिणामों के साथ–साथ वर्ष 2024–25 के लिए बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और जीएसडीपी का विवरण दिखाती है।

तालिका 1.3: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2023–24 (वास्तविक)	2024–25 (बीई)	2024–25 (आरई)	2024–25 (वास्तविक)	वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान का प्रतिशत	वास्तविक आंकड़े जीएसडीपी का प्रतिशत
1	कर राजस्व	77,268.10	93,700.00	90,200.00	88,609.16	94.57	15.60
(i)	स्वयं का कर राजस्व	38,786.22	49,700.00	46,200.00	44,764.99	90.07	7.88
(ii)	केंद्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा	38,481.88	44,000.00	44,000.00	43,844.17	99.65	7.72
2	करेत्तर राजस्व	15,147.97	18,700.00	17,500.00	17,420.52	93.16	3.07
3	सहायता अनुदान और योगदान	11,092.13	13,500.00	13,500.00	14,260.67	105.63	2.51
4	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**1,03,508.20**	**1,25,900.00**	**1,21,200.00**	**1,20,290.35**	**95.54**	**21.18**
5	ऋण और अग्रिमों की वसूली	25.61	150.00	150.00	23.42	15.61	0.00
6	अन्य प्राप्तियां	5.01	0.00	0.00	4.81	–	0.00
7	उधार और अन्य देनदारिया*	26,933.04	19,695.63	29,350.00	25,447.40	129.20	4.48
8	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)**	**26,963.66**	**19,845.63**	**29,500.00**	**25,475.63**	**128.37**	**4.49**
9	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**1,30,471.86**	**1,45,745.63**	**1,50,700.00**	**1,45,765.98**	**100.01**	**25.67**
10	**राजस्व व्यय**	**1,14,740.96**	**1,24,840.01**	**1,28,406.00**	**1,25,389.82**	**100.44**	**22.08**
11	ब्याज भुगतान	6,798.34	7,851.01	9,015.24	8,952.35	114.03	1.58
12	पूंजीगत व्यय	15,418.93	22,300.02	22,994.00	20,054.62	89.93	3.53
13	ऋण और अग्रिम	311.96	305.60	300.00	321.55	105.22	0.06
14	**कुल व्यय (10+12+13)**	**1,30,471.85**	**1,47,445.63**	**1,51,700.00**	**1,45,765.99**	**98.86**	**25.67**
15	**राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (–) (4–10)**	**–11,232.76**	**1,059.99**	**–7,206.00**	**–5,099.47**[1]	**–481.09**	**–0.90**
16	**राजकोषीय आधिक्य (+)/ घाटा (–) {(4+5+6)–14}**	**–26,933.03**	**–19,695.63**	**–29,350.00**	**–25,447.41**	**129.20**	**–4.48**
17	**प्राथमिक आधिक्य (+)/ घाटा (–) (16–11)**	**–20,134.69**	**–11,844.62**	**–20,334.76**	**–16,495.06**	**139.26**	**–2.90**

स्रोतः वित्त लेखे

*' * उधार और अन्य देनदारियांः लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां – संवितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल(प्राप्तियां – संवितरण) + प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ शेष का निवल।*

वित्त वर्ष 2020–21 से 2024–25 के लिए राज्य सरकार के वित्त का विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है।

[1] लेखापरीक्षा के बाद समायोजित राजस्व घाटा ₹ 10,245.83 करोड़ रुपये है।

1.1.4 धन के स्रोत और अनुप्रयोग

चालू वर्ष के दौरान राज्य के स्रोतों और निधियों के अनुप्रयोग के घटकों की तुलना **चार्ट 1.6** में दी गई है।

चार्ट 1.6: वर्ष 2024–25 के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

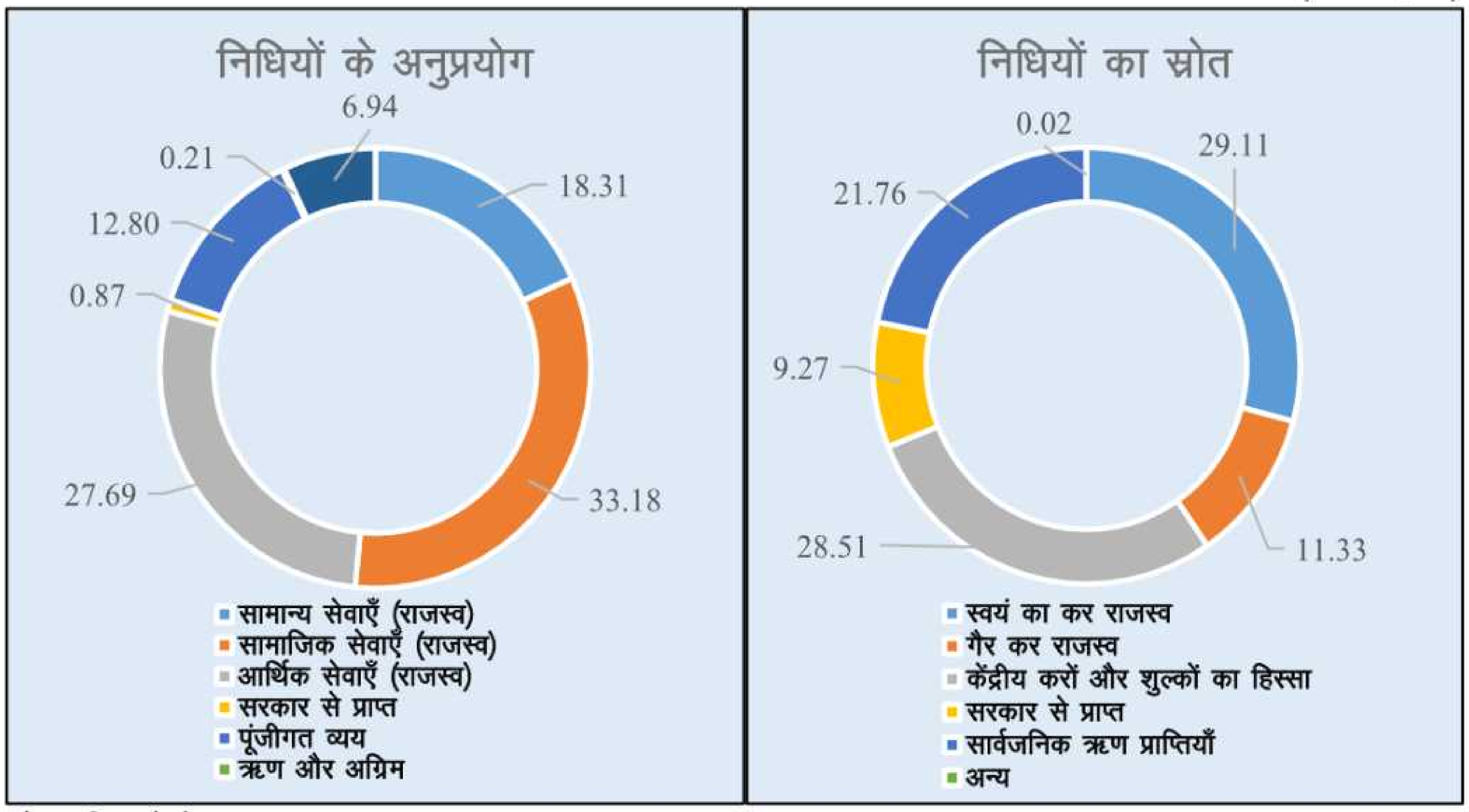

स्रोतः वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.2 में प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण दिया गया है और चालू वर्ष के साथ–साथ पिछले वर्ष के दौरान राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति भी दी गई है।

1.1.5 शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियों का आशुचित्र

शासकीय लेखे में सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों का पता लगाया जाता है। ***परिशिष्ट 1.3*** पिछले वर्ष की संबंधित स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2025 तक ऐसी देनदारियों और परिसंपत्तियों का सार देता है। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, सार्वजनिक खाते से प्राप्तियां और आरक्षित निधियां शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय, और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 और 2024–25 के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियां					संपत्ति				
		2023–24	2024–25	*प्रतिशत वृद्धि/ कमी*			2023–24	2024–25	*प्रतिशत वृद्धि/ कमी*
संचित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	95,140.18	1,11,559.54	17.26	अ	सकल पूंजी व्यय	1,41,142.72	1,61,364.52	14.33
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	18,747.37	18,953.85	1.10	ब	ऋण और अग्रिम	1,664.85	1,949.08	17.07

आकस्मिकता निधि		100.00	100.00	0.00			13.47	37.42	177.80
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, प्रोविडेंट फंड, आदि।	10,848.71	12,529.16	15.49	अ	विभागीय अधिकारियों के साथ अग्रिम कार्यवाही	7.10	7.10	0.00
ब	जमा	6,405.35	6,752.32	5.42	ब	प्रेषण	351.50	2,138.69	508.45
स	आरक्षित निधि	10,694.70	12,818.53	19.86	स	सस्पेंस और विविध	0.00	0.00	–
द	प्रेषण	0.00	0.00	–	नकद शेष (निर्धारित निधियों में निवेश सहित)		13,797.24	13,368.36	–3.11
ई	सस्पेंस और विविध	181.93	268.21	47.42	कुल		1,56,976.88	1,78,865.17	13.94
					राउंडिंग–ऑफ के कारण अंतर		0.00	0.01	–
					राजस्व खाते में घाटा		–14,858.64	–15,883.57	6.90
	कुल	**1,42,118.24**	**1,62,981.61**	**14.68**			**1,42,118.24**	**1,62,981.61**	**14.68**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.2 राज्य की संचित निधि

राज्य शासन द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य शासन द्वारा उठाए गए सभी ऋण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों की अदायगी में राज्य शासन द्वारा प्राप्त सभी धन राज्य की संचित निधि का हिस्सा है।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

दस वर्ष की अवधि (2015–25) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के संबंध में राजस्व प्राप्तियों के रुझान और वृद्धि को **तालिका 1.5** में दिखाया गया है।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्तियों में रुझान

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
राजस्व प्राप्तियां	46,068	53,685	59,647	65,095	63,869
कर राजस्व	32,791	37,754	40,649	44,886	42,324
स्वयं का कर राजस्व	17,075	18,945	19,895	21,427	22,118
केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	15,716	18,809	20,755	23,459	20,206
करेत्तर राजस्व	5,215	5,669	6,340	7,703	7,934
भारत सरकार से अनुदान सहायता	8,062	10,262	12,657	12,506	13,611
स्वयं के राजस्व (स्वयं के कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व)	22,290	24,614	26,235	29,130	30,052
जीएसडीपी (2011–12 श्रृंखला)	2,25,163	2,62,802	2,82,737	3,27,107	3,44,672
वर्ष–दर–वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
राजस्व प्राप्तियां	21.27	16.54	11.11	9.13	–1.88
स्वयं के राजस्व	8.01	10.43	6.58	11.04	3.16

जीएसडीपी	1.83	16.72	7.59	15.69	5.37
उत्प्लावकता अनुपात					
जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व उत्प्लावकता	4.38	0.62	0.87	0.70	0.59

पैरामीटर	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
राजस्व प्राप्तियां	63,176	79,652	93,877	1,03,508	1,20,290
कर राजस्व	43,227	55,655	65,481	77,268	88,609
स्वयं का कर राजस्व	22,889	27,084	33,122	38,786	44,765
केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	20,338	28,571	32,358	38,482	43,844
करेत्तर राजस्व	7,137	13,851	15,248	15,148	17,421
भारत सरकार से अनुदान सहायता	12,812	10,146	13,148	11,092	14,261
स्वयं के राजस्व (स्वयं के कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व)	30,026	40,935	48,371	53,934	62,186
जीएसडीपी (2011–12 श्रृंखला)	3,52,328	4,11,613	4,58,891[प्रा]	5,12,107[त्व]	5,67,880[अ]
वर्ष–दर–वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
राजस्व प्राप्तियां	–1.08	26.08	17.86	10.26	16.21
स्वयं के राजस्व	–0.08	36.33	18.16	11.50	15.30
जीएसडीपी	2.22	16.83	11.49	11.60	10.89
उत्प्लावकता अनुपात					
जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व उत्प्लावकता	–*	2.16	1.58	0.99	1.40

स्रोतः राजस्व प्राप्तियों के लिए वित्त लेखे और जीएसडीपी आंकड़ों के लिए आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय,छत्तीसगढ़। अ–अग्रिम अनुमान त्व–त्वरित अनुमान प्रा–प्रावधिक अनुमान

*नकारात्मक वृद्धि दर के कारण उत्प्लावन अनुपात की गणना नहीं की जा सकती।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों से योगदान **चार्ट 1.7** और **चार्ट 1.8** में दिया गया है।

चार्ट 1.7: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां

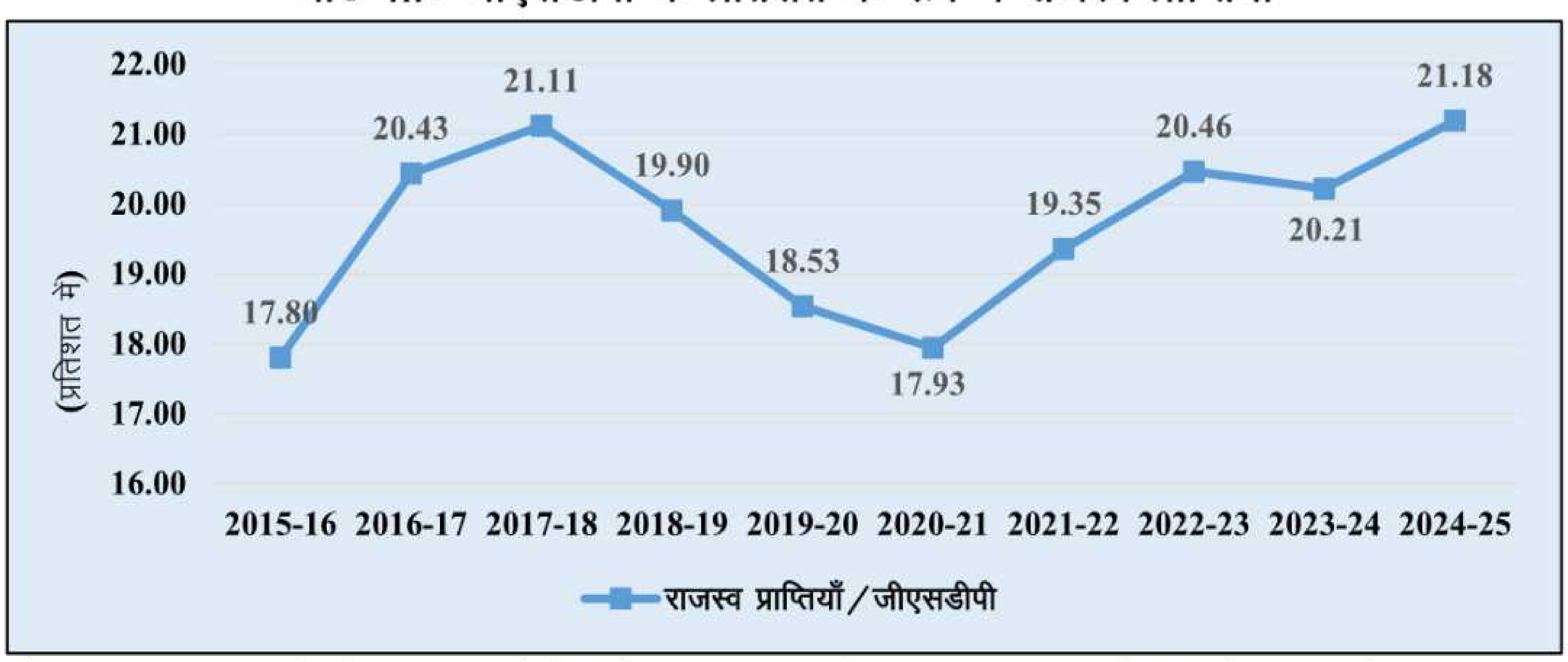

स्रोतः राजस्व प्राप्तियों के लिए वित्त लेखे और जीएसडीपी के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़े

चार्ट 1.8: राजस्व प्राप्तियों में योगदान

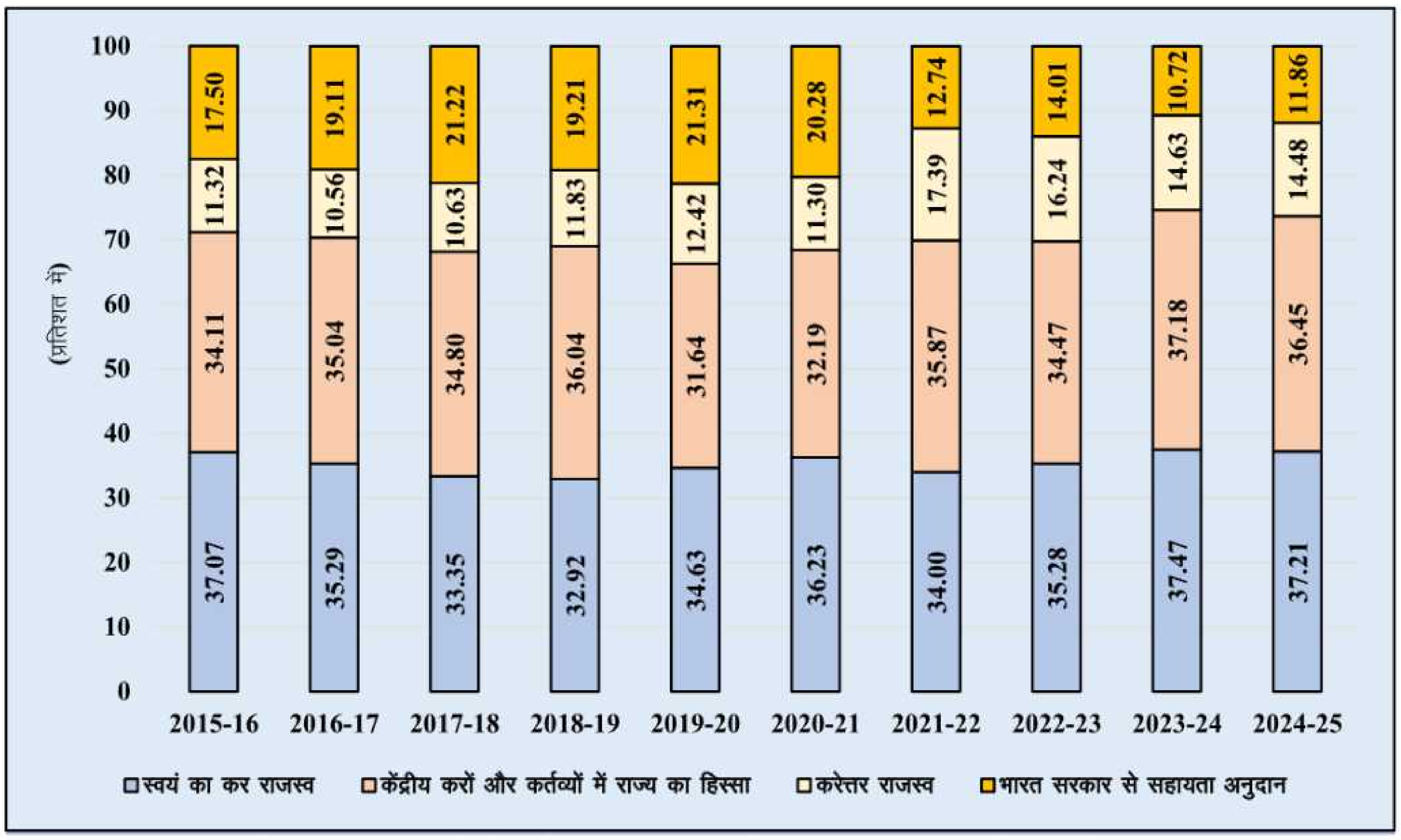

स्रोतः राजस्व प्राप्तियों के लिए वित्त लेखे और जीएसडीपी के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़े

वित्त वर्ष 2020–21 और 2023–24 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों में राजस्व प्राप्तियों की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर जीएसडीपी से अधिक हो गई है, जो राज्य के राजकोषीय लचीलेपन को उजागर करती है। पिछले दस वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान पर निर्भरता बढ़ने के बजाय राज्य के करेत्तर राजस्व की बढ़ती हिस्सेदारी और केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश को दिया जा सकता है, जो अनुदान पर राज्य की घटती निर्भरता और राजकोषीय स्वायत्तता और स्थिरता पर इसके परिणामी प्रभाव को दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों में से तीन में से एक से अधिक सकारात्मक स्वयं के राजस्व उत्प्लावकता से संकेत मिलता है कि राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी की वृद्धि दर की तुलना में उच्च गति से बढ़ रही हैं।

I. राज्य के स्वयं के संसाधन

चार्ट 1.9: राज्य के स्वयं के राजस्व का विवरण

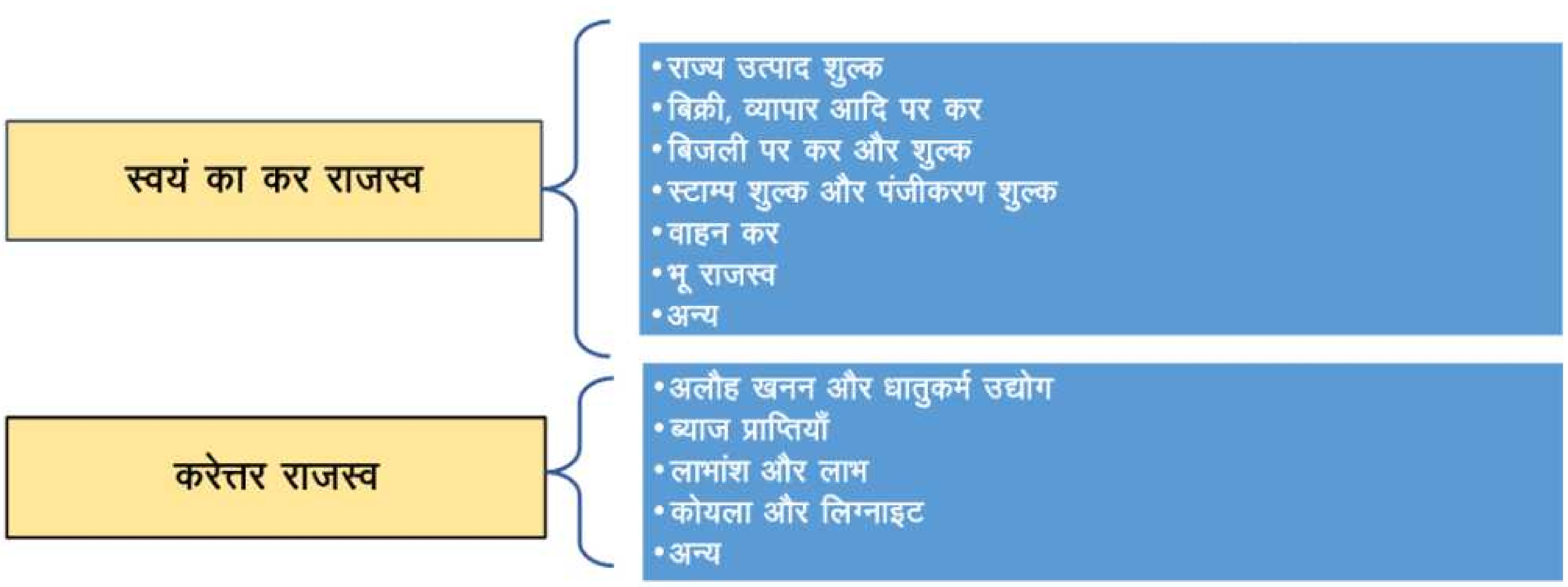

(i) स्वयं का कर राजस्व

स्वयं का कर राजस्व राज्य शासन द्वारा करों के माध्यम से एकत्र किया गया राजस्व है जिसे संविधान के तहत लगाने का अधिकार है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वास्तविक, वित्त वर्ष

2024–25 के लिए बजट अनुमान (बीई), पुनरीक्षित अनुमान (आरई), और स्वयं के कर राजस्व की वास्तविक **तालिका 1.6** में दी गई है।

तालिका 1.6: स्वयं का कर राजस्व 2023–24 (वास्तविक) और 2024–25 (बीई, आरई और वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

कर राजस्व	2023–24 (वास्तविक)	2024–25 (बीई)	2024–25 (आरई)	2024–25 (वास्तविक)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	13,793.29	17,446.36	16,919.41	16,298.59
राज्य उत्पाद शुल्क	8,430.41	11,000.00	10,500.00	10,141.84
भू–राजस्व	847.80	1,200.00	1,000.00	819.04
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	2,494.18	2,800.00	3,200.00	2,968.94
वाहनों पर कर	2,048.20	2,200.00	2,500.00	2,317.99
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,513.48	9,960.00	6,489.70	6,880.33
विद्युत कर तथा शुल्क	4,584.76	5,000.00	5,500.00	5,063.24
अन्य[2]	74.10	93.64	90.89	275.02
कुल	38,786.22	49,700.00	46,200.00	44,764.99

स्रोतः राज्य के वित्त लेखे और बजट दस्तावेज

स्वयं के कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्ति क्रमशः **चार्ट 1.10** और **चार्ट 1.11** में दिखाए गए हैं।

चार्ट 1.10: वित्त वर्ष 2015–16 से 2024–25 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की प्रवृत्ति

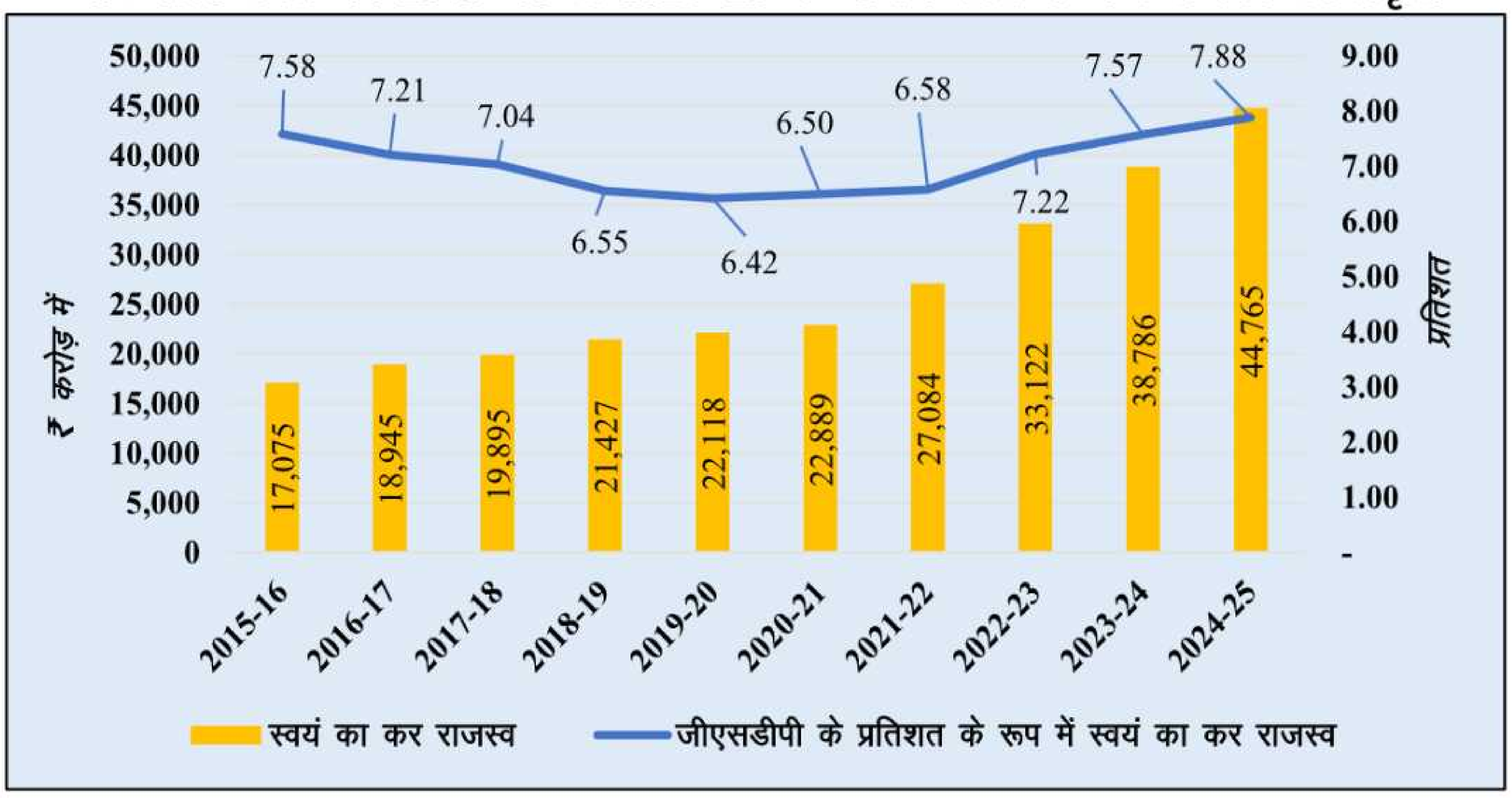

स्रोतः वित्त लेखे

[2] इसमें माल और यात्रियों पर लगने वाले कर, होटल प्राप्ति कर और आय और व्यय पर लगने वाले अन्य कर शामिल हैं।

चार्ट 1.11: राज्य के स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

➢ राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 2020–21 में ₹ 22,889.20 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹ 44,764.99 करोड़ हो गया, जो कि ₹ 21,875.79 करोड़ (95.57 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि है। चालू वर्ष में, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में ₹ 5,978.77 करोड़ (15.41 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से प्राप्त होने वाली अधिक आय (₹ 2,505.30 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 1,711.43 करोड़) और बिजली पर कर एवं शुल्क (₹ 478.48 करोड़) है।

➢ राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) में वृद्धि मुख्य रूप से आईजीएसटी के विभाजन के तहत प्राप्ति में वृद्धि के कारण हुई – एसजीएसटी में कर घटक का हस्तांतरण (0006–106)।

➢ राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि कंट्री स्पिरिट (0039–101) की प्राप्ति के तहत वृद्धि के कारण हुई थी।

➢ वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 44,764.99 करोड़ के स्वयं के कर राजस्व में से, राज्य वस्तु एवं सेवा कर का हिस्सा सबसे अधिक 36 प्रतिशत था, उसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क 23 प्रतिशत और बिक्री, व्यापार आदि पर कर 15 प्रतिशत था।

(ii) करेत्तर राजस्व

किसी राज्य का करेत्तर राजस्व करों के अलावा अन्य स्रोतों से राज्य शासन के किराया, शुल्क, रॉयल्टी और अन्य प्राप्तियों को संदर्भित करता है।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वास्तविक और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए बजट अनुमान (बीई), पुनरीक्षित अनुमान (आरई) और करेत्तर राजस्व की वास्तविक **तालिका 1.7** में दी गई है।

तालिका 1.7: प्रमुख करेत्तर राजस्व 2023–24 (वास्तविक) और 2024–25 (बीई, आरई और वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

करेत्तर राजस्व	2023–24 (वास्तविक)	2024–25 (बीई)	2023–24 (आरई)	2024–25 (वास्तविक)
ब्याज प्राप्तियां	175.16	263.15	352.06	348.08
लाभांश और लाभ	3.84	8.13	7.71	1.49
उपयोगकर्ता शुल्क	523.55	1106.71	871.23	691.58
अन्य	14,445.42	17,322.01	16,269.00	16,379.37
कुल	**15,147.97**	**18,700.00**	**17,500.00**	**17,420.52**

वर्ष 2015–16 से 2024–25 की अवधि के दौरान करेत्तर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्ति क्रमशः **चार्ट 1.12** और **चार्ट 1.13** में दिखाए गए हैं।

चार्ट 1.12: करेत्तर राजस्व की प्रवृत्ति

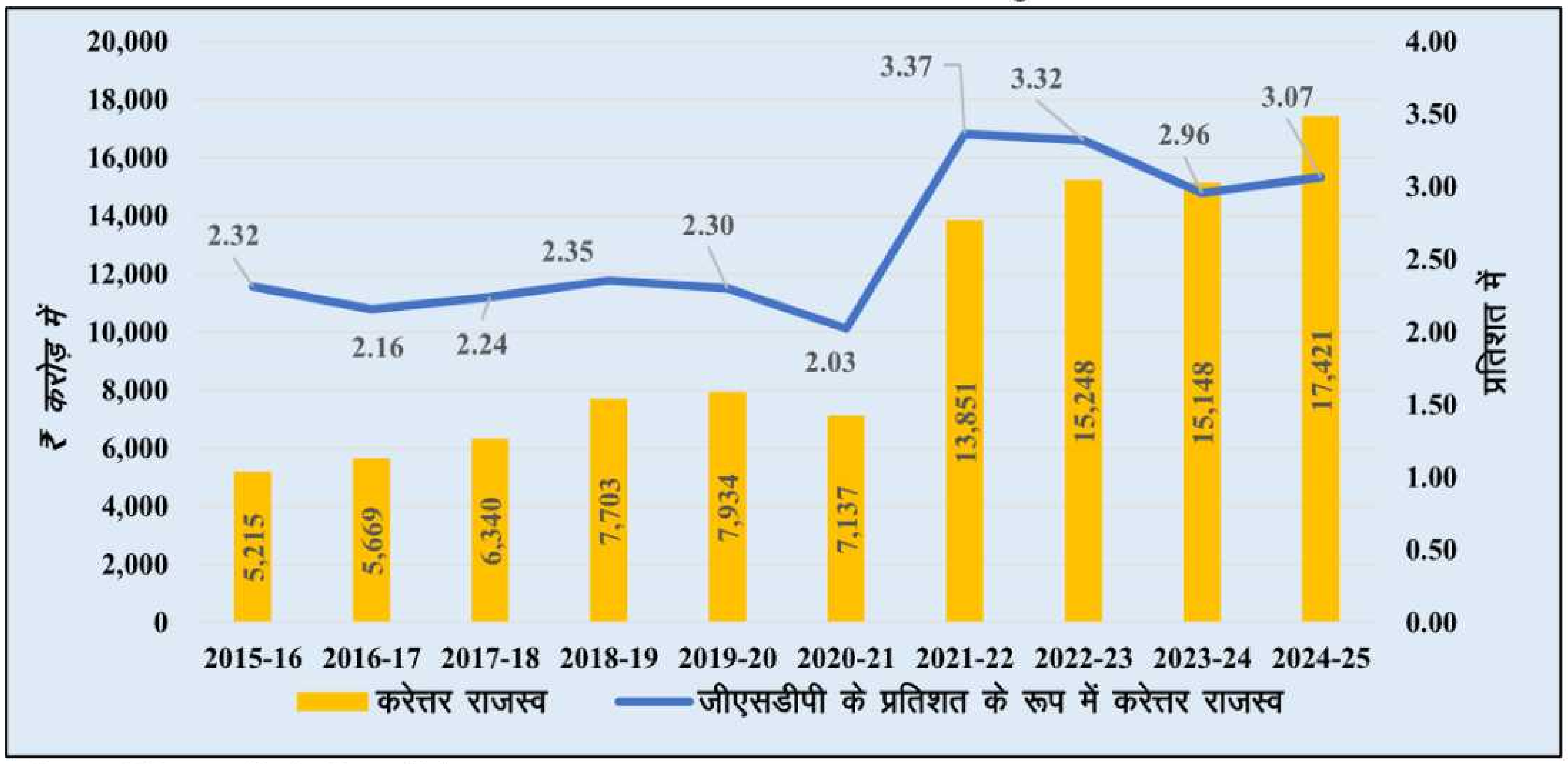

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.13: राज्य के करेत्तर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

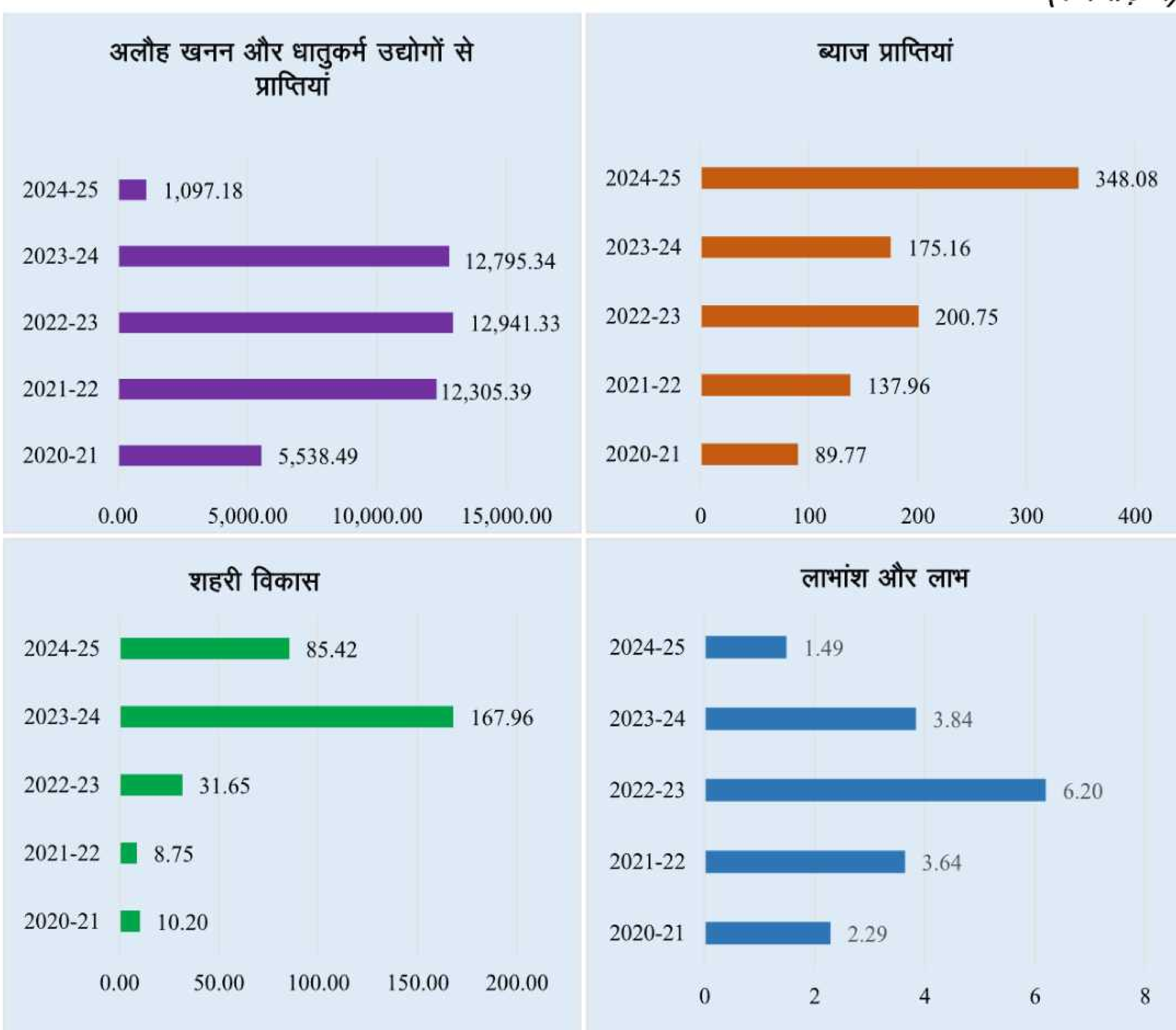

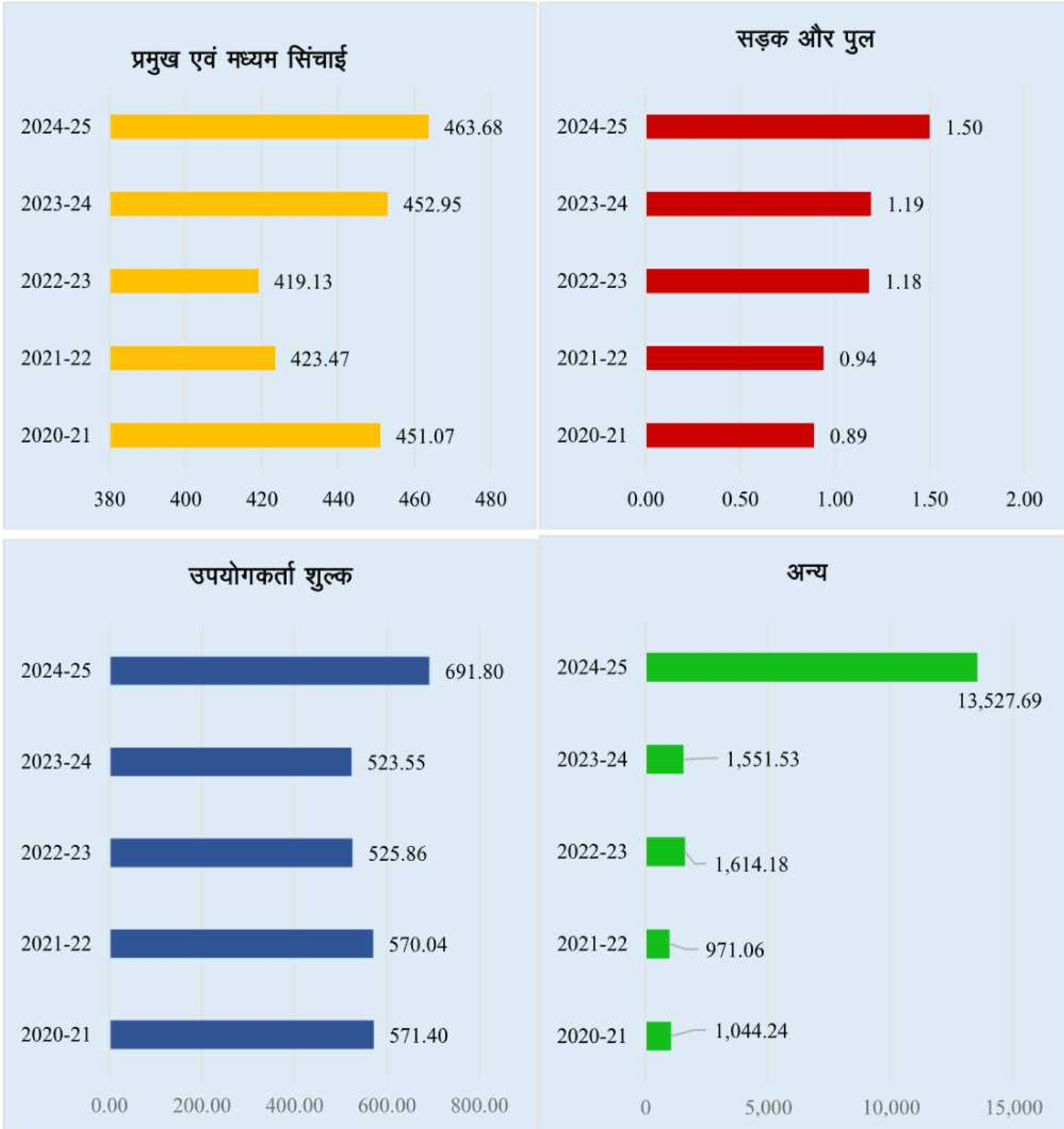

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024–25 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में कुल करेत्तर राजस्व में ₹ 2,272.55 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों में ₹ 172.92 करोड़ और अन्य करेत्तर प्राप्तियों में ₹ 933.95 करोड़ की वृद्धि के कारण थी। अन्य करेत्तर प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से उद्योगों (₹ 8,357.25 करोड़) और कोयला और लिग्नाइट (₹ 5,143.96 करोड) के तहत थी।

अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के कारण प्राप्ति में तेज कमी 2023–24 में ₹ 12,795.34 करोड़ से घटकर 2024–25 में ₹ 1,097.18 करोड़ हो गई और पिछले वर्ष की तुलना में 2024–25 में उद्योगों और कोयला और लिग्नाइट में तेज वृद्धि नए शीर्ष खनन (0852–उद्योग) और 2024–25 में नए मद के तहत कोयला रियायत शुल्क और रॉयल्टी और अन्य प्राप्तियां (0803–कोयला और लिग्नाइट) के तहत ₹ 5,143.96 करोड़ का निवेश किया गया, जिसे पहले अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (0853) में बुक किया गया था।

शहरी विकास (0217) के अंतर्गत प्राप्ति में 2023–24 में ₹ 167.96 करोड़ से घटकर 2024–25 में ₹ 85.42 करोड़ हो गई, जो मुख्य रूप से उप प्रमुख अन्य शहरी विकास योजनाओं (60–800) के अंतर्गत अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 126.44 करोड़ की कमी के कारण थी।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6,750.04 करोड़ (94.08 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण अलौह खनन और धातुकर्म

उद्योगों के तहत कोयला ब्लॉकों और अन्य खनिजों की नीलामी से प्राप्तियों में ₹ 6,766.90 करोड़ की वृद्धि हुई है।

उपयोगकर्ता शुल्क करेत्तर राजस्व (एसएनटीआर) का एक महत्वपूर्ण घटक है। उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने के लिए एक महत्वपूर्ण विचार पूंजी निवेश पर उचित लाभ के साथ सेवाएं प्रदान करने की वर्तमान लागत की वसूली है। राज्य द्वारा विभिन्न सेवाओं, वस्तुओं और उत्पादों और सुविधाओं जैसे ट्यूशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, खेल सुविधाओं, राज्य कर्मचारी बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं, जल आपूर्ति, सिंचाई, परिवहन, पर्यटन आदि की आपूर्ति या उपयोग के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किए जाते हैं। उपयोगकर्ता शुल्क वर्ष 2023–24 में ₹ 523.55 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024–25 में ₹ 691.80 करोड़ हो गया, जो दर्शाता है कि राज्य हाल के वर्षों में उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने में दक्षता बनाए हुए है।

ख. केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश

केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश के घटकों में रुझान **तालिका 1.8** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.8: केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश

(₹ करोड़ में)

घटक	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	निगम कर	निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	कस्टम्स	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य कर[3]	कुल
2015–16	0	0	4,950	3,455	2,504	2,070	2,727	10	15,716
2016–17	0	0	6,020	4,184	2,589	2,957	3,046	14	18,809
2017–18	291	2,094	6,353	5,365	2,094	2,189	2,369	0	20,755
2018–19	5,789	462	8,157	6,007	1,663	1,105	218	58	23,459
2019–20	5,734	0	6,889	5,398	1,281	890	0	13	20,206
2020–21	6,069	0	6,118	6,270	1,097	686	85	14	20,338
2021–22	8,629	0	7,700	8,888	2,018	1,009	297	31	28,571
2022–23	9,142	0	10,852	10,590	1,272	399	51	53	32,358
2023–24	11,679	0	11,551	13,339	1,349	510	7	47	38,482
2024–25	12,805	0	12,441	15,866	2,231	429	1	71	43,844

स्रोतः वित्त लेखे

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश **चार्ट 1.14** में दिया गया है।

[3] इसमें संपत्ति पर कर और वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क शामिल हैं।

चार्ट 1.14: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश

स्रोतः वित्त लेखे

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश इसकी राजस्व प्राप्तियों का 36.45 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के सापेक्ष केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश का अनुपात 2020–21 में 5.77 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 7.72 प्रतिशत हो गया।

ग. भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान (जीआईए) और इसके घटकों की प्रवृत्ति **तालिका 1.9** में दिखाई गई है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

अवयव	केंद्र प्रायोजित योजना योजनाओं के लिए अनुदान	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	वित्त आयोग अनुदान	राज्यों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	कुल
2015–16	4,867	866	–	2,329	8,062
2016–17	7,850	399	–	2,013	10,262
2017–18	–	9,276	1,460	1,921	12,657
2018–19	–	8,215	1,679	2,612	12,506
2019–20	–	7,808	2,045	3,758	13,611
2020–21	–	6,976	2,290	3,547	12,812
2021–22	–	6,171	2,380	1,596	10,146
2022–23	–	8,713	1,773	2,663	13,148
2023–24	–	8,218	1,771	1,104	11,092
2024–25	–	11,811	1,950	500	14,261

स्रोतः वित्त लेखे

जीएसडीपी के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान का प्रतिशत **चार्ट 1.15** में दिया गया है।

चार्ट 1.15: जीएसडीपी को भारत सरकार से अनुदान सहायता का प्रतिशत

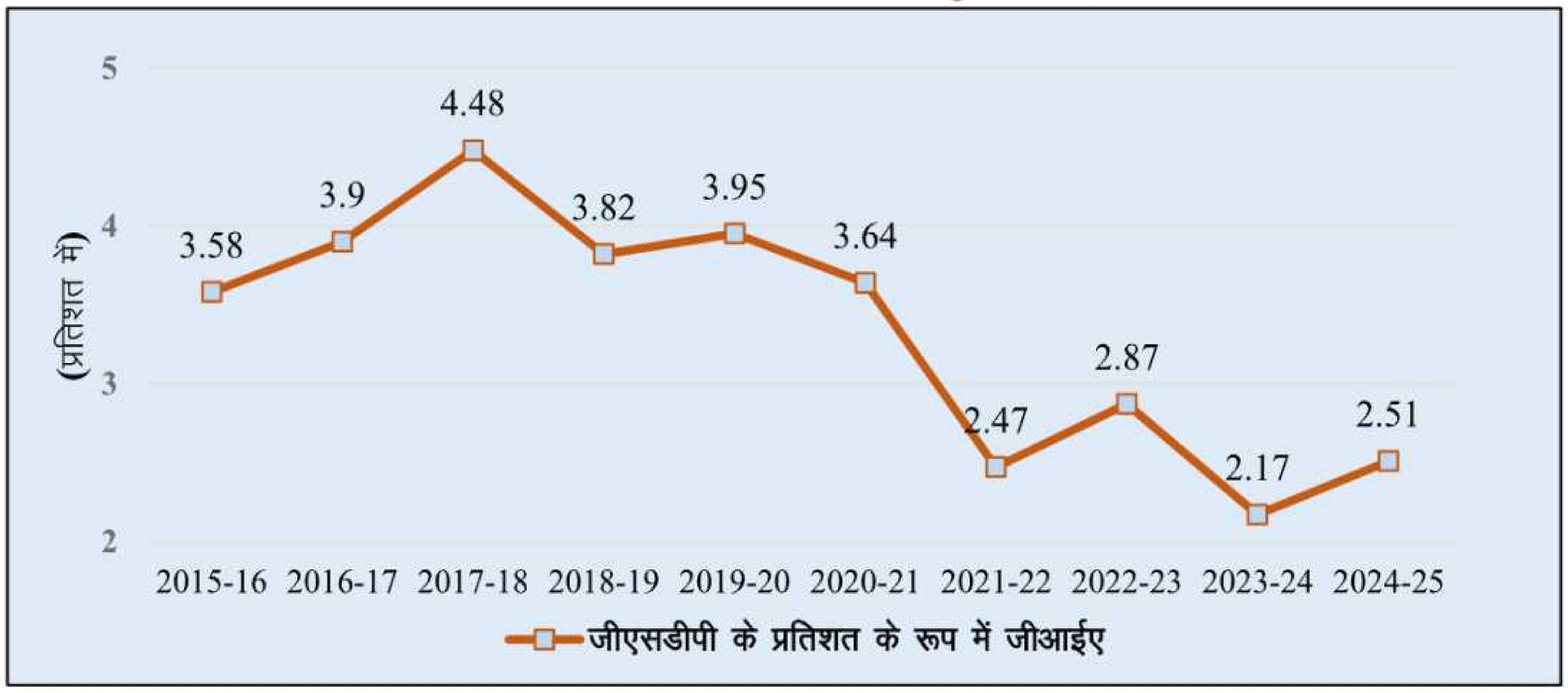

चार्ट 1.15 जीएसडीपी में महत्वपूर्ण वृद्धि (2019–20 में ₹ 3,44,672 करोड़ से 2024–25 में ₹ 5,67,880 करोड़ तक) में उल्लेखनीय वृद्धि के संबंध में बड़े पैमाने पर स्थिर सहायता अनुदान (2019–20 में ₹ 13,611 करोड़ से 2023–24 में ₹ 11,092 करोड़ और 2024–25 में ₹ 14,261 करोड़) के कारण भारत सरकार से जीएसडीपी को अनुदान के प्रतिशत में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

(i) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान

वर्ष 2024–25 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटित ₹ 11,811.16 करोड़ के अनुदानों में से, मुख्य आवंटन **तालिका 1.10** में दर्शाई गई योजनाओं को किए गए।

तालिका 1.10: अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख योजनाएं

योजना का नाम	2024–25 राशि (करोड़ में)	2023–24 राशि (करोड़ में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	5,167.22	1,681.72	207.26
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	790.62	804.47	–1.72
प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल	673.6	530.44	26.99
समग्र शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	509.95	406.72	25.38
आंगनवाड़ी सेवा योजना	345.06	214.27	61.04
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	325.24	401.77	–19.05
आंगनवाड़ी सेवाओं के निरंतर कार्यान्वयन के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम	316.4	285.43	10.85
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) – आजीविका	313.39	306.04	2.40
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम–पोषण)	303.31	238.99	26.91
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम–राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	242.21	190.63	27.06

स्रोत: वित्त लेखे

(ii) पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ), राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) और स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुदानों के लिए प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण **तालिका 1.11** में दिया गया है।

तालिका 1.11: अनुशंसित राशि, वास्तविक विमोचन और सहायता अनुदान का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

स्थानान्तरण		2024–25 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश	2024–25 के दौरान भारत सरकार द्वारा वास्तविक रिलीज	राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि (भारत सरकार द्वारा जारी राशि का कुल प्रतिशत)
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान		**1,192.00**	**1,185.25**	**1,185.29(100)**
(क) निष्पादन/बंधित अनुदान		715.20	710.97	–
(ख) संयुक्त अनुदान		476.80	474.28	–
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान		**614.00**	**303.29**	**119.85(39.52)**
(क) *मिलियन प्लस* शहरों के लिये अनुदान (निष्पादन/बंधित अनुदान)		189.00	183.44*	–
(ख) *नॉन मिलियन प्लस* शहरों के लिये अनुदान		425.00	119.85	–
नॉन मिलियन प्लस शहर (निष्पादन/बंधित अनुदान)		255.00	71.91	–
नॉन मिलियन प्लस शहर (संयुक्त अनुदान)		170.00	47.94	–
(iii) स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान		**373.00**	**80.25**	**97.67(100)**
स्थानीय निकायों के लिए कुल (i+ii+iii)		**2,179.00**	**1,568.79**	**1,402.81**
राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ)	केंद्रीय शेयर	400.00	380.80	380.80(100)
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ)	केंद्रीय शेयर	100.05	0.00	90.80#
एसडीआरएमएफ के लिए कुल		**500.05**	**380.80**	**471.60**

***स्रोत:** पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन और विस्तृत विनियोग लेखे 2024–25*

**** शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (नैदानिक अवसंरचना को सहायता) के लिए जारी किए गए ₹10.19 करोड़ रुपए का अनुदान शामिल है***

 # यह राशि वर्ष 2022–23 से संबंधित है

पंचायती राज संस्थाओं के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त निधियां राज्य शासन द्वारा पूरी तरह से जारी की गई थीं। तथापि, शहरी स्थानीय निकायों के लिए केन्द्र से प्राप्त ₹ 303.29 करोड़ की तुलना में राज्य शासन ने केवल ₹ 119.85 करोड़ (39.52 प्रतिशत) ही जारी किए। राज्य शासन ने एसडीआरएफ के तहत प्राप्त केंद्र सरकार के हिस्से की पूरी राशि ₹ 380.80 करोड़ और राज्य शासन के हिस्से की ₹ 127.20 करोड़ राशि वर्ष 2024–25 के लिए जारी कर दी है। इसके अलावा, वर्ष 2022–23 से संबंधित एसडीएमएफ के तहत ₹ 121.05 करोड़ (जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा ₹ 90.80 करोड़ और राज्य शासन का हिस्सा ₹ 30.25 करोड़ शामिल है) भी जारी की गई है। चालू वर्ष के दौरान, एसडीएमएफ के लिए भारत सरकार द्वारा कोई केन्द्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया था।

1.2.2 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं जैसे कि विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम।

वर्ष 2015–16 से 2024–25 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों और इसके घटकों के रुझान **तालिका 1.12** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
पूंजीगत प्राप्तियां	7,551	5,656	9,796	14,538	19,849
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	3	2	3	5	5
ऋण और अग्रिमों की वसूली	297	173	140	163	257
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	7,251	5,480	9,652	14,370	19,588
आंतरिक ऋण	7,106	5,098	9,188	13,817	19,308
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	145	382	465	553	279
वर्ष–दर–वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
जीएसडीपी	1.83	16.72	7.59	15.69	5.37
पूंजीगत प्राप्तियां	13.74	–25.10	73.20	48.42	36.53
ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	12.60	–24.43	76.14	48.88	36.31
आंतरिक ऋण	10.49	–28.25	80.21	50.38	39.75
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	1,571.81	162.62	21.76	19.13	–49.56
राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	**2020–21**	**2021–22**	**2022–23**	**2023–24**	**2024–25**
पूंजीगत प्राप्तियां	21,691	15,191	10,762	54,080	33,491
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	5	5	6	5	5
ऋण और अग्रिमों की वसूली	104	88	117	26	23
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	21,582	15,098	10,639	54,050	33,463
आंतरिक ऋण	17,961	9,322	6,939	50,258	27,046
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	3,620	5,777	3,700	3,791	6,417
वर्ष–दर–वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
जीएसडीपी	2.22	16.83	11.49	11.60	10.89
पूंजीगत प्राप्तियां	9.28	–29.96	–29.16	402.53	–38.07
ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	10.18	–30.04	–29.54	408.05	–38.09
आंतरिक ऋण	–6.98	–48.10	–25.57	624.33	–46.19
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	1,196.81	59.56	–35.95	2.46	69.26

स्रोत: वित्त लेखे

** अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट/स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी के तहत नेट फिगर सहित*

पिछले पांच वर्षों में, पूंजीगत प्राप्तियों, विशेष रूप से ऋण पूंजीगत प्राप्तियों ने जीएसडीपी की तुलना में वृद्धि में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई है, जिसमें वित्त वर्ष 2020–21 और वित्त वर्ष 2023–24 को छोड़कर सभी वर्षों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023–24 में, पूंजीगत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 402.53 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई,

जबकि जीएसडीपी में मामूली 11.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अचानक वृद्धि का कारण पिछले वर्ष की तुलना में आंतरिक ऋण प्राप्तियों में 624.33 प्रतिशत की वृद्धि को माना जा सकता है।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत प्राप्तियों को **चार्ट 1.16** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.16: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत प्राप्तियां और ऋण प्राप्तियां

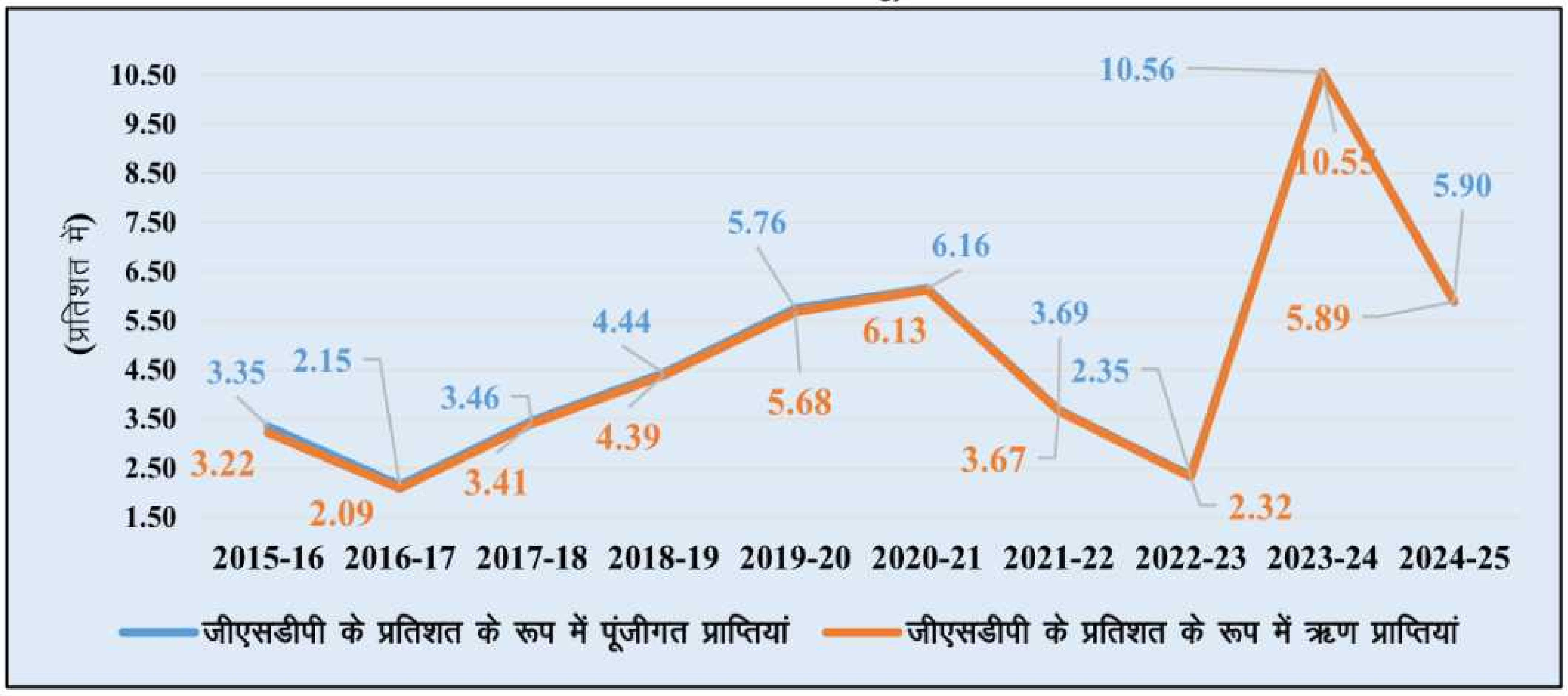

1.2.3 वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक

15वें वित्त आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 तक अनुमानित राजस्व, घाटे और जीएसडीपी तथा वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.13** में दिए गए हैं।

तालिका 1.13: 15वें वित्त आयोग के अनुमान की तुलना में वास्तविक

(₹ करोड़ में)

	2020–21		2021–22		2022–23		2023–24		2024–25	
	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.
जीएसडीपी (2011–12 सीरीज मौजूदा कीमतें)	3,84,853	3,52,328	3,62,467	4,11,613	3,90,623	4,58,891	4,24,095	5,12,107	4,62,155	5,67,880
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	40,262	30,026	32,976	40,935	36,039	48,371	39,731	53,934	43,996	62,186
राज्य का स्वयं का कर राजस्व	31,784	22,889	24,105	27,084	26,410	33,122	29,195	38,786	32,420	44,765
राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व	8,477	7,137	8,871	13,851	9,629	15,248	10,536	15,148	11,576	17,421
केंद्रीय करों/शुल्कों में राज्यांश	29,230	20,338	22,438	28,571	24,961	32,358	28,087	38,482	31,909	43,844
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (–) /आधिक्य (+)	4.98	–2.7	0.89	0.51	1.46	1.04	1.97	–2.65	2.59	–1.33
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	–4.5	–4.72	–4	–1.56	–3.5	–1.22	–3	–5.44	–3	–4.69

राजकोषीय घाटा (–)					

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

**** अनु.– अनुमान, वास्त.– वास्तविक***

नकारात्मक मान घाटे का संकेत देते हैं, और सकारात्मक मूल्य आधिक्य का संकेत देते हैं।

**** राजस्व और राजकोषीय घाटे के लिए लेखापरीक्षा के बाद के आंकड़े लिए गए हैं।***

1.2.4 व्यय

सरकारी व्यय को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण और अग्रिमों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय में प्रशासनिक और स्थापना व्यय सहित विभागों के रखरखाव, मरम्मत और दिन–प्रतिदिन के कामकाज की लागत शामिल है। पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण और परिसंपत्तियों में स्वीकृत सुधार या परिवर्धन से संबंधित है। ऋण और अग्रिमों में शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई धनराशि शामिल होती है, जो समय के साथ वसूली योग्य होती है। व्यय, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय और इसके घटकों के हिस्से का विवरण क्रमशः **तालिका 1.14**, **चार्ट 1.17** और **चार्ट 1.18** में दिया गया है।

तालिका 1.14: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	कुल व्यय	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण और अग्रिम[4]	आकस्मिकता निधि का विनियोग
2015–16	51,811	43,701	7,945	165	––
2016–17	57,908	48,165	9,471	273	––
2017–18	66,601	56,230	10,001	370	––
2018–19	73,555	64,411	8,903	241	––
2019–20	82,100	73,477	8,566	56	––
2020–21	79,108	70,033	9,024	51	––
2021–22	85,838	75,010	10,504	324	––
2022–23	98,691	85,285	13,320	86	––
2023–24	1,30,472	1,14,741	15,419	312	––
2024–25	1,45,766	1,25,390	20,055	322	––

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 1.17: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय

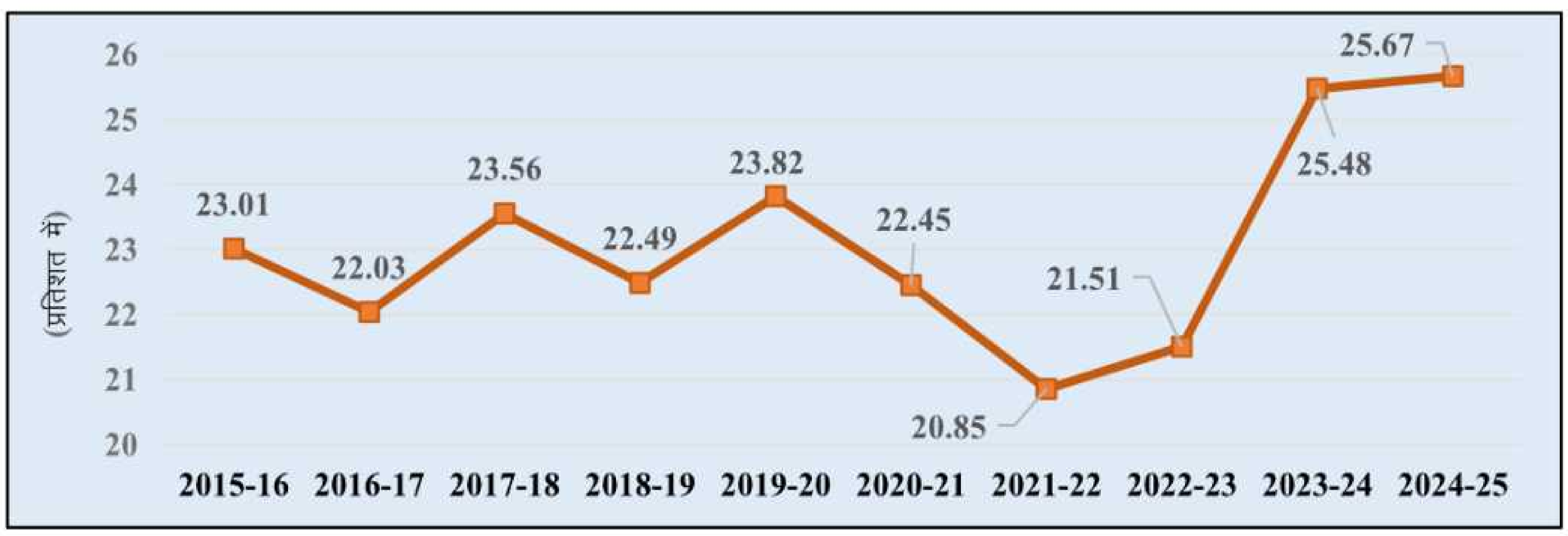

स्रोतः वित्त लेखे

[4] ऋण और अग्रिमों में अंतर–राज्यीय परिशोधन शामिल हैं

चार्ट 1.18: कुल व्यय में घटकों का हिस्सा

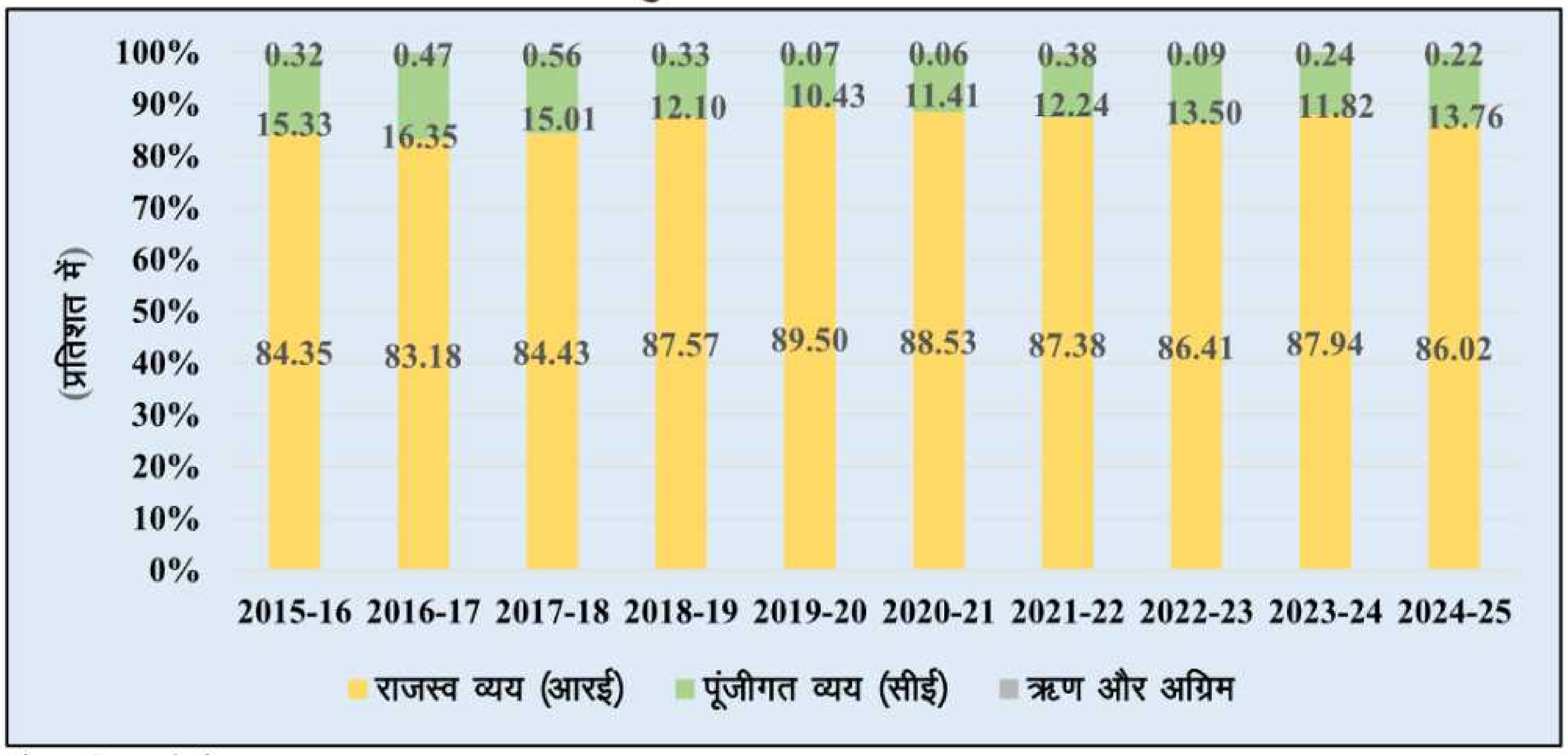

स्रोत: वित्त लेखे

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य द्वारा किए गए कुल व्यय ₹ 1,45,765.99 करोड़ में से, ₹ 12,074.63 करोड़ का हिस्सा निकासी संव्यवहार से संबंधित था, जैसे कि केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान का शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरण, रॉयल्टी का दो प्रतिशत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को हस्तांतरण, सरकारी खाते में एकत्रित और रखे गए श्रम उपकर का भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को हस्तांतरण, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं पर राज्य द्वारा प्राप्त केंद्रीय हिस्से का एकल नोडल एजेंसी को हस्तांतरण, सार्वजनिक खाते में निर्दिष्ट प्रमुख मद से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को एनपीएस अंशदान का हस्तांतरण आदि।

चार्ट 1.18 से पता चलता है कि 2020–25 के दौरान कुल व्यय का प्रमुख हिस्सा (86.02 प्रतिशत से 88.53 प्रतिशत) राजस्व व्यय था। दूसरी ओर, पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 11.41 प्रतिशत से 13.76 प्रतिशत के बीच है, जो दर्शाता है कि राज्य नियमित और प्रशासनिक खर्चों पर अपने व्यय का एक बड़ा हिस्सा आवंटित कर रहा है, जिससे परिसंपत्ति निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के लिए छोटा हिस्सा बचा है। राज्य का व्यय पैटर्न उत्पादक निवेश के बजाय उपभोग पक्ष के लिए शीर्षक है जो इसकी दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता और विकास उद्देश्यों को बाधित कर सकता है।

क्षेत्रवार कुल व्यय

व्यय की क्षेत्रवार संरचना **तालिका 1.15** में दी गई है और कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी को **चार्ट 1.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: क्षेत्रवार कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	सामान्य सेवाएँ	सामाजिक सेवाएँ	आर्थिक सेवाएँ	स्थानीय निकायों को अनुदान	ऋण और अग्रिम[5]
2015–16	10,771	18,146	21,828	900	165
2016–17	11,684	23,802	20,999	1,151	273
2017–18	13,174	27,023	24,669	1,365	370
2018–19	15,536	25,229	31,655	895	241

[5] इसमें अंतर–राज्यीय परिशोधन शामिल हैं।

2019–20	19,290	28,565	33,069	1,120	56
2020–21	20,095	28,001	29,836	1,125	51
2021–22	21,727	31,197	31,477	1,113	324
2022–23	23,580	36,807	37,076	1,143	86
2023–24	27,124	46,486	55,252	1,298	312
2024–25	29,872	60,393	53,824	1,357	322

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 1.19: कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा

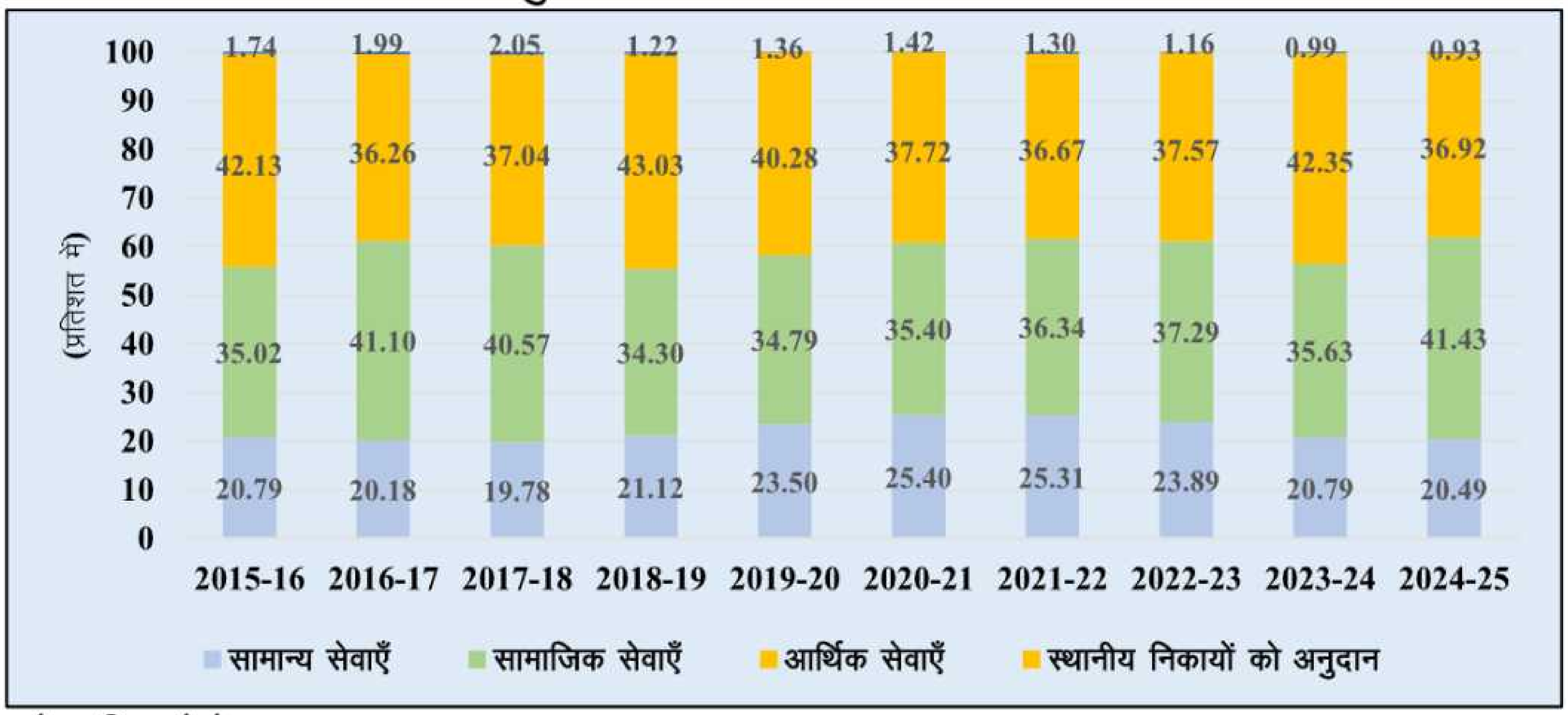

स्रोतः वित्त लेखे

नोटः कुल व्यय में ऋणों और अग्रिमों का हिस्सा नगण्य है

जैसा कि **चार्ट 1.19** से देखा जा सकता है, कुल व्यय में सामाजिक सेवा व्यय के हिस्से में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है यानी 2020–21 में 35.40 प्रतिशत से बढ़कर 2024–25 में 41.43 प्रतिशत हो गई है जो राज्य के कल्याणकारी अभिविन्यास को दर्शाता है। कुल व्यय में सामान्य सेवाओं की हिस्सेदारी 2020–21 में 25.40 प्रतिशत से घटकर 2024–25 में 20.49 प्रतिशत हो गई, जो प्रशासनिक खर्चों को युक्तिसंगत बनाने पर राज्य के फोकस को दर्शाती है।

सामाजिक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जिन प्रमुख क्षेत्रों में पर्याप्त आवंटन और व्यय देखा गया था, उन्हें **चार्ट 1.19 (क)** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.19 (क): सामाजिक सेवा क्षेत्र के तहत व्यय के प्रमुख क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

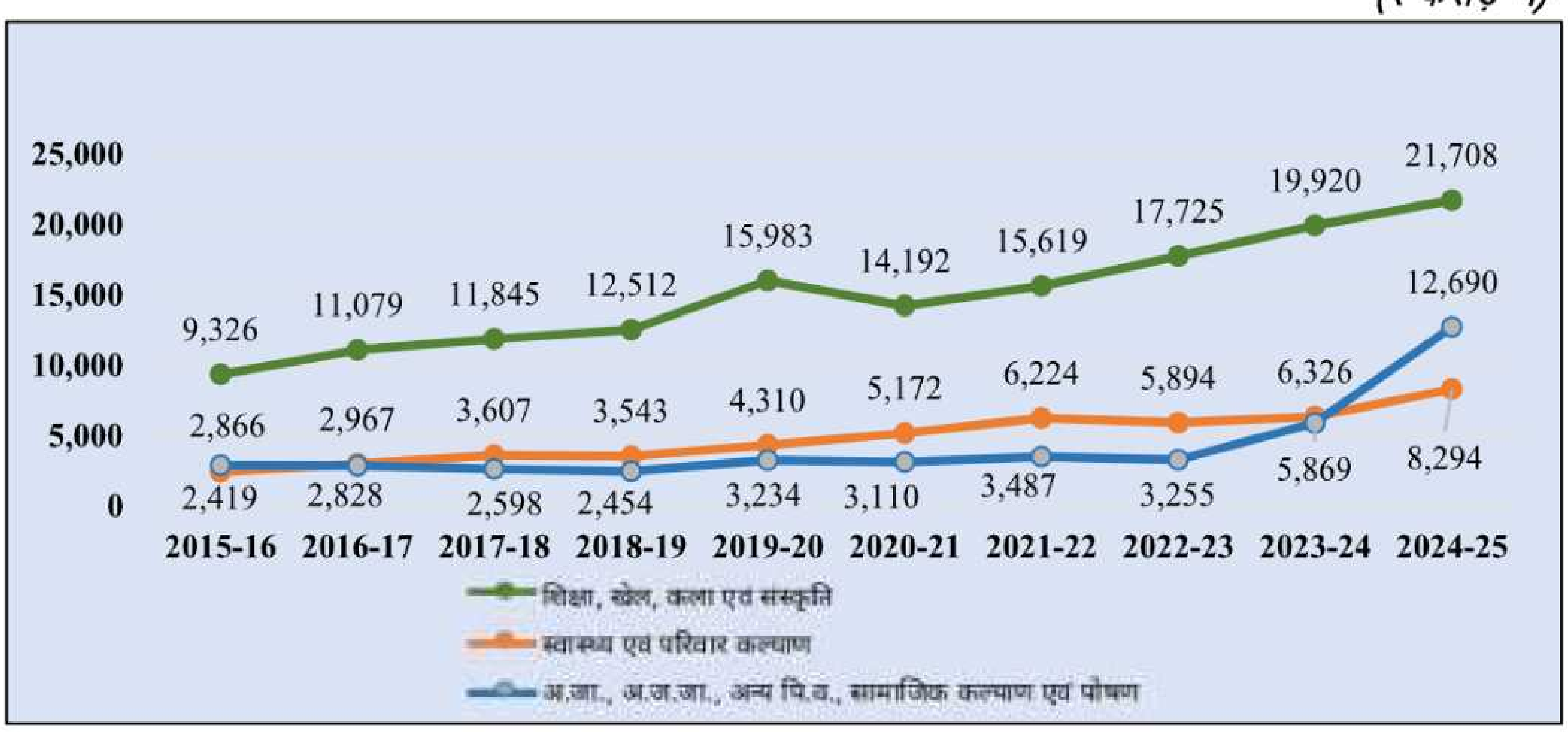

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शासन की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं नीचे दी गई हैं

(₹ करोड़ में)

योजना/कार्यक्रम	कुल बजट	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत	राजस्व व्यय का प्रतिशत	राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत
महतारी वंदन योजना	7,900.00	7,849.70	5.39	6.26	6.53
हायर सेकेंडरी स्कूल	3,952.77	3,471.06	2.38	2.77	2.89
सरकारी प्राथमिक विद्यालय (बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए)	3,241.13	2,803.83	1.92	2.24	2.33

उपरोक्त तीन योजनाएं कुल और राजस्व व्यय का क्रमशः 9.69 प्रतिशत और 11.27 प्रतिशत हैं और राजस्व प्राप्तियों का 11.75 प्रतिशत उपभोग कर रही हैं।

1.2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के लिए भुगतान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में वृद्धि, कुल व्यय के साथ इसका अनुपात, जीएसडीपी और राजस्व प्राप्तियों को **तालिका 1.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: राजस्व व्यय – बुनियादी पैरामीटर

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
कुल व्यय (टीई)	51,811	57,908	66,601	73,555	82,100
राजस्व व्यय (आरई)	43,701	48,165	56,230	64,411	73,477
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में संशोधित अनुमान	94.86	89.72	94.27	98.95	115.04
टीई के प्रतिशत के रूप में आरई	84.35	83.17	84.43	87.57	89.50
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	19.41	18.33	19.89	19.69	21.32
वर्ष–दर–वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
राजस्व व्यय	10.46	10.21	16.74	14.55	14.08
जीएसडीपी वृद्धि	1.83	16.72	7.59	15.69	5.37
पैरामीटर	**2020–21**	**2021–22**	**2022–23**	**2023–24**	**2024–25**
कुल व्यय (टीई)	79,108	85,838	98,691	1,30,472	1,45,766
राजस्व व्यय (आरई)	70,033	75,010	85,285	1,14,741	1,25,390
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में संशोधित अनुमान	110.85	94.17	90.85	110.85	104.24
टीई के प्रतिशत के रूप में आरई	88.53	87.39	86.42	87.94	86.02
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	19.88	18.22	18.59	22.41	22.08
वर्ष–दर–वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
राजस्व व्यय	–4.69	7.11	13.7	34.54	9.28
जीएसडीपी वृद्धि	2.22	16.83	11.49	11.6	10.89

स्रोतः वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय ने पिछले पांच वर्षों में 90.85 प्रतिशत से 110.85 प्रतिशत तक उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई और यह 2024–25 में 104.24 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो राज्य वित्त पर भविष्य के राजकोषीय दबाव को दर्शाता है। 2024–25 के दौरान,

जीएसडीपी की वृद्धि दर राजस्व व्यय में वृद्धि से आगे निकल गई, जो राज्य के राजस्व व्यय प्रोफाइल की स्थिरता को दर्शाती है।

क. क्षेत्रवार राजस्व व्यय

राजस्व व्यय की क्षेत्रवार संरचना **तालिका 1.17** में दी गई है और राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी को **चार्ट 1.20** में दर्शाया गया है। विस्तृत क्षेत्र–वार व्यय ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

तालिका 1.17: क्षेत्रवार राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	सामान्य सेवाएँ	सामाजिक सेवाएँ	आर्थिक सेवाएँ	अनुदान सहायता और योगदान
2015–16	10,409	16,339	16,053	900
2016–17	11,496	21,342	14,176	1,151
2017–18	12,870	24,372	17,623	1,365
2018–19	15,280	23,455	24,780	895
2019–20	19,095	26,653	26,609	1,120
2020–21	19,586	25,066	24,255	1,125
2021–22	21,375	27,964	24,558	1,113
2022–23	22,825	31,818	29,499	1,143
2023–24	26,240	39,412	47,791	1,298
2024–25	28,687	51,971	43,374	1,357

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.20: राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा

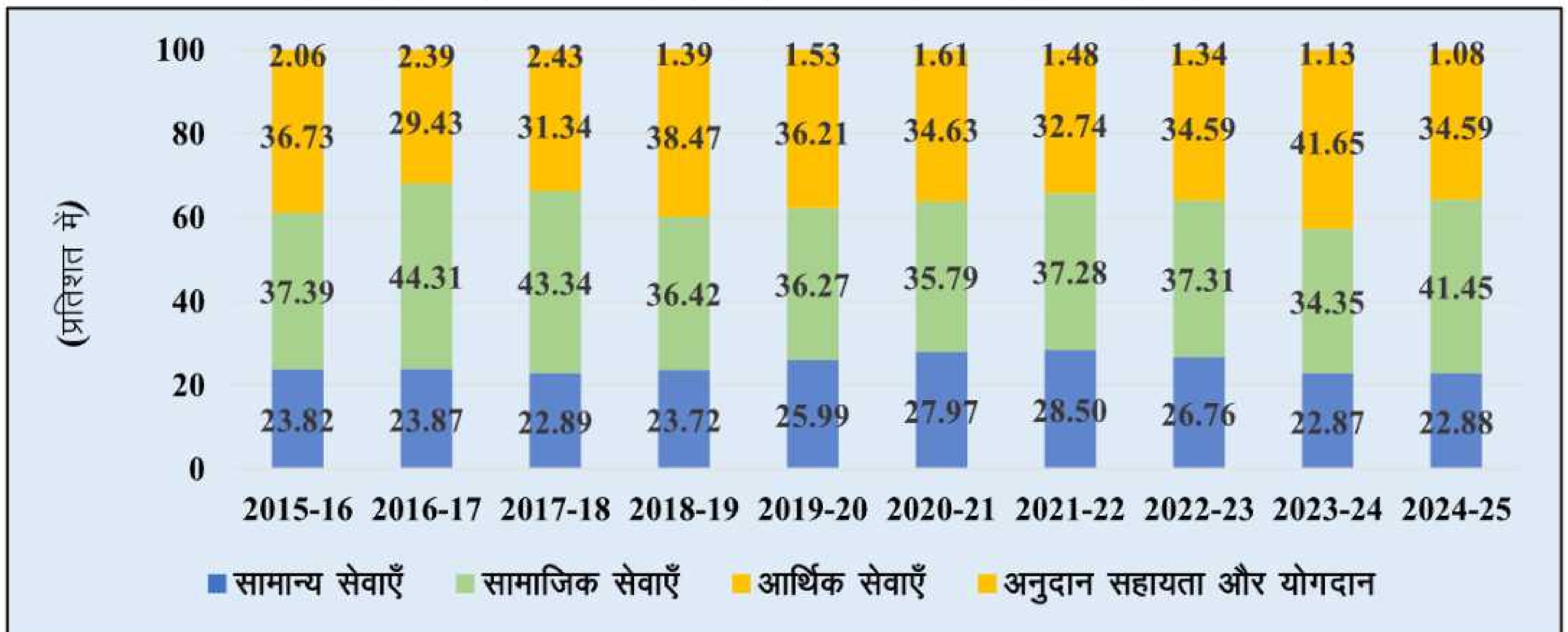

स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि **चार्ट 1.20** से देखा जा सकता है, राजस्व व्यय में सामान्य सेवाओं की हिस्सेदारी में 2020–21 में 27.97 प्रतिशत से घटकर 2024–25 में 22.88 प्रतिशत की प्रवृत्ति देखी गई, जो प्रशासनिक खर्चों को युक्तिसंगत बनाने पर राज्य के फोकस को दर्शाता है। राजस्व व्यय में सामाजिक सेवा व्यय की हिस्सेदारी में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, यानी 2020–21 में 35.79 प्रतिशत से बढ़कर 2024–25 में 41.45 प्रतिशत हो गई है, जो नियमित खर्चों को नियंत्रित करने और कल्याण–उन्मुख खर्च को प्राथमिकता देने पर राज्य के फोकस को दर्शाता है।

ख. प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य शासन के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी पर व्यय और पेंशन शामिल हैं। इसका पहला प्रभार सरकारी संसाधनों पर है। प्रतिबद्ध व्यय के घटक **तालिका 1.18** में दिए गए हैं और राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और अन्य व्यय के लिए शेष राजकोषीय स्थान **चार्ट 1.21** में दिया गया है।

तालिका 1.18: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	वेतन एवं मजदूरी	पेंशन पर व्यय	ब्याज भुगतान	कुल	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय
2015–16	13,483	3,519	2,149	19,151	43.82
2016–17	14,629	3,486	2,687	20,803	43.19
2017–18	17,006	3,924	3,098	24,028	42.73
2018–19	19,400	5,429	3,653	28,481	44.22
2019–20	22,437	6,638	4,970	34,046	46.33
2020–21	22,143	7,136	5,633	34,912	49.85
2021–22	24,210	7,472	6,144	37,827	50.43
2022–23	26,524	7,661	6,382	40,567	47.57
2023–24	29,095	9,112	6,798	45,005	39.22
2024–25	31,420	8,511	8,952	48,883	38.98

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 1.21: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और शेष राजकोषीय स्थान

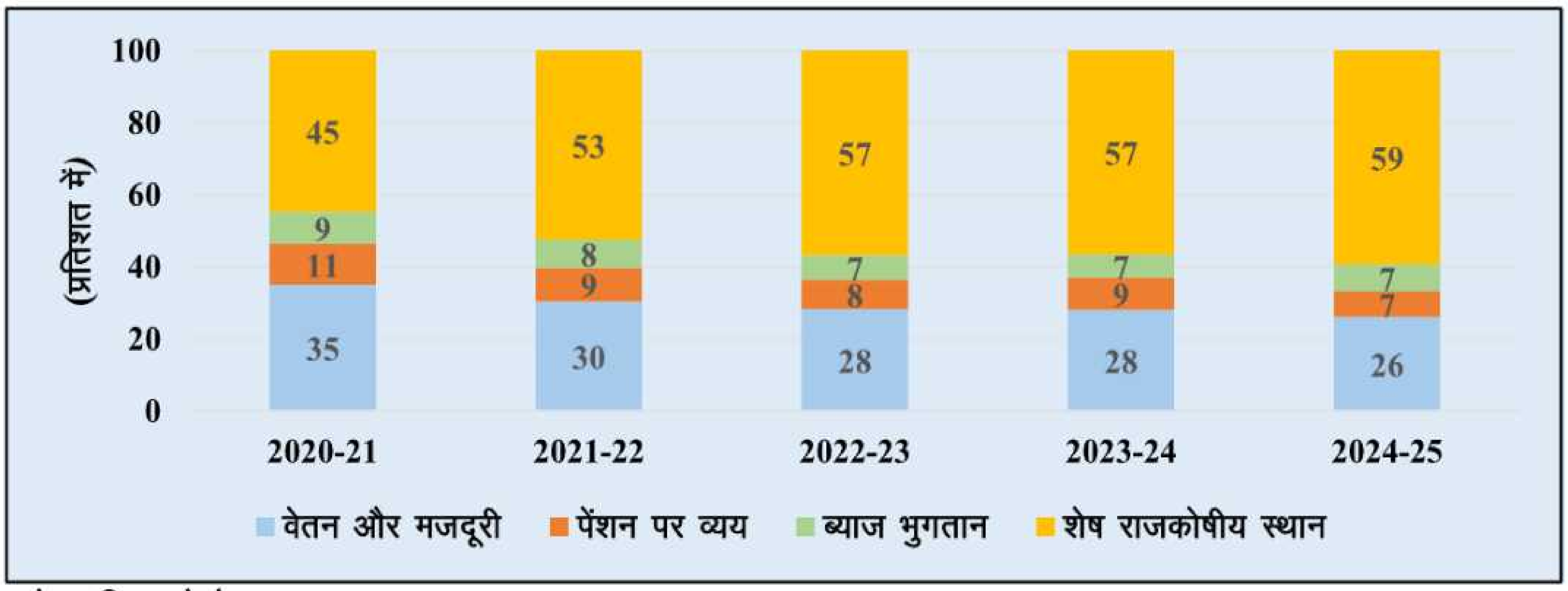

स्रोतः वित्त लेखे

राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 2020–21 में 49.85 प्रतिशत से घटकर 2024–25 में 38.98 प्रतिशत हो गया और राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में इसका हिस्सा 2020–21 में 55 प्रतिशत से घटकर 2024–25 में 41 प्रतिशत हो गया, जो राज्य के बढ़ते राजकोषीय लचीलेपन को दर्शाता है, जिससे संभावित पूंजी या कल्याणकारी व्यय के लिए बढ़ती गुंजाइश बची है।

राज्य का प्रतिबद्ध व्यय जीएसडीपी का 8.61 प्रतिशत और राज्य के कुल व्यय का 33.53 प्रतिशत था और यह पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड (6.26 प्रतिशत और 29.51 प्रतिशत), ओडिशा (6.62 प्रतिशत और 28.09 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (6.74 प्रतिशत और 31.90 प्रतिशत) से अधिक था। यह उच्च प्रतिबद्ध व्यय मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी के कारण था।

ग. सब्सिडी

चालू वर्ष के दौरान सब्सिडी में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,742.32 करोड़ (53.18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा और वाणिज्य और उद्योगों के कारण सब्सिडी में क्रमश ₹ 3,405.40 करोड़, ₹ 1,815.89 करोड़ और ₹ 381.59 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई थी।

वित्त वर्ष 2020–21 से 2024–25 के लिए विभागवार प्रमुख सब्सिडी **तालिका 1.19** में दिखाई गई है।

तालिका 1.19: वित्त वर्ष 2020–21 से 2024–25 के दौरान विभागवार सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विभाग	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
1	ऊर्जा	2,844.84	2,243.00	3,275.71	6,033.02	7,848.91
2	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	3,860.06	3,675.95	4,372.68	3,914.98	7,320.38
3	कृषि	338.67	263.16	262.85	276.13	342.87
4	सहकारी	100.00	215.19	183.00	249.53	195.44
5	वाणिज्य और उद्योग	139.55	141.65	165.55	273.37	654.96
6	अन्य विभाग	24.82	26.35	46.49	49.85	176.64
	कुल सब्सिडी	**7,307.94**	**6,565.30**	**8,306.28**	**10,796.88**	**16,539.20**

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 1.22: सब्सिडी का रुझान विश्लेषण

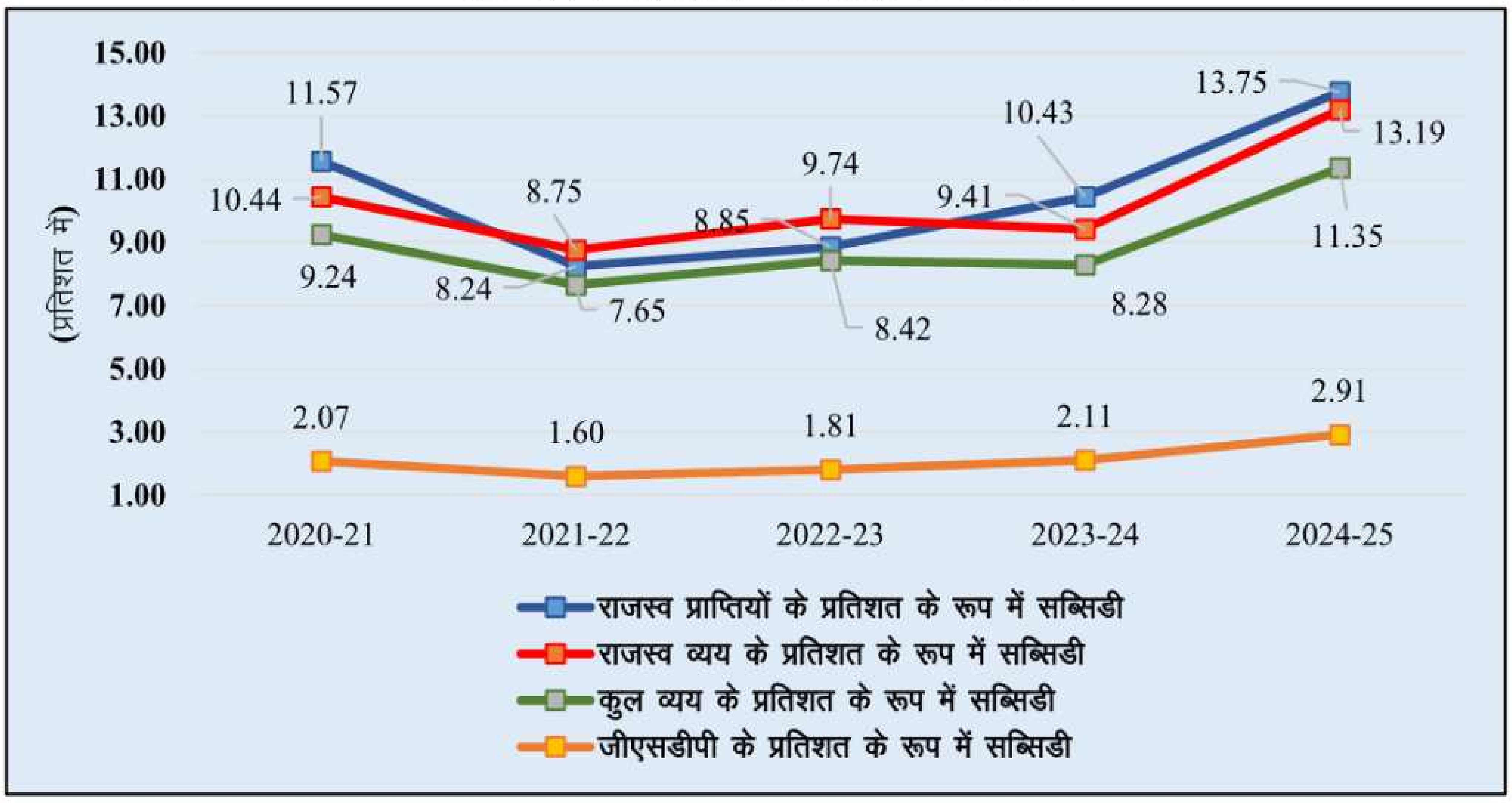

वर्ष 2023–24 की तुलना में 2024–25 के दौरान 53.18 प्रतिशत की तेज वृद्धि का मुख्य कारण मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹2,177.38 करोड़), पांच एचपी के कृषि पंपों को बिजली की मुफ्त आपूर्ति के लिए अनुदान (₹1,377.00 करोड़) जैसी योजनाओं पर आवंटन में वृद्धि को दिया जा सकता है। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी वर्ष 2020–21 में 10.44 प्रतिशत से बढ़कर 2024–25 में 13.19 प्रतिशत हो गई, जिससे विकासात्मक व्यय के लिए आवश्यक संसाधनों पर दबाव पड़ गया। पिछले तीन वर्षों में सब्सिडी की राशि में वृद्धि राजकोषीय स्थिरता पर संभावित नकारात्मक प्रभाव दिखा रही है। इस पर ध्यान दिए जाने पर, राज्य शासन ने अपने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्षों की लंबित सब्सिडी देनदारियों के भुगतान से प्रेरित है। इस कदम का उद्देश्य बकाया राशि का भुगतान करना और एनएएन,

मार्कफेड, डिस्कॉम जैसी संस्थाओं की आरामदायक वित्तीय स्थिति बनाए रखना है। इन सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य, कृषि और बिजली क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया जाता है, जिससे किसानों के लिए उच्च मूल्य समर्थन और किसानों को मुफ्त बिजली सुनिश्चित होती है, जो राज्य की सामाजिक–आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजकोषीय दबाव के बावजूद, राज्य ने सामाजिक सुरक्षा जाल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी है, इन खर्चों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता क्रय शक्ति में आवश्यक निवेश के रूप में देखा है।

घ. स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

वर्ष 2020–21 से 2024–25 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई सहायता **तालिका 1.20** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.20: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थान	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएं	3,554.17	3,904.13	4,296.67	4,412.18	2,807.85
नगर निगमों और नगर पालिकाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जीआईए	676.42	765.92	691.80	1,051.25	0.00
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	4,421.79	4,345.60	5,903.98	9,470.53	11,082.90
पंचायती राज संस्थाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जीआईए	103.61	76.79	576.91	508.84	0.00
कुल (क)	**7,975.96**	**8,249.73**	**10,200.65**	**13,882.71**	**13,890.75**
(ख) अन्य					
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आदि)	204.97	254.57	262.59	1,056.21	991.24
विकास प्राधिकरण	229.93	393.08	661.14	517.28	156.82
अन्य संस्थान	14,402.06	15,493.55	18,663.53	37,707.30	34,237.19
कुल (ख)	**14,836.96**	**16,141.20**	**19,587.26**	**39,280.79**	**35,385.25**
कुल (क + ख)	**22,812.92**	**24,390.93**	**29,787.91**	**53,163.50**	**49,276.00**
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जीआईए	**2,021.82**	**2,410.07**	**2,929.40**	**3,660.05**	**215.98**
राजस्व व्यय	70,032.84	75,010.01	85,285.03	1,14,740.96	1,25,389.82
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	32.57	32.52	34.93	46.33	39.30

स्रोत: वित्त लेखे

चालू वर्ष के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,887.50 करोड़ (7.31 प्रतिशत) की कमी आई है। यह कमी मुख्य रूप से नगर निगमों और नगर पालिकाओं (₹ 1,604.33 करोड़: 36.36 प्रतिशत) और विकास प्राधिकरणों (₹ 360.46 करोड़ रुपये: 69.68 प्रतिशत) को सहायता में कमी के कारण थी। स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की कुल राशि राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में चालू वर्ष में घटकर 39.30 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह 46.33 प्रतिशत थी।

राज्य वित्त आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (झ) और 243 (म) के अनुसार, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) को प्रत्येक पांच वर्ष के बाद नियुक्त किया जाना है जो राज्य शासन से स्थानीय निकायों को निधियों के अंतरण की सिफारिश करेगा और स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएगा।

छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2000 में राज्य के गठन के बाद से चार राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है।

तीसरे राज्य वित्त आयोग का गठन 20 जनवरी 2016 को पांच साल की अवधि यानी 2017–22 को कवर करने के लिए किया गया था। राज्य शासन ने 2017–22 के स्थान पर 2020–26 की अवधि के लिए तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। यह भारत के 15वें वित्त आयोग की समयावधि के अनुरूप होगी। तीसरे राज्य वित्त आयोग ने कुल 58 सिफारिशें की थीं, जिनमें से राज्य शासन ने 34 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जबकि 3 अन्य को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया था।

चौथे राज्य वित्त आयोग का गठन 29 जुलाई 2021 को पांच साल की अवधि यानी 2025–30 को कवर करने के लिए किया गया था। राज्य शासन ने 2025–30 के स्थान पर 2026–31 की अवधि के लिए चौथे एसएफसी की सिफारिश को भारत के 16वें वित्त आयोग की समयावधि के साथ स्वीकार कर लिया था। चौथे राज्य वित्त आयोग ने कुल 51 सिफारिशें की थीं, जिनमें से राज्य शासन ने 33 सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं, जबकि पांच अन्य को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया था।

राज्य वित्त आयोगों के गठन और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों को निधियों के हस्तांतरण में और देरी हुई।

1.2.4.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय होता है। केन्द्र और राज्य दोनों में पूंजीगत व्यय को बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/गैर–बजट ऋणों से पूरा किया जा रहा है। इसमें राज्य शासन द्वारा कंपनियों/निगमों में किए गए निवेश भी शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों यानी 2020–25 में राज्य में पूंजीगत व्यय का रुझान **चार्ट 1.23** में दिया गया है।

चार्ट 1.23: राज्य में पूंजीगत व्यय

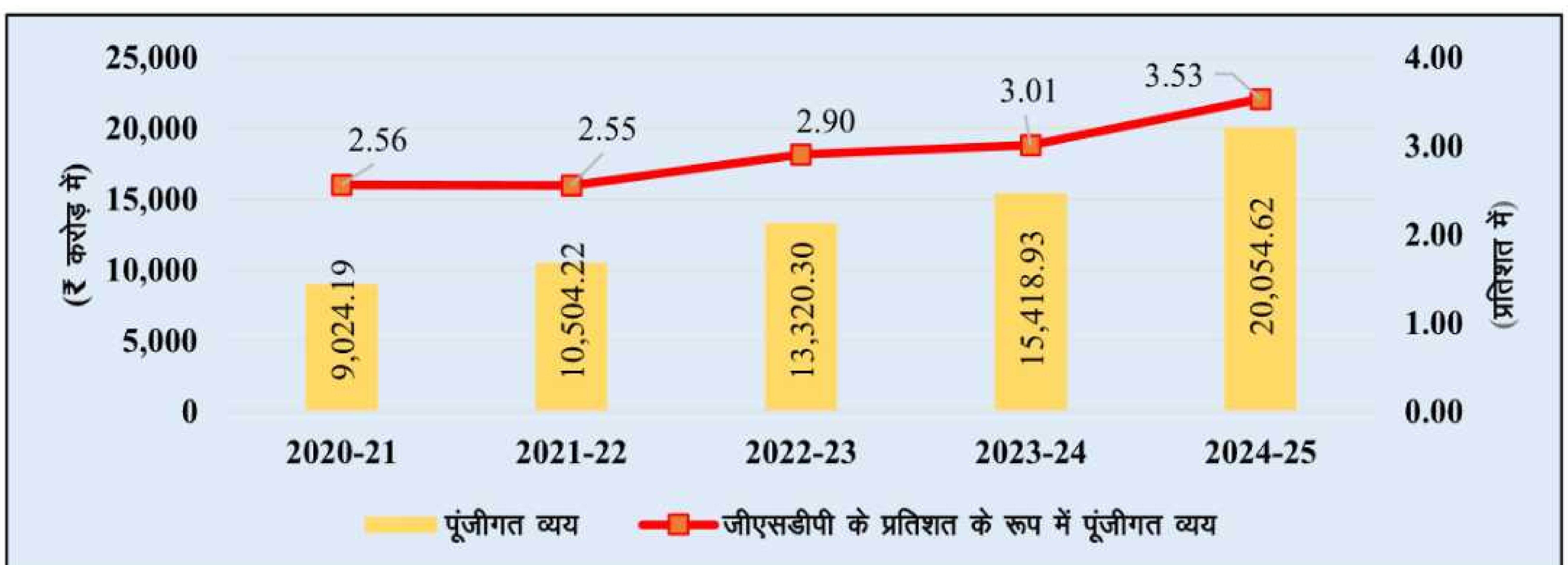

स्रोतः वित्त लेखे

₹ 20,054.62 करोड़[6] के पूंजीगत व्यय के अलावा, राज्य शासन ने अन्य संस्थानों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान के रूप में ₹ 215.98 करोड़ भी अंतरित किए। इसके अलावा, ऋण प्राप्तियों की तुलना में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत 59.93 प्रतिशत था, जो यह दर्शाता है कि उधारियों को बुनियादी ढांचे के विकास में आनुपातिक रूप से परिवर्तित नहीं किया गया था।

पांच साल की अवधि 2020–25 के दौरान पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि देखी गई है। पूंजीगत व्यय की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि ने पांच वर्षों में से चार वर्षों में जीएसडीपी की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि यह वित्त वर्ष 2021–22 में मामूली रूप से पिछड़ गया है। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत हिस्सा 2020–21 में 11.41 प्रतिशत से 2024–25 में 13.76 प्रतिशत के बीच रहा है। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2023–24 में 11.82 प्रतिशत से बढ़कर 2024–25 में 13.76 प्रतिशत हो गया। इससे पता चलता है कि राज्य दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण को प्राथमिकता दे रहा है।

क. क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय की क्षेत्रवार संरचना **तालिका 1.21** में दी गई है। विस्तृत क्षेत्र–वार व्यय ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

तालिका 1.21: क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
सामान्य सेवाएँ	362	188	303	256	194
सामाजिक सेवाएँ	1,807	2,461	2,652	1,774	1,912
आर्थिक सेवाएँ	5,776	6,822	7,046	6,874	6,460
ऋण एवं अग्रिम	165	273	370	241	56
पैरामीटर	**2020–21**	**2021–22**	**2022–23**	**2023–24**	**2024–25**
सामान्य सेवाएँ	509	352	755	884	1,184
सामाजिक सेवाएँ	2,935	3,234	4,989	7,074	8,422
आर्थिक सेवाएँ	5,581	6,919	7,577	7,460	10,449
ऋण एवं अग्रिम	51	324	86	312	322

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 1.24: पूंजीगत व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा

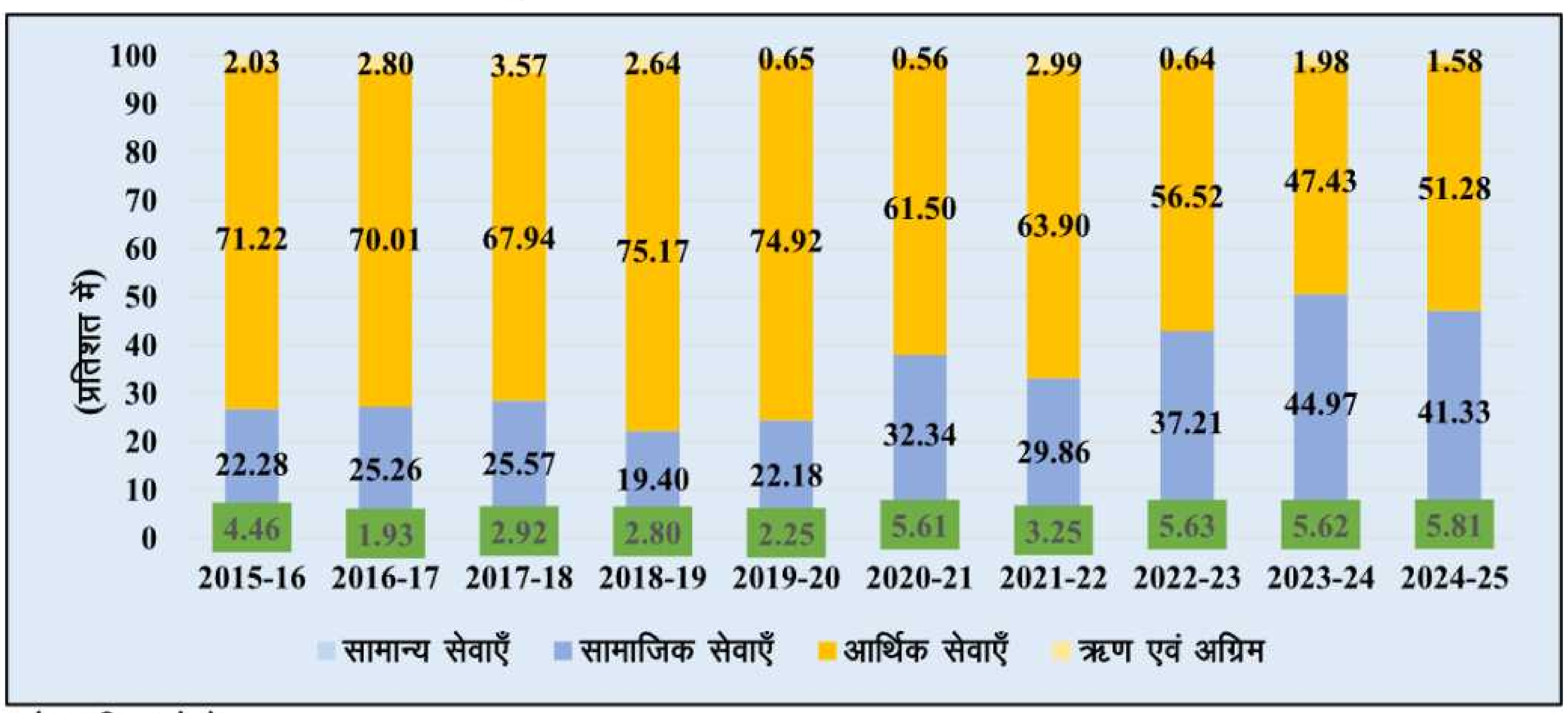

स्रोतः वित्त लेखे

[6] ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

जैसा कि **चार्ट 1.24** से देखा जा सकता है, पूंजीगत व्यय में आर्थिक सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें 47.43 प्रतिशत से 75.17 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसके बाद सामाजिक सेवाओं (19.40 प्रतिशत से 44.97 प्रतिशत) और सामान्य सेवाओं की प्राथमिकता कुल पूंजीगत व्यय के छह प्रतिशत से कम के साथ सबसे कम है।

कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय सभी पड़ोसी राज्यों झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश की तुलना में सबसे कम था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय					
राज्य	**2020–21**	**2021–22**	**2022–23**	**2023–24**	**2024–25**
छत्तीसगढ़	11.47	12.61	13.58	12.06	13.98
झारखंड	16.66	14.72	21.47	24.48	20.74
ओडिशा	17.02	18.22	21.32	23.63	23.06
मध्य प्रदेश	16.09	19.54	18.97	20.56	22.19

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में पूंजीगत व्यय सबसे कम प्राथमिकता पर था।

ख. कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

31 मार्च 2025 तक, कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में राज्य शासन का निवेश ₹ 7,717.68 करोड़ था, जिसमें सरकारी कंपनियां (₹ 6,782.94 करोड़), सहकारी बैंक और समितियां (₹ 340.58 करोड़), सांविधिक निगम (₹ 90.29 करोड़), अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियां (₹ 478.72 करोड़) और ग्रामीण बैंक (₹ 25.15 करोड़) शामिल हैं। कंपनियों, निगमों और सहकारी बैंकों और समितियों में वर्ष के अंत में निवेश के रुझान और इन निवेशों पर प्रतिफल को **चार्ट 1.25** में दर्शाया गया है। सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर की तुलना में किए गए निवेश पर प्रतिफल की दर को **चार्ट 1.26** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.25: निवेश और प्रतिफल

चार्ट 1.26: सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर की तुलना में निवेश पर प्रतिफल की दर

वर्ष 2024–25 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल ₹ 1.49 करोड़[7] (0.02 प्रतिशत) था (ऐतिहासिक लागत के आधार पर और शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर नहीं)। वर्ष 2020–25 के दौरान प्रतिफल

[7] सांविधिक निगम (₹ 1.01 करोड़); और सहकारी बैंक तथा समितियाँ (₹ 0.48 करोड़)।

केवल 0.02 प्रतिशत और 0.05 प्रतिशत के बीच था, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा अपने उधारों पर भुगतान की गई ब्याज की औसत दर 6.30 प्रतिशत और 7.19 प्रतिशत के बीच थी।

सरकारी निवेश से लगातार कम प्रतिफल, जो लगातार सरकारी उधार की लागत से कम होता है, सार्वजनिक धन के अकुशल उपयोग का संकेत देता है और राजकोषीय तनाव को बढ़ाता है। यह अंतर इस बात पर प्रकाश डालता है कि अधिकांश सरकारी कंपनियां और निगम या तो न्यूनतम लाभ कमा रहे हैं या घाटे में चल रहे हैं, जिनमें से केवल कुछ ही नियमित रूप से लाभांश का भुगतान करते हैं।

लाभांश नीति का अभाव और इसका प्रभाव

लाभ कमाने वाले उद्यमों से न्यूनतम लाभ को अनिवार्य करने वाली एक अच्छी तरह से परिभाषित लाभांश नीति, राज्य शासन को एसपीएसई में निवेश से अपने प्रतिफल को इष्टतम बनाने में सक्षम बनाती है और एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी को बढ़ाती है। यह देखा गया कि राज्य शासन ने दिसंबर 2025 में एक लाभांश नीति तैयार की है, जिसके अनुसार लाभ कमाने वाले सभी एसपीएसई वार्षिक लाभांश के रूप में शुद्ध लाभ का न्यूनतम 30 प्रतिशत यानी कर के बाद लाभ का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। इसके परिणामस्वरूप शासन के पर्याप्त इक्विटी निवेश पर लगातार कम रिटर्न (निवेश का 0.21 प्रतिशत) हुआ है, जिससे करेत्तर राजस्व सृजन की संभावना कम हो गई है।

लाभांश की प्राप्ति न होने से होने वाली राजस्व हानि

पिछले वित्तीय वर्ष (2023–24) के दौरान, 14 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 1,435.95 करोड़ का लाभ दर्ज किया, हालांकि केवल एक एसपीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड) ने ₹ 2.35 करोड़ का लाभांश दिया। राज्य शासन ने इन संस्थाओं से लाभांश का समय पर और पूर्ण संग्रह सुनिश्चित नहीं किया।

राज्य शासन द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा, राज्य शासन कई संस्थानों/संगठनों को ऋण और अग्रिम भी प्रदान कर रही है। **तालिका 1.22** में 31 मार्च 2025 तक बकाया ऋणों और अग्रिमों की स्थिति और पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य शासन द्वारा उधारों पर ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.22: 2015–25 के दौरान वितरित और पुनर्प्राप्त ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	1,395	1,274	942	1,520	1,598
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	165	273	369	240	56
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	296	173	138	162	257
बकाया ऋणों का समापन शेष	1,264	1,374	1,172	1,598	1,397
शुद्ध जोड़	–129	100	230	78	–201
प्राप्त ब्याज	47	30	28	28	2
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दर (प्रतिशत)	3.54	2.28	2.61	1.82	0.11
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.85	7.99	7.55	6.92	7.37
प्राप्त ब्याज की दर और भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर (प्रतिशत)	–4.31	–5.71	–4.94	–5.10	–7.26

विवरण	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	1,397	1,174	1,410	1,378	1,651
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	51	324	86	311	322
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	105	88	118	25	24
बकाया ऋणों का समापन शेष	1,343	1,410	1,378	1,665	1,949
शुद्ध जोड़	–54	236	–32	287	298
प्राप्त ब्याज	7	3	37	48	58
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दर (प्रतिशत)	0.50	0.24	2.66	3.19	3.24
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.05	7.18	7.19	6.30	6.87
प्राप्त ब्याज की दर और भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर (प्रतिशत)	–6.55	–6.94	–4.53	–3.11	–3.63

स्रोत: वित्त लेखे

पिछले वर्ष के 311.49 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2024–25 के दौरान 321.66 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई। राज्य शासन द्वारा दिए गए ऋणों पर ₹ 58.49 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ। मार्च 2025 के अंत में, शासन के पास ₹ 1,949.08 करोड़ के बकाया ऋण और अग्रिम थे, जिनमें से ₹ 507.65 करोड़ शहरी विकास प्राधिकरणों से संबंधित हैं, ₹ 322.51 करोड़ सरकारी कंपनियों से संबंधित हैं और ₹ 482.28 करोड़ सहकारी समितियों/निकायों से संबंधित हैं।

ऋण की अदायगी में बकाया होने के बावजूद सहकारी चीनी मिलों को नए ऋण का वितरण

सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता नियम 2014 के नियम 03(02) में कहा गया है कि केवल उन्हीं चीनी मिलों को ऋण दिया जाना था जो सरकारी धन को चुकाने की क्षमता रखते थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋणों के पुनर्भुगतान में बकाया होने के बावजूद, राज्य शासन द्वारा चार सहकारी चीनी मिलों को ₹ 48 करोड़ के नए ऋण दिए गए, जिनके नाम हैं – लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर मिल लिमिटेड (₹ 13 करोड़), भोरमदेव सहकारी शुगर मिल लिमिटेड (₹ 13 करोड़), महामाया सहकारी शुगर मिल लिमिटेड (₹ 16 करोड़), दंतेश्वरी मैया सहकारी शुगर मिल लिमिटेड (₹ 6 करोड़)।

1.3 आकस्मिकता निधि

छत्तीसगढ़ शासन की आकस्मिकता निधि का उद्देश्य राज्य विधानसभा द्वारा प्राधिकार प्राप्त होने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करना है। विधानमंडल द्वारा अतिरिक्त व्यय को मंजूरी देने के बाद निधि की वसूली की जाती है। इस निधि की संचित निधि ₹ 100 करोड़ है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, विभिन्न बजटीय शीर्षों (2055–पुलिस ₹ 37.41 करोड़, 2202–सामान्य शिक्षा ₹ 17.43 करोड़, 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण ₹ 38.59 करोड़) के तहत निधि से ₹ 136.84 करोड़ की निकासी की गई थी, हालांकि, वित्त वर्ष 2024–25 के अंत तक ₹ 37.41 करोड़ की कुल राशि की भरपाई नहीं की गई थी। 31 मार्च 2025 तक, आकस्मिकता निधि में केवल ₹ 62.59 करोड़ की शेष राशि थी।

आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय के विवरण पर अध्याय–II के पैराग्राफ संख्या 2.6 में चर्चा की गई है।

1.4 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा राशियां, सस्पेंस, प्रेषण आदि जैसे कतिपय लेन–देनों के संबंध में प्राप्तियां और संवितरण, जो संचित निधि का हिस्सा नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं होते हैं। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए शासन के पास उपलब्ध निधि है।

1.4.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक–वार निवल शेष **तालिका 1.23** में दी गई है।

तालिका 1.23: लोक लेखे में घटक–वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप–क्षेत्र	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
लघु बचत, भविष्य निधियां, आदि।	लघु बचत, भविष्य निधियां, आदि।	(–)8,021.40	(–)8,020.50	(–)9,326.98	(–)10,848.71	(–)12,529.15
आरक्षित निधि	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	(–)614.84	(–)769.36	(–)265.27	(–)697.48	(–)1,422.80
	(ख) ब्याज न देने वाली आरक्षित निधियां	(–)1,384.75	(–)1,683.77	(–)2,006.47	(–)2,340.27	(–)1,994.12
जमा और अग्रिम	(कं) ब्याज वाली जमा राशियां	(–)33.16	(–)28.27	(–)8.30	(–)1.16	(+)4.98
	(ख) ऐसी जमा राशियां जिन पर ब्याज नहीं लगेगा	(–)5,951.96	(–)5,758.23	(–)6,138.62	(–)6,404.18	(–)6,757.29
	(ग) अग्रिम	(+)1.84	(+)7.35	(+)7.00	(+)7.10	(+)7.10
सस्पेंस और विविध	(कं) सस्पेंस	(–)20.08	(–)84.64	(–)180.88	(–)124.65	(–)211.03
	(ख)अन्य लेखे	(+)3,344.86	(+)3,299.78	(+)440.13	(+)5,888.62	(+)3,686.37
	(ग) विदेशी सरकारों के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(घ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रेषण	(क) मनी ऑर्डर, और अन्य प्रेषण	(+)240.97	(+)245.09	(+)197.03	(+)261.15	(+)355.71
	(ख) अंतर–सरकारी समायोजन लेखे	(+)88.41	(+)91.13	(+)101.63	(+)90.35	(+)1,782.99
कुल		(–)12,350.11	(–)12,701.42	(–)17,180.73	(–)14,169.23	(–)17,077.24

स्रोतः वित्त लेखे

नोटः +आंकड़े डेबिट बैलेंस को दर्शाते हैं और –आंकड़े क्रेडिट बैलेंस को दर्शाते हैं।

1.4.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य शासन के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। इन निधियों की पूर्ति संचित निधि से प्राप्त अंशदान या अनुदान या बाहरी एजेंसियों से प्राप्त धन से की जाती है। इसमें ब्याज देने वाली आरक्षित निधियां और ब्याज न देने वाली आरक्षित निधियां शामिल हैं।

31 मार्च 2025 तक तीन ब्याज देने वाली आरक्षित निधियां और नौ ब्याज न देने वाली आरक्षित निधियां शामिल हैं। 31 मार्च 2025 तक इन आरक्षित निधियों में पड़ी शेष निधि **तालिका 1.24** में दी गई है।

तालिका 1.24: प्रमुख आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	आरक्षित निधि का नाम	प्रारंभिक संतुलन	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	ब्याज प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2025 तक शेष राशि
क	**ब्याज देने वाली आरक्षित निधियां**	**4,073.18**	**1,832.84**	**245.89**	**812.08**	**5,093.95**
1	राज्य आपदा राहत निधि	489.93	572.40	16.12	312.08	750.26
2	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	3,383.83	1,130.78	221.16	500.00	4,014.61
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	199.42	129.66	8.61	0.00	329.08
ख	**ब्याज न देने वाली आरक्षित निधियां**	**6,621.52**	**1,767.78**	**0.00**	**664.72**	**7,724.58**
1	निक्षेप निधि	3,701.94	480.00		0.00	4,181.94
2	अकाल राहत निधि	4.16	0.02		0.00	4.18
3	राजस्व आरक्षित निधि	4.62	0.00		0.00	4.62
4	शैक्षिक प्रयोजन के लिए विकास निधि	0.03	0.00		0.00	0.03
5	कृषि प्रयोजन के लिए विकास निधि	0.06	0.00		0.00	0.06
6	विद्युत विकास निधि	112.39	340.00		234.82	217.57
7	अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,783.31	462.76		429.90	2,816.17
अ	पर्यावरण निधि[8]	295.06	19.30		29.73	284.63
ब	ग्राम विकास निधि	375.38	0.00		0.00	375.38
स	वन विकास निधि	15.53	0.00		0.00	15.53
द	पंचायत भूमि राजस्व उपकर और स्टांप शुल्क निधि	182.01	70.00		70.00	182.01
य	अधोसंरचना निधि	129.35	0.00		76.12	53.24
र	छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि	737.09	373.46		0.00	1,110.54
ल	छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि	1,048.89	0.00		254.05	794.84
8	प्रत्याभूति मोचन निधि	15.00	485.00		0.00	500.00
9	अन्य निधि	0.01	0.00		0.00	0.01
महायोग		10,689.51	3,581.31	245.89	1,476.78	12,794.04

स्रोतः वित्त लेखे

[8] इसमें सरकारी योगदान पर लाभांश भी शामिल है।

ऊपर दर्शाई गई आरक्षित निधियां सकल शेष राशि हैं जिनमें ₹ 9,401.62 करोड़ का आरक्षित निधि निवेश शामिल है। उपर्युक्त निधियों में से निम्नलिखित निधियां निष्क्रिय हैं – राजस्व आरक्षित निधि, शैक्षिक प्रयोजन के लिए विकास निधि (वर्ष 2011–12 से निष्क्रिय), कृषि प्रयोजन के लिए विकास निधि (वर्ष 2000–01 से निष्क्रिय), ग्राम विकास निधि (वर्ष 2007–08 से निष्क्रिय), अन्य निधियां (वर्ष 2000–01 से निष्क्रिय)।

1.4.3 रोकड़ शेष

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष बनाए रखना चाहिए। यदि शेष राशि इस न्यूनतम से कम हो जाती है, तो कमी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर संशोधित डब्ल्यूएमए सीमा के साथ अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) जैसे साधनों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

राज्य शासन भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निर्धारित आरक्षित निधियों सहित आधिक्य रोकड़ शेष का निवेश करती है। इन निवेशों से होने वाली आय '0049–ब्याज प्राप्ति' के तहत जमा की जाती है।

राज्य शासन के लिए यह अवांछनीय है कि वह बड़े अप्रयुक्त नकद शेष रखते हुए बाजार ऋण जुटाए, क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग के बजाय निष्क्रिय धन की ओर जाता है। वर्ष 2023–24 और 2024–25 के लिए रोकड़ शेष और निवेश विवरण **तालिका 1.25** में दिए गए हैं।

तालिका 1.25: रोकड़ शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2024 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2025 की स्थिति में अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा	194.40	223.19
"रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	5,933.48	3,730.77
योग (अ)	**6,127.88**	**3,953.96**
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	12.07	12.43
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशिया	0.34	0.34
विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	7,656.95	9,401.62
योग (ब)	**7,669.36**	**9,414.39**
योग (अ) तथा (ब)	**13,797.24**	**13,368.35**
अर्जित ब्याज	**26.41**	**290.47**

स्रोतः वित्त लेखे

पिछले दस वर्षों के दौरान रोकड़ शेष निवेश खाते का विवरण **तालिका 1.26** में दिया गया है।

तालिका 1.26: रोकड़ शेष निवेश खाता (प्रमुख शीर्ष–8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि(+)/कमी(–)	अर्जित ब्याज
2015–16	–1.26	1,856.17	1,857.43	50.35
2016–17	1,856.17	2,512.00	655.83	126.78

2017–18	2,512.00	4,070.85	1,558.85	140.20
2018–19	4,070.85	9,759.02	5,688.16	144.33
2019–20	9,759.02	5,246.81	(–)4,512.21	196.10
2020–21	5,246.81	3,389.68	(–)1,857.13	29.66
2021–22	3,389.68	3,345.39	(–)44.29	28.23
2022–23	3,345.39	485.61	(–)2,859.78	41.70
2023–24	485.61	5,933.48	5,447.87	26.41
2024–25	5,933.48	3,730.78	(–)2,202.71	290.47

स्रोतः वित्त लेखे

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के तहत छत्तीसगढ़ शासन को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ₹ 0.72 करोड़ का अपेक्षित न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना होता है। यदि शेष राशि किसी भी दिन सहमत न्यूनतम शेष राशि से कम हो जाती है, तो साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम या साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य शासन 356 दिनों के लिए ₹ 0.72 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखने में सक्षम थी और उसे नौ दिनों के लिए विशेष आहरण सुविधा लेकर न्यूनतम शेष राशि बनाए रखनी पड़ी। राज्य शासन को वर्ष 2024–25 के दौरान एसडीएफ पर ब्याज के रूप में ₹ 0.88 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

1.5 राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता एक शासन की अपने राजस्व और व्यय को इस तरह से प्रबंधित करने की क्षमता है जो यह सुनिश्चित करती है कि वह अपने वर्तमान और भविष्य के दायित्वों जैसे सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और ऋण चुकौती को अत्यधिक उधार लिए या अस्थिर ऋण जमा किए बिना पूरा कर सके। इसका तात्पर्य लंबी अवधि में राजस्व सृजन और व्यय के बीच एक स्थिर संतुलन बनाए रखना है। **चार्ट 1.27** और **चार्ट 1.28** क्रमशः वित्त वर्ष 2020–25 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाता है।

चार्ट 1.27: राज्य की प्राप्तियाँ

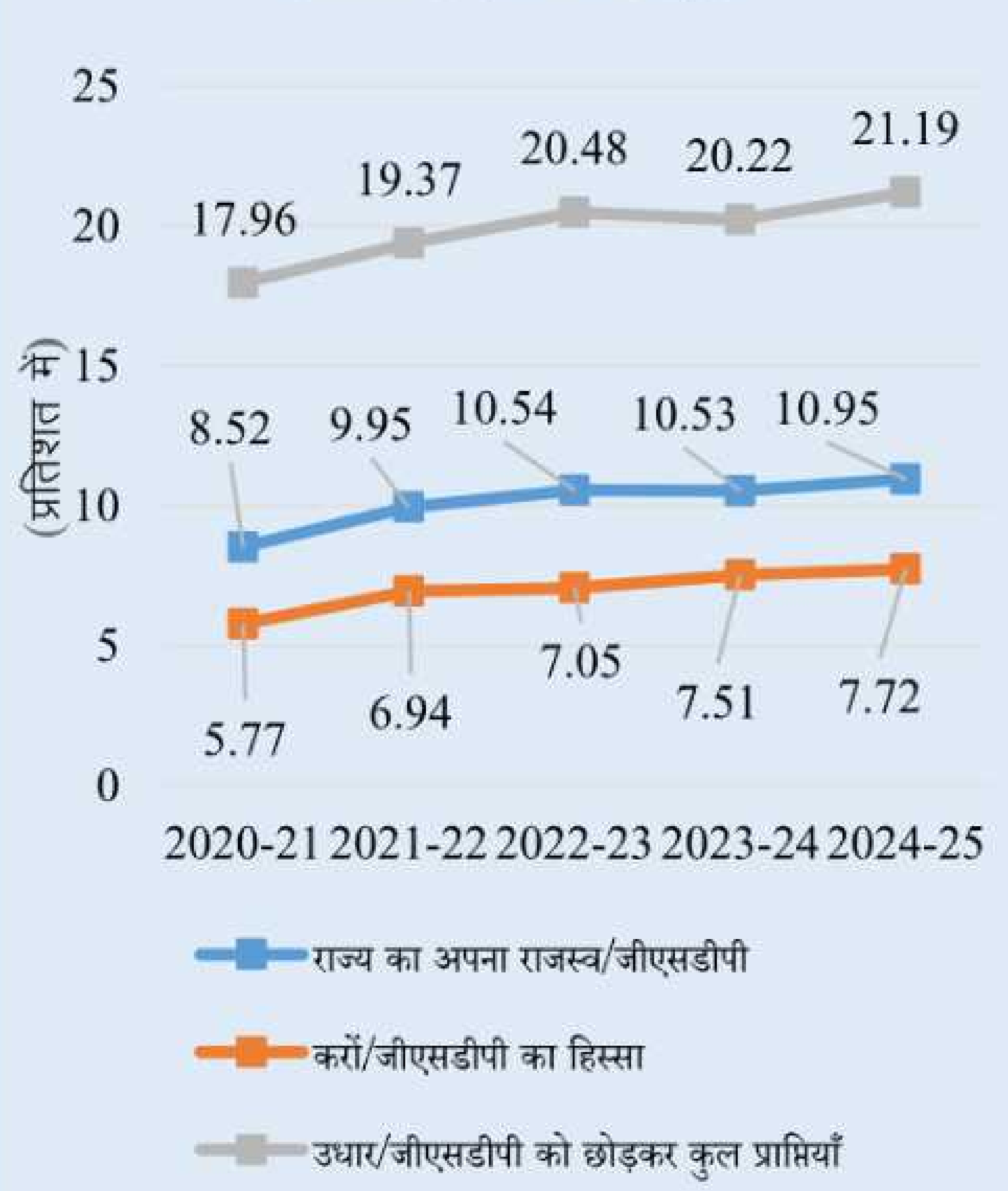

चार्ट 1.28: राज्य का व्यय

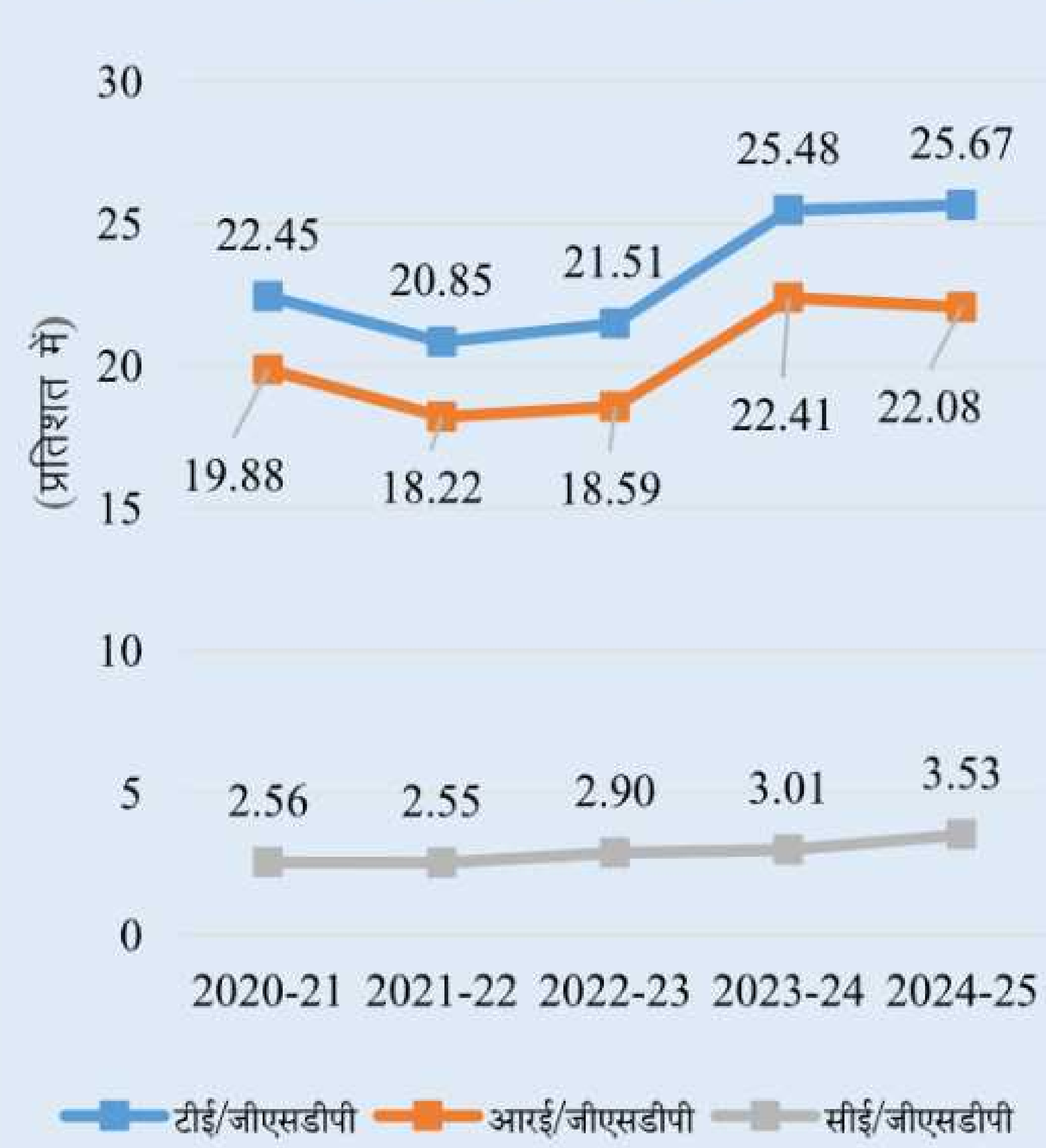

1.5.1 लोक दायित्व प्रबंधन

वर्ष 2020–21 से 2024–25 के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के साथ राज्य की बकाया देयता को **चार्ट 1.29** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.29: बकाया देयता और जीएसडीपी के लिए इसका प्रतिशत

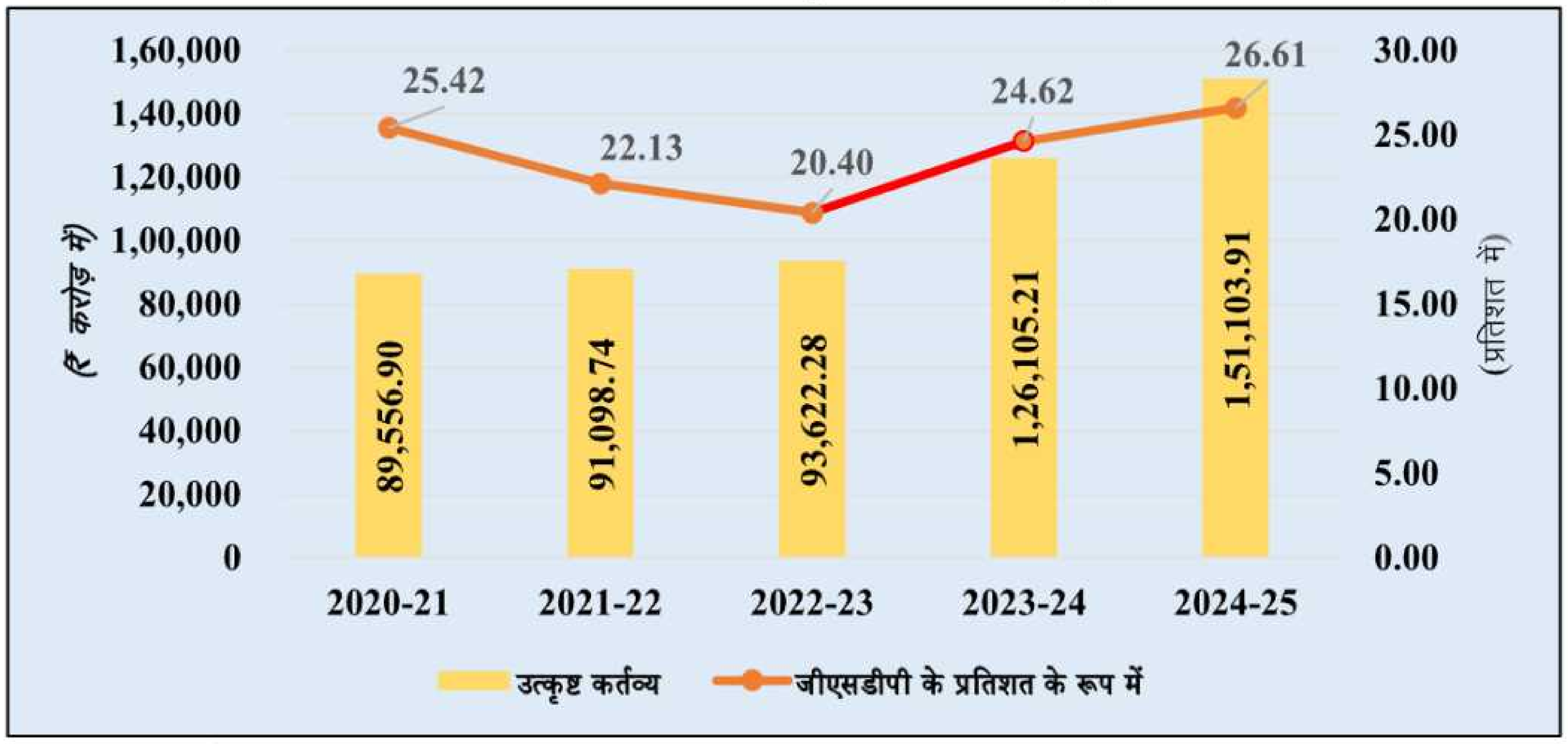

स्रोतः वित्त लेखे

** बकाया ऋण में जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से लिए गए बैक–टू–बैक ऋण शामिल नहीं हैं, जिनका भुगतान राज्य को अपने स्रोत से नहीं करना है।*

1.5.1.1 देयता प्रोफ़ाइलः घटक

राज्य शासन की कुल देनदारियां आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिम तौर–तरीके और साधन अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, और लोक लेखा देनदारियों का गठन करती हैं। 2015–16 से शुरू होने वाले दस वर्षों की अवधि के लिए राज्य के घटक–वार देयता रुझान **तालिका 1.27** में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.27: घटक–वार देयता की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय दायित्व के घटक	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
बकाया कुल देयता*	37,741	44,258	52,937	66,750	78,712
लोक ऋण	26,050	30,377	39,030	52,254	63,147
आंतरिक ऋण	24,215	28,330	36,690	49,554	60,383
भारत सरकार से ऋण	1,836	2,047	2,340	2,700	2,764
लोक लेखे की देयतायें	11,691	13,881	13,907	14,495	15,566
छोटी बचत, भविष्य निधि आदि	4,166	5,435	6,078	6,832	7,618
ब्याज देने वाली आरक्षित निधियां	370	693	203	401	1,102
ब्याज न देने वाली आरक्षित निधियां	1,588	1,635	1,387	1,255	1,363
ब्याज देने वाली जमा राशि	72	71	50	43	37
ब्याज नहीं देने वाली जमाराशियां	5,495	6,047	6,189	5,964	5,446
बकाया कुल देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.82	17.27	19.61	26.09	17.92
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	2,25,163	2,62,802	2,82,737	3,27,107	3,44,672
बकाया कुल देयता/जीएसडीपी (प्रतिशत)	16.76	16.84	18.72	20.41	22.84
उधार और अन्य देनदारियां					
कुल प्राप्तियां	12,902	11,804	15,851	20,737	31,922
कुल पुनर्भुगतान	6,067	6,114	7,203	6,924	19,959
शुद्ध धन उपलब्ध है	6,836	5,690	8,649	13,813	11,963
पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	47.02	51.80	45.44	33.39	62.52

राजकोषीय दायित्व के घटक	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
बकाया कुल देयता*	89,557	91,099	93,622	1,26,105	1,51,104
लोक ऋण	73,551	74,839	75,877	1,05,813	1,28,406
आंतरिक ऋण	70,490	71,187	68,755	95,140	1,11,560
भारत सरकार से ऋण	3,060	3,652	7,122	10,673	16,846
लोक लेखे की देयतायें	16,006	16,260	17,746	20,292	22,698
छोटी बचत, भविष्य निधि आदि	8,021	8,021	9,327	10,849	12,529
ब्याज देने वाली आरक्षित निधियां	615	769	265	697	1,423
ब्याज न देने वाली आरक्षित निधियां	1,385	1,684	2,006	2,340	1,994
ब्याज देने वाली जमा राशि	33	28	8	1	–5
ब्याज नहीं देने वाली जमाराशियां	5,952	5,758	6,139	6,404	6,757
बकाया कुल देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.78	1.72	2.77	34.7	19.82
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	3,52,328	4,11,613	4,58,891	5,12,107	5,67,880
बकाया कुल देयता/जीएसडीपी (प्रतिशत)	25.42	22.13	20.40	24.62	26.61
उधार और अन्य देनदारियां					
कुल प्राप्तियां	33,424	28,164	21,972	67,413	47,315
कुल पुनर्भुगतान	19,470	21,657	19,449	34,930	22,317
शुद्ध धन उपलब्ध है	13,953	6,507	2,524	32,483	24,999
पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	58.25	76.90	88.51	51.81	47.17

स्रोतः वित्त लेखे

बकाया ऋण में जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से लिए गए बैक–टू–बैक ऋण शामिल नहीं हैं, जिनका भुगतान राज्य को अपने स्रोत से नहीं करना है।

2024–25 के अंत में बकाया कुल देनदारियों का विवरण **चार्ट 1.30** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.30: 2024–25 के अंत में बकाया कुल देनदारियों का विवरण

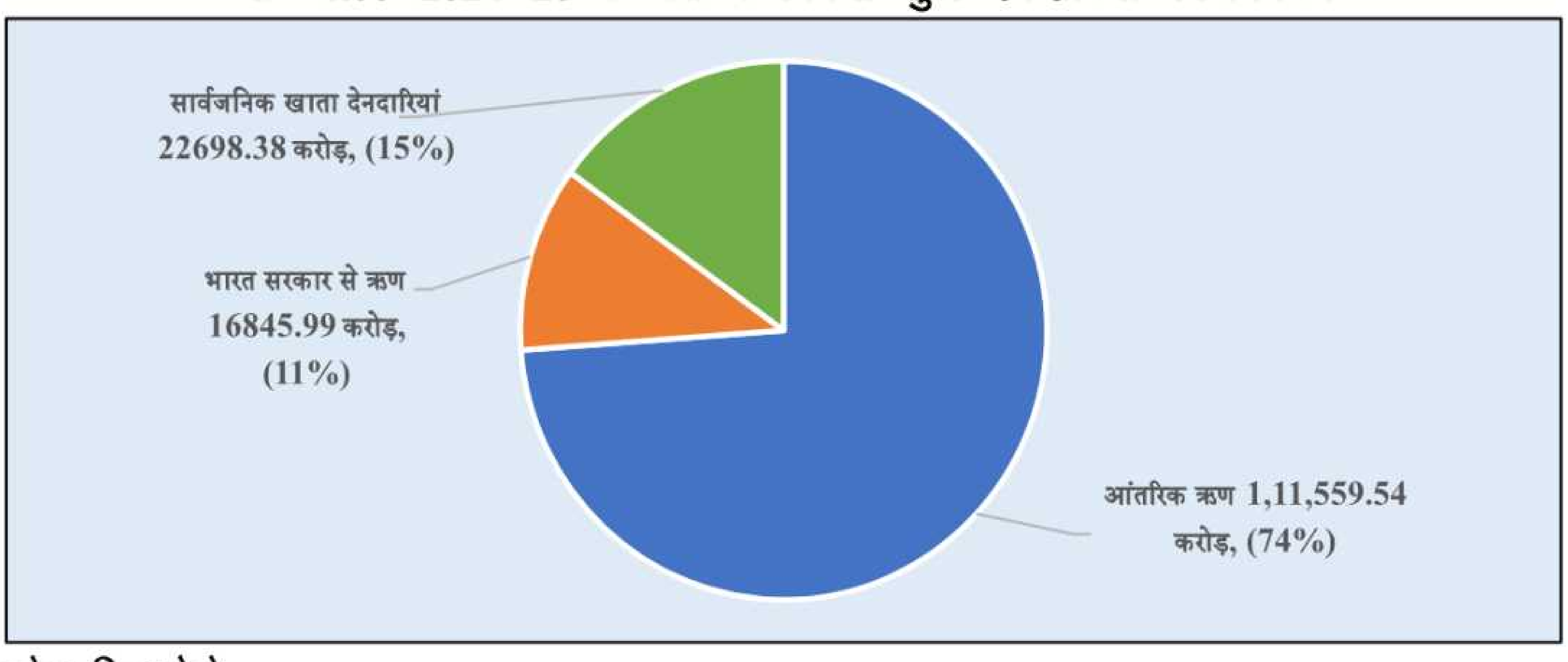

स्रोतः वित्त लेखे

**** बकाया ऋण में जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से लिए गए बैक–टू–बैक ऋण शामिल नहीं हैं, जिनका भुगतान राज्य को अपने स्रोत से नहीं करना है।***

चार्ट 1.31 पांच वर्ष यानी 2020–25 की अवधि के दौरान चुकाए गए आंतरिक ऋण की मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट 1.31: चुकाए गए आंतरिक ऋण की तुलना में लिया गया ऋण

(₹ करोड़ में)

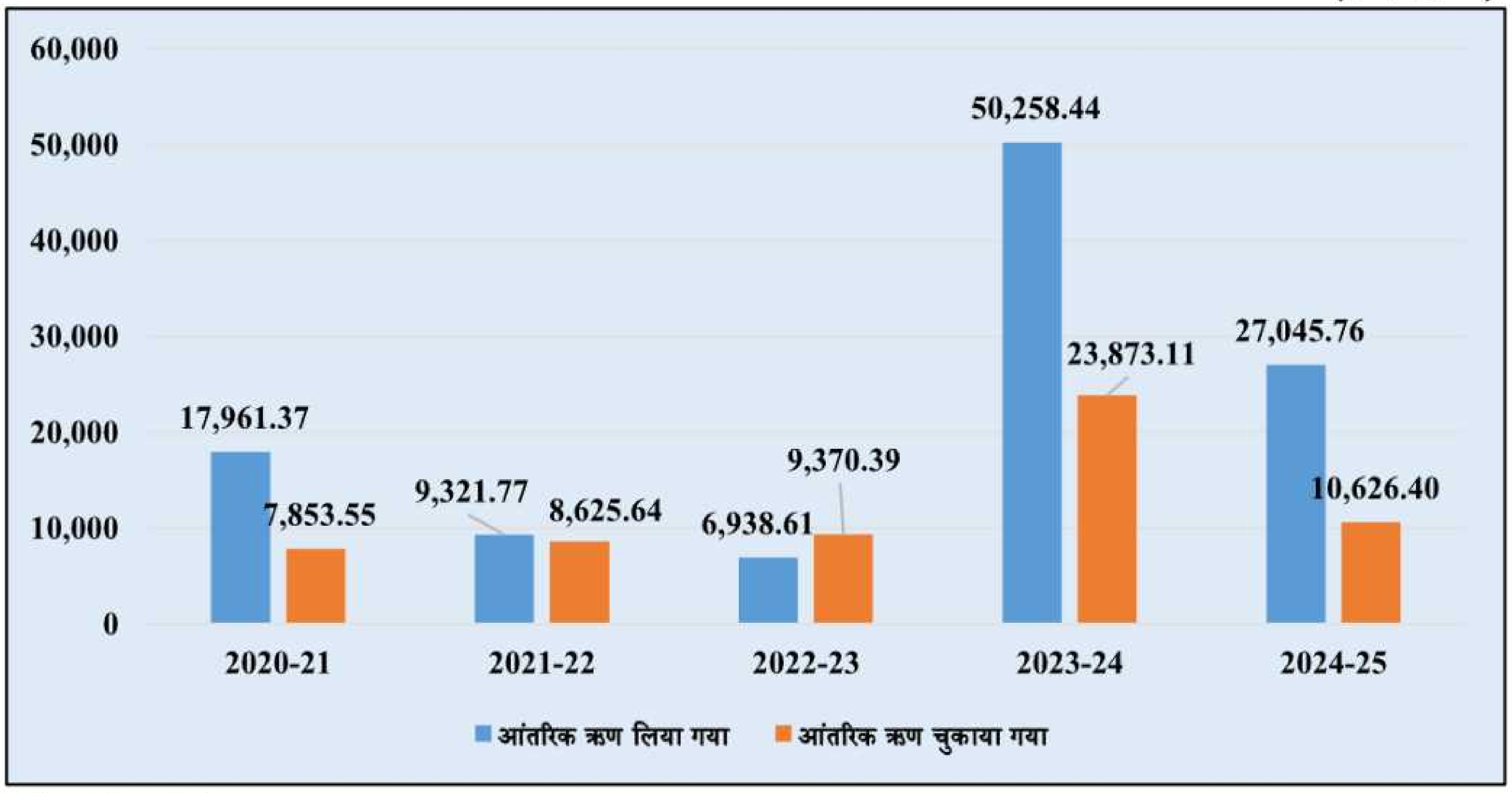

स्रोतः वित्त लेखे

राज्य शासन का आंतरिक ऋण 2020–21 में ₹ 70,490.49 करोड़ से ₹ 41,069.05 करोड़ (58.26 प्रतिशत) बढ़कर 2024–25 में ₹ 1,11,559.54 करोड़ हो गया। 2024–25 के दौरान आंतरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 7,114.65 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। आंतरिक ऋण प्राप्तियां 2022–23 में ₹ 6,938.61 करोड़ से ₹ 43,319.83 करोड़ (624.33 प्रतिशत) बढ़कर 2023–24 में ₹ 50,258.44 करोड़ हो गईं।

कुल बकाया ऋण–जीएसडीपी अनुपात 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों के भीतर रहा, लेकिन बजट अनुमानों में अनुमानित सीमा को पार कर गया। इस पर राज्य शासन ने उत्तर (फरवरी 2026) में कहा कि ₹ 1,51,104 करोड़ की बकाया देनदारियां शामिल हैं, जिनमें ₹ 1,28,406 करोड़ का लोक ऋण और ₹ 22,698 करोड़ की लोक लेखा देनदारियां शामिल हैं। यहां, लोक ऋण में ₹ 13,120 करोड़ के पूंजी निवेश ऋण के लिए राज्यों को 50 वर्ष की ब्याज मुक्त विशेष सहायता (एसएएससीआई) शामिल है, लेकिन इसमें जीएसटी बैक–टू–बैक ऋण शामिल नहीं हैं। इसलिए, निवल लोक ऋण वास्तव में ₹ 1,15,286 करोड़ (₹ 1,28,406 करोड़ – ₹ 13,120 करोड़) होगा और बकाया देनदारियां ₹ 1,37,984 करोड़ होंगी, जो जीएसडीपी का 24.29 प्रतिशत है । यह **(तालिका 1.27)** बजट दस्तावेज में दिए गए अनुमानों से कम है। यह उल्लेखनीय है कि जीएसडीपी अनुपात के मुकाबले ऋण में लोक लेखा देनदारियां शामिल नहीं हैं, इसलिए शुद्ध ऋण से जीएसडीपी अनुपात घटकर 20.30 प्रतिशत हो जाएगा।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बैक–टू–बैक ऋण जीएसटी मुआवजे के बदले था और इसे राज्य शासन के संसाधनों से चुकाया नहीं जाना था, इसलिए इसे कुल देनदारी में शामिल नहीं किया गया, जबकि एसएएससीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय सहायता राज्य शासन को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की गई थी, इसलिए बकाया ऋण से जीएसडीपी अनुपात की गणना करते समय इसे शामिल किया जाना चाहिए।

1.5.1.2 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई धनराशि का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है।

तालिका 1.28 और **चार्ट 1.32** में क्रमशः 2015–25 के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग और प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 1.28: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल उधार*	पहले के उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	शुद्ध पूंजीगत व्यय	शुद्ध ऋण और अग्रिम	राजस्व व्यय का हिस्सा शुद्ध उपलब्ध उधारों से पूरा किया जाता है
2015–16	12,902	6,067	7,942	–132	–975
2016–17	11,804	6,114	9,468	100	–3,878
2017–18	15,851	7,203	9,998	230	–1,579
2018–19	20,737	6,924	8,898	78	4,837
2019–20	31,922	19,959	8,562	–201	3,602
2020–21	30,315	19,470	9,019	–54	1,879
2021–22	23,199	21,657	10,499	236	–9,193
2022–23	21,972	19,449	13,315	–31	–10,760
2023–24	67,413	34,930	15,414	286	16,783
2024–25	47,316	22,317	20,050	298	4,651

स्रोतः वित्त लेखे

** बकाया ऋण में जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से लिए गए बैक–टू–बैक ऋण शामिल नहीं हैं, जिनका भुगतान राज्य को अपने स्रोत से नहीं करना है।*

चार्ट 1.32: उधार ली गई निधियों का उपयोग की प्रवृत्ति

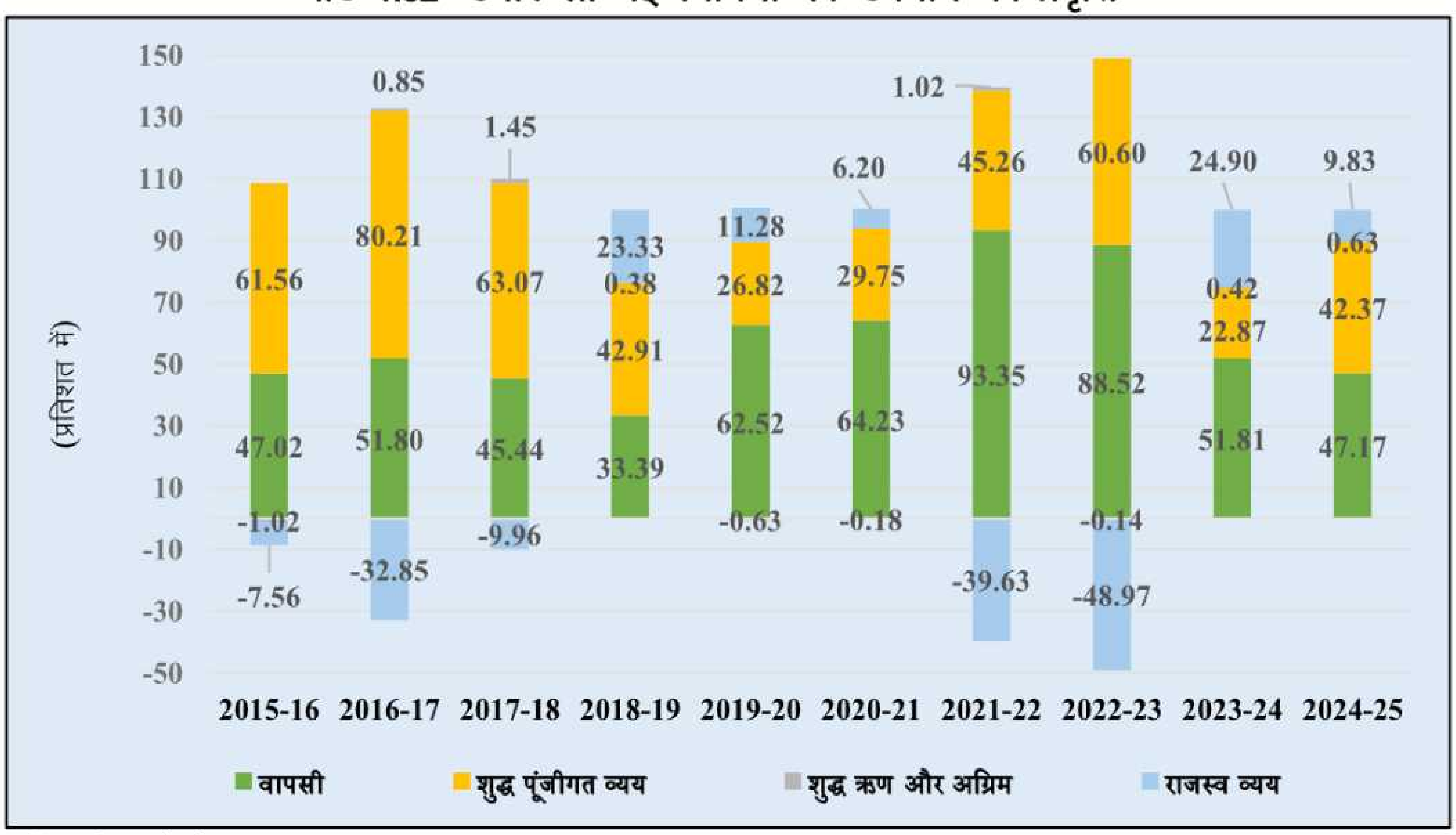

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2024–25 के दौरान, उधार ली गई धनराशि का 47 प्रतिशत (₹ 47,315.42 करोड़) का उपयोग पहले के उधारों (₹ 22,316.72 करोड़) के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जिससे विकास गतिविधियों के लिए उधार ली गई धनराशि का केवल 53 प्रतिशत बचा था। ऋण चुकौती की ओर जाने वाले उधारों के बड़े हिस्से के ऐसे उदाहरण राजकोषीय गुंजाइश को सीमित करते हैं और नियमित जरूरतों के लिए ऋण पर निर्भरता बढ़ाते हैं, जैसा कि पिछले दो वर्षों में देखा गया है कि कुल उधार का 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत क्रमशः 2023–24 और 2024–25 में राजस्व

व्यय के लिए उपयोग किया गया था। यह दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को कमजोर करता है और बुनियादी ढांचे में निवेश को बाधित करता है। राज्य को परिसंपत्ति निर्माण पर केंद्रित एक अनुशासित उधार लेने की रणनीति अपनानी चाहिए।

1.5.1.3 ऋण रूपरेखाः परिपक्वता और अदायगी

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान रूपरेखा ऋण चुकौती या ऋण अदायगी के लिए शासन की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा को **चार्ट 1.33** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.33: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

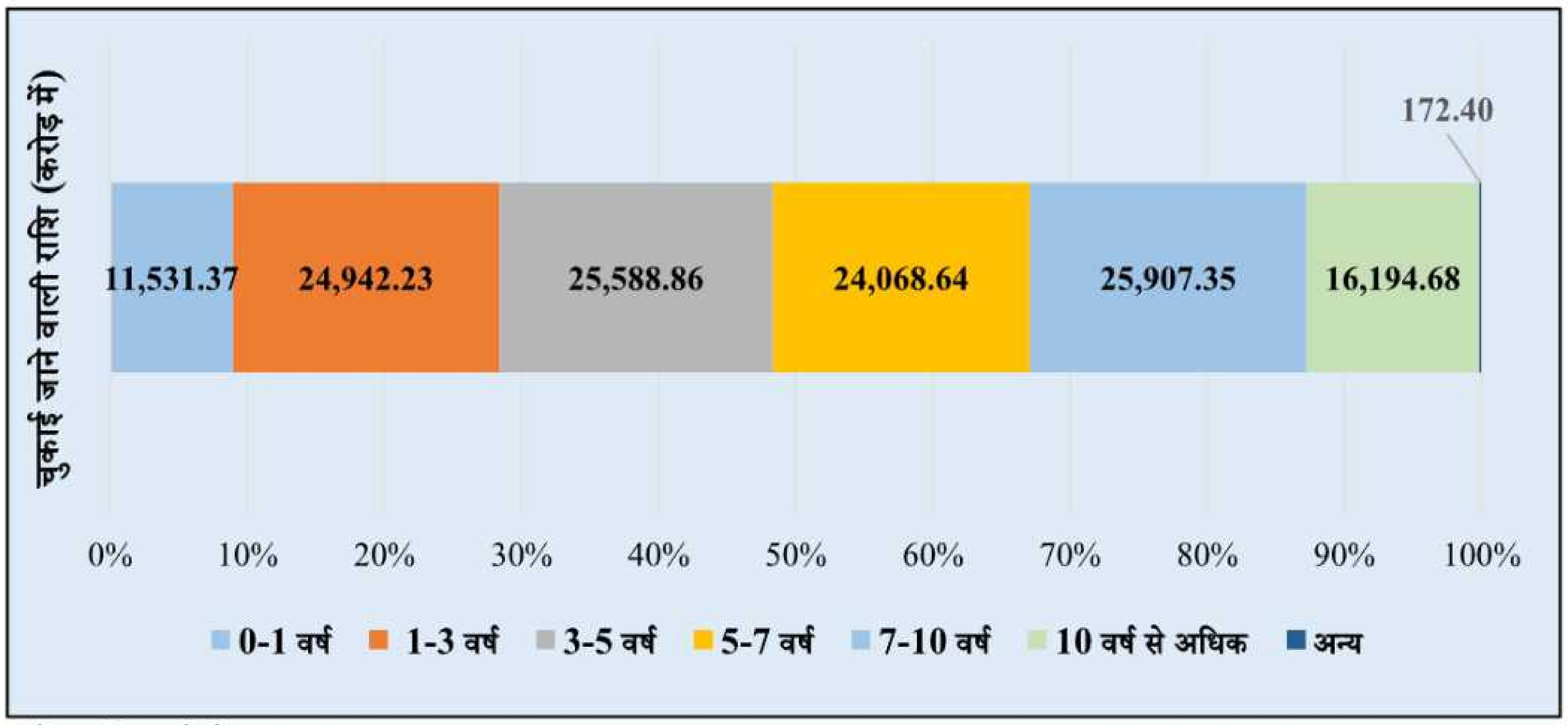

स्रोतः वित्त लेखे

**** बकाया ऋण में जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से लिए गए बैक–टू–बैक ऋण शामिल नहीं हैं, जिनका भुगतान राज्य को अपने स्रोत से नहीं करना है।***

31 मार्च 2025 तक लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा से संकेत मिलता है कि राज्य को अगले सात वर्षों के भीतर ऋण का 67.07 प्रतिशत भुगतान करना है। अल्प से मध्यम अवधि (0–7 वर्ष) के भीतर परिपक्व होने वाली देनदारियों का ऐसा उच्च सांद्रण संभावित ऋण बंचिंग के मुद्दे को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप राज्य वित्त पर पुनर्वित्त और नकदी दबाव बढ़ सकता है। इस पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि सात वर्षों के भीतर 67.07 प्रतिशत ऋण चुकाने की आवश्यकता के बावजूद , राजस्व प्राप्ति के मुकाबले ब्याज भुगतान का वर्तमान अनुपात (7.44 प्रतिशत) 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 10.00 प्रतिशत के सतत स्तर के भीतर ही बना हुआ है। कुल उधार में से अधिकतम राशि का उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ था। यह सुनिश्चित करेगा कि उधार ली गई धनराशि भविष्य की पुनर्भुगतान क्षमता का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य उत्पन्न करती है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार शुद्ध उधार सीमा तय करता है, लेकिन इसके अलावा पुनर्भुगतान की भी अनुमति देता है। इस प्रकार, एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए शुद्ध उधार सीमा केवल एक अतिरिक्त स्थायी उधार सीमा (जीएसडीपी का 3.00 प्रतिशत) है। राज्य के पास संचित निक्षेप निधि (सीएसएफ) में एक मजबूत भंडार (लगभग ₹ 8,900 करोड़) और प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) में भी ₹ 1,000 करोड़ से अधिक है। इससे नकदी की कमी के कारण होने वाले किसी भी संभावित पुनर्भुगतान से सुरक्षा मिलती है। एक वर्ष में पुनर्भुगतान ₹ 13,000 करोड़ से अधिक नहीं है, जो एक वर्ष में राजस्व प्राप्ति के 10.00 प्रतिशत से कम है।

1.5.1.4 राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण संरचना

तालिका 1.29 में 2020–25 के दौरान राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण संरचना को दर्शाया गया है।

तालिका 1.29: राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्तपोषण संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
राजकोषीय घाटा	**5,444**	**4,047**	**6,810**	**8,292**	**17,970**
राजस्व घाटा/आधिक्य	–2,367	–5,521	–3,417	–684	9,609
शुद्ध पूंजीगत व्यय	7,942	9,468	9,998	8,898	8,562
शुद्ध ऋण और अग्रिम	–132	100	230	78	–201
राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण संरचना					
बाजार से लिए गए उधार	4,667	3,898	8,100	12,900	10,980
भारत सरकार से ऋण	–19	212	292	361	64
एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	5	–421	–431	–444	–456
वित्तीय संस्थानों से ऋण	526	639	691	407	305
छोटी बचत, पीएफ, आदि।	514	427	641	755	785
आरक्षित निधि	390	385	–765	60	814
जमा और अग्रिम	–70	551	121	–231	–524
उचंत तथा विविध	–1,824	–774	–1,611	–5,710	4,505
प्रेषण	–12	49	71	–122	81
मुआवजा और अन्य बांड	822	0	0	0	0
आकस्मिकता निधि	0	0	0	0	0
कुल घाटा	5,000	4,964	7,109	7,975	16,554
रोकड़ शेष में वृद्धि (+)/कमी (–)	444	–917	–298	317	1,416
सकल राजकोषीय घाटा	**5,444**	**4,047**	**6,810**	**8,292**	**17,970**
विवरण	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
राजकोषीय घाटा	**15,822**	**6,093**	**4,691**	**26,933**	**25,447**
राजस्व घाटा/अधिशेष	6,857	–4,642	–8,592	11,233	5,099
शुद्ध पूंजीगत व्यय	9,019	10,499	13,315	15,414	20,050
शुद्ध ऋण और अग्रिम	–54	236	–31	286	298
राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण संरचना					
बाजार से लिए गए उधार	10,500	1,000	–2,200	26,300	17,000
भारत सरकार से ऋण	3,405	5,557	3,470	3,551	6,173
एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	–456	–456	–456	–456	–456
वित्तीय संस्थानों से ऋण	112	239	311	628	–38
छोटी बचत, पीएफ, आदि।	404	–1	1,306	1,522	1,680
आरक्षित निधि	–465	454	–181	766	379
जमा और अग्रिम	502	–204	361	258	347
उचंत तथा विविध	1,845	110	2,956	–5,505	2,289
प्रेषण	–51	–7	38	–53	–1,787
मुआवजा और अन्य बांड	0	–87	–87	–87	–87
आकस्मिकता निधि	0	0	0	–13	–24
कुल घाटा	**15,796**	**6,604**	**5,517**	**26,912**	**25,476**

रोकड़ शेष में वृद्धि (+)/कमी (–)	27	–511	–826	21	–29
सकल राजकोषीय घाटा	**15,822**	**6,093**	**4,691**	**26,933**	**25,447**

स्रोतः वित्त लेखे

1.5.2 लेखापरीक्षा के बाद के घाटे के संकेतक

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य का राजस्व घाटा (आरडी) ₹ 5,099.47 करोड़ (जीएसडीपी का 0.90 प्रतिशत) था, राजकोषीय घाटा (एफडी) ₹ 25,447.41 करोड़ (जीएसडीपी का 4.48 प्रतिशत) था, जबकि प्राथमिक घाटा (पीडी) ₹ 16,495.06 करोड़ (जीएसडीपी का 2.90 प्रतिशत) था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य सरकार ने राजस्व स्वरूप के ₹ 1,234.79 करोड़ को पूंजीगत व्यय के रूप में, पूंजीगत प्रकृति के ₹ 0.75 करोड़ को राजस्व व्यय के रूप में और ₹ 3,912.32 करोड़ की बजट उधारी की अदायगी को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत किया (अध्याय–II के पैरा संख्या 2.5.4 में चर्चा की गई है)। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटे को कम करके आंका गया और लेखापरीक्षा के बाद राजस्व घाटा ₹ 10,245.83 करोड़ (जीएसडीपी का 1.80 प्रतिशत) हो गया।

1.5.3 राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

वर्ष 2005 के एफआरबीएम अधिनियम और 15वें वित्त आयोग के साथ इसके संशोधनों के अनुसार, राज्य का लक्ष्य है:

- राजस्व घाटे को खत्म करना और राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर बनाए रखना, जिसमें सुधार के लक्ष्यों को पूरा करने पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी।
- छत्तीसगढ़ में मध्यावधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) का भी पालन किया जाता है और आकस्मिक देनदारियों और बजट से इतर उधारों का खुलासा करना अपेक्षित होता है।

वित्त वर्ष 2015–16 से 2024–25 के लिए राज्य एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में लेखापरीक्षा के बाद की उपलब्धियों का विवरण **तालिका 1.30** में दिया गया है।

तालिका 1.30: लेखा परीक्षा के बाद राज्य एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय पैरामीटर		एफसीआर में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि				
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
राजस्व घाटा(–)/आधिक्य (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) #	लक्ष्य	1.85	1.79	1.73	1.32	0.32
	उपलब्धि	0.94	2.10	1.21	0.21	-2.79
राजकोषीय घाटा (–)/ आधिक्य (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) #	लक्ष्य	-3.50	-3.50	-3.50	-3.50	-5.00
	उपलब्धि	-2.42	-1.54	-2.41	-2.54	-5.21
जीएसडीपी के लिए कुल बकाया देयता का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	16.09	15.45	18.47	18.06	21.23
	उपलब्धि	16.76	16.84	18.95	20.65	23.04
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	लक्ष्य	3.59	4.19	4.57	5.14	5.63
	उपलब्धि	4.66	5.00	5.19	5.61	7.78
राजकोषीय पैरामीटर		2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25*
राजस्व घाटा (–) / आधिक्य (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य	0.67	0.96	0.16	0.69	0.20
	उपलब्धि	-2.70	0.51	1.04	-2.65	-1.80
राजकोषीय घाटा (–) / अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य	-5.00	-4.56	-3.33	-2.99	-2.90
	उपलब्धि	-4.72	-1.56	-1.22	-5.44	-4.48

जीएसडीपी के लिए कुल बकाया देयता का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	21.59	28.34	26.41	23.81	25.43
	उपलब्धि	26.07	23.07	21.96	26.05	27.45
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	लक्ष्य	6.97	8.16	8.11	6.53	6.24
	उपलब्धि	8.92	7.71	6.80	6.57	7.44

** 2024–25 के आंकड़ों में केवल राजस्व और पूंजीगत व्यय के गलत वर्गीकरण का प्रभाव शामिल है, इसलिए उनकी तुलना 2020–21 से 2023–24 के आंकड़ों से नहीं की जा सकती है।*

 # 2015–16 से 2019–20 के लिए राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़े लेखा परीक्षा से पहले के आंकड़े हैं।

चार्ट 1.34: लेखापरीक्षा के बाद घाटे की प्रवृत्ति विश्लेषण

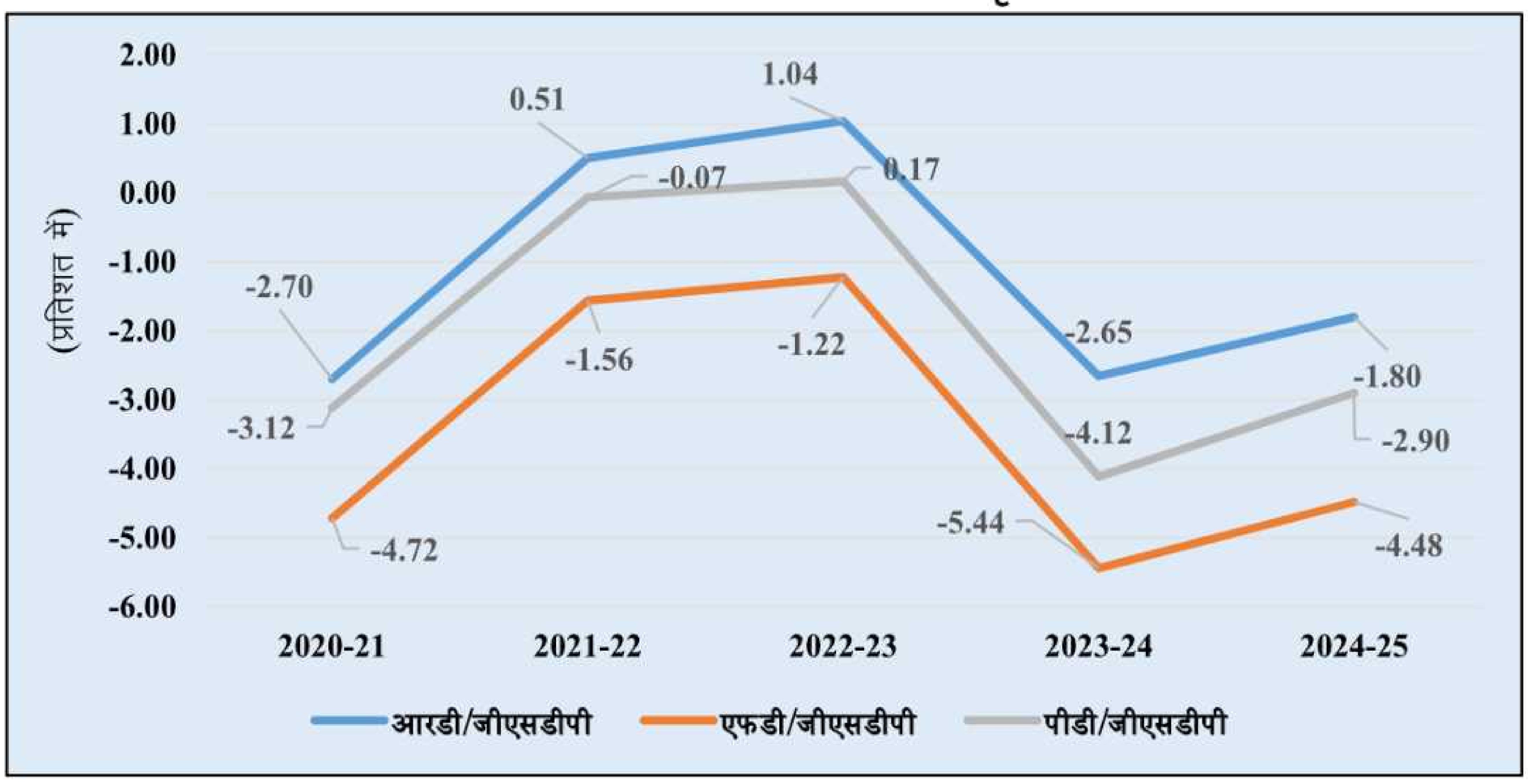

**ऋणात्मक आंकड़ा घाटे को दर्शाता है और धनात्मक आंकड़ा आधिक्य को दर्शाता है।*

15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और वर्ष 2024–25 के दौरान जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय आंकड़ों के संबंध में उपलब्धियों की तुलना में राज्य के बजट में अनुमानित लक्ष्य **चार्ट 1.35**, **चार्ट 1.36** और **चार्ट 1.37** में दिए गए हैं।

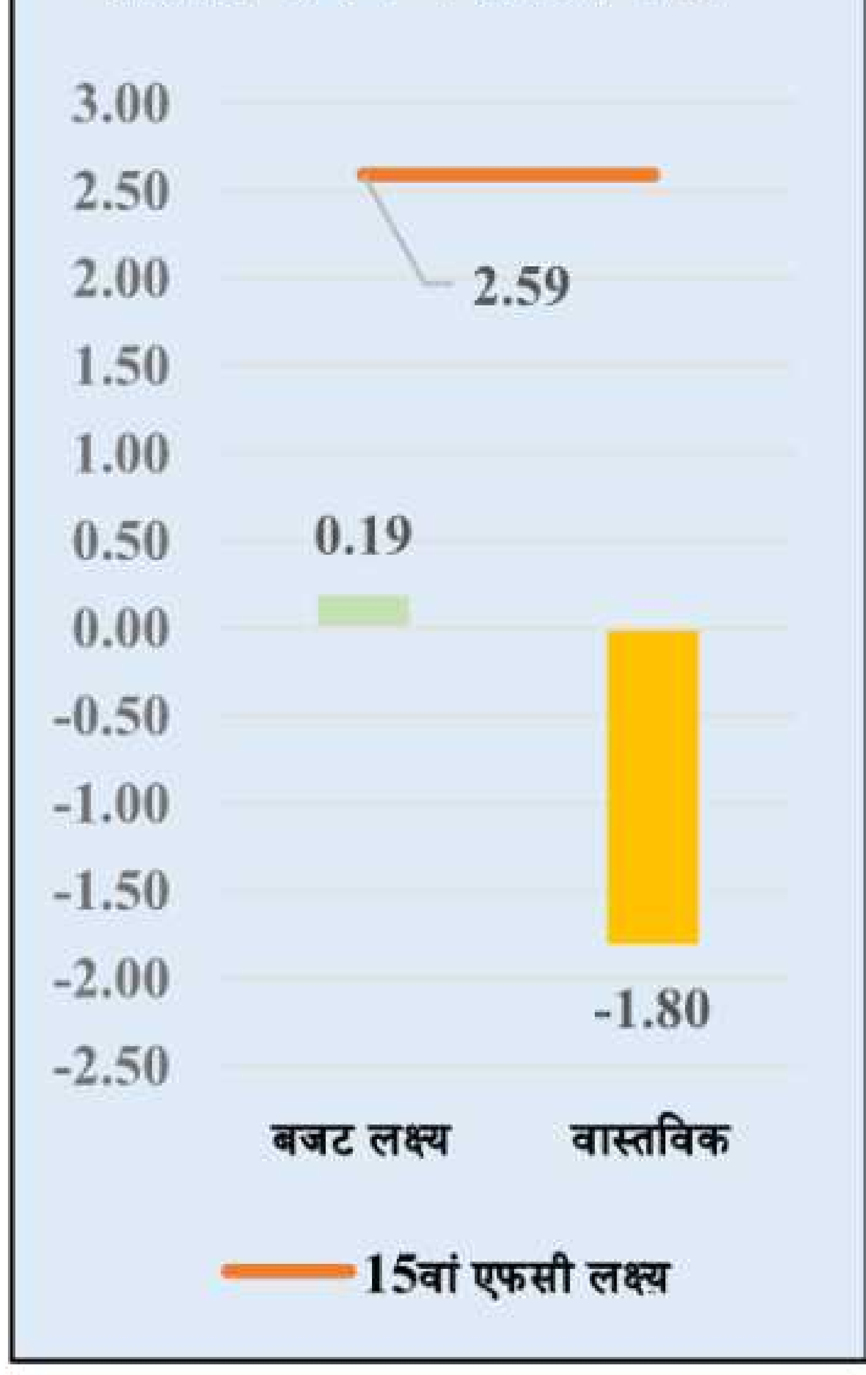

चार्ट 1.35: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा

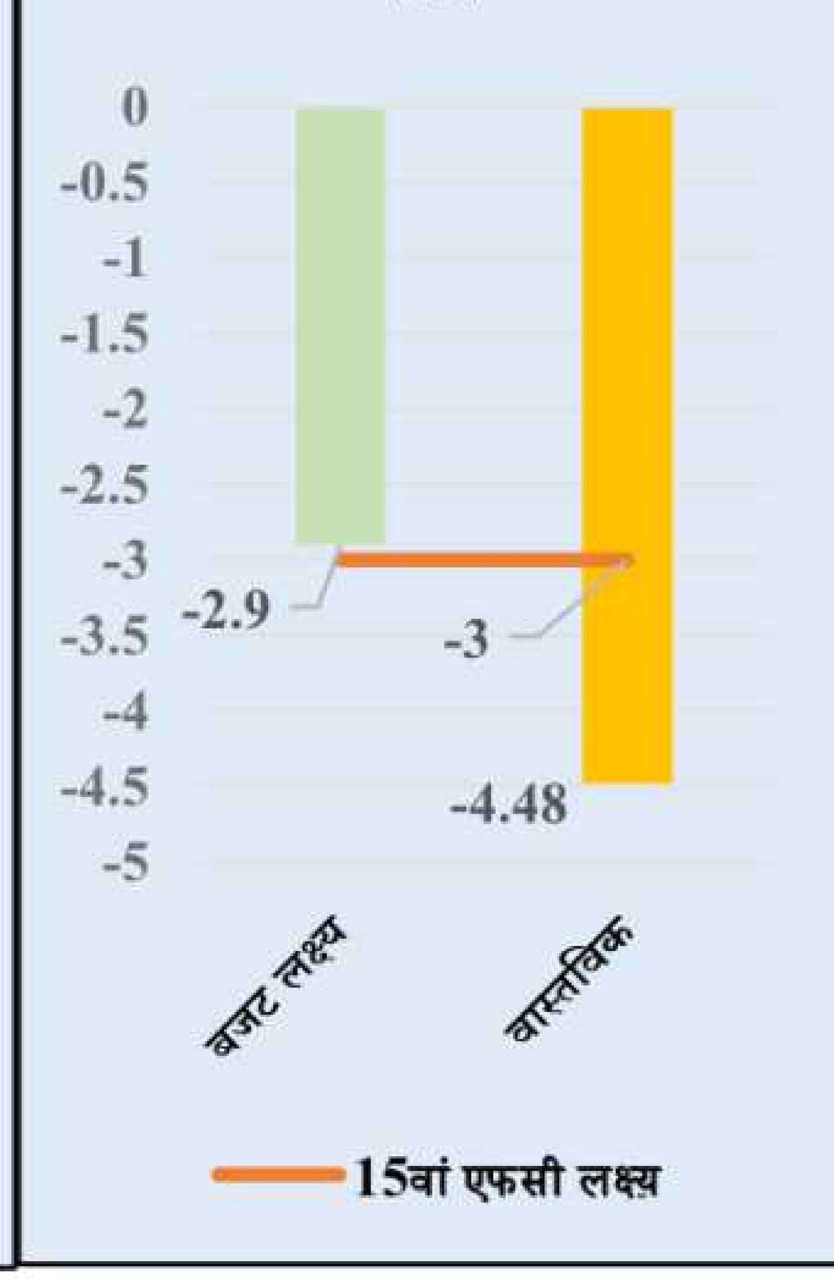

चार्ट 1.36: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा

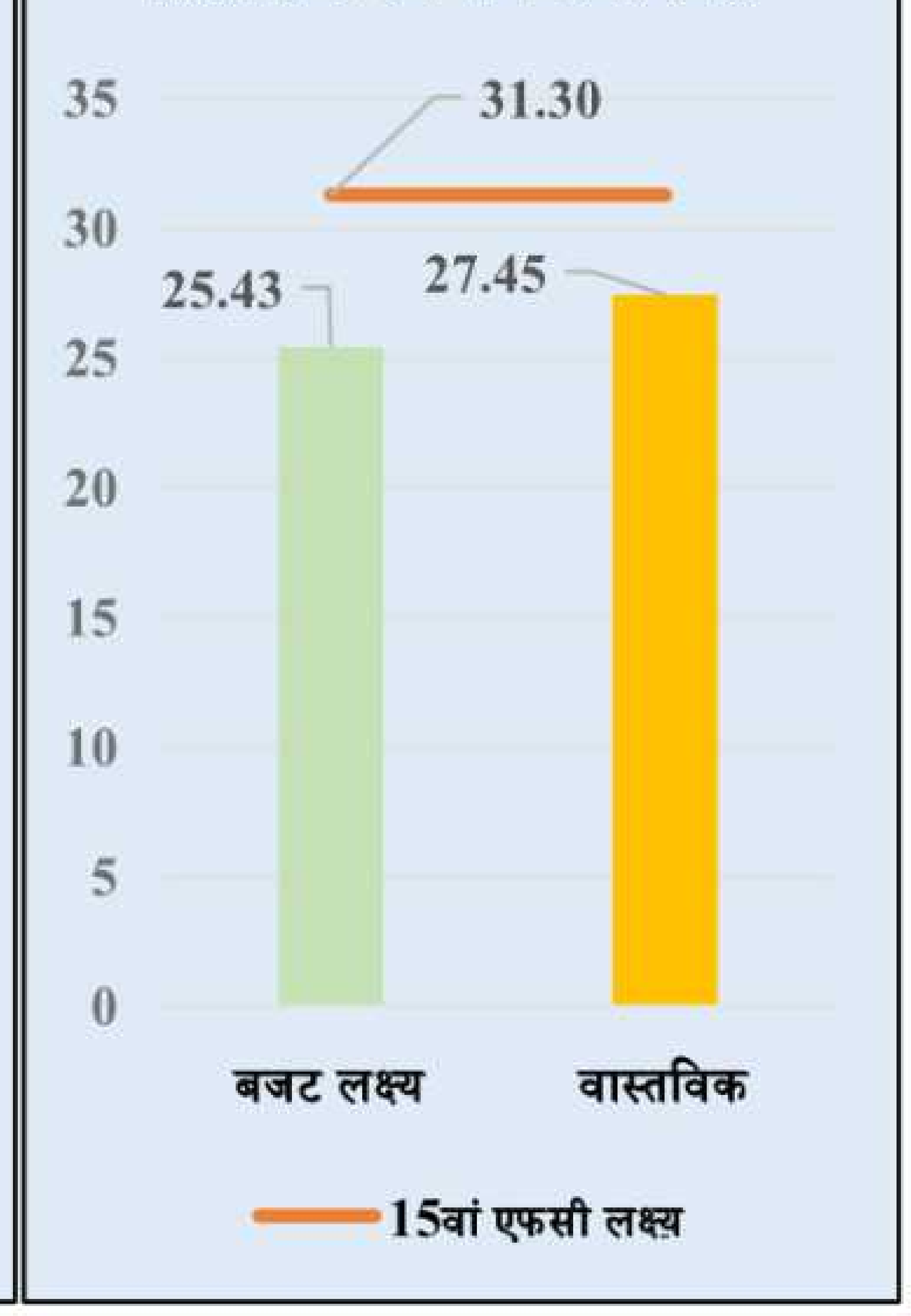

चार्ट 1.37: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया देयता

स्रोत: वित्त लेखे और बजट दस्तावेज

वर्ष 2024–25 के दौरान, राजस्व घाटा–जीएसडीपी और राजकोषीय घाटा–जीएसडीपी अनुपात 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों और बजट अनुमानों में अनुमानित स्तरों के भीतर नहीं थे। बजट 2024–25 में, हालांकि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का 2.90 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, लेकिन यह भी उल्लेख किया गया था कि भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए ₹ 3,400 करोड़ की विशेष सहायता को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय घाटा बढ़कर 3.51 प्रतिशत हो जाएगा। इस पर राज्य शासन ने उत्तर (फरवरी 2026) में कहा कि छत्तीसगढ़ शासन को भारत सरकार से 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत वित्त वर्ष 2024–25 में ₹ 6,104 करोड़ और वित्त वर्ष 2023–24 में ₹ 3,365 करोड़ प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस ऋण राशि को राजकोषीय घाटे की गणना से बाहर रखा जाना है, इसलिए वित्त वर्ष 2024–25 में शुद्ध लोक ऋण (₹ 16,435 करोड़) 2.89 प्रतिशत होगा। एसएएससीआई और शुद्ध सार्वजनिक खाता प्राप्तियों के कारण राजकोषीय घाटे का आंकड़ा वर्तमान में बढ़ा हुआ है।

1.5.4 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता से तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण **तालिका 1.31** में दिया गया है।

तालिका 1.31: ऋण स्थिरता संकेतकों में रुझान

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता संकेतक	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
समग्र देनदारियां या समग्र ऋण*	37,741	44,258	52,937	66,750	78,712
समग्र देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.82	17.27	19.61	26.09	17.92
नॉमिनल जीएसडीपी	2,25,163	2,62,802	2,82,737	3,27,107	3,44,672
नॉमिनल जीएसडीपी ग्रोथ (प्रतिशत)	1.83	16.72	7.59	15.69	5.37
समग्र देयता/जीएसडीपी (प्रतिशत)	16.76	16.84	18.72	20.41	22.84
सकल उधार का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	47.02	51.80	45.44	33.39	62.52
सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	52.98	48.20	54.56	66.61	37.48
समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	2,149	2,687	3,098	3,653	4,970
समग्र ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर (प्रतिशत)	7.85	7.99	7.55	6.92	7.37
राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	6.28	5.00	5.19	5.61	7.78
राजस्व घाटा/आधिक्य	–9,493	5,521	3,417	684	–9,609
प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)	–7,344	8,207	6,516	4,336	–4,638
प्राथमिक शेष राशि (पीबी)	–3,295	–1,360	–3,712	–4,640	–12,999
पीबी/जीएसडीपी (प्रतिशत)	–1.46	–0.52	–1.31	–1.42	–3.77
समग्र देयता पर आरओआई और ब्याज की प्रभावी दर के बीच अंतर	–4.33	–5.27	–5.31	–5.10	–7.26
तरलता प्रबंधन	0	0	0	0	36
ऋण स्थिरीकरण	–5,141	1,831	–3,694	581	–14,437
डोमर मानदंड					
जीएसडीपी (स्थिर शब्दों में)	1,90,584	2,13,705	2,20,136	2,44,579	2,51,549
वास्तविक विकास (निरंतर शब्दों में)	2.57	12.13	3.01	11.10	2.85
सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	6.75	3.48	2.69	2.40	2.48
प्रभावी ब्याज दर	7.85	7.99	7.55	6.92	7.37
ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर	1.10	4.51	4.86	4.52	4.89

विकास ब्याज अंतर	1.47	7.62	–1.85	6.58	–2.04
ऋण स्थिरता संकेतक	**2020–21**	**2021–22**	**2022–23**	**2023–24**	**2024–25**
समग्र देनदारियां या समग्र ऋण'	89,557	91,095	93,622	1,26,105	1,51,103
समग्र देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.78	1.72	2.77	34.70	19.82
नॉमिनल जीएसडीपी	3,52,328	4,11,613	4,58,891	5,12,107	5,67,880
नॉमिनल जीएसडीपी ग्रोथ (प्रतिशत)	2.22	16.83	11.49	11.60	10.89
समग्र देयता/जीएसडीपी (प्रतिशत)	25.42	22.13	20.40	24.62	26.61
सकल उधार का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	58.25	76.90	88.51	51.81	47.17
सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	41.75	23.10	11.49	48.19	52.83
समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	5,633	6,144	6,382	6,798	8,952
समग्र ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर (प्रतिशत)	7.05	7.18	7.19	6.30	6.87
राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	8.92	7.71	6.80	6.57	7.44
राजस्व घाटा/आधिक्य	–6,857	4,642	8,592	–11,233	–5,099
प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)	–1,224	10,786	14,974	–4,434	3,853
प्राथमिक शेष राशि (पीबी)	–10,189	51	1,691	–20,134	–16,495
पीबी/जीएसडीपी (प्रतिशत)	–2.89	0.01	0.37	–3.93	–2.90
समग्र देयता पर आरओआई और ब्याज की प्रभावी दर के बीच अंतर	–6.55	–6.94	–4.53	–3.11	–3.63
तरलता प्रबंधन	30	38	15	99	9
ऋण स्थिरीकरण	–14,147	8,056	5,209	–14,286	–11,300
डोमर मानदंड					
जीएसडीपी (स्थिर शब्दों में)	2,51,192	2,67,033	2,85,817	3,06,712	3,29,752
वास्तविक विकास (निरंतर शब्दों में)	–0.14	6.31	7.03	7.31	7.51
सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	7.43	4.83	4.69	3.43	5.78
प्रभावी ब्याज दर	7.05	7.18	7.19	6.30	6.87
ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर	–0.38	2.35	2.50	2.87	1.09
विकास ब्याज अंतर	0.24	3.96	4.53	4.44	6.42

स्रोतः वित्त लेखे

****जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैक–टू–बैक ऋणों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोत से नहीं चुकाया जाना है।***

पीआरबी: राजस्व प्राप्तियां–राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान का निवल), जहां (–) पीबी का तात्पर्य प्राथमिक घाटा है और इसके विपरीत।

पीबी: कुल प्राप्तियां (उधार का निवल)–कुल व्यय (ब्याज भुगतान का निवल), जहां (–) पीबी का तात्पर्य प्राथमिक घाटा है और इसके विपरीत।

प्रभावी ब्याज दर: {ओबीबी पर आईपी को छोड़कर ब्याज भुगतान/[गैर–ब्याज–वहन देनदारियों को छोड़कर पिछले और चालू वित्त वर्ष की औसत बकाया देयता, बैक–टू–बैक ऋण और राज्यों को जारी ब्याज मुक्त ऋण,}
तरलता प्रबंधन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय आवास साधनों का उपयोग) (दिनों की संख्या) एसडीएफ, डब्ल्यूएमए और ओडी के खिलाफ प्राप्त राशि

क्वांटम स्प्रेड (ब्याज स्प्रेड * समग्र देयता) जहां ब्याज प्रसार = (जीएसडीपी वृद्धि दर – समग्र देयता पर ब्याज की प्रभावी दर)। क्वांटम स्प्रेड की गणना के लिए, पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत बैक–टू–बैक ऋण, गैर–ब्याज देय देनदारियों और राज्यों को जारी किए गए ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर समग्र देयता ली गई है; आरओआई : निवेश पर रिटर्न
ऋण स्थिरीकरण = क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष
ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर = ब्याज की प्रभावी दर–मुद्रास्फीति
विकास ब्याज अंतर = वास्तविक विकास – ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर

वर्ष 2021–22 और 2022–23 को छोड़कर कुल ऋण/देनदारियों में वृद्धि नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि से अधिक रही। पिछले दो वर्षों में समग्र ऋण/देनदारियों की बढ़ती वृद्धि दर से पता चलता है कि राज्य को ऋण में वृद्धि को रोकने के लिए मितव्ययिता के उपाय करने की आवश्यकता है ताकि इसे नॉमिनल जीडीपी वृद्धि के साथ बनाए रखा जा सके।

ऋण–से–जीएसडीपी अनुपात में उतार–चढ़ाव होता है, लेकिन यह 2020–21 में 25.42 प्रतिशत से 2024–25 में 26.61 प्रतिशत तक समग्र रूप से बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है , जिसमें मध्यवर्ती वर्षों में गिरावट आई है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के सापेक्ष ऋण का बोझ आम तौर पर बढ़ रहा है, खासकर 2022–23 के बाद। 2024–25 में 26.61 प्रतिशत का ऋण–जीएसडीपी अनुपात राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस (25.43 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था, लेकिन 15वें वित्त आयोग (31.30 प्रतिशत) द्वारा अनुमानित राज्य सरकार के सांकेतिक ऋण पथ के भीतर था।

2020–25 के दौरान सकल उधारी के पुनर्भुगतान में 47.27 प्रतिशत से 88.51 प्रतिशत तक उतार–चढ़ाव का रुझान देखा गया है। सकल उधारी के लिए उच्च पुनर्भुगतान राजकोषीय योजना में सरकार के लचीलेपन को कम करेगा और गुणवत्ता व्यय पर खर्च में और कटौती करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, उत्पादक उद्देश्यों और विकास को बढ़ावा देने वाले निवेश के लिए उपलब्ध निवल उधार ने न तो लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई है और न ही व्यय की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर रहा है।

राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान अनुपात 2023–24 में 6.57 प्रतिशत से बढ़कर 2024–25 में 7.44 प्रतिशत हो गया, जो राज्य बजट 2024–25 के साथ प्रस्तुत व्यापक आर्थिक ढांचा विवरण (6.24 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक था। राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में बढ़ता ब्याज भुगतान राज्य शासन द्वारा ऋण अदायगी से जुड़ी संभावित चिंता को दर्शाता है। इस पर विभाग ने कहा कि ब्याज भुगतान अनुपात 2023–24 में 6.57 प्रतिशत से बढ़कर 2024–25 में 7.44 प्रतिशत हो गया, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत की स्थायी सीमा के तहत है।

पिछले पांच वर्षों में से तीन वर्षों में प्राथमिक संतुलन और ऋण–स्थिरीकरण मीट्रिक (क्वांटम स्प्रेड प्लस प्राथमिक शेष) दोनों नकारात्मक रहे, लेकिन 2023–24 की तुलना में 2024–25 के दौरान दोनों संकेतकों में सुधार हुआ, जो दर्शाता है कि राज्य को एक स्थायी राजकोषीय पथ की ओर बढ़ने के लिए पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता है। विकास ब्याज अंतर सभी पांच वर्षों में सकारात्मक रहा, और यह 2020–21 में 0.24 से बढ़कर 2024–25 में 6.42 हो गया। सकारात्मक जीआईडी इंगित करता है कि राज्य स्थायी राजकोषीय पथ की ओर बढ़ रहा है।

इसके अलावा, तरलता प्रबंधन के लिए आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय सुविधा का उपयोग 2024–25 में 09 दिनों में सबसे कम और पिछले पांच वर्षों में 2023–24 में 99 दिनों का उच्चतम था। इससे पता चलता है कि तरलता प्रबंधन के लिए अल्पकालिक उधार पर निर्भरता पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम हो गई है। इस सूचक में सुधार से पता चलता है कि राज्य तरलता प्रबंधन में सुधार के लिए उचित उपाय कर रहा है।

डोमर मानदंड से पता चलता है कि नॉमिनल वृद्धि मुख्य रूप से महामारी प्रभावित वर्ष (2020–21) को छोड़कर मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक विकास से प्रेरित थी।

1.5.5 गारंटी की स्थिति – आकस्मिक देनदारियां

गारंटी उधारकर्ता के चूक के मामले में संचित निधि पर आकस्मिक देनदारियां हैं। राज्य वैधानिक निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थानों जैसी संस्थाओं द्वारा उठाए गए ऋणों के

लिए गारंटी प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में दी गई कुल सरकारी गारंटी पिछले वर्ष में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पिछले दस वर्षों के लिए कुल प्राप्तियों की गारंटी और बकाया गारंटी की स्थिति का विवरण **तालिका 1.32** में दिया गया है।

तालिका 1.32: राज्य शासन द्वारा दी गई गारंटी

(₹ करोड़ में)

गारंटी	गारंटी की बकाया राशि पर लागू अधिकतम सीमा	वर्ष की शुरुआत में गारंटी की बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया गारंटी
2015–16	14,446	2,362	1,988
2016–17	15,603	1,988	3,983
2017–18	17,230	3,982	3,882
2018–19	18,365	3,882	10,769
2019–20	20,391	11,559	18,459
2020–21	30,052	18,469	19,836
2021–22	30,026	19,836	19,500
2022–23	40,935	19,500	22,100
2023–24	48,371	22,100	21,891
2024–25	53,934	21,890	20,763

स्रोतः वित्त लेखे और वार्षिक वित्तीय विवरण

**छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियमावली, 2003 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में दी गई कुल सरकारी गारंटी पिछले वर्ष में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के माध्यम से सीमा को बढ़ाकर शत–प्रतिशत (जुलाई 2020) कर दिया गया था।*

31 मार्च 2025 तक बकाया गारंटी राशि ₹ 20,763.08 करोड़ थी, जो बिजली (₹ 2,591.50 करोड़); सहकारी समितियों (₹ 15,009.54 करोड़); राज्य वित्त निगम/कंपनियों (₹ 67.91 करोड़); शहरी विकास और आवास (₹ 2,781.78 करोड़); और अन्य (₹ 312.35 करोड़) से संबंधित थी।

शासन ने 2020–25 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) में निर्धारित सीमाओं के भीतर गारंटी दी। वर्ष की शुरुआत और अंत में गारंटियों की बकाया राशि की तुलना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वित्त वर्ष 2023–24 और 2024–25 को छोड़कर, आकस्मिक देनदारियों को आगे बढ़ाया जा रहा था और राज्य सरकार द्वारा इसके जोखिम को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, लेकिन 2023–24 और 2024–25 के दौरान राज्य सरकार ने आकस्मिक देनदारियों में अपना जोखिम कम कर दिया।

राज्य शासन ने आकस्मिक देनदारियों से जुड़े जोखिम को अवशोषित करने के लिए वित्त वर्ष 2022–23 में प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना की है।

1.5.6 राजकोषीय स्थिरता के मार्ग

राजस्व बढ़ाकर और व्यय को युक्तिसंगत बनाकर घाटे में सुधार किया जा सकता है। इसमें कर अनुपालन को मजबूत करना, कर आधार का विस्तार करना, उपयोगकर्ता शुल्क को संशोधित करना और निष्क्रिय सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना शामिल है। खर्च के पक्ष में, सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण, वेतन और पेंशन वृद्धि को नियंत्रित करना और व्यय का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करना प्रमुख कारक हैं। उत्पादक पूंजी निवेश को प्राथमिकता देने और

पारदर्शी और कुशल उधार के माध्यम से ऋण प्रबंधन में सुधार करने से राजकोषीय दबाव को और कम किया जा सकता है। ये उपाय सामूहिक रूप से राजकोषीय स्थान बनाते हैं और राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे को स्थायी तरीके से कम करने में मदद करते हैं। इन पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

1.5.6.1 राज्य के राजस्व में सुधार

अप्रयुक्त राजस्व क्षमता, यदि प्रभावी ढंग से उपयोग की जाती है, तो राजकोषीय स्थान में काफी वृद्धि हो सकती है और ऋण पर निर्भरता कम हो सकती है। राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी और उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख कर धाराओं के मूल्यांकन, कम मूल्यांकन और सीमित प्रवर्तन तंत्र में अक्षमता से राजस्व वृद्धि में कमी आएगी। कम उपयोगकर्ता शुल्क, खराब लागत वसूली और सार्वजनिक परिसंपत्तियों और निवेशों पर उप–इष्टतम रिटर्न के साथ कम वसूली वाले करेत्तर राजस्व भी राजकोषीय क्षेत्र को बाधित करते हैं। लंबित बकायों की समय पर वसूली (कर और करेत्तर) राजकोषीय क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है।

क. राजस्व का बकाया

31 मार्च 2025 तक, राजस्व के प्रमुख शीर्षों के संबंध में राजस्व का बकाया ₹ 5,991.74 करोड़ था, जिसमें से ₹ 2,458.32 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 1.33** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.33: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व का प्रमुख	31 मार्च 2025 तक बकाया राशि	31 मार्च 2025 तक पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया राशि
1	बिजली पर कर और शुल्क	5,929.71	2,396.60
2	वन और वन्यजीव	5.60	5.32
3	राज्य आबकारी	56.43	56.40
कुल		5,991.74	2,458.32

स्रोतः विभागीय जानकारी

ख. मूल्यांकन में बकाया

वर्ष की शुरुआत में लंबित मामलों की संख्या, मूल्यांकन के लिए देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि वन और वन्यजीव, ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, **तालिका 1.34** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.34: मूल्यांकन की बकाया राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व प्रमुख	प्रारंभिक संतुलन	2024–25 के दौरान मूल्यांकन के लिए नए मामले निर्धारित हैं	कुल मूल्यांकन देय	2024–25 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष राशि	निपटान का प्रतिशत
1	वन और वन्यजीव	4.91	0	4.91	0	4.91	0
2	बिजली पर कर और शुल्क	4,615.23	6	79	0	79	0

स्रोतः विभागीय जानकारी

उत्पाद शुल्क विभाग ने कर निर्धारण के बकायों के शून्य मामले प्रस्तुत किए हैं।

ग. विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन, रिफंड के मामलों आदि का विवरण

कर चोरी के जिन मामलों का पता चला है, जिन मामलों का अंतिम निपटारा हुआ है और अतिरिक्त कर की जो मांगें उठाई गई हैं, वे राज्य सरकार के राजस्व संग्रह प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी के मामलों का विवरण, संबंधित विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए अंतिम रूप दिए गए मामले और अतिरिक्त कर की मांग को **तालिका 1.35** में दर्शाया गया है। उत्पाद शुल्क और ऊर्जा विभाग (बिजली पर कर और शुल्क) ने कर अपवंचन का कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया है।

तालिका 1.35: कर चोरी का पता चला

क्र. सं.	राजस्व प्रमुख	31 मार्च 2024 तक लंबित मामले	2024–25 के दौरान पाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें मूल्यांकन/जांच पूरी हो गई है और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त मांग की गई है		31 मार्च 2025 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (करोड़ में)	
1	वन और वन्यजीव	15	0	15	0	0	15
	कुल	15	0	15	0	0	15

स्रोतः विभागीय जानकारी

अन्य विभागों, जैसे वाणिज्यिक कर (पंजीकरण), खनिज संसाधन आदि ने सितंबर 2025 में लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद कर/राजस्व की चोरी से संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए।

रिफंड मामलों के निपटान में तत्परता विभागों के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष की शुरुआत में लंबित रिफंड मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड और वर्ष के अंत में लंबित मामले, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया है, **तालिका 1.36** में दिए गए हैं:

तालिका 1.36: धनवापसी के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	वन और वन्यजीव		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	कुल धनराशि	मामलों की संख्या	कुल धनराशि
1	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे (1 अप्रैल 2024)	15	1.00	26	0.85
2	वर्ष (2024–25) के दौरान प्राप्त दावे	0	0	62	5.98
3	वर्ष (2024–25) के दौरान किए गए रिफंड	0	0	70	5.06
4	वर्ष (2024–25) के दौरान रिफंड अस्वीकार कर दिया गया	0	0	0	0
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष राशि (31 मार्च 2025)	15	1.00	18	1.77

स्रोतः विभागीय जानकारी

ऊर्जा विभाग (बिजली पर कर और शुल्क) ने रिफंड के लंबित होने के शून्य मामलों की सूचना दी, जबकि वाणिज्यिक कर (पंजीकरण), खनिज संसाधन विभागों ने मार्च 2025 के अंत में रिफंड के लंबित मामलों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

1.5.6.2 व्यय पक्ष पर मुद्दे

क. प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी से राजकोषीय तनाव

चार्ट 1.38 और **चार्ट 1.39** क्रमशः वित्त वर्ष 2020–25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी को दर्शाता है।

चार्ट 1.38: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी

चार्ट 1.39: राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी

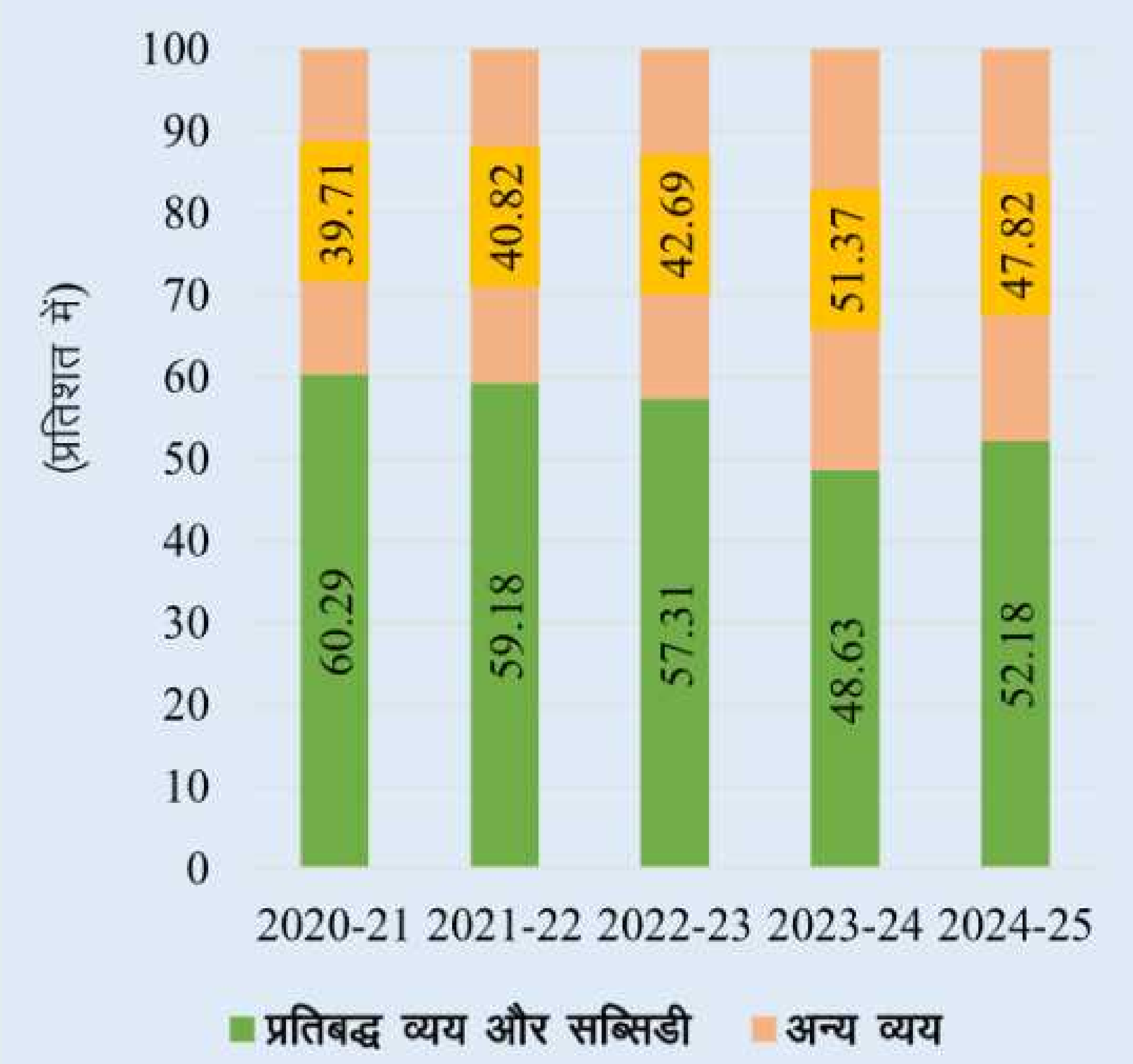

वर्ष 2024–25 में, राज्य का ₹ 48,882.96 करोड़ का प्रतिबद्ध व्यय जिसमें वेतन और मजदूरी (₹ 31,419.87 करोड़), पेंशन (₹ 8,510.74 करोड़), और ब्याज भुगतान (₹ 8,952.35 करोड़) शामिल हैं, जो राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40.64 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी की राशि ₹ 16,539.20 करोड़ थी, जिससे कुल कठोर व्यय ₹ 65,422.16 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 54.39 प्रतिशत था। इस तरह के व्यय की उच्च और अनम्य प्रकृति राजकोषीय स्थान को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देती है, जिससे पूंजी निवेश और विकासात्मक प्राथमिकताओं के लिए संसाधनों को आवंटित करने की राज्य की क्षमता सीमित हो जाती है। यह संरचनात्मक असंतुलन लगातार राजस्व और प्राथमिक घाटे के जोखिम को बढ़ाता है, दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को बाधित करता है, और उभरती सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का जवाब देने की सरकार की क्षमता को कम करता है।

राजकोषीय लचीलापन बढ़ाने और एक स्थायी राजकोषीय मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी के युक्तिकरण, बेहतर लक्ष्यीकरण और वेतन और पेंशन प्रतिबद्धताओं के विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से व्यय सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

ख. अधूरी परियोजनाओं में पूंजी अवरुद्ध

अधूरी पूंजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देगा। अधूरी परियोजनाओं/कार्यों में निधियों को अवरुद्ध करने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और राज्य को लंबे समय तक परियोजनाओं के इच्छित लाभों से वंचित किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियों से ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अधूरी परियोजनाओं का विवरण (वर्ष 2024–25 के लिए वित्त खातों के परिशिष्ट–IX

के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर) **तालिका 1.37** में दिखाया गया है।

तालिका 1.37: अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

(₹ करोड़ में)

अधूरी परियोजनाओं की आयु प्रोफाइल				विभाग–वार अपूर्ण परियोजनाओं की प्रोफ़ाइल के अनुसार		
31 मार्च 2025				31 मार्च 2025		
साल	अधूरी परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया खर्च	विभाग	अधूरी परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (खर्च किया गया)
1995 से पहले	2	55.35	100.96	सिंचाई	78	2,925.34 (3,160.60)
1995–2000	0	0.00	0.00	इमारतें	10	1,243.48 (1,086.50)
2001–2005	2	214.16	149.21	सड़कें	61	3,058.26 (1,488.53)
2006–2010	17	611.47	1,051.31	पुलों	14	317.60 (156.15)
2011–2015	34	1,516.66	1,679.49	अन्य	0	0(0)
2016–2020	43	3,199.76	1,835.42			
2021–2025	65	1,947.28	1,075.39			
कुल	163	7,544.68	5,891.78	कुल	163	7,544.68 (5,891.78)

स्रोतः वित्त लेखे

इन 163 चालू परियोजनाओं पर ₹ 7,544.68 करोड़ की अनुमानित लागत में से वर्ष 2024–25 तक ₹ 5,891.78 करोड़ खर्च किए गए थे। इसलिए, इन 163 परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण ₹ 5,891.78 करोड़ का पूंजीगत व्यय अवरुद्ध रहा।

वर्ष 2024–25 (राज्य शासन द्वारा प्रदान किए गए) के वित्त खातों के परिशिष्ट–IX (अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सरकार की प्रतिबद्धता सूची) में अधूरी जानकारी के कारण, लेखापरीक्षा 31 मार्च 2025 तक वास्तविक प्रगतिशील व्यय, कार्य की भौतिक प्रगति, लंबित भुगतान (भविष्य की देयता) की स्थिति और संशोधित लागत, यदि कोई हो, का पता नहीं लगा सकी।

ग. राजकोषीय क्षेत्र पर अप्रदत्त देनदारियां

लंबित या स्थगित देनदारियों का समय पर निपटान न होने पर भविष्य के विकास और अवसंरचना संबंधी खर्चों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधन कम हो जाएंगे। इससे न केवल पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी होगी, बल्कि सतत रूप से संसाधन जुटाने की राज्य की क्षमता भी प्रभावित होगी, जिससे समग्र वित्तीय स्थिति और दीर्घकालिक स्थिरता पर असर पड़ेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार पर वर्षों से कई ऐसे बकाया दायित्व जमा हो गए हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है, और जिनका राजकोषीय स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- खनिज विकास निधि, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि, अवसंरचना विकास उपकर और पर्यावरण उपकर जैसे वैधानिक निधियों/उपकरों का हस्तांतरण न होना, जिनकी राशि ₹ 1,217.51 करोड़ है।
- बकाया ब्याज देनदारियां कुल मिलाकर ₹ 58.83 करोड़ हैं।

➢ ऑफ–बजट उधार और अन्य देनदारियां जो ऋण भंडार में शामिल नहीं हैं, जिनकी राशि ₹ 4,776.57 करोड़ है।

➢ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)/छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन कोष में राज्य शासन के अंशदान में ₹ 138.86 करोड़ की कमी/गैर–हस्तांतरण।

➢ लंबित रिफंड मामलों की राशि ₹ 2.77 करोड़ है।

इन बकाया देनदारियों का संचयी मूल्य ₹ 6,194.54 करोड़ था, जो वर्ष 2024–25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 1.09 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे का 24.34 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा में सिफारिश की गई है कि राज्य शासन सभी अनिर्वहन देनदारियों का पारदर्शी रूप से खुलासा करे और उनका समाधान करे और भविष्य के राजकोषीय दबाव से बचने के लिए इन दायित्वों के समय पर निर्वहन के लिए प्रावधान करे।

1.6 निष्कर्ष

पिछले पांच वर्षों में से तीन में एक से अधिक की सकारात्मक स्वयं की राजस्व उछाल यह दर्शाती है कि राज्य अपने जीएसडीपी में वृद्धि की तुलना में तेजी से अपना राजस्व जुटाने में सक्षम था।

राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में सब्सिडी वर्ष 2020–21 में 10.44 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 13.19 प्रतिशत हो गई, जिससे विकासात्मक व्यय के लिए उपलब्ध संसाधनों पर दबाव पड़ा। पिछले तीन वर्षों में सब्सिडी व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति भी राजकोषीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिम का संकेत देती है।

राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान वर्ष 2023–24 में 6.57 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 7.44 प्रतिशत हो गया, जो राज्य के वित्त पर बढ़ते ब्याज बोझ का संकेत देता है।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2025 तक वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹ 7,717.68 करोड़) पर केवल 0.02 प्रतिशत का प्रतिफल अर्जित किया।

31 मार्च 2025 तक लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफ़ाइल के विश्लेषण से पता चलता है कि 67.07 प्रतिशत ऋण आगामी सात वर्षों के भीतर देय है। अल्प से मध्यम अवधि में परिपक्व होने वाले ऋण की प्रबलता से ऋण बंचिंग की उपस्थिति का पता चलता है, जिसमें राज्य के वित्त पर पुनर्वित्त और तरलता दबाव के संभावित प्रभाव हैं।

राज्य की संचित अप्रदत्त देनदारियां ₹ 6,194.54 करोड़ थीं, जो वर्ष 2024–25 के लिए जीएसडीपी के 1.09 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे के 24.34 प्रतिशत के बराबर है।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (लेखापरीक्षा के बाद) वर्ष 2023–24 में 5.44 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024–25 में 4.48 प्रतिशत हो गया; हालांकि, यह 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमाओं के साथ–साथ बजट अनुमानों में अनुमानित सीमाओं से अधिक रहा।

वर्ष 2024–25 में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में मापी गई बकाया देनदारियां (लेखापरीक्षा के बाद) 27.45 प्रतिशत थी जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहीं, लेकिन यह बजट अनुमानों में अनुमानित स्तर से अधिक हो गईं।

वर्ष 2024–25 में, राज्य का ₹ 48,882.96 करोड़ का प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40.64 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी की राशि ₹ 16,539.20 करोड़ थी, जिससे कुल कठोर व्यय ₹ 65,422.16 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 54.39 प्रतिशत

था। इस तरह के व्यय की उच्च और अनम्य प्रकृति राजकोषीय स्थान को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देती है, जिससे पूंजी निवेश और विकासात्मक प्राथमिकताओं के लिए संसाधनों को आवंटित करने की राज्य की क्षमता सीमित हो जाती है।

1.7 अच्छी प्रथाएं

- राज्य की जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2020–21 में 17.93 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 21.18 प्रतिशत हो गईं, जो राज्य के राजकोषीय लचीलेपन को उजागर करती हैं।
- राज्य के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय वर्ष 2020–21 में 2.56 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 3.53 प्रतिशत हो गया, जो दर्शाता है कि राज्य दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण को प्राथमिकता दे रहा है।

1.8 अनुशंसाएँ

शासन कर सकती है

- कर अनुपालन में सुधार करके, संपत्ति मूल्यांकन प्रणालियों को अद्यतन करके, और विशेष रूप से लाभांश, खनन और ब्याज प्राप्तियों के लिए एक स्पष्ट करेत्तर राजस्व नीति लागू करके और समय–समय पर उपयोगकर्ता शुल्क और फीस को संशोधित करके राजस्व जुटाने को मजबूत करना।
- राजस्व व्यय और प्रतिबद्ध देनदारियों को युक्तिसंगत बनाना, और विकासात्मक व्यय के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनाने के लिए ब्याज भुगतान को नियंत्रित करना।
- बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाकर, व्यय के गलत वर्गीकरण से बचकर और पूंजीगत परिव्यय को आर्थिक विकास के साथ तालमेल सुनिश्चित करके गुणवत्ता बढ़ाना और पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देना।
- लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के लिए लाभांश नीति लागू करके, गैर–निष्पादित संस्थाओं से विनिवेश करके और वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऋणों और अग्रिमों की निगरानी बढ़ाकर लोक निवेश पर प्रतिफल में सुधार करना।
- इष्टतम प्रतिफल की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उन संस्थाओं के लिए अपने निवेश और ऋण और अग्रिमों की समीक्षा करना जिनसे लगातार कम प्रतिफल मिलता है।
- ऑफ–बजट उधार के प्रकटीकरण के साथ एफआरबीएम लक्ष्यों का सख्ती से पालन करके राजकोषीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

अध्याय II
बजटीय प्रबंधन

अध्याय II : बजटीय प्रबंधन

इस अध्याय में छत्तीसगढ़ राज्य की बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा की गई है, जिसमें बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाया गया है, जिसमें आधिक्य व्यय और लगातार बचत जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह वित्तीय योजना, नियंत्रण और अनुपालन में कमजोरियों को उजागर करता है, यथार्थवादी बजट एवं समय पर निधि का उपयोग की आवश्यकता पर जोर देता है।

2.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। व्यय के अनुमानों में 'भारित' और 'मतदेय' मदों[1] को अलग–अलग दर्शाया जाता है और राजस्व लेखों पर किए गए व्यय को अन्य व्ययों से अलग दर्शाया जाता है। राज्य शासन द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ राज्य बजट नियमावली के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। प्राप्तियों और व्यय के विभागीय अनुमान विभागाध्यक्षों की सलाह पर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और 'अनुदान की मांग' नामक विस्तृत अनुमान तैयार करता है। राज्य के बजट में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

- वार्षिक वित्तीय विवरण
- मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना
- अनुदान की मांग
- राजकोषीय जोखिम विवरण
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विवरण
- अन्य

छत्तीसगढ़ राज्य का वार्षिक बजट 71 अनुदान मांगों में तैयार किया जाता है जिसे आगे अनुदान/विनियोगों में विभाजित किया जाता है।

2.2 बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविक के बीच का अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और लोक व्यय का कुशल प्रबंधन संसाधनों के इष्टतम उपयोग, योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी क्षमता को सुदृढ़ करने तथा राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संतुलन बनाए रखता है। लगातार बचत/आधिक्य अंतर्निहित बजटीय उपयोग प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है।

---

[1] भारित व्यय: व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी, आदि), राज्य की संचित निधि पर भार मानी जाती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं।
मतदेय व्यय: अन्य सभी व्यय विधायिका द्वारा मतदान किए जाते हैं।

राज्य विधानसभा से प्राप्त कुल विनियोग, वास्तविक व्यय और बचत का विवरण **तालिका 2.1** में संक्षेप में दिया गया है।

तालिका 2.1: वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)/ बचत (–)	समर्पित राशि	
							राशि	कुल बजट के बनाम प्रतिशत
मतदेय	I- राजस्व	1,18,900.59	20,420.33	1,39,320.92	1,17,857.73	–21,463.19	20,208.76	14.51
	II- पूंजी	23,585.41	6,249.89	29,835.30	21,245.07	–8,590.23	8,397.52	28.15
	III- ऋण और अग्रिम	490.80	शून्य	490.80	321.56	–169.24	163.59	33.33
	कुल	**1,42,976.80**	**26,670.22**	**1,69,647.02**	**1,39,424.36**	**–30,222.66**	**28,769.87**	**16.96**
भारित	IV- राजस्व	8,215.07	1,215.93	9,431.00	9,397.68	–33.33*	63.07	0.67
	V- पूंजी	15.76	11.05	26.81	12.62	–14.19	14.19	52.93
	VI- लोक ऋण– अदायगी	9,360.44	शून्य	9,360.44	10,870.67	1,510.23	33.47	0.36
	कुल	**17,591.27**	**1,226.98**	**18,818.25**	**20,280.97**	**1,462.72**	**110.73**	**0.59**
आकस्मिकता निधि में विनियोग		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महायोग		**1,60,568.06**	**27,897.20**	**1,88,465.26**	**1,59,705.33**	**–28,759.93**	**28,880.60**	**15.32**

स्रोत: विनियोग लेखे

****बचत (₹ 61.75 करोड़) और आधिक्य (₹ 28.42 करोड़) को समायोजित करने के बाद शुद्ध आंकड़ा***

नोट : ऊपर दर्शाए गए व्यय राजस्व शीर्षों (₹ 1,865.59 करोड़) और पूंजी शीर्षों (₹ 1,203.07 करोड़) के तहत व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित प्राप्तियों को ध्यान में रखे बिना सकल आंकड़े हैं।

तालिका 2.1 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2024–25 के लिए, राज्य शासन का कुल बजट ₹ 1,88,465.26 करोड़ था और वास्तविक व्यय ₹ 1,59,705.33 करोड़ था, जिससे सभी अनुदानों में ₹ 28,759.93 करोड़ की कुल शुद्ध बचत हुई जो उन मदों के तहत आवंटन का 15.26 प्रतिशत थी।

2020–21 से 2024–25 की अवधि के लिए मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय के रुझान **तालिका 2.2** में दिए गए हैं।

तालिका 2.2: वित्त वर्ष 2020–21 से 2024–25 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
मूल बजट	1,02,907.42	1,05,212.73	1,12,603.40	1,32,370.17	1,60,568.06
अनुपूरक बजट	7,042.84	5,086.56	11,445.78	32,511.51	27,897.20
कुल बजट (क)	1,09,950.26	1,10,299.29	1,24,049.18	1,64,881.68	1,88,465.26
पुनरीक्षित अनुमान (ख)	98,842.36	1,07,239.96	1,21,842.07	1,59,613.62	1,64,339.28
वास्तविक व्यय (ग)	89,299.70	96,368.41	1,10,413.01	1,58,387.86	1,59,705.33
शुद्ध बचत	20,650.56	13,930.88	13,636.17	6,493.82	28,759.93
मूल प्रावधान में से अनुपूरक का प्रतिशत	6.84	4.83	10.16	24.56	17.37
कुल प्रावधान में से समग्र बचत/ आधिक्य का प्रतिशत	18.78	12.63	10.99	3.94	15.26
क–ख	11,107.90	3,059.33	2,207.11	5,268.06	24,125.98
ख–ग	9,542.66	10,871.55	11,429.06	1,225.76	4,633.95
(क–ख) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	10.10	2.77	1.78	3.19	12.80
(ख–ग) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	8.68	9.86	9.21	0.74	2.46

स्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे

तालिका 2.2 से पता चलता है कि 2024–25 के दौरान ₹ 27,897.20 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 17.37 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष यह 24.56 प्रतिशत था।

चूंकि समापक व्यय (₹ 1,59,705.33 करोड़) मूल बजट में निहित था, इसलिए अनुपूरक प्रावधान आवश्यक नहीं/अत्यधिक थे जैसा कि बाद की कंडिका संख्या 2.5.2 में चर्चा की गई थी।

चार्ट 2.1: बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय दिखाने वाला रुझान

(₹ करोड़ में)

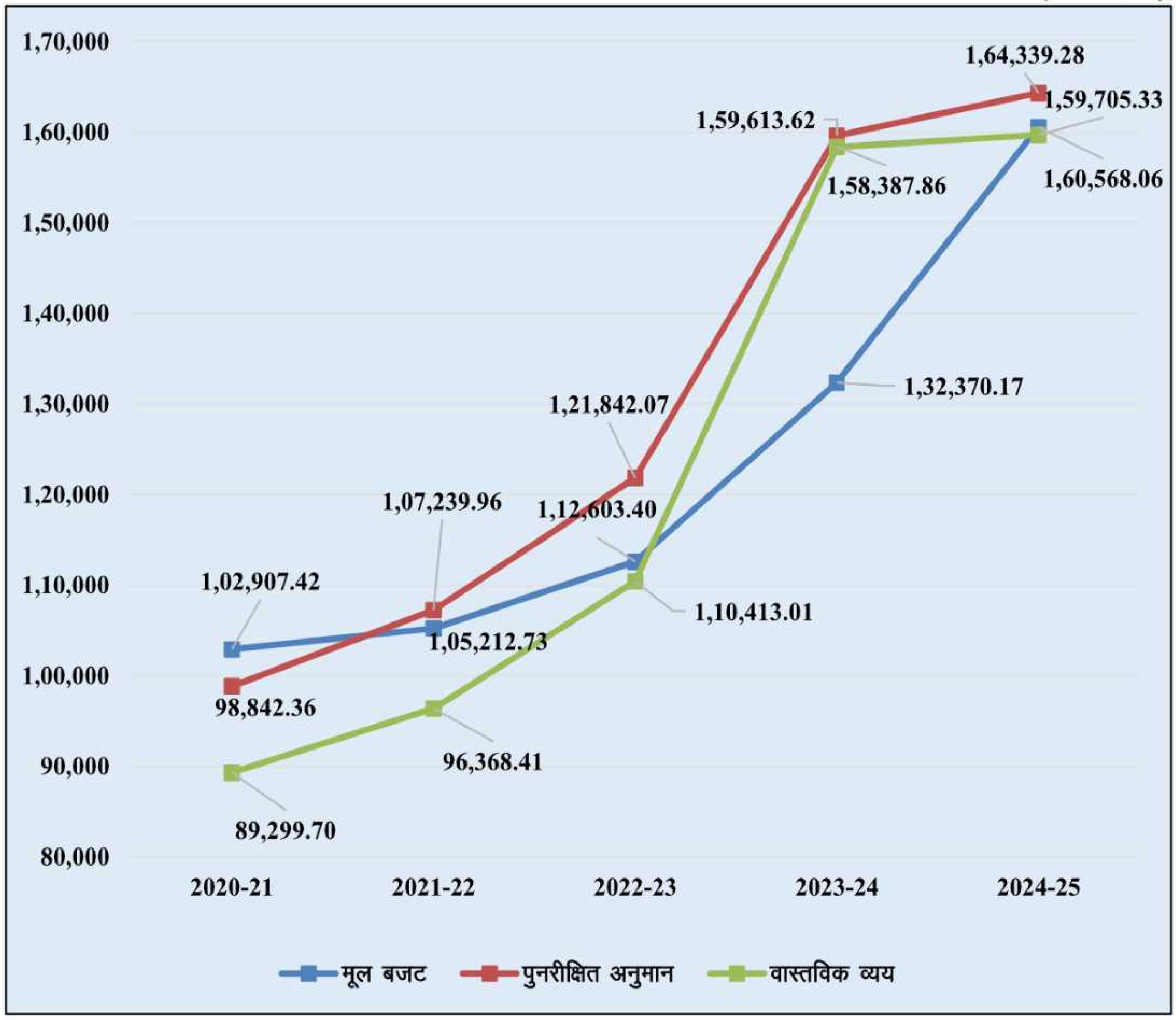

चार्ट 2.1 से, यह देखा गया है कि समय के साथ विचलन कम हो गया है। शासन ने अपने बजट अनुमान और व्यय संरेखण में उत्तरोत्तर सुधार किया है, और बाद के वर्षों में वास्तविक व्यय, पुनरीक्षित अनुमानों के काफी समीप रहा है।

इस बारे में बताए जाने पर, राज्य शासन ने उत्तर (फरवरी 2026) में कहा कि ₹ 28,759.93 करोड़ (कुल बजट का 15.26 प्रतिशत) की शुद्ध बचत उपलब्ध संसाधनों के भीतर व्यय का प्रबंधन करने के लिए राजकोषीय विवेक का एक उपाय है। हालांकि समापक व्यय मूल सीमा के भीतर था, लेकिन ₹ 27,897.20 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मुख्य रूप से नए प्रासंगिक बजट शीर्षों को खोलने और एक मांग/प्रमुख शीर्ष से दूसरे में निधियों के पुनर्विनियोग के कारण था, जो अन्यथा प्रतिबंधों के कारण संभव नहीं है, जैसे कि एक मांग संख्या से दूसरे में और पूंजीगत व्यय से राजस्व शीर्षों में।

सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) और बजट नियमावली के सिद्धांतों के अनुसार, बजटीय प्रावधानों को आवश्यकताओं के वास्तविक मूल्यांकन पर तैयार किया जाना अपेक्षित है, और विधायिका द्वारा मतदान की गई निधियों का इच्छित उद्देश्यों के लिए इष्टतम उपयोग किए जाने की आशा है।

2.2.1 बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक/सेवावार विश्लेषण

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए बजट और व्यय का घटकवार विश्लेषण **तालिका 2.3** में संक्षेपित किया गया है। विनियोग लेखों में भिन्नता के मामले में प्राप्त स्पष्टीकरणों का सारांश **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2024–25 के लिए घटकवार बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	बजट (मूल + अनुपूरक)	व्यय	कुल बजट का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत	बजट की तुलना में व्यय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3/2*100)
प्रतिबद्ध व्यय	55,775.46	48,882.96	29.59	30.61	87.64
राज्य की योजनाएं	87,527.61	78,488.28	46.44	49.15	89.67
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए केंद्र का हिस्सा	16,166.06	10,046.11	8.57	6.29	62.14
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए राज्य का हिस्सा	14,503.43	9,886.26	7.69	6.19	68.16
बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई ए पी)	876.49	388.00	0.47	0.24	44.27

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि सभी घटकों में बजटीय आवंटन के उपयोग में 44.27 प्रतिशत से 89.67 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण भिन्नता है। यह असमान बजट निष्पादन और विभागों में कमजोर वित्तीय योजना को इंगित करता है।

ईएपी ने सबसे कम व्यय (बजट का 44.27 प्रतिशत) दर्ज किया, जो परियोजना कार्यान्वयन में देरी, निधि का अपर्याप्त जारी होना और कमजोर निगरानी तंत्र की ओर इशारा करता है। यह न केवल परियोजना के परिणामों को बाधित करता है बल्कि बाहरी सहायता में कमी या लागत बढ़ने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

कई घटकों में कम उपयोग से बजटीय आवश्यकताओं के अधिक अनुमान का संकेत मिलता है। यह बजट की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और नियोजित विकास परिणामों को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता को सीमित करता है।

चार्ट 2.2: विनियोग लेखों में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश

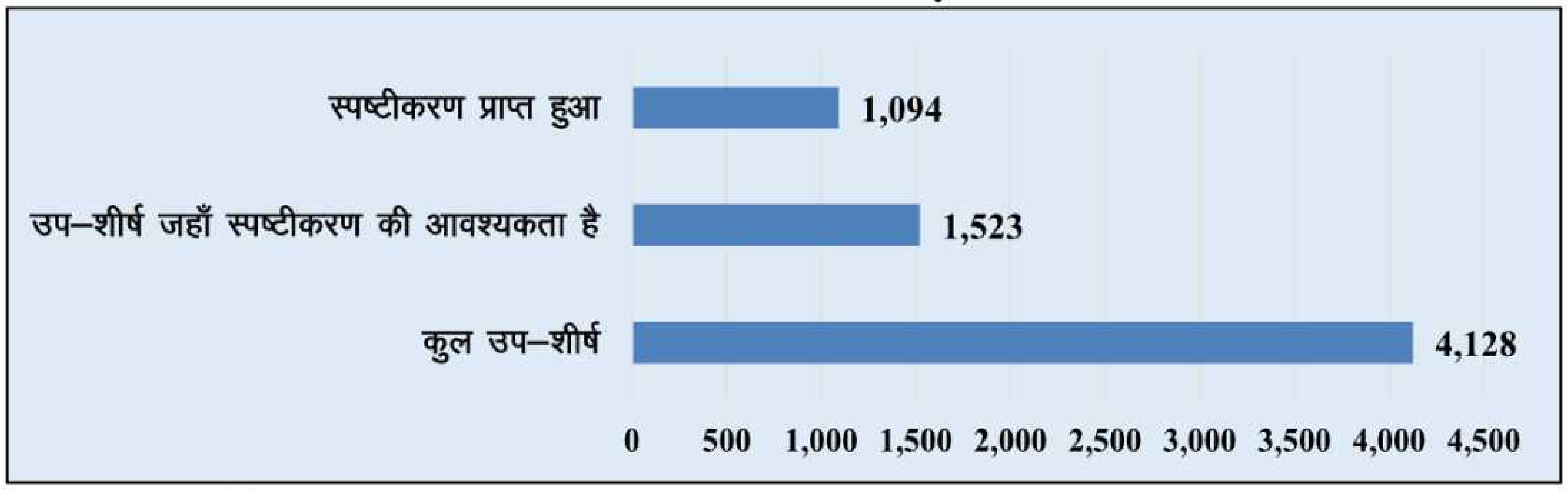

स्रोतः विनियोग लेखे

चार्ट 2.2 से यह देखा गया है कि राज्य शासन ने 2024–25 में स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले 1,523 उप–शीर्षों में से 429 उप–शीर्षों में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। बजटीय आवंटनों और इसके उपयोग के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करना, बजट पर विधायी नियंत्रण और शासन की वित्तीय जवाबदेही को सीमित करता है।

2.2.2 जेंडर बजट

जेंडर बजट कुल बजट का एक हिस्सा है और इसे महिलाओं के विकास में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है– (1) महिला–विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित है और (2) महिला समर्थक योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन ने 31 योजनाओं के लिए ₹ 10,567.28 करोड़ आवंटित किए, जो 100 प्रतिशत महिला केंद्रित हैं। ₹ 10,567.28 करोड़ के कुल बजट में से ₹ 10,071.14 करोड़ (95.30 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था।

इसके अलावा, 104 योजनाओं के लिए ₹ 24,902.10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जिसमें बजट का कुछ भाग (कम से कम 30 प्रतिशत) महिला लाभार्थियों पर खर्च किया जाना था। इन योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹ 19,874.28 करोड़ (79.81 प्रतिशत) खर्च किए गए।

जेंडर बजट के तहत सभी योजनाओं में से, महतारी वंदन योजना में सबसे अधिक ₹ 7,900 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिससे यह राज्य में महिलाओं को लाभान्वित करने वाली सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना बन गई।

2.2.3 चाइल्ड बजट

इस बजट का उद्देश्य 0–18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का सामाजिक विकास, सुरक्षा, ज्ञान प्रबंधन, स्वास्थ्य और पोषण और उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए है।

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शासन ने 54 योजनाओं के लिए बजट में ₹ 9,843.69 करोड़ प्रदान किए। इस श्रेणी में खेल और युवा कल्याण विभाग, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग जैसे विभागों को प्रमुख रूप से आवंटन किए गए थे।

इसमें से ₹ 8,123.80 करोड़ का बजट 48 योजनाओं के लिए आवंटित किया गया था जो 100 प्रतिशत बाल केंद्रित हैं। ₹ 6,603.20 करोड़ (81.28 प्रतिशत) का व्यय किया गया था और शेष ₹ 1,520.60 करोड़ (18.72 प्रतिशत) का उपयोग नहीं किया गया था।

चाइल्ड बजट के तहत सभी योजनाओं में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना को सबसे अधिक ₹ 1,873.93 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ, इसके बाद समग्र शिक्षा (₹ 1,502 करोड़) और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (₹ 724.37 करोड़), यह छत्तीसगढ़ में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए शासन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

2.3 बजट लक्ष्य प्राप्ति

व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना परिणाम यह मापता है कि क्रियान्वयन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस हद तक योगदान दिया है।

अनुदान, आधिक्य एवं बचत का वर्ष–वार विश्लेषण राज्य द्वारा बजट क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन की दक्षता में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। इसे **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: वर्ष–वार अनुदान, आधिक्य और बचत

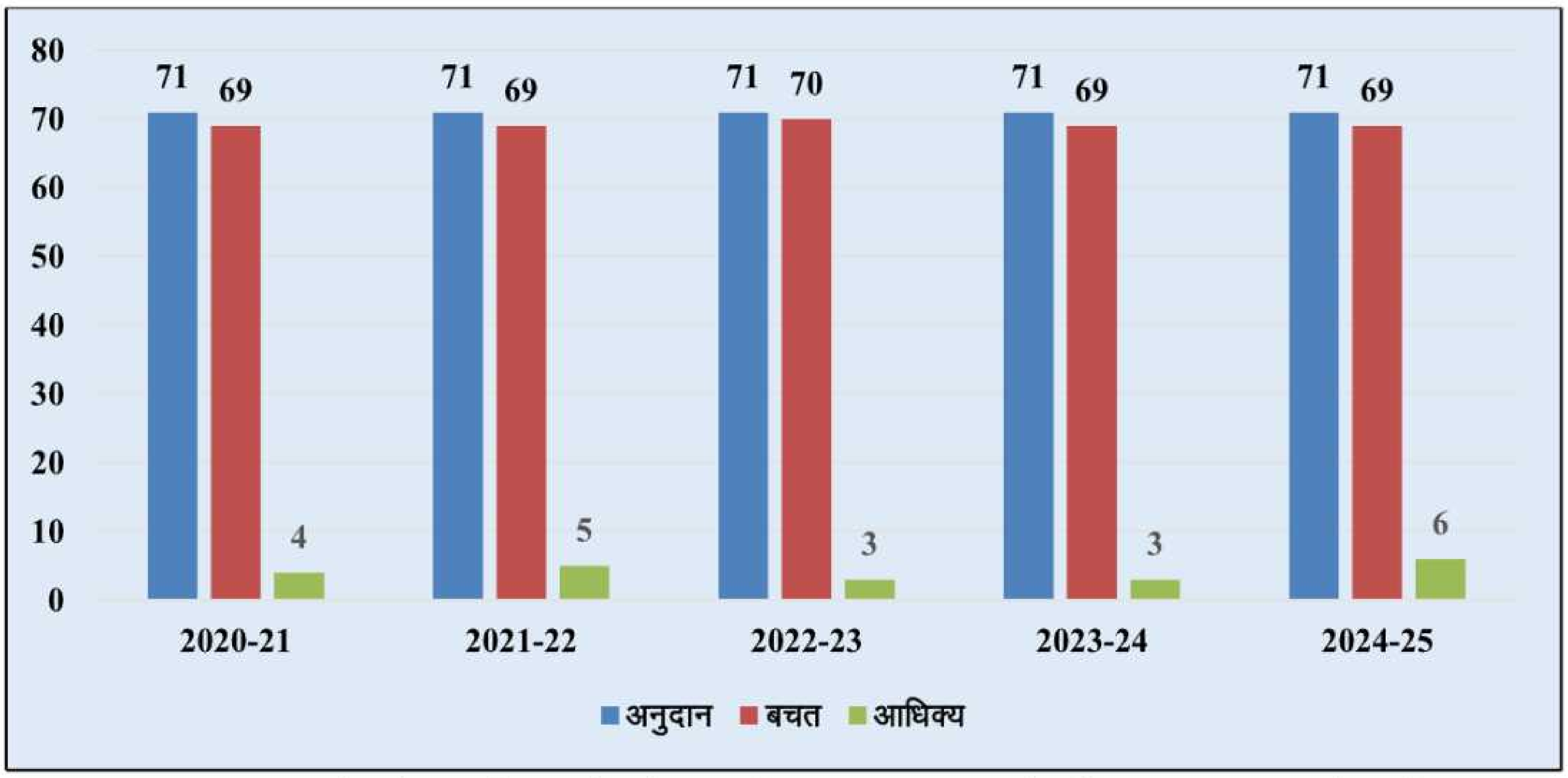

अनुदान–वार व्यय के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चलता है कि 2024–25 के दौरान छह अनुदानों/विनियोगों में आधिक्य व्यय जारी रहा। इसके विपरीत, बचत प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की संख्या लगातार उच्च बनी हुई है, जो बजटीय प्रावधानों के व्यापक अल्प–उपयोग, बजट अनुमान और व्यय नियंत्रण में लगातार कमजोरी का संकेत देती है।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए पुनरीक्षित अनुमानों के संबंध में व्यय संरचना का विवरण **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4: व्यय संरचना समग्र विचलन वित्त वर्ष 2024—25

खंड	समग्र विचलन (प्रतिशत)	विचलन की सीमा (प्रतिशत)	अनुदानों की संख्या
राजस्व (मतदेय)	(—) 2.65	0 से ± 25	44
		± 25 से ± 50	15
		± 50 से ± 100	5
पूंजीगत (मतदेय)	(—) 14.93	0 से ± 25	33
		± 25 से ± 50	8
		± 50 से ± 100	24
		≥ ±100	1
राजस्व (भारित)	(—) 0.58	0 से ± 25	13
		± 25 से ± 50	1
		± 50 से ± 100	26
		≥ 100	1
पूंजीगत (भारित)	(—) 15.49	0 से ± 25	4
		± 25 से ± 50	0
		± 50 से ± 100	2
		≥ ±100	3

पूंजीगत (मतदेय और भारित) खंडों के तहत उच्च विचलन पूंजीगत व्यय प्रबंधन में कमियों को उजागर करते हैं। विचलन परियोजना के क्रियान्वयन में देरी और पूंजीगत योजनाओं की कमजोर निगरानी जैसे मुद्दों की ओर इशारा करते हैं।

±25 प्रतिशत से अधिक विचलन वाले अनुदानों की बड़ी संख्या अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाती है। इस प्रकार की भिन्नताएं बजट प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमज़ोर करती हैं और परिणामी बजट ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता को इंगित करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बजट निर्माण विभागीय क्षमता और क्रियान्वयन समयसीमा के वास्तविक मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है।

2.4 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे शासन के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के व्यय के खाते होते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंतर्निहित अनुदानों और अनुदान—आधारित प्रभारों की राशि के साथ तुलना की जाती है, जैसा कि अनुच्छेद 204 और अनुच्छेद 205 के तहत पारित विनियोग अधिनियम में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट किया गया है। इन खातों में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण और पुनर्विनियोगों की तुलना में वास्तविक व्यय को सकल आधार पर स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा से यह पता लगाया जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुसार है और संविधान के उपबंधों (अनुच्छेद 202) के अंतर्गत भारित किए जाने के लिए अपेक्षित व्यय इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह भी पता लगाता है कि किया गया व्यय

कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

2.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया

2.5.1 आधिक्य व्यय और उसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य शासन के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य व्यय का नियमितीकरण राज्य विधानसभा द्वारा करवाए। यद्यपि अनुच्छेद के तहत आधिक्य व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि आधिक्य व्यय का नियमितीकरण, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों पर चर्चा पूरी हो जाने के पश्चात् किया जाता है।

क. चालू वर्ष के दौरान आधिक्य व्यय

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान छह विनियोगों के तहत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकार पर ₹ 1,538.65 करोड़ का आधिक्य संवितरण किया गया, जैसा कि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: 2024–25 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या.	विनियोग	विनियोग विवरण	आधिक्य व्यय की राशि जिनको नियमित करने की आवश्यकता है
1.	03	पुलिस (राजस्व – भारित)	0.07
2.	06	वित्त विभाग (राजस्व – भारित)	1.21
3.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व – भारित)	0.02
4.	55	महिला एवं बाल कल्याण (राजस्व – भारित)	0.05
5.	CH 1	लोक ऋण	1,510.23
6.	CH 2	ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	27.07
योग			**1,538.65**

स्रोतः विनियोग लेखे

ख. पिछले वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण

वर्ष 2000–01 से 2023–24 तक की अवधि से संबंधित ₹ 39,295.20 करोड़ का आधिक्य व्यय राज्य विधानसभा से नियमितीकरण के लिए लंबित है, जैसा कि **तालिका 2.6** में दिखाया गया है।

तालिका 2.6: पिछले वर्षों से संबंधित आधिक्य व्यय जिसे नियमितीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान की संख्या/ विनियोग	अनुदान/ विनियोग की संख्या	आधिक्य की राशि
2000–01	11 अनुदान	2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 और 83	10.21
	2 विनियोग	6 और 24	
2001–02	14 अनुदान	6, 14, 15, 17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 और 83	115.90
	2 विनियोग	16 और 25	
2002–03	8 अनुदान	10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 और 82	114.59
	2 विनियोग	20 और 67	
2003–04	4 अनुदान	12, 33, 40 और 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज भुगतान और 6	
2004–05	4 अनुदान	15, 24, 67 और 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज भुगतान, लोक ऋण, 6, 10 और 42	
2005–06	4 अनुदान	4, 15, 24 और 39	23.27
	2 विनियोग	6 और 23	
2006–07	4 अनुदान	4, 24, 67 और 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007–08	3 अनुदान	23, 33 और 60	15.99
	3 विनियोग	13, 24 और 36	
2008–09	9 अनुदान	6, 23, 24, 40, 67, 75, 76, 80 और 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009–10	10 अनुदान	3, 6, 22, 23, 24, 25, 49, 64, 76 और 80	216.77
	5 विनियोग	3, 12, 13, 43 और 67	
2010–11	22 अनुदान	1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 23, 25, 29, 30, 39, 40, 45, 49, 56, 57, 58, 75 82 और ब्याज भुगतान	293.78
	6 विनियोग	लोक ऋण, 1, 20, 23, 29 और 36	
2011–12	24 अनुदान	1, 2, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 34, 40, 43, 45, 47, 50, 53, 55, 66, 80, 81 और 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012–13	2 अनुदान	40 और 45	0.96
	2 विनियोग	6 और 55	
2013–14	3 अनुदान	06, 12 और 60	178.96
	3 विनियोग	06, 14 और 27	
2014–15	4 अनुदान	06, 19, 33 और 80	833.54
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
2015–16	3 अनुदान	06, 12 और 50	98.24

	2 विनियोग	41 और ब्याज भुगतान	
2016–17	2 अनुदान	06 और 50	0.92
	3 विनियोग	06, 55 और ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	11.46
2017–18	3 अनुदान	06,49 और 50	2.24
	3 विनियोग	14,33 और 55	0.37
2018–19	2 अनुदान	06 और 50	1.19
	4 विनियोग	06, 14, 33 और 67	0.48
2019–20	3 अनुदान	06, 33 और 44	646.07
	3 विनियोग	55, लोक ऋण और ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	6,036.62
2020–21	2 अनुदान	06 और 83	252.24
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	3,179.87
2021–22	2 अनुदान	06 और 51	590.41
	3 विनियोग	06, 55 और लोक ऋण	3,469.35
2022–23	1 अनुदान	06	41.77
	2 विनियोग	55 और लोक ऋण	3,588.83
2023–24	6 विनियोग	03, 06, 20, 55, लोक ऋण और ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	18,228.21
योग			**39,295.20**

स्रोतः विनियोग लेखे

राज्य की संचित निधि से व्यय पर विधायी निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, इन आधिक्य व्ययों को यथाशीघ्र नियमित किए जाने की आवश्यकता है और राज्य शासन द्वारा ऐसी अधिकता की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए।

बताए जाने पर, राज्य शासन ने उत्तर (फरवरी 2026) में कहा कि उपरोक्त आधिक्य व्यय का नियमितीकरण प्रगति पर है।

2.5.1.1 कुछ अनुदानों में लगातार आधिक्य व्यय

लेखापरीक्षा जांच से पता चला है कि एक अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष 2071–पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के दो योजना शीर्षों में, लगातार पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक का आधिक्य व्यय हुआ था, जैसा कि **तालिका 2.7** में बताया गया है।

तालिका 2.7: वित्त वर्ष 2020–21 से 2024–25 के दौरान लगातार आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान का विवरण /विनियोग	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
1.	अनुदान संख्या– 06–वित्त विभाग से संबंधित व्यय 2071– पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 102–3080 भारत में पेंशन के कम्यूटेड (एकमुश्त) मूल्य का भुगतान।					
	कुल प्रावधान	30.00	33.00	41.50	64.00	97.24
	व्यय	192.19	40.18	68.87	88.33	104.70
	आधिक्य	162.19	7.18	27.37	24.33	7.46
2.	अनुदान संख्या.– 06– वित्त विभाग से संबंधित व्यय 2071– पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 104–4590 – सेवा और मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी					
	कुल प्रावधान	630.00	70.00	670.00	765.00	1,108.75
	व्यय	634.69	688.72	997.98	1,140.30	1,247.04
	आधिक्य	4.69	18.72	327.98	349.30	138.29

स्रोतः विनियोग लेखे

2.5.2 अनुपूरक अनुदान गैर–आवश्यक प्रदान किए गए

संविधान के अनुच्छेद 205 में मूल प्रावधानों से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की आवश्यकता निर्धारित की गई है।

यह देखा गया कि 38 अनुदानों से संबंधित 43 प्रकरणों में ***(परिशिष्ट 2.1)*** भले ही ₹ 2,458.29 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए थे, लेकिन वर्ष 2024–25 के दौरान व्यय मूल प्रावधानों तक नहीं हो पाया। इसी प्रकार, 50 अनुदानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ से अधिक) से संबंधित 67 प्रकरणों में ₹ 26,456.88 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुए ***(परिशिष्ट 2.2)*** क्योंकि संपूर्ण अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका।

अनुदान संख्या 30: पंचायत और ग्रामीण विकास

अनुदान संख्या 30 – पंचायत और ग्रामीण विकास की लेखा परीक्षा से पता चला है कि मूल बजटीय प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है और जहां 2024–25 के दौरान विभिन्न योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, उसका विवरण **तालिका 2.8** में दिया गया है।

तालिका 2.8: ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ दो करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या.	योजना	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत
1.	ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	83.71	5.00	79.08	–4.63
2.	मुख्य मंत्री ग्राम सड़क एवं विकास	69.28	5.00	30.77	–38.52

स्रोतः विनियोग लेखे

अनुदान संख्या 30: पंचायत और ग्रामीण विकास

इसके अलावा, उदाहरण जहां पूर्ण बजटीय प्रावधान का गैर–उपयोग किया गया और जहां अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुआ, क्योंकि 2024–25 के दौरान संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका, एक योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन मिशन में देखा गया है जैसा कि **तालिका 2.9** में दिखाया गया है।

तालिका 2.9: ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ दो करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान (बचत)
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन मिशन	314.85	124.55	439.40	363.69	–75.71

स्रोतः विनियोग लेखे

2.5.3 अप्रयुक्त राशि और समर्पित की गई विनियोग और/या बड़ी बचत/ समर्पण

बजट प्रस्तावों में सभी संभावित व्यय को उचित व्यय स्तर तक अनुकूलित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि व्यय की गुणवत्ता में संतुलन बना रहे और बजट में आवंटित निधियों का अल्प उपयोग कम हो सके। व्यय इकाइयों द्वारा समय पर समर्पण अनुमोदित बजट के भीतर इष्टतम पुनर्आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

अनुदान और विनियोग के विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 2024–25 के दौरान 44 प्रकरणों (32 अनुदानों के तहत) में, बचत (समर्पण को छोड़कर) प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक थी ***(परिशिष्ट 2.3)***। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 23 अनुदानों के तहत 29 प्रकरणों में, 2022–23 से 2024–25 के दौरान प्रत्येक प्रकरण ***(परिशिष्ट 2.4)*** में ₹ 100 करोड़ से अधिक की लगातार बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30: पंचायत और ग्रामीण विकास

अनुदान संख्या 30 – पंचायत और ग्रामीण विकास की लेखा परीक्षा से पता चला कि वर्ष 2024–25 के दौरान दो प्रकरणों में, बचत (समर्पण को छोड़कर) प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ रुपये से अधिक थी जैसा कि **तालिका 2.10** में दिखाया गया है।

तालिका 2.10: समर्पण के बाद बड़ी बचत वाली योजनाएं

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पण	बचत (समर्पण के बाद)
1.	6728– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	1,433.90	596.46	–837.44	–787.29	–50.15
2.	7105– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	350.00	140.00	–210.00	0.00	–210.00

स्रोतः विनियोग लेखे

अनुदान संख्या 30: पंचायत और ग्रामीण विकास

कई प्रमुख योजनाओं में 2024–25 के दौरान आवंटित निधि का 100 प्रतिशत उपयोग नहीं हुआ जैसे स्वच्छ भारत अभियान (₹ 200.00 करोड़), पीएमजीएसवाई सड़कों के तहत पुलों का निर्माण (₹ 15.00 करोड़), मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ महोत्सव सम्मान कोष (₹ 5.00 करोड़), ग्रामीण औद्योगिक पार्क (₹ 1.09 करोड़), सुराजी ग्राम योजना (₹ 0.52 करोड़)।

इस ओर ध्यान दिए जाने पर, शासन ने कहा कि :

1. स्वच्छ भारत अभियान– केंद्रीय हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि योजना को एसएनए–स्पर्श पर शामिल नहीं किया जा सका था, इसलिए बजट में प्रावधान किए गए ₹ 200.00 करोड़ के राज्य के हिस्से को खर्च नहीं किया गया था।

2. पीएमजीएसवाई सड़कों पर पुलों का निर्माण– पत्र संख्या 3276/28.04.2025 के माध्यम से ₹ 15.00 करोड़ समर्पित किए गए, लेकिन विभाग द्वारा बचत के कारण एवं समर्पण पत्र प्रदान नहीं किए गए।

3. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ महोत्सव सम्मान निधि– इकाइयों से मांग प्राप्त न होने के कारण बजट आहरित/खर्च नहीं किया गया।

4. सुराजी ग्राम योजना – इकाइयों से मांग प्राप्त न होने के कारण बजट आहरित या खर्च नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 69: शहरी प्रशासन और विकास

कई प्रमुख योजनाओं में 2024–25 के दौरान आवंटित निधि का 100 प्रतिशत उपयोग नहीं हुआ जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (₹ 115.01 करोड़), शहरी निकायों में केंद्रीय पुस्तकालय सह रीडिंग जोन का निर्माण (₹ 54.00 करोड़), जल ए.टी.एम. की स्थापना (₹ 4.00 करोड़)।

विभाग से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

2024–25 के दौरान कुल बचत के साथ उपयोग के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों का विवरण ***परिशिष्ट 2.5*** और **चार्ट 2.4** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.4: कुल बचत के साथ उपयोग के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदान/विनियोग की संख्या का वितरण

(₹ करोड़ में)

स्रोतः विनियोग लेखे

2024–25 के दौरान अनुदान/विनियोग के उपयोग पैटर्न को उपयोग के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत किया गया, जिससे सभी उपयोग श्रेणियों में महत्वपूर्ण बचत का पता चला। जैसा कि चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है, 50 प्रतिशत से कम उपयोग वाले 10 अनुदानों में ₹ 2,588.85 करोड़ की बचत दर्ज की गई है, जो इन अनुदानों के तहत कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी को दर्शाता है। इन 10 अनुदानों में से ₹ 1,182.12 करोड़ के अनुदान 69 में सबसे अधिक बचत देखी गई। इसके अलावा, 28 अनुदानों 51 से 75 प्रतिशत उपयोग श्रेणि के भीतर आते हैं, जिससे ₹ 9,713.12 करोड़ की बचत देखी गई। इन 28 अनुदानों में से सबसे अधिक बचत ₹ 2,170.91 करोड़ के अनुदान 30 में देखी गई। विशेष रूप से, 20 अनुदानों में ₹ 15,930.48 करोड़ की सबसे अधिक बचत देखी गई, जहां उपयोग 76 से 90 प्रतिशत के बीच था। इन 20 अनुदानों में से सबसे अधिक

बचत ₹ 7,123.45 करोड़ के अनुदान 41 में देखी गई। यहां तक कि 91 से 100 प्रतिशत श्रेणि में भी 11 अनुदानों में ₹ 2,064.80 करोड़ की बचत देखी गई, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले आबंटित निधियों को पूरी तरह से अवशोषित करने में असमर्थता को दर्शाता है। इन 11 अनुदानों में से सबसे अधिक बचत ₹ 616.35 करोड़ के अनुदान 13 में देखी गई।

चार्ट 2.5: वर्ष 2024–25 के लिए बचत और समर्पण

(₹ करोड़ में)

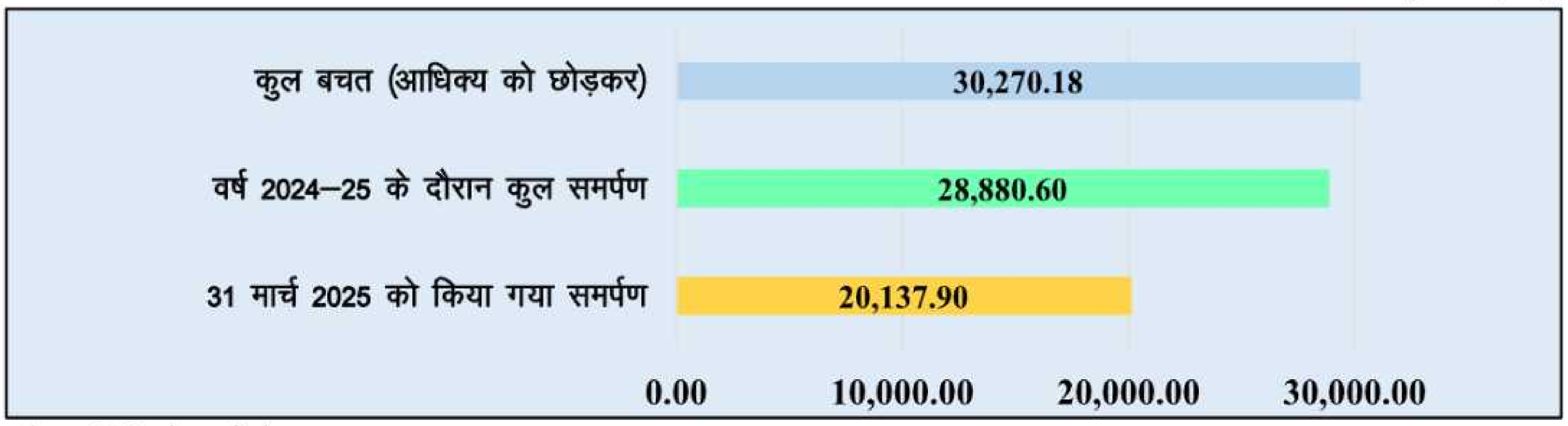

स्रोतः विनियोग लेखे

चार्ट 2.5 के विश्लेषण से पता चला है कि 95.41 प्रतिशत बचत को समर्पण कर दिया गया था और उसमें से 69.73 प्रतिशत 31 मार्च 2025 को समर्पित कर दिया गया। लगातार आधिक्य बचत और अंतिम दिन को समर्पण कमजोर बजटीय नियंत्रण को इंगित करता है और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बाधित करता है।

बताए जाने पर, राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि सभी विभागों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि जब भी उन्हें पता चले कि वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा खर्च संभव नहीं होगा, तो बचत को समर्पित करें।

2.5.4 राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार, लघु शीर्षों 191 से 193, 196 से 198 के तहत किए गए व्यय को राजस्व शीर्षों के तहत दर्ज किया जाना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त लघु शीर्षों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के रूप में ₹ 1,214.23 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। इसके अलावा, वाउचरों की जांच से पता चला है कि सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/बोर्डों को बजट से इतर उधारों के मूलधन की अदायगी के लिए पूंजीगत शीर्षों (4055, 4216 और 5054) के तहत ₹ 3,912.32 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। यह सरकारी लेखा नियम, 1990 में निर्धारित लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार असंगत है। ऋण के मूलधन पुनर्भुगतान के परिणामस्वरूप नई परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है बल्कि, यह दायित्वों को पूरा करने के लिए एक व्यय है और इसे राजस्व व्यय (विशेष रूप से सहायता अनुदान के रूप में) के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

साथ ही, वाउचरों की जांच से पता चला है कि लोक निर्देश निदेशालय, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्राथमिक, पूर्व–माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में तत्काल मरम्मत कार्य करने के लिए ₹ 21.72 करोड़ की मंजूरी जारी की थी और उपरोक्त मंजूरी के मुकाबले ₹ 20.56 करोड़ का व्यय पूंजीगत खंड के तहत दर्ज किया गया था। चूंकि कार्य की उपर्युक्त प्रकृति

से कोई आधिक्य पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है, इसलिए उपर्युक्त स्वीकृति के विरुद्ध व्यय को राजस्व धारा के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।

इसके अलावा, वस्तु शीर्ष–28 (मशीन और उपकरण) से संबंधित ₹ 0.75 करोड़ का व्यय पूंजीगत शीर्षों के बजाय राजस्व शीर्षों के तहत दर्ज किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय में ₹ 5,147.11 करोड़ की अतियुक्ति और राजस्व व्यय में ₹ 0.75 करोड़ की अतियुक्ति दर्ज की गई।

बताए जाने पर, राज्य शासन ने (फरवरी 2026) कहा कि राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत होने से रोकने के लिए, राज्य सभी विभागों को लेखा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर रहा है। पूंजीगत मदों के अंतर्गत लघु शीर्षों (191 से 193 और 196 से 198) के सुधार हेतु शुद्धिपत्र भी जारी किए जाएंगे, क्योंकि ये पूंजीगत व्यय के प्रकार के बजट प्रावधान हैं।

इस संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि राज्य शासन ने अपने पिछले उत्तर (नवंबर 2025) का खंडन किया था, जिसमें राजस्व व्यय के रूप में मानते हुए ऑफ–बजट उधार से संबंधित मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व मद में प्रावधान किया गया था। ऑफ–बजट ऋण अदायगी के लिए सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों को प्रदान किए गए ₹ 3,912.32 करोड़ के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इस आधार पर कि इन व्ययों में से निर्मित मूर्त परिसंपत्तियों (जैसे सड़क, पुल, सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय घर आदि) का स्वामित्व केवल राज्य शासन के पास होगा।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शासन ने पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व प्रकृति के ₹ 1,234.79 करोड़, पूंजीगत प्रकृति के ₹ 0.75 करोड़ को राजस्व व्यय के रूप में और ₹ 3,912.32 करोड़ को ऑफ–बजट ऋण के पुनर्भुगतान को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत किया है।

2.5.5 कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका वास्तविक वित्त पोषण

शासन द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत पहलें, योजना दिशा–निर्देशों/तौर–तरीकों का अनुमोदन न होने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य शुरू न होने, बजट जारी न किए जाने आदि के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से कार्यान्वित नहीं की गई है। यह देखा गया कि 25 योजनाओं के तहत, वर्ष 2024–25 के दौरान ₹ 261.41 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 2.6*** में दर्शाया गया है।

2.5.6 त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना

वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र संख्या 1480/ब–4/वित्त/2025 दिनांक 16 अप्रैल 2025 द्वारा जारी स्थायी दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त विभाग ने तिमाही व्यय सीमा निर्धारित की है, जिसके अनुसार कुल बजट आवंटन का 25 प्रतिशत पहली तिमाही के लिए, 15 प्रतिशत दूसरी तिमाही के लिए, 25 प्रतिशत तीसरी तिमाही के लिए और 35 प्रतिशत अंतिम तिमाही के लिए (मार्च माह के लिए

15 प्रतिशत तक) आवंटित किया जाता है। तदनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय की अत्यधिक मात्रा जैसा कि **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है, वित्तीय औचित्य के उल्लंघन के रूप में माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए।

तालिका 2.11: वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान व्यय में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	कुल राशि	व्यय के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा का प्रतिशत	वर्ष में कुल व्यय का प्रतिशत
वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी 2025 से मार्च 2025)	69,575.66	35	43.57
वर्ष का अंतिम माह (मार्च–2025)	34,312.48	15	21.48

स्रोत: वीएलसी सर्वर से संकलित जानकारी

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कुल मासिक प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों और नकद शेष) और व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 2.6 और चार्ट 2.7** में दिखाई गई है।

चार्ट 2.6: प्राप्तियों का रुझान विश्लेषण (माहवार)

(₹ करोड़ में)

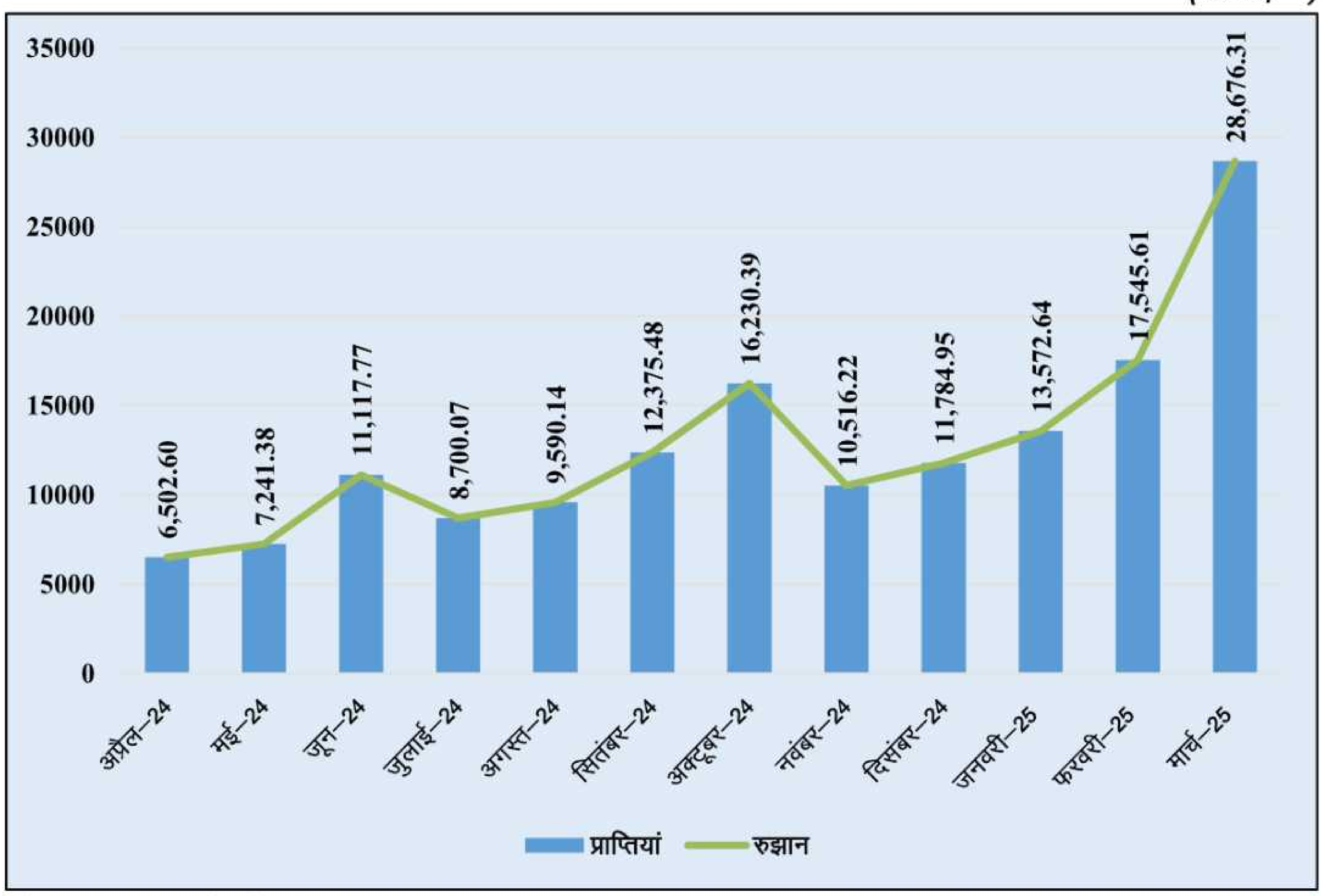

स्रोत: वीएलसी सर्वर से संकलित जानकारी

मासिक प्राप्ति का रुझान वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च माह में एक स्पष्ट विषमता का संकेत देता है।

चार्ट 2.7: व्यय का रुझान विश्लेषण (माहवार)

(₹ करोड़ में)

स्रोतः वीएलसी सर्वर से संकलित जानकारी

नोटः मार्च के अनुपूरक लेखे के समायोजन के बिना माह–वार व्यय

मासिक व्यय की प्रवृत्ति वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च में एक स्पष्ट विषमता का संकेत देती है।

इसके अलावा, मार्च 2025 के माह में 11 उप–शीर्षों के तहत ₹ 2,745.82 करोड़ के पूरे बजट प्रावधानों के बराबर राशि खर्च की गई (***परिशिष्ट 2.7***)। सभी मुख्य शीर्षों में किए गए व्यय का त्रैमासिक विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में दर्शाया गया है।

2.6 राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का कार्यान्वयन

2.6.1 एकल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने (मार्च 2021 में) प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निधि जारी करना अनिवार्य किया है, और उनके उपयोग की निगरानी करने का आदेश दिया। प्रत्येक एसएनए का एक अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक समर्पित बैंक खाता होना चाहिए। राज्य शासन को प्राप्त केन्द्रीय अंश को संबंधित राज्य के हिस्से के साथ संबंधित राज्य के खाते में अंतरित करना होता है।

लेखापरीक्षा ने वीएलसी डेटा और एसएनए पीएफएमएस रिपोर्ट का विश्लेषण किया और पाया कि एसएनए खातों में केंद्रीय और राज्य अंश हस्तांतरण के डेटा में विसंगति थी, जैसा कि **तालिका 2.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: केंद्र और राज्य शेयर हस्तांतरण में विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

डेटा का स्रोत	केंद्रीय हिस्सा प्राप्त हुआ	केंद्रीय हिस्सा हस्तांतरित	राज्य का हिस्सा हस्तांतरित
वीएलसी	11,799.98	10,419.33	9,886.24
एसएनए पीएफएमएस रिपोर्ट	10,602.91	9,032.00	9,446.09
अंतर राशि	1,197.07	1,387.33	440.15

स्रोतः वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां

2.6.2 एकल नोडल एजेंसी – स्पर्श

केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत जारी की गई निधियों की उपलब्धता और उपयोगिता की निगरानी बढ़ाने के लिए व्यय विभाग ने निधि प्रवाह प्रक्रियाओं के लिए संशोधित दिशा–निर्देश प्रस्तुत किया है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य भुगतान के लिए 'समय पर जारी करने' के सिद्धांतों को लागू करना है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अधिक कुशल नकदी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। इस प्रयास के हिस्से के रूप में, एक वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र, एसएनए–स्पर्श – सीएसएस फंड के एकीकृत और त्वरित हस्तांतरण के लिए एक वास्तविक समय प्रणाली – शुरू की गई थी। यह प्रणाली सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) और भारतीय रिजर्व बैंक के ई–कुबेर को एकीकृत करने वाले एक निर्बाध ढांचे के माध्यम से संचालित होती है, जिससे कुशल और पारदर्शी निधि वितरण की सुविधा मिलती है।

वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकारों को एसएनए–स्पर्श मॉडल के तहत एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते में निधियों के केंद्र और राज्य दोनों हिस्से को अंतरित करना आवश्यक है।

एसएनए–स्पर्श मॉडल के तहत, प्रत्येक राज्य को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अनुरूप प्रत्येक राज्य–लिंक्ड योजना को लागू करने के लिए एक एसएनए नामित करना होगा, और सभी रिलीज को विशेष रूप से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से भेजा जाना है। ऑनबोर्ड होने पर, मौजूदा एसएनए खातों को बंद कर दिया जायेगा और अव्ययित शेष राशि को भारत की संचित निधि में केंद्रीय हिस्सा और संबंधित राज्य संचित निधि में राज्य का हिस्सा भेजा जायेगा। इसके अलावा, सभी एसएनए और कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) में पंजीकृत होना होगो, और व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों या अन्य मध्यस्थ खातों के माध्यम से रूट किए बिना, सीधे लाभार्थियों या विक्रेताओं को सही–समय पर आधारित निधि जारी किया जायेगा, जिससे बेहतर नकदी प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि, जनवरी 2026 तक, कुल 161 सीएसएस योजनाओं में से 136 योजनाओं की मैपिंग की जा चुकी है और शेष 25 योजनाओं को पीएफएमएस में मैप नहीं किया गया है।

2.7 आकस्मिकता निधि

छत्तीसगढ़ शासन की आकस्मिकता निधि की स्थापना छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 और छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत की गई थी और राज्य शासन अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि में राशि के भुगतान और राशि की निकासी से संबंधित या उससे जुड़े सभी प्रकरणों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। राज्य विधानसभा अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करती है तो निधि की वसूली की जाती है। इस निधि का संचित कोष ₹ 100 करोड़ है।

2.7.1 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल एक अप्रत्याशित और आकस्मिक चरित्र के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसका स्थगन, विधायिका द्वारा इसकी मंजूरी मिलने तक, अवांछनीय होगा।

2024–25 के दौरान, आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में कुल ₹ 136.84 करोड़ की राशि निकाली गई थी। एक विभाग (पुलिस विभाग) द्वारा एक योजना के संबंध में अग्रिम के रूप में निकाली गई ₹ 37.41 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2024–25 के अंत तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी।

किए गए व्यय का मुख्य शीर्षवार ब्यौरा **तालिका 2.13** में दिया गया है।

तालिका 2.13: मुख्य शीर्ष–वार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	धनराशि
1.	2052 – सचिवालय–सामान्य सेवाएं	8.79
2.	2055 – पुलिस	37.41
3.	2202 – सामान्य शिक्षा	17.43
4.	2203 – तकनीकी शिक्षा	9.73
5.	2204 – खेल और युवा सेवाएं	7.6
6.	2205 – कला और संस्कृति	0.34
7.	2210 – चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	0.65
8.	2215 – जल आपूर्ति और स्वच्छता	0.17
9.	2235 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	38.59
10.	2406 – वानिकी और वन्य जीवन	0.76
11	2515 – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.2
12.	3451 – सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	7.92
13.	5054 – सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	7.25
योग		136.84

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ का कार्यालय

2.8 निष्कर्ष

राज्य शासन के बजटीय अनुमानों में वर्ष 2024–25 के लिए उपयोग का प्रतिशत पिछले तीन वर्षों (2021–22 – 87.37 प्रतिशत, 2022–23 – 89.01 प्रतिशत, 2023–24 – 96.06 प्रतिशत) के उपयोग प्रतिशत की तुलना में काफी कम होकर 84.74 प्रतिशत रह गया है।

राज्य शासन ने 1,523 में से 429 उप–शीर्षों में भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने से बजट पर विधायी नियंत्रण और सरकार की वित्तीय जवाबदेही सीमित हो जाती है।

69 अनुदानों में ₹ 28,759.93 करोड़ की शुद्ध बचत बजटीय प्रावधानों के व्यापक रूप से कम उपयोग को दर्शाती है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में अनुदानों में बचत पिछले पांच वर्षों से लगातार उच्च स्तर पर बनी हुई है।

वर्ष 2024–25 के दौरान छह विनियोगों से संबंधित ₹ 1,538.65 करोड़ के आधिक्य व्यय को राज्य विधानसभा से नियमितीकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा, वर्ष 2000–01 से 2023–24 तक नियमितीकरण के लिए कुल ₹ 39,295.20 करोड़ लंबित हैं।

50 अनुदानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ से अधिक) से संबंधित 67 प्रकरणों में ₹ 26,456.88 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुए क्योंकि संपूर्ण अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका, जो बजट अनुमान में कमियों को दर्शाता है।

वर्ष 2024–25 के दौरान 25 नई योजनाओं के तहत ₹ 261.41 करोड़ के बजटीय प्रावधानों के बावजूद, कोई व्यय नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ।

राज्य शासन ने तिमाही व्यय सीमाओं का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय में तेजी आई।

2.9 अनुशंसाएँ

शासन कर सकती है

- निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित बचत को समर्पित करना चाहिए ताकि धन का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
- *वर्ष* 2000–01 से 2024–25 की अवधि के दौरान विधानसभा द्वारा अनुमोदित अनुदानों पर किए गए आधिक्य व्यय को जल्द से जल्द नियमित करना।
- आवंटनों से किसी भी विचलन के कारणों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें ताकि स्पष्टीकरण अधिक ठोस, पारदर्शी और विश्वसनीय हो जाए।
- यथार्थवादी अनुमानों को अपनाकर, पूंजीगत कार्यों की प्रगति की बारीकी से निगरानी करके और एक मजबूत परिणामी बजट तंत्र के माध्यम से वित्तीय परिव्यय और मापने योग्य परिदेय के बीच संबंध में सुधार करके अनुमान प्रक्रिया को मजबूत करना।

अध्याय III
वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालियाँ

अध्याय III: वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालियाँ

यह अध्याय राज्य शासन के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए राज्य शासकीय लेखाओं की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ इस अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की पूर्णता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदनों में प्रस्तुत जानकारी की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित प्रकरण

3.1 राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से ऑफ–बजट उधार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार, यदि किसी राज्य सरकार के पास भारत सरकार से कोई बकाया ऋण या गारंटी है, तो उसको ऋण लेने के लिए भारत सरकार की सहमति अनिवार्य है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश किया कि वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक राज्य सरकारों के लिए सामान्य निवल उधार सीमा (एनबीसी) को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत पर निर्धारित किया जा सकता है।

राज्य द्वारा ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद, विभिन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीएसयू)/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से बजट से बाहर ऋणों का मार्ग निर्धारण कर उपरोक्त निर्धारित निवल उधार सीमा को दरकिनार करना, सरकारी वित्त में राजकोषीय स्वास्थ्य और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के एक वित्तीय वर्ष के लिए उधार लेने की सीमा को अब ऑफ–बजट उधार की सीमा तक कम किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य शासन सार्वजनिक हित में अपने राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) और अन्य समकक्ष साधनों द्वारा बजट से बाहर लिए गए उधारों से उत्पन्न वास्तविक देनदारियों का खुलासा करना शामिल है, जहां पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी राज्य शासन के आवंटनों पर है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2006 में यह प्रावधान किया गया था कि बजट दस्तावेजों के साथ विधानसभा के समक्ष रखे जाने वाले 'मध्यम अवधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरण' में राज्य शासन के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और कुल बकाया देनदारियों[1] के संबंध में तीन साल के निरंतर चलने वाले लक्ष्य शामिल होंगे।

[1] राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य की कुल बकाया देनदारियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, और विशेष प्रयोजन वाहनों एवं अन्य समकक्ष साधनों द्वारा लिए गए उधार और गारंटी शामिल हैं, जिनके मूलधन या ब्याज का भुगतान राज्य बजट से किया जाना है।

वर्ष 2024–25 के लिए, बजट में एमटीएफपी के तहत कुल देयताओं को जीएसडीपी के 25.43 प्रतिशत पर लक्षित किया गया था, जबकि 15वें वित्त आयोग द्वारा इसके लिए अनुशंसित अनुमान 31.30 प्रतिशत था। बजट से बाहर के उधारों सहित कुल बकाया देनदारियों का जीएसडीपी से अनुपात 27.45 प्रतिशत होगा।

राज्य शासन ने वर्ष 2025–26 के बजट दस्तावेजों में वर्ष 2024–25 के लिए ऑफ–बजट उधारों का विवरण प्रकट नहीं किया। राज्य शासन ने मार्च 2025 की स्थिति में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को ₹2,781.78 करोड़ के बकाया ऑफ–बजट उधार की जानकारी दी, जिसका विवरण नीचे **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: राज्य शासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 मार्च 2025 तक ऑफ–बजट उधारों का विवरण

(₹ करोड़ में)

शासन की ओर से ऋण लेने वाली संस्थाएँ	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान जुटाई गई धनराशि	31 मार्च 2025 को बकाया ऋण	ऋण का उद्देश्य
राज्य शहरी विकास अभिकरण	1,444.23	–12.75	1,431.48	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के राज्य के हिस्से के लिए
छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,479.73	–129.43	1,350.30	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के राज्य के हिस्से के लिए
छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,356.31	–2,356.31	0.00	सड़कों और पुलों का निर्माण
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल	792.34	–792.34	0.00	राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण
छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	518.95	–518.95	0.00	पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय भवन का निर्माण।
कुल	**6,591.56**	**–3,809.78**	**2,781.78**	

स्रोतः राज्य वित्त विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रदान की गई जानकारी

हालांकि, वित्त मंत्रालय के जून 2025 के पत्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2024–25 के दौरान ₹584.21 करोड़ का नया ऑफ–बजट उधार भी लिया है। इसके अलावा, राज्य शासन ने वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान अपने द्वारा अधिग्रहित बिजली क्षेत्र की कंपनियों से संबंधित ₹2,275 करोड़ के ऋण दायित्वों का उल्लेख नहीं किया। वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन द्वारा ₹454.62 करोड़ (मूलधन ₹307.07 करोड़ और ब्याज ₹147.55 करोड़) का बजटीय प्रावधान किया गया, जिसके मुकाबले उपरोक्त ऋण को चुकाने के लिए ₹452.27 करोड़ जारी

किए गए। राज्य शासन की उपरोक्त देनदारियों पर मार्च 2025 तक कुल ₹1,410.58 करोड़[2] बकाया था।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया ऑफ–बजट उधारों को **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: 31 मार्च 2025 की स्थिति में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया ऑफ–बजट उधार

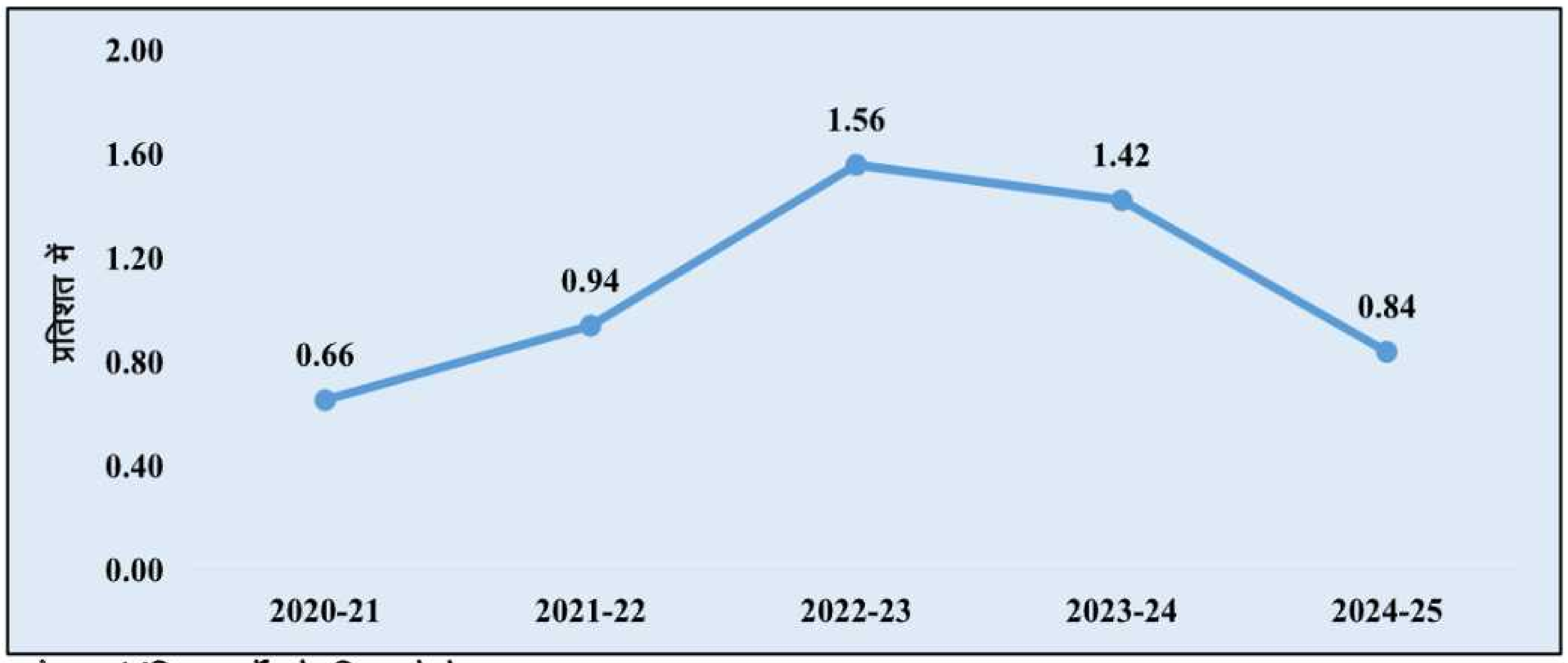

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024–25 के दौरान, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राज्य शासन की वित्तीय सहायता के माध्यम से ₹5,160.07 करोड़ के ऑफ–बजट उधारों का भुगतान किया गया। इसमें ₹4,441.58 करोड़ के मूलधन और ₹718.49 करोड़ के ब्याज का पुनर्भुगतान शामिल था, जैसा कि **तालिका 3.2** में बताया गया है।

तालिका 3.2: 2024–25 के दौरान ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संस्थाओं का नाम	ब्याज के भुगतान के लिए सहायता	मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए सहायता
1	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल	67.23	792.35
2	छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	46.00	519.97
3	राज्य शहरी विकास अभिकरण	133.24	98.92
4	छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	115.82	123.27
5	छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	211.00	2,600.00
6	छत्तीसगढ पावर कंपनीज (ट्रांसमिशन और जेनरेशन) लिमिटेड	145.20	307.07
कुल		718.49	4,441.58

स्रोतः वित्त लेखे 2024–25 और वीएलसी डाटा से संकलित

[2] ₹2,275 करोड़ के मुकाबले, 2024–25 के दौरान ₹307.07 करोड़ का मूलधन चुकाया गया और पिछले वर्षों के दौरान ₹557.35 करोड़ का मूलधन चुकाया गया। अतः मार्च 2025 की स्थिति में ₹1,410.58 करोड़ (₹855.35 करोड़ ट्रांसमिशन कंपनी के साथ और ₹555.23 करोड़ जेनरेशन कंपनी के साथ) बकाया है।

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि राज्य शासन के व्यय के वित्तपोषण के लिए अन्य संस्थाओं के माध्यम से बजट से बाहर जुटाए गए उधार धन का उपयोग न केवल राजस्व/पूंजीगत व्यय और राजस्व/राजकोषीय घाटे को कम करके आंकने का कारण बना, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया कि उधार की राशि राज्य शासन के लेखों में ऋण की गणना से बाहर रहे। वर्तमान व्यय का भार आगामी वर्षों में बजट/बजटीय सहायता के माध्यम से ऋण के भुगतान की सीमा तक भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित हो जाएगा। राज्य शासन पर 31 मार्च 2025 तक बकाया कुल ₹1,53,211.77 करोड़ के बजटीय देनदारियों के अतिरिक्त ₹4,776.57 करोड़ की निवल ऑफ–बजट देनदारी है। इस प्रकार, राज्य की कुल देनदारी ₹1,57,988.34 करोड़ थी।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि राज्य ने एफआरबीएम प्रकटीकरण दस्तावेज में 2024–25 के लिए ऑफ–बजट उधार का खुलासा किया है। इसके अलावा, अधिकांश ऑफ–बजट उधार वित्त वर्ष 2024–25 में चुका दिए गए हैं और आंशिक रूप से चालू वित्त वर्ष 2025–26 में चुका दिए गए हैं।

राज्य शासन ने यह भी कहा कि जहां तक वित्त वर्ष 2022–23 और 2023–24 में अधिग्रहित बिजली कंपनियों के ऋणों का संबंध है, ये ऋण मुख्य रूप से राज्य शासन की गारंटी के बिना वितरण कंपनी (डिस्कॉम) द्वारा लिए गए थे और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र (आरडीएस) योजना के अनुपालन के कारण, राज्य शासन के लिए डिस्कॉम के नुकसान का अधिग्रहण करना अनिवार्य था। इसलिए, इन ऋणों का भुगतान राज्य को बजट प्रावधान के माध्यम से करना पड़ता है। अतः, ये ऋण राज्य की ऑफ–बजट देनदारियों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

तथ्य यह है कि राज्य शासन ने एफआरबीएम प्रकटीकरण दस्तावेज (फॉर्म–डी2) में वर्ष 2024–25 के लिए ऑफ–बजट देनदारियों का विवरण प्रकट नहीं किया और ये उधार राज्य शासन के लेखों में ऋण की गणना से बाहर रहे।

3.2 शासन की बकाया देनदारियां

बकाया देनदारियां, जैसे कि एकत्रित उपकर को नामित निकायों को हस्तांतरित न करना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को कम राशि का प्रेषण करना आदि, से दीर्घकालिक राजकोषीय और शासन संबंधी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। समय के साथ ये बकाया देनदारियां जमा होती जाती हैं, जिससे परोक्ष देनदारियां पैदा होती हैं जो राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति को विकृत कर देती हैं। इसके अलावा, उपकर हस्तांतरण में विलंब से इच्छित विकास या कल्याणकारी परिणाम बाधित होते हैं, जिससे उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती जिनके लिए ऐसे शुल्क लगाए गए थे। इसी प्रकार, एनपीएस में अल्प हस्तांतरण न केवल वैधानिक प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं बल्कि कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। समय के साथ, इस तरह की प्रथाएं विश्वास को कम कर सकती हैं, कानूनी देनदारियों को जन्म दे सकती हैं और भविष्य के व्यय दायित्वों को बढ़ा सकती हैं, जिससे राजकोषीय गुंजाइश सीमित हो जाती है और राजकोषीय स्थिरता कमजोर हो जाती है। ऐसे मामलों पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.2.1 बकाया ब्याज देयता

शासन का यह दायित्व है कि वह ब्याजयुक्त जमाओं/आरक्षित निधियों में मौजूद राशियों पर ब्याज प्रदान करे और उसका भुगतान करे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 अप्रैल 2024 तक ब्याज अर्जित करने वाली जमाओं/आरक्षित निधियों के अंतर्गत पड़े ₹710.93 करोड़ की शेष राशि पर ब्याज के रूप में ₹58.83 करोड़ का भुगतान करने की आवश्यकता थी, जैसा कि **तालिका 3.3** में दिखाया गया है।

तालिका 3.3: ब्याजयुक्त जमाओं/आरक्षित निधियों के संबंध में बकाया ब्याज देयता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	ब्याज अर्जित करने वाली जमा का नाम/शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	भुगतान/प्रावधान नहीं किया गया ब्याज की राशि
1.	शासकीय कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	21.58	शासन द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के अनुसार गणना की गई ब्याज/सामान्य भविष्य निधि को देय ब्याज @ 7.1 प्रतिशत	1.32
2	राज्य आपदा उन्मोचन निधि	489.93	ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर ब्याज की गणना की जाती है जो रेपो दर से दो प्रतिशत पर होती है (8.50)	32.71
3	राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि (एनडीआरएफ)		4.12.2024 को प्राप्त केंद्रीय शेयर (₹33.24 करोड़) के हस्तांतरण में विलंब पर बैंक दर पर यानी 6.75 प्रतिशत 6 दिनों के लिए	0.04
			4.12.2023 को प्राप्त (₹33.24 करोड़ के केंद्रीय हिस्से के मुकाबले राज्य के हिस्से (₹11.08 करोड़) के हस्तांतरण में विलंब पर बैंक दर यानी 6.75 प्रतिशत 43 दिनों के लिए	0.09
4	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	199.42	रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक पर फंड का निवेश न करना (8.50)	24.67
कुल		**710.93**		**58.83**

स्रोतः वित्त लेखे 2024–25

ब्याज–युक्त निधियों और जमा खातों में ब्याज का अंतरण न करने के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ₹58.83 करोड़ से कम हो गया। इसके अलावा, अमुक्त ब्याज देयता का संचय बोझ को भविष्य के वर्षों में स्थानांतरित कर देता है, जिससे शासन के राजस्व व्यय पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

3.2.2 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम योगदान

राज्य शासन ने 1 नवंबर 2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की। इस योजना के तहत, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पत्र संख्या 282 दिनांक 11.05.2022 के माध्यम से 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में प्रत्यावर्तन के लिए अधिसूचना जारी किया

है। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कुल कर्मचारियों में से 2,90,598 कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना है और 10,349 ने नई पेंशन योजना का विकल्प चुना है।

निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, शासन के अंशदान को शुरू में मुख्य शीर्ष 2071–पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में डेबिट किया जाता है और, कर्मचारियों के योगदान के साथ, इसे बाद में मुख्य शीर्ष 8342–अन्य जमा–लघु शीर्ष–117 (परिभाषित अंशदान पेंशन योजना) के तहत लोक लेखे में जमा किया जाता है। एनपीएस दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश और निधि प्रबंधन के लिए लोक लेखे में समेकित शेष को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

हालांकि, पिछले वर्षों के दौरान राज्य शासन का अंशदान मुख्य शीर्ष 2071 में डेबिट किया जाता था और इसे मुख्य शीर्ष 8342–117 के माध्यम से रूट किए बिना सीधे ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता था।

वर्ष 2024–25 के दौरान, एनपीएस में कुल योगदान ₹63.18 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹25.54 करोड़, शासन का योगदान ₹35.25 करोड़ और प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों का कर्मचारी और नियोक्ता योगदान ₹2.39 करोड़) था। ₹63.18 करोड़ के कुल योगदान के मुकाबले, शासन का ₹0.62 करोड़ का शासकीय अंशदान मुख्य शीर्ष 2071 को डेबिट करके सीधे ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया, और शेष ₹61.71 करोड़ लोक लेखे (8342–117) से ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया। ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित धनराशि में ₹0.85 करोड़ की कमी रही, जिसके परिणामस्वरूप नकद शेष राशि का अधिक आकलन हुआ।

मार्च 2025 तक, राज्य शासन ने ट्रस्टी बैंक को ₹22.43 करोड़ (पिछले वर्षों के लिए ₹21.58 करोड़ और 2024–25 के लिए ₹0.85 करोड़) की कम राशि हस्तांतरित की, जिसके परिणामस्वरूप नकदी शेष का उस सीमा तक अधिक आकलन हुआ।

3.2.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम हस्तांतरण

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया, जिसका उद्देश्य भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपाय प्रदान करना था। भारत सरकार ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) भी अधिनियमित किया, जिसके तहत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम में निर्धारित निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाया और एकत्र किया जाता है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है, और उपरोक्त अधिनियमों के तहत संबंधित नियम बनाए गए हैं। इस अधिनियम में अन्य बातों के अलावा, सभी राज्य सरकारों द्वारा एक भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन और अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियमों के निर्माण का प्रावधान किया गया था।

तदनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने (सितंबर 2008 में) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया। बोर्ड नियोक्ताओं से निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर एकत्र करता है और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अनुसार अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसका उपयोग करता है।

वित्त लेखे 2024–25 के अनुसार, मुख्य शीर्ष मद 8443–108/111 अन्य विभागीय/लोक निर्माण जमा के अंतर्गत, वर्ष के दौरान ₹49.53 करोड़ का श्रम उपकर जमा किया गया। राज्य शासन ने

बोर्ड को देय ₹54.71 करोड़ (₹49.53 करोड़ और ₹5.18 करोड़ पिछले वर्ष के अहस्तांतरित शेष) के मुकाबले ₹50.15 करोड़ हस्तांतरित किए। ₹4.56 करोड़ की शेष राशि बोर्ड को हस्तांतरित नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप नकदी शेष राशि का अधिक आकलन हुआ।

3.2.4 अधोसंरचना विकास उपकर का हस्तांतरण न होना

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 के अंर्तगत किए गए प्रावधान के अनुसार, उन सभी भूमियों पर अधोसंरचना विकास उपकर लगाया और वसूला जाएगा जिन पर भू–राजस्व या किराया लगाया जाता है। एकत्रित उपकर को अधोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और इसका उपयोग राज्य में निर्धारित अधोसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाना चाहिए। अधोसंरचना विकास निधि लोक लेखे (8229 विकास और कल्याण निधि–200–0026) में संधारित की जाती है।

वर्ष 2023–24 और 2024–25 के दौरान, शासन ने अधोसंरचना विकास उपकर के रूप में क्रमशः ₹197.95 करोड़ और ₹180.67 करोड़ एकत्र किए। पिछले वर्ष एकत्रित धनराशि में से, 2024–25 के दौरान राज्य शासन द्वारा निर्धारित निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹197.95 करोड़ की कम राशि हस्तांतरित हुई, जिससे राजस्व व्यय कम दिखाया गया।

इस प्रकार, उपकर संग्रह को निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने में विफलता अधिनियम के प्रावधानों और राजकोषीय विकेंद्रीकरण के उद्देश्य का उल्लंघन था।

3.2.5 पर्यावरण उपकर का हस्तांतरण न होना

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकार अधिनियम, 2005 के अंर्तगत किए गए प्रावधान के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन में एक पर्यावरण निधि स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार एकत्रित पर्यावरण उपकर को पर्यावरण निधि में स्थानांतरित किया जाएगा और छत्तीसगढ़ राज्य में निर्धारित पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा इसका उपयोग किया जाना चाहिए। पर्यावरण निधि का संधारण लोक लेखे (8229–200–0021) में किया जाता है।

वर्ष 2023–24 और 2024–25 के दौरान, शासन ने पर्यावरण उपकर के रूप में क्रमशः ₹197.50 करोड़ और ₹180.67 करोड़ एकत्र किए। पिछले वर्ष एकत्र की गई धनराशि में से, 2024–25 के दौरान राज्य शासन द्वारा निर्धारित निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹197.50 करोड़ की कम राशि हस्तांतरित हुई, जिससे राजस्व व्यय कम दिखाया गया।

इस प्रकार, उपकर संग्रह को निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने में विफलता अधिनियम के प्रावधानों और राजकोषीय विकेंद्रीकरण के उद्देश्य का उल्लंघन था।

3.2.6 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की स्थापना अगस्त 2015 में एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9सी के तहत की गई थी। इस अधिनियम की धारा 9सी (4) के अनुसार, खनन पट्टा या खनिज रियायत धारक द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी का 2 प्रतिशत न्यास में योगदान करना आवश्यक है। एनएमईटी नियमों के अनुसार, राज्य शासन इन अंशदानों को एकत्र करने, उन्हें लोक लेखे के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8449–123–एनएमईटी जमा के तहत जमा करने और

मासिक रूप से इन निधियों को भारत की संचित निधि में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है।

वित्त वर्ष 2024–25 में इस मद में ₹140.01 करोड़ जमा किए गए थे, और पूरी राशि राज्य शासन द्वारा एनएमईटी को हस्तांतरित कर दी गई है।

वर्ष के दौरान किसी प्रकार का विलंब या कम धन हस्तांतरण की समस्या नहीं देखी गई। हालांकि, पट्टेदार के अंशदान का निरंतर सत्यापन और विभागीय संग्रह तथा कोषालय लेखों के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर जोर देना आवश्यक है।

3.2.7 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि का कम हस्तांतरण

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2018 के माध्यम से, पूर्ववर्ती केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) का नाम परिवर्तित कर केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) कर दिया गया है। सीआरआईएफ का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे में सुरक्षा में सुधार, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य अधोसंरचना के लिए किया जाएगा।

मौजूदा प्रचलित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, केंद्र से राज्य को प्राप्त अनुदान को प्रथमतः मुख्य शीर्ष 1601 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। इसके बाद, प्राप्त राशि को राज्य शासन द्वारा कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के माध्यम से लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8449–103–केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में स्थानांतरित किया जाना है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन को सीआरआईएफ के अंतर्गत ₹177.28 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ और उसने वर्ष 2023–24 से संबंधित ₹210.16 करोड़ इस निधि में हस्तांतरित किए। राज्य शासन ने वर्ष 2024–25 के लिए प्राप्त ₹177.28 करोड़ की राशि 31 मार्च 2025 तक लोक लेखे में संधारित निधि में हस्तांतरित नहीं की। ₹177.28 करोड़ की इस कम हस्तांतरण से राजस्व व्यय कम दिखाया गया।

3.2.8 छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि में अंतरण न होना

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 की धारा 3(2) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्र किए गए खनिज राजस्व के पांच प्रतिशत के समतुल्य राशि चिन्हित की जाएगी और खनिज विकास निधि में हस्तांतरित किया जाएगा।

वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन द्वारा ₹639.77 करोड़ (वर्ष 2023–24 के दौरान एकत्र किए गए ₹12,795.35 करोड़ के खनिज राजस्व का पांच प्रतिशत), छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि में हस्तांतरित किया जाना था, जिसके विरूद्ध राज्य शासन द्वारा कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी। ₹639.77 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को उस सीमा तक कम करके आंका गया।

3.2.9 पेंशन निधि में कम अंतरण

छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने दिनांक 29 मार्च 2003 की अधिसूचना के अंतर्गत पेंशन निधि की स्थापना की है। छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि नियमावली के नियम 6 में कहा गया है कि शासन तत्काल, पूर्ववर्ती वर्ष में पेंशन देनदारियों के लिए मुख्य शीर्ष 2071 में कुल देनदारियों के कम से कम पांच प्रतिशत की राशि निधि में अंतरित करेगी, बशर्ते कि राज्य शासन उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निधि में ज्यादा राशि अंतरित कर सकती है।

पेंशन निधि को मुख्य शीर्ष–8229–200 अन्य विकास निधि के नीचे उप–शीर्ष स्तर पर बनाया गया था। 31 मार्च 2024 तक मुख्य शीर्ष–2071 के अंतर्गत कुल व्यय ₹9,111.82 करोड़ था, जिसमें से पांच प्रतिशत ₹455.59 करोड़ होता है जिसे 2024–25 में निधि में योगदान दिया जाना था।

1 अप्रैल 2024 को निधि का प्रारंभिक शेष ₹737.08 करोड़ था। वर्ष के दौरान, ₹455.59 करोड़ के आवश्यक योगदान के मुकाबले ₹340.00 करोड़ की राशि निधि में अंतरित की गई। ₹115.59 करोड़ के कम अंशदान ने उस सीमा तक राजस्व व्यय को कम कर दिया।

3.2.10 धन वापसी के लंबित प्रकरण

धन वापसी के मामलों के शीघ्र निपटान संबंधित विभाग के प्रदर्शन का महत्वपूर्ण संकेतक है। तीन कर संग्रह विभागों ने धन वापसी के लंबित मामलों के आंकड़े उपलब्ध कराए।

संबंधित विभागों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024–25 के दौरान धन वापसी के मामलों का विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4 : धन वापसी मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	राज्य आबकारी		वन		ऊर्जा	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	26	0.85	15	1.00	0	0.00
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	62	5.98	0	0.00	0	0.00
3.	वर्ष के दौरान किए गए वापसी दावे	70	5.06	0	0.00	0	0.00
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत कर दिए गए वापसी दावे	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष दावे	18	1.77	15	1.00	0	0.00

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

कर वापसी के मामलों का शीघ्र निपटान कर प्रशासन की दक्षता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि विलंब करदाताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है और विभागीय कामकाज में कमियों को दर्शाती है। सूचना का अनुपलब्ध होना अपर्याप्त निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र को इंगित करता है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि लोक लेखों में, जिसमें केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि और राज्य खनिज विकास निधि शामिल हैं, समय पर धन हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं, और आगे कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है कि राजस्व घाटे को कम करके आंकने से बचने के लिए ब्याजयुक्त जमाओं पर ब्याज का सही प्रावधान किया जाए।

पारदर्शिता से संबंधित प्रकरण

3.3 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में विलंब

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता का नियम 182 यह निर्धारित करता है कि जहां सहायता अनुदान वार्षिक या अनावर्ती अनुदान है और केवल एक वर्ष के लिए दिया गया है, तो विभागीय अधिकारी, जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान देयक आहरित किया गया था, अनुदान से संबंधित वर्ष के बाद वाले वर्ष के 30 सितंबर को या उससे पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

वर्ष 2024–25 के दौरान, ₹1,198.90 करोड़ के 141 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए देय हो गये (31 मार्च 2024 तक आहरित सहायता अनुदान देयक)। वर्ष के प्रारंभ में कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं था। वर्ष के दौरान, ₹1,198.59 करोड़ के 138 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का निपटारा किया गया, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹0.31 करोड़ के तीन लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र शेष रह गए, जैसा कि **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

उपयोगिता प्रमाणपत्र देय वर्ष	वित्तीय वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	कुल धनराशि
2024–25	2023–24 तक	03	0.31
कुल		**03**	**0.31**

स्रोतः वित्त लेखे 2024–25

31 मार्च 2025 तक केवल राजस्व विभाग के पास (तीन) उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं।

उपयोगिता प्रमाणपत्र का समय पर जमा होना वित्तीय जवाबदेही और संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में सुधार दर्शाता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी आवश्यक है कि सभी उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा हो जाएं।

3.4 संक्षिप्त आकस्मिक देयक

जब अग्रिम रूप से धन की आवश्यकता होती है या जब वे आवश्यक सटीक राशि की गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को सहायक दस्तावेजों के बिना, संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) देयकों के माध्यम से, सेवा मदों को नामे करके धन निकालने की अनुमति होती है और व्यय को सेवा मद के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

छत्तीसगढ़ कोषालय नियम के नियम 327 के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को वित्तीय व्यय के समर्थन में वाउचर सहित विस्तृत आकस्मिक (डीसी) देयक, अगले महीने की 25 तारीख तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिस महीने में ऐसी राशि निकाली गई थी। डीसी देयकों को विलंबित या लंबे समय तक प्रस्तुत न करने से लेखों की पूर्णता और शुद्धता प्रभावित हो सकती है।

वर्ष 2024–25 के दौरान आहरित किए गए ₹8,061.68 करोड़ के 412 एसी देयकों में से, मार्च 2025 में ₹2,741.37 करोड़ (34.00 प्रतिशत) 123 एसी देयकों से निकाले गए थे और 31 मार्च 2025 तक ₹8,045.23 करोड़ के 76 एसी देयक समायोजित किए गए थे।

असमायोजित एसी देयकों, जिनके डीसी देयकों के जमा होना लंबित है का विवरण, **तालिका 3.6** में दिखाया गया है।

तालिका 3.6 : आयुवार एसी देयकों के लंबित समायोजन

(₹ करोड़ में)

देय वर्ष	एसी देयकों की संख्या	राशि
2022–23 तक	56	2.53
2023–24	112	0.67
2024–25	336	16.45
कुल	504	19.65

स्रोतः वित्त लेखे 2024–25

कुल 336 बकाया एसी देयक सात विभागों से संबंधित हैं, जिनमें से ₹ 16.40 करोड़ के 331 एसी देयक पांच प्रमुख विभागों से लंबित थे, जैसा कि **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2 : पांच प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डीसी देयक

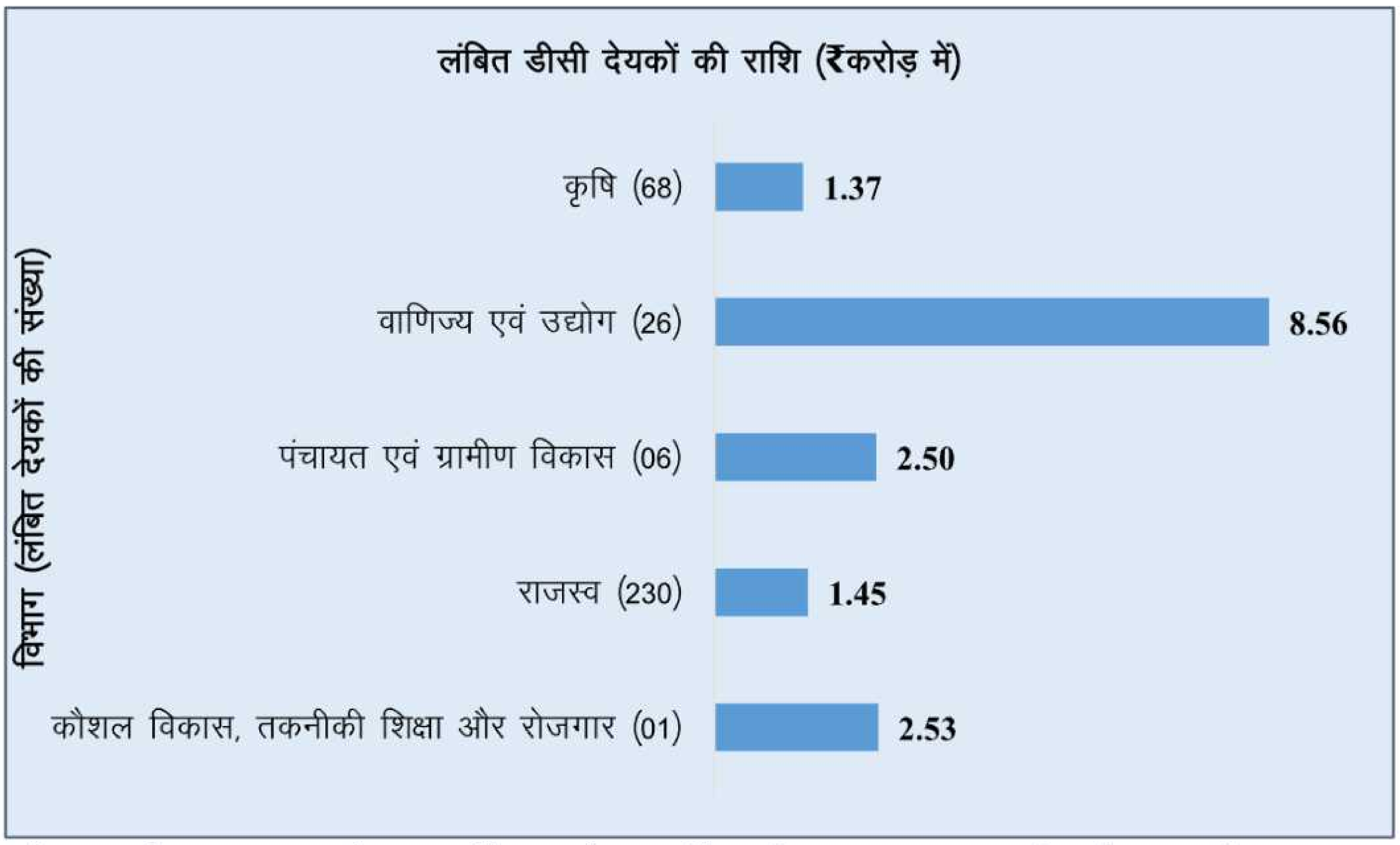

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदान की गई जानकारी

लंबे समय तक अग्रिम भुगतानों का समायोजन न होने से दुर्विनियोजन का खतरा बना रहता है, इसलिए संबंधित डीडीओ द्वारा डीसी देयक जमा करने को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी आवश्यक है। इसके अलावा, डीसी देयक प्राप्त न होने की स्थिति में, वित्त लेखों में दर्शाया गया व्यय सही या अंतिम नहीं माना जा सकता।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि संबंधित विभागों को तत्काल अनुपालन के लिए औपचारिक पत्र जारी किए जा रहे हैं।

3.5 व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते, ब्याज न देने वाले जमा खाते हैं जो 8443–सिविल जमा 106 व्यक्तिगत जमा के तहत खोले जाते हैं और खातों के प्रशासकों के नाम पर कोषालयों में रखे

जाते हैं। कोषालय में रखा गया खाता एक बैंकिंग जमा खाते की तरह होता है, जिसमें प्राप्तियों और भुगतानों का अभिलेख व्यक्तिगत बहीखातों में दर्ज किया जाता है। ये खाते वित्त विभाग की स्वीकृति से खोले जा सकते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, महालेखाकार की सहमति आवश्यक नहीं है। राज्य कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अनुसार, राज्य शासन को व्यक्तिगत जमा खाता (जो लोक लेखे का हिस्सा है) खोलने का अधिकार है, जिसमें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने हेतु समेकित निधि से (व्यय मद को नामे करके) धनराशि निकाली जाती है। पीडी खातों में पड़ी अप्रयुक्त शेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संबंधित सेवा मदों से शेष राशि को ऋणात्मक नामे कर समेकित निधि में वापस स्थानांतरित करना आवश्यक है।

तालिका 3.7 पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पीडी खातों में मौजूद धनराशि की स्थिति प्रदान करती है।

तालिका 3.7: वर्ष 2020–25 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान खोले गए खाते/प्राप्त राशि		वर्ष के दौरान बंद किए गए खाते/वितरित राशि		31 मार्च को अंतिम शेष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2020–21	223	1,585.26	03	502.34	18	526.65	208	1,560.95
2	2021–22	208	1,560.95	02	287.56	71	444.13	139	1,404.38
3	2022–23	139	1,404.38	02	250.56	10	290.74	131	1,364.20
4	2023–24	131	1,364.20	02	149.09	03	160.39	130	1,352.90
5	2024–25	130	1,352.90	03	224.69	04	205.32	129	1,372.27

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि **तालिका 3.7** से देखा जा सकता है, 2020–21 से 2024–25 के दौरान, कुल 12 पीडी खाते खोले गए और 106 खाते बंद कर दिए गए। 31 मार्च 2025 तक, 129 पीडी खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में अंतिम शेष राशि ₹1,372.27 करोड़ थी। ₹1,372.27 करोड़ की कुल शेष राशि में से 43 पीडी खातों में ₹995.09 करोड़, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की बकाया राशि से संबंधित हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान, पीडी खातों में हस्तांतरित कुल ₹224.69 करोड़ में से ₹25.84 करोड़ की राशि राज्य की संचित निधि से हस्तांतरित किए गए। इसमें मार्च 2025 में हस्तांतरित ₹11.53 करोड़ शामिल हैं। कुल वितरित राशि ₹205.32 करोड़ में से, चार पीडी खातों को बंद करने के बाद संबंधित सेवा मदों से ऋणात्मक नामे करने के बजाय, ₹23.18 करोड़ की राशि लोक लेखे के मुख्य शीर्ष 8443–101 (राजस्व जमा) में स्थानांतरित कर दी गई। शेष ₹182.14 करोड़ की राशि वर्ष 2024–25 के दौरान संवितरित की गई।

इसके अलावा, ₹4.90 करोड़ की शेष राशि वाले चार पीडी खाते पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय थे और अभी तक बंद नहीं किए गए थे।

पीडी खातों में अंतिम शेष से पता चलता है कि प्रशासकों ने नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित सेवा मद से ऋणात्मक नामे करके पीडी खाते को बंद नहीं किया। चूंकि पीडी खातों में हस्तांतरित राशि को राज्य की समेकित निधि में अंतिम व्यय के रूप में दिखाया जाता

है, इसलिए वर्ष के अंत में पीडी खातों को बंद न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत व्यय का अधिक आकलन हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि संबंधित विभागों को तत्काल अनुपालन के लिए औपचारिक पत्र जारी किए जा रहे हैं।

3.6 लघु शीर्ष –800 का संचालन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष–800 का उपयोग केवल तभी किया जाना है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष –800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बड़ी राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, 28 प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹771.18 करोड़, जो ₹1,45,444.44 करोड़ के कुल व्यय (राजस्व व्यय–₹1,25,389.82 करोड़ और पूंजीगत व्यय–₹20,054.62 करोड़) का 0.53 प्रतिशत है, को लेखा में लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, 44 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹5,794.58 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹1,20,290.35 करोड़) का 4.82 प्रतिशत है, को लेखों में 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इनमें से, मुख्य शीर्ष 0853 के अंतर्गत रॉयल्टी के रूप में प्राप्त ₹11.99 करोड़ रुपये को लघु शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जबकि रॉयल्टी के लिए उपयुक्त लघु शीर्ष 107 उपलब्ध था जैसा कि **तालिका 3.8** में विस्तार से बताया गया है।

तालिका 3.8: वर्ष 2024–25 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत की गई प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

बुकिंग के शीर्ष का विवरण जिसके अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था	राशि	प्राप्ति की प्रकृति	सही वर्गीकरण
मुख्य शीर्ष 0853–अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत	11.99	रॉयल्टी	मुख्य शीर्ष 0853–अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, लघु शीर्ष 107–लघु खनिज रियायत शुल्क, किराया और रॉयल्टी के अंतर्गत
कुल	11.99		

विशिष्ट कार्यात्मक लघु शीर्ष उपलब्ध होने के बावजूद, सामान्य लघु शीर्ष 800 का निरंतर संचालन लेखांकन ढांचे के अंतर्गत निर्धारित पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। लघु शीर्ष 800 का अनुचित उपयोग लेन–देन की वास्तविक प्रकृति को छुपाता है और इससे संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का खुलासा नहीं करता है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और विभागीय कार्यों की जवाबदेही कम हो जाती है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि अधिक विस्तृत और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए लघु शीर्ष 800 पर अत्यधिक निर्भरता को रोकने के लिए विशिष्ट निर्देश भेजे जा रहे हैं।

माप से संबंधित प्रकरणें

3.7 उचंत एवं ऋण, जमा, प्रेषण शीर्षों अंतर्गत बकाया शेष राशि

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशियों की गणना विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया नामे और जमा शेष को अलग–अलग मिलाकर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के महत्वपूर्ण उचंत मदों की शेष राशि **तालिका 3.9** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.9: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		2022–23		2023–24		2024–25	
		नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658	**उचंत लेखा**						
101	वेतन और लेखा कार्यालय–उचंत	67.19	36.13	77.11	20.21	26.28	29.03
	निवल नामे/निवल जमा	**नामे 31.06**		**नामे 56.90**		**जमा 2.75**	
102	उचंत लेखा – (सिविल)	0.00	5.93	0.00	7.98	0.37	18.70
	निवल नामे/निवल जमा	**जमा 5.93**		**जमा 7.98**		**जमा 18.34**	
109	रिज़र्व बैंक उचंत –(मुख्यालय)	–1.13	–0.08	–1.83	–0.16	–1.49	–0.09
	निवल नामे/निवल जमा	**जमा 1.05**		**जमा 1.67**		**जमा 1.40**	
110	रिज़र्व बैंक उचंत –(केंद्रीय लेखा कार्यालय)	4.44	0.00	2.90	0.00	4.64	0.00
	निवल नामे/निवल जमा	**नामे 4.44**		**नामे 2.90**		**नामे 4.64**	
112	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	0.00	140.14	0.00	94.74	0.00	112.19
	निवल नामे/निवल जमा	**जमा 140.14**		**जमा 94.74**		**जमा 112.19**	
113	भविष्य निधि उचंत	12.86	0.00	1.88	0.00	0.74	0.00
	निवल नामे/निवल जमा	**नामे 12.86**		**नामे 1.88**		**नामे 0.74**	
123	एआईएस अधिकारी की समूह बीमा योजना	0.00	0.46	0.00	0.28	0.00	0.07
	निवल नामे/निवल जमा	**जमा 0.46**		**जमा 0.28**		**जमा 0.07**	
129	सामग्री खरीद निपटान उचंत खाता	0.00	81.67	0.00	81.67	0.00	81.67
	निवल नामे/निवल जमा	**जमा 81.67**		**जमा 81.67**		**जमा 81.67**	
8782	**नकद प्रेषण और एक ही लेखा अधिकारी को खाते सौंपने वाले अधिकारियों के बीच समायोजन**						
102	लोक निर्माण प्रेषण	53.75	14.83	62.76	9.12	123.55	9.13
	निवल नामे/निवल जमा	**नामे 38.92**		**नामे 53.64**		**नामे 114.43**	
103	वन प्रेषण	44.53	5.24	45.81	5.59	53.36	7.41
	निवल नामे/निवल जमा	**नामे 39.29**		**नामे 40.22**		**नामे 45.94**	
8793	**अंतर–राज्यीय उचंत खाता**	91.13	–10.50	101.63	11.28	1782.99	0.00
	निवल नामे/निवल जमा	**नामे 101.63**		**नामे 90.35**		**नामे 1782.99**	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशि का गैर–निस्तारण राज्य शासन के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो साल दर साल आगे ले जाए जाते हैं) के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष राशि की सटीकता को प्रभावित करता है।

3.8 विभागीय आंकड़ों का मिलान

राजस्व/व्यय पर प्रभावी बजटीय नियंत्रण रखने और लेखों में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य वित्तीय नियमों में यह प्रावधान है कि मुख्य नियंत्रण अधिकारियों/नियंत्रण अधिकारियों को हर महीने अपनी पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से करना आवश्यक है।

नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आंकड़ों के मिलान की स्थिति **तालिका 3.10** और **चार्ट 3.3** में दी गई है।

तालिका 3.10: नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की संख्या	नियंत्रक अधिकारियों की संख्या जिन्हाने अपनी प्राप्तियों/व्ययों का मिलान किया		
		पूर्ण मिलान	आंशिक मिलान	मिलान नहीं किया गया
प्राप्तियाँ				
2022–23	54	52	00	02
2023–24	54	50	00	04
2024–25	55	51	00	04
व्यय				
2022–23	94	87	00	07
2023–24	95	88	00	07
2024–25	95	88	00	07

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदान की गई जानकारी

चार्ट 3.3 : वर्ष 2022–25 के दौरान प्राप्ति और व्यय के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

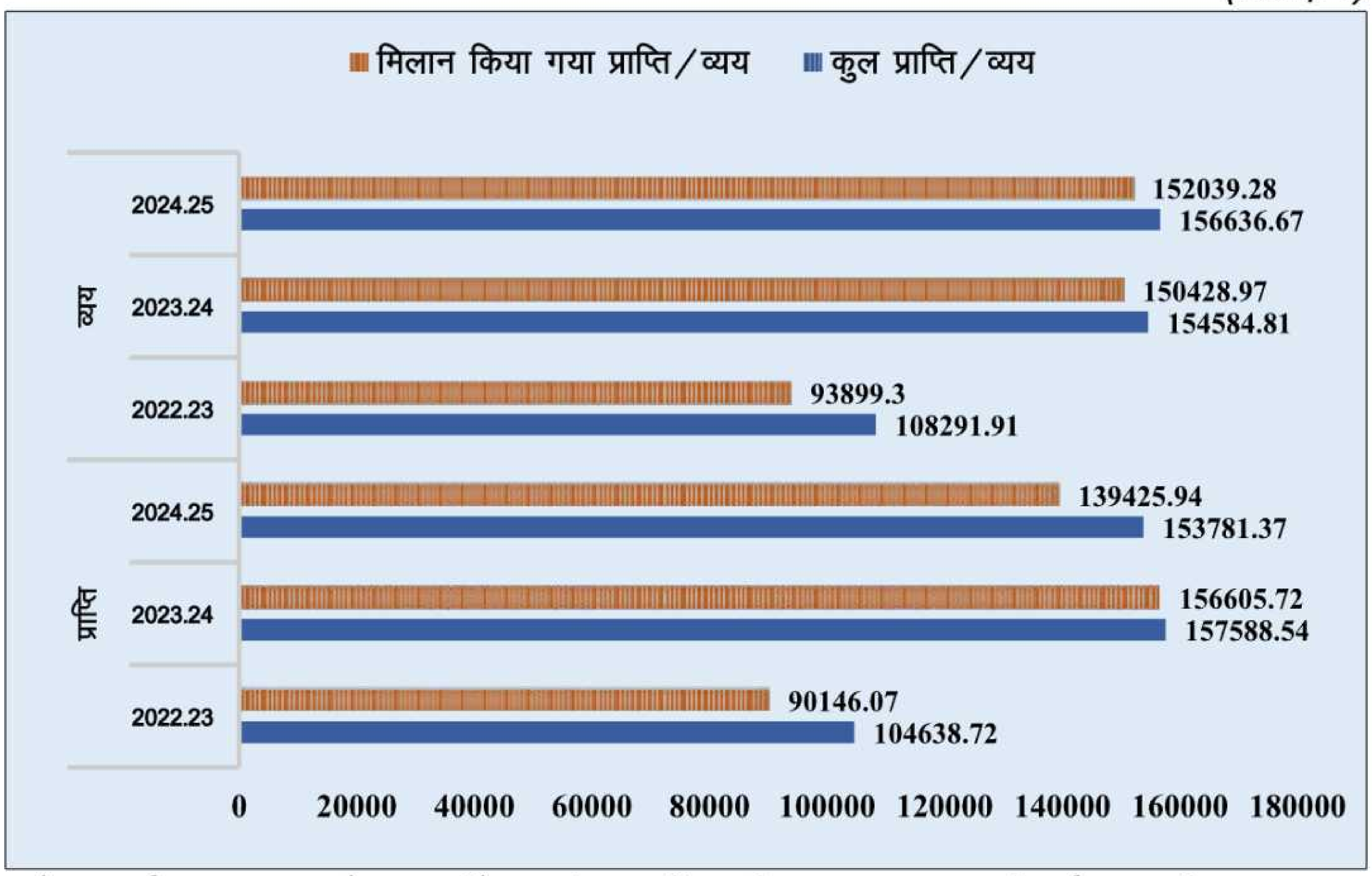

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदान की गई जानकारी

वर्ष 2024–25 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 91 प्रतिशत और कुल व्यय का 97 प्रतिशत मिलान किया गया। कुल मिलाकर, प्राप्तियों के अंतर्गत ₹14,355.43 करोड़ और व्यय के अंतर्गत ₹4,597.39 करोड़ की राशि का मिलान नहीं हो सका। 2023–24 की तुलना में, राजस्व व्यय का मिलान लगभग समान रहा, जबकि प्राप्तियों का मिलान 99 प्रतिशत से घटकर 91 प्रतिशत हो गया।

सात बजट नियंत्रण अधिकारियों[3] ने पिछले तीन वर्षों (2022–25) से लगातार व्यय के आंकड़ों का मिलान नहीं किया है।

मिलान न होने से यह सुनिश्चित नहीं हो पाता कि सभी प्राप्तियाँ/व्यय को उचित रूप से खाते के अंतिम शीर्ष में सही से दर्ज किए गए हैं। इस जाँच को न करने से लेखों में प्राप्तियों और व्ययों का गलत वर्गीकरण और गलत प्रविष्टि हो सकती है। सभी प्राप्तियों और व्ययों के मिलान के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

3.9 रोकड़ शेषों का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ के लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को राज्य शासन का रोकड़ शेष ₹223.19 करोड़ (नामे) था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे ₹234.97 करोड़ (जमा) बताया गया था। इस प्रकार, मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा आरबीआई, नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग को गलत रिपोर्टिंग के कारण ₹11.78 करोड़ (जमा) का एक असंगत अंतर था, जो प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ और राज्य शासन के बीच सुलह के अधीन था। नवंबर 2025 खाते के बंद होने के बाद, उक्त शुद्ध अंतर ₹26.77 लाख (जमा) था।

प्रकटीकरण से संबंधित प्रकरण

3.10 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखों का प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। सीएजी की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखा मानक (भा.स.ले.मा.) अधिसूचित किए हैं। राज्य शासन द्वारा इन लेखा मानकों का अनुपालन और साथ ही वर्ष 2024–25 के दौरान इनमें पाई गई कमियों का विवरण **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्रम संख्या	लेखांकन मानक	भा.स.ले.मा. का सार	राज्य शासन द्वारा अनुपालन	कमी
1	भा.स.ले.मा.–1: शासन द्वारा दी गई गारंटी–प्रकटीकरण आवश्यकता	इस मानक के अनुसार शासन को वर्ष के अंत में अपने वित्तीय विवरणों में परिवर्धन, विलोपन, आग्रह, निर्वहन और बकाया के साथ–साथ वर्ष के दौरान दी गई गारंटी की अधिकतम राशि का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।	पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया	2024–25 के दौरान, हालांकि राज्य शासन ने दी गई गारंटियों के क्षेत्रवार/वर्ग–वार विवरण का खुलासा किया, लेकिन वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया गया।

[3] 1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग 2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग 3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग 4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आयकूट विभाग 5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग 6. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग और 7. आयुक्त, पुरातत्व एवं संस्कृति।

2	भा.स.ले.मा.–2: सहायता अनुदानों का लेखांकन और वर्गीकरण	सहायता अनुदान को अनुदानकर्ता के लेखों में राजस्व व्यय के रूप में और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है, चाहे अंतिम उपयोग कुछ भी हो।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया	लेखांकन मानक का उल्लंघन कर सहायता अनुदान (₹5,126.55 करोड़) को पूंजी अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।
3	भा.स.ले.मा.–3: शासन द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	यह मानक पूर्ण, सटीक और समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में मान्यता, माप, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से संबंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया	दिए गए ऋणों के ब्यौरे की पुष्टि राज्य शासन/कुछ ऋण संस्थाओं द्वारा नहीं की गई थी।
4	भा.स.ले.मा.–4: *पूर्व अवधि का समायोजन*	नकद आधार पर लेखांकन के लिए निर्धारित यह मानक, उन पूर्व अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों में त्रुटियों के सुधार या समायोजन हेतु पूर्व अवधि की मदों को मान्यता देता है जिनके खाते बंद कर दिए गए हैं।	अनुपालन किया गया	——————

स्रोत: भारतीय सरकारी लेखा मानक और वित्त लेखे

लेखांकन मानकों का अनुपालन न करने से राजकोषीय पारदर्शिता प्रभावित होती है और वित्त का सही और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व बाधित होती है।

3.11 स्वायत्त निकायों के लेखों का प्रस्तुतिकरण

31 मार्च 2025 तक, 24 स्वायत्त निकायों से संबंधित 106 लेखे लंबित थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में बताया गया है।

लेखों में निरंतर विलंब और उन्हें प्रस्तुत न करना, कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र और प्रशासनिक विभागों द्वारा अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है। यह समय पर वित्तीय संचालन, पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल्यांकन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विलंब शासकीय लेखों के समेकन और बाद में लेखापरीक्षा में भी बाधा डालती है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि संबंधित विभागों को स्वायत्त निकायों के 106 लंबित लेखों को जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा।

अन्य प्रकरण

3.12 दुर्विनियोग, हानि, चोरी, आदि के प्रकरण

छत्तीसगढ़ वित्त संहिता खंड–1 के नियम 22 और 23 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक शासकीय कर्मचारी शासन को उसके द्वारा धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण हुई किसी भी हानि या किसी अन्य शासकीय कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण हुई किसी भी हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, उस सीमा तक जिस सीमा तक उसने अपने स्वयं के कार्यों या लापरवाही से हानि में योगदान दिया हो। इसके अलावा, उक्त नियम 22 के अनुसार, गबन और नुकसान के मामलों की रिपोर्ट महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को दी जानी आवश्यक है।

31 मार्च 2025 तक, दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि से संबंधित 2,181 प्रकरण लंबित थे, जिनमें ₹124.72 करोड़ की राशि शामिल थी। विभागवार लंबित मामलों का विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है।

कुल 2,181 मामलों में से, ₹88.06 करोड़ से संबंधित 735 मामलों में विभागों ने विभागीय और आपराधिक जांच शुरू नहीं की है, जबकि ₹36.60 करोड़ से संबंधित 1,433 मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है लेकिन उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है, और ₹0.06 करोड़ से संबंधित 13 मामलों में विभागीय और आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन राशि की वसूली लंबित है।

लंबित मामलों की आयु–प्रोफाइल और प्रत्येक श्रेणी–चोरी और शासकीय सामग्री के दुर्विनियोग/हानि में लंबित मामलों की संख्या का सारांश **तालिका 3.12** में दिया गया है।

तालिका 3.12 : दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि की रूपरेखा।

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरण की आयु रूपरेखा			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में सीमा	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0–5	175	2.32			
6–10	231	8.80	चोरी	121	0.54
11–15	507	92.40	गबन	67	5.88
16–20	283	10.06			
21–25	172	2.74	हानि	1993	118.30
25 से ऊपर	813	8.40	**कुल**	**2181**	**124.72**
कुल	**2181**	**124.72**			

स्रोतः विभागीय डेटा/जानकारी

कुल 2,181 मामलों में से, ₹0.54 करोड़ के 121 प्रकरण शासकीय धन/भंडार की चोरी से संबंधित थे, जबकि शासकीय सामग्री के गबन/नुकसान से संबंधित ₹113.60 करोड़ के 1,775 प्रकरणें दस साल से अधिक समय से लंबित थे।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि गबन/धोखाधड़ी के लंबे समय से लंबित मामलों को बट्टे खाते में डालने और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3.13 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, लोक लेखा समिति/वित्त विभाग, संबंधित विभागों से अपेक्षा करता है कि, विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर प्रतिवेदन में शामिल अनुच्छेदों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए स्पष्टीकरण नोट प्रस्तुत करें। संबंधित विभागों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के तीन महीने के भीतर महालेखाकार को कार्रवाई संबंधी नोट्स (जांच और आगे पीएसी को भेजने के लिए) उपलब्ध कराना भी अपेक्षित है।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 से राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति ने अभी तक इन प्रतिवेदनों पर चर्चा (अप्रैल 2025) नहीं की है ।

विधायी जांच के लिए इन प्रतिवेदनों का लगातार लंबित रहना एक प्रभावी अनुवर्ती तंत्र के अभाव और विभागीय और समिति स्तरों पर जवाबदेही के कमजोर प्रवर्तन को दर्शाता है।

3.14 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य शासन पर मार्च 2025 तक कुल बजटीय देनदारियों ₹1,53,211.77 करोड़ के अतिरिक्त ₹4,776.57 करोड़ की निवल ऑफ–बजट देनदारियां हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न सामाजिक–आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों से संबंधित अपनी संपूर्ण देनदारियों का खुलासा अपने बजट में नहीं किया है, जिनके लिए राज्य शासन ने मूलधन और ब्याज पुर्नभुगतान की गारंटी दी थी।

मार्च 2025 तक, ₹19.65 करोड़ के 504 विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करने के लिए लंबित थे। विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए निकाली गई धनराशि के लिए विभागों द्वारा विस्तृत आकस्मिक देयक जमा न करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लेखों को प्रस्तुत न करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और अपर्याप्त निगरानी तंत्र की ओर इशारा करता है और अपव्यय/दुर्विनियोग/कदाचार आदि के जोखिम/संभावना को बढ़ाता है।

31 मार्च 2025 तक, 129 व्यक्तिगत जमा खाते राशि ₹1,372.26 करोड़ के अंतिम शेष के साथ अस्तित्व में थे। व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करना सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोग के जोखिम को बढ़ाता है।

सर्वसमावेशी लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियां (₹5,798.58 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों ₹1,20,290.35 करोड़ का 4.82 प्रतिशत है) और अन्य व्यय (₹771.18 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय ₹1,45,444.44 करोड़ का 0.53 प्रतिशत है) के संचालन ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट कर दिया।

लेखा मानकों का अनुपालन न करने से राजकोषीय पारदर्शिता प्रभावित होती है और वित्त का सही और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व बाधित होता है। स्वायत्त निकाय लंबे समय से अपने खाते प्रस्तुत किए बिना कार्य कर रहे हैं, जबकि राज्य शासन उन्हें अनुदान, ऋण और गारंटी भी देकर सहायता प्रदान करती है।

3.15 अच्छी प्रथाएं

वित्त वर्ष 2024–25 में, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8449–123–एनएमईटी जमा के तहत लोक लेखे में ₹140.01 करोड़ जमा किए गए थे, और राज्य शासन द्वारा पूरी राशि एनएमईटी को हस्तांतरित कर दी गई है। वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का विलंब या कम हस्तांतरण नहीं देखी गई।

वर्ष 2024–25 के दौरान, ₹1,198.90 करोड़ के 141 उपयागिता प्रमाण पत्र (31 मार्च 2024 तक आहरित किए गए सहायता अनुदान देयक) जमा करने के लिए देय थे। वर्ष के प्रारंभ में कोई भी सहायता अनुदान देयक लंबित नहीं था। वर्ष के दौरान, ₹1,198.59 करोड़ के 138 लंबित सहायता अनुदान देयकों का निपटाण किया गया, और केवल ₹0.31 करोड़ के तीन सहायता अनुदान देयक लंबित शेष रह गया।

3.16 अनुशंसाएँ

शासन कर सकती है

- बजट प्रस्तुत करते समय, अपनी वित्तीय स्थिति का उचित आकलन सुनिश्चित करने के लिए, ऑफ–बजट उधारों सहित अपनी सभी देनदारियों का पारदर्शी रूप से खुलासा करें।
- पुराने बकाया संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के निपटान के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, यह ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2022–23 से विस्तृत आकस्मिक देयक अभी भी जमा करना लंबित है। साथ ही, आहरण एवं संवितरण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्तृत आकस्मिक देयक, निर्धारित समय के भीतर जमा किए जाएं, ताकि असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक के संचय से बचा जा सके।
- सभी व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों की समीक्षा कर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेवा मदों को नामे करके पीडी खातों में स्थानांतरित लेकिन अनावश्यक रूप से इन पीडी खातों में पड़ी राशि को मौजूदा नियमों के अनुसार तुरंत समेकित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। निष्क्रिय पीडी खातों को शासकीय निर्देशों के अनुसार समय पर बंद कर दिया जाना चाहिए।
- सर्वसमावेशी लघु शीर्ष 800 के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और विशिष्ट समयसीमा के अंतर्गत, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से, लेखा पुस्तकों में सही वर्गीकृत करने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों की पहचान किया जाना चाहिए।

रायपुर
दिनांक : 06 मई 2026

(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 13 मई 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: पैराग्राफ 1.1.3)

राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
भाग क. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**63,176**	**79,652**	**93,877**	**1,03,508**	**1,20,290**
(i) कर राजस्व (स्वयं)	**22,889**	**27,084**	**33,122**	**38,786**	**44,765**
राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी)	7,925	9,483	11,298	13,793	16,299
कृषि आय पर कर	–	–	–	–	–
बिक्री, व्यापार आदि पर कर.	4,236	5,341	6,450	6,513	6,880
राज्य उत्पाद शुल्क	4,636	5,107	6,783	8,430	10,142
वाहनों पर कर	1,148	1,373	1,757	2,048	2,318
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	1,585	1,945	2,229	2,494	2,969
भू–राजस्व	938	950	869	848	819
माल और यात्रियों पर कर	80	48	60	73	275
अन्य कर	2,342	2,837	3,678	4,586	5,064
(ii) करेत्तर राजस्व	**7,137**	**13,851**	**15,248**	**15,148**	**17,421**
(iii) संघ करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा	**20,338**	**28,571**	**32,358**	**38,482**	**43,844**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**12,812**	**10,146**	**13,148**	**11,092**	**14,261**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**
3. ऋण और अग्रिमों की वसूली	**104**	**88**	**117**	**26**	**23**
4. कुल राजस्व और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**63,285**	**79,745**	**94,000**	**1,03,539**	**1,20,319**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**21,582**	**15,098**	**10,639**	**54,050**	**33,463**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	17,961	9,322	6,939	50,258	27,046
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	–	–	–	–	–
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	3,620	5,777	3,700	3,791	6,417
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**84,867**	**94,843**	**1,04,639**	**1,57,589**	**1,53,781**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	**0**	**0**	**0**	**63**	**113**
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**1,60,486**	**1,68,360**	**2,07,909**	**2,19,991**	**3,44,388**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**2,45,353**	**2,63,203**	**3,12,547**	**3,77,643**	**4,98,282**
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**70,033**	**75,010**	**85,285**	**1,14,741**	**1,25,390**
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	19,586	21,375	22,825	26,240	28,687
सामाजिक सेवाएँ	25,066	27,964	31,818	39,412	51,971
आर्थिक सेवाएं	24,255	24,558	29,499	47,791	43,374
सहायता अनुदान और योगदान	1,125	1,113	1,143	1,298	1,357
11. पूंजीगत व्यय	**9,024**	**10,504**	**13,320**	**15,419**	**20,055**
सामान्य सेवाएं	509	352	754	884	1,184
सामाजिक सेवाएँ	2,935	3,234	4,989	7,074	8,422
आर्थिक सेवाएं	5,581	6,919	7,577	7,460	10,449

12. ऋण और अग्रिमों का वितरण	**51**	**324**	**86**	**312**	**322**
13. आकस्मिकता निधि का विनियोग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	**79,108**	**85,838**	**98,691**	**1,30,472**	**1,45,766**
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**8,020**	**8,845**	**9,601**	**24,113**	**10,871**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,805	8,626	9,370	23,873	10,626
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	–	–	–	–	–
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	215	220	230	240	244
16. आकस्मिकता निधि का विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
17. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	**87,128**	**94,683**	**1,08,292**	**1,54,585**	**1,56,637**
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	**0**	**0**	**0**	**77**	**137**
19. लोक खाता संवितरण	**1,58,252**	**1,68,008**	**2,03,429**	**2,23,002**	**3,41,480**
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**2,45,380**	**2,62,692**	**3,11,721**	**3,77,664**	**4,98,253**
भाग ग. घाटा					
21. राजस्व घाटा (–)/राजस्व आधिक्य (+) (1–10)	**–6,857**	**4,642**	**8,592**	**–11,233**	**–5,099**
22. राजकोषीय घाटा (–)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4–13)	**–15,822**	**–6,093**	**–4,691**	**–26,933**	**–25,447**
23. प्राथमिक घाटा (–)/प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	**–10,189**	**51**	**1,691**	**–20,135**	**–16,495**
भाग घः अन्य डेटा					
24. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	**5,633**	**6,144**	**6,382**	**6,798**	**8,952**
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता।	**1,125**	**1,113**	**1,143**	**1,298**	**1,357**
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया गया (दिन)	**30**	**38**	**15**	**99**	**9**
अर्थोपाय अग्रिम का लाभ उठाया गया (दिन)	30	38	15	99	9
ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया गया (दिन)	0	0	0	0	0
27. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**0**	**1**	**0**	**22**	**1**
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	**3,52,328**	**4,11,613**	**4,58,891**	**5,12,107**	**5,67,880**
29. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत)	**92,666**	**99,173**	**1,01,696**	**1,28,213**	**1,53,212**
30. बकाया गारंटी (वर्ष के अंत)	**19,836**	**19,524**	**20,958**	**21,891**	**20,763**
31. अधिकतम राशि की गारंटी (वर्ष के अंत)	**26,695**	**29,948**	**30,023**	**31,663**	**23,402**
भाग ङः राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक (प्रतिशत में)					
I संसाधन जुटाना					
स्वयं का कर राजस्व/जीएसडीपी	6.50	6.58	7.22	7.57	7.88
स्वयं का गैर–कर राजस्व/जीएसडीपी	2.03	3.37	3.32	2.96	3.07
स्वयं का राजस्व/जीएसडीपी	8.52	9.95	10.54	10.53	10.95
स्वयं का राजस्व/कुल व्यय	37.96	47.69	49.01	41.34	42.66
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जीएसडीपी	22.45	20.85	21.51	25.48	25.67
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	125.22	107.77	105.13	126.05	121.18
राजस्व व्यय/कुल व्यय	88.53	87.39	86.42	87.94	86.02
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	73.11	73.01	74.86	77.98	78.36
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	11.41	12.24	13.50	11.82	13.76
पूंजीगत व्यय/जीएसडीपी	2.56	2.55	2.90	3.01	3.53
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन*					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जीएसडीपी	–1.95	1.13	1.87	–2.19	–0.90

राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/जीएसडीपी	–4.49	–1.48	–1.02	–5.26	–4.48
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जीएसडीपी	–2.89	0.01	0.37	–3.93	–2.90
IV ऋण स्थिरता					
बकाया देनदारियां/जीएसडीपी#	25.42	22.13	20.40	24.62	26.61
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां	8.92	7.71	6.80	6.57	7.44

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

** लेखापरीक्षा के पहले के आंकड़े*

 # बकाया देनदारियों/जीएसडीपी अनुपात की गणना ₹ 8,074.15 करोड़ (2020–21 के लिए ₹ 3,109 करोड़ और 2021–22 के लिए ₹ 4,965.15 करोड़) के बैक–टू–बैक ऋण को छोड़कर की गयी है।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः पैराग्राफ 1.1.4, 1.2.4.1 क 1.2.4.2 क)

वर्ष 2023–24 और 2024–25 के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार

(₹ करोड़ में)

2023–24	प्राप्तियां	2024–25	2023–24	संवितरण	2024–25
खंड कः राजस्व					
1,03,508	**I- राजस्व प्राप्तियां**	**1,20,290**	**1,14,741**	**I- राजस्व व्यय–**	**1,25,390**
38,786	कर राजस्व	44,765	**26,240**	**सामान्य सेवाएं**	**28,687**
	––		**39,412**	**सामाजिक सेवाएँ–**	**51,971**
15,148	गैर–कर राजस्व	17,421	19,920	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	21,708
	––		6,326	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8,294
38,482	केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	43,844	5,944	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	8,434
	––		739	सूचना और प्रसारण	476
	गैर–योजना अनुदान		220	अनुसूचित जातियों, शेदुल जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	195
	राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान		581	श्रम और श्रम कल्याण	334
	––		5,649	समाज कल्याण और पोषण	12,494
	केंद्र और केंद्र प्रायोजित योजना योजनाओं के लिए अनुदान		33	अन्य	35
	––		**47,791**	**आर्थिक सेवाएं**	**43,374**
8,218	केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	11,811	33,113	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	26,776
	––		4,518	ग्रामीण विकास	4,705
1,771	वित्त आयोग अनुदान	1,950	0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0
	––		588	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	625
1,104	राज्य को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	500	6,545	ऊर्जा	9,266
	––		1,108	उद्योग और खनिज	966
	––		1,727	परिवहन	792
			56	संचार	89
			13	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	14
			123	सामान्य आर्थिक सेवाएं	141
	––		**1,298**	**सहायता अनुदान और योगदान–**	**1,357**
11,233	**II. राजस्व घाटा**	**5,099**	**0**	**II. राजस्व आधिक्य**	**0**

खंड बी: पूंजी					
8,048	**III. स्थायी अग्रिम और नकद शेष निवेश सहित नकद शेष खोलना**	**13,797**	**0**	**III. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट खोलना**	**0**
5	**IV. विविध पूंजी प्राप्तियां**	**5**	**15,419**	**IV. पूंजी परिव्यय–**	**20,055**
	––		884	**सामान्य सेवाएं–**	**1,184**
	––		7,074	**सामाजिक सेवाएँ–**	**8,422**
	––		1,361	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	199
	––		581	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	678
	––		4,664	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	7,103
	––		1	सूचना और प्रसारण	1
	––		332	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	359
	––		116	समाज कल्याण और पोषण	63
	––		19	अन्य	18
	––		**7,460**	**आर्थिक सेवाएं**	**10,449**
	––		187	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	129
	––		929	ग्रामीण विकास	653
	––		0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0
	––		1,488	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,005
	––		1,249	ऊर्जा	630
			69	उद्योग और खनिज	514
	––		3,475	परिवहन	6,337
			0	संचार	10
			3	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	46
	––		61	सामान्य आर्थिक सेवाएं	126
26	**V. ऋण और अग्रिमों की वसूली–**	**23**	**313**	**V. वितरित ऋण और अग्रिम–**	**322**
0	बिजली परियोजनाओं से	0	0	विद्युत परियोजनाओं के लिए	0
0	सरकारी कर्मचारियों से	0	0	सरकारी कर्मचारियों के लिए	0
25	दूसरों से	24	312	दूसरों के लिए	322
	VI. राजस्व आधिक्य में कमी लाई गई		**11,233**	**VI. राजस्व घाटे में कमी आई**	**5,099**
54,050	**VII. लोक ऋण प्राप्तियां–**	**33,463**	**24,113**	**VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान–**	**10,871**
	बाहरी ऋण			बाहरी ऋण	
50,258	तरीके और साधन के अलावा आंतरिक ऋण अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	27,046	23,873	तरीके और साधन के अलावा आंतरिक ऋण अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	10,626
	तरीके और साधन अग्रिम के तहत शुद्ध लेनदेन			तरीके और साधन अग्रिम के तहत शुद्ध लेनदेन	

	ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन			ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	
3,791	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	6,417	240	केंद्र सरकार को ऋणों और अग्रिमों का पुनर्भुगतान	244
0	**VIII. आकस्मिकता निधि का विनियोग**	**0**	**0**	**VIII. आकस्मिकता निधि का विनियोग**	**0**
63	**IX. आकस्मिकता निधि में हस्तांतरित राशि**	**113**	**77**	**IX. आकस्मिकता निधि से व्यय**	**137**
15,185	**X.** लोक लेखा प्राप्तियां	**15,718**	**12,425**	**X. सार्वजनिक खाता संवितरण–**	**13,267**
3,222	लघु बचत और भविष्य निधि	3,420	1,700	लघु बचत और भविष्य निधि	1,740
3,082	आरक्षित निधि	3,601	1,993	आरक्षित निधि	1,477
11	सस्पेंस और विविध	2,139	67	सस्पेंस और विविध	2,053
5,309	धन–प्रेषण	2,816	5,362	प्रेषण	4,603
3,560	जमा और अग्रिम	3,741	3,302	जमा और अग्रिम	3,394
0	**XI. भारतीय रिज़र्व बैंक से क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट**	**0**	**13,797**	**XI. अंत में नकद शेष–**	**13,368**
	––		0	ट्रेजरी और स्थानीय प्रेषण में नकद	0
	––		194	रिज़र्व बैंक के पास जमा	223
	––		12	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	13
	––		5,933	नकद शेष निवेश	3,731
			7,657	निर्धारित निधियों का निवेश	9,402
1,92,118	**कुल**	**1,88,509**	**1,92,118**	**कुल**	**1,88,509**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: पैराग्राफ 1.1.5)

31 मार्च 2025 तक छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2025 तक
	देनदारियां	
95,140	**आंतरिक ऋण –**	**1,11,560**
86,030	ब्याज वाले बाजार ऋण	1,03,030
2	बाजार ऋण पर ब्याज नहीं लगता	2
20	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20
5,871	अन्य संस्थानों से ऋण	5,833
609	मुआवजा और अन्य बांड	522
2,607	राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	2,152
0	तरीके और साधन प्रगति	0
0	भारतीय रिज़र्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0
18,747	**केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम –**	**18,954**
1	1984–85 से पहले के ऋण	1
1	गैर–योजना ऋण	1
1,761	राज्य योजना योजनाओं के लिए ऋण	1,517
0	केंद्रीय योजना योजनाओं के लिए ऋण	0
0	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	0
16,985	विधायिका योजनाओं वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऋण	17,435
100	**आकस्मिकता निधि**	**100**
10,849	**लघु बचत, भविष्य निधियां, आदि।**	**12,529**
6,405	**जमा**	**6,752**
10,695	**रिज़र्व फंड एडवांस**	**12,819**
182	**सस्पेंस और विविध संतुलन**	**268**
0	**प्रेषण शेष**	**0**
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	
0	**व्यय की तुलना में प्राप्तियों की संचयी अधिकता**	**0**
1,42,118	**कुल**	**1,62,982**
	संपत्ति	
1,41,143	**अचल संपत्तियों पर सकल पूंजी परिव्यय –**	**1,61,365**
7,233	कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश ।	7,242
1,33,910	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,54,123
1,665	**ऋण और अग्रिम –**	**1,949**
103	बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण	103
1,556	अन्य ऋण	1,841
6	सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	6
7	**अग्रिम**	**7**
352	**प्रेषण शेष**	**2,139**

0	**सस्पेंस और विविध संतुलन**	**0**
13,797	**नकद –**	**13,368**
0	ट्रेजरी और स्थानीय प्रेषण में नकद	0
194	रिज़र्व बैंक के पास जमा	223
12	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	13
0	सुरक्षा जमा	0
7,657	निर्धारित निधियों का निवेश	9,402
5,933	नकद शेष निवेश	3,731
–14,859	**सरकारी खाते पर घाटा –**	**–15,884**
	(i) चालू वर्ष का कम राजस्व **आधिक्य**	
	(ii) आकस्मिकता निधि का विनियोग	
–14,859	**वर्ष के अंत में संचित घाटा**	**–15,884**
13	आकस्मिकता निधि	37
1,42,118	**कुल**	**1,62,982**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ : कंडिका– 2.5.2)

ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या और नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल से बचत प्रावधान
	क–राजस्व (मतदेय)				
1.	01– सामान्य प्रशासन	422.68	33.53	340.99	−81.68
2.	03 – पुलिस	7,027.07	8.11	5,882.39	−1,144.68
3.	04 – गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	110.47	13.04	88.68	−21.80
4.	07 – वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	395.95	13.46	278.96	−116.99
5.	08 – भू–राजस्व और जिला प्रशासन	1,814.11	12.40	1,433.13	−380.99
6.	10 – वन	2,713.50	74.52	1,818.20	−895.30
7.	14 – पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	507.52	22.15	459.28	−48.24
8.	15 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	203.35	2.96	131.79	−71.56
9.	17 – सहकारिता	218.27	8.72	157.22	−61.05
10.	19 – लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4,279.85	1,030.77	3,962.69	−317.15
11.	21 – आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	260.67	2.25	213.95	−46.71
12.	24 – लोक निर्माण कार्य –सड़कें और पुल	1,047.54	150.80	856.92	−190.62
13.	25 – खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	710.84	2.10	47.57	−663.26
14.	27 – स्कूल शिक्षा	7,340.47	43.24	6,587.97	−752.50
15.	28 – राज्य विधायिका	83.51	3.05	68.67	−14.84
16.	29 – न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	916.29	37.18	871.72	−44.57
17.	30 – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	7,001.98	124.55	5,302.20	−1,699.78
18.	31 – योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	63.83	8.67	50.72	−13.11
19.	34 – सामाजिक कल्याण	117.17	10.65	108.59	−8.58
20.	47 – तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	406.73	12.04	303.71	−103.01
21.	66 – पिछड़ा वर्ग कल्याण	278.42	2.00	206.44	−71.99
22.	67 – लोक निर्माण कार्य–भवन	848.63	10.50	716.28	−132.36
23.	80 – त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,990.12	18.18	3,637.36	−352.76
24.	81 – शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	2,220.14	130.00	1,837.63	−382.51
25.	82 – अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप–योजना के तहत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	425.91	9.37	340.90	−85.01
	योग	**43,405.02**	**1,784.24**	**35,703.96**	**−7,701.06**
	ख–पूँजीगत (मतदेय)				
1.	01 – सामान्य प्रशासन	52.72	5.09	30.15	−22.57
2.	05 – जेल	3.54	31.66	0.89	−2.65
3.	13 – कृषि	40.75	3.76	11.20	−29.55
4.	14 – पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	5.50	2.95	4.51	−0.99
5.	20 – लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2,340.53	10.96	1,684.96	−655.57
6.	23 – जल संसाधन विभाग	705.46	65.80	536.57	−168.89
7.	29 – न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	9.33	3.71	2.26	−7.07
8.	30 – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	780.19	15.00	448.80	−331.39
9.	33 – आदिवासी कल्याण	15.63	3.00	14.47	−1.16
10.	36 – परिवहन	11.01	13.12	10.64	−0.37
11.	41 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	5,314.20	163.61	3,376.27	−1,937.93
12.	55 – महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	46.71	15.00	17.40	−29.31

13.	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,829.41	248.24	1,329.85	–499.56
14.	65 – विमानन विभाग	60.30	6.50	37.29	–23.02
15.	67 – लोक निर्माण–भवन	995.78	35.92	334.08	–661.70
16.	68 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना भवनों से संबंधित लोक निर्माण	287.57	4.75	39.96	–247.61
17.	69 – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	539.51	40.00	218.32	–321.19
18.	79 – चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	303.24	5.00	279.08	–24.16
योग		**13,341.37**	**674.06**	**8,376.68**	**–4,964.69**
महायोग		**56,746.39**	**2,458.29**	**44,080.64**	**–12,665.75**

स्रोत : वित्त वर्ष 2024–25 के लिए विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ : कंडिका– 2.5.2)

ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ या अधिक) अत्यधिक साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या और नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अत्यधिक पूरक प्रावधान (बचत)
	क–राजस्व (मतदान)					
1.	01 – सामान्य प्रशासन	422.68	33.53	456.21	340.99	–115.21
2.	02 – सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	74.10	44.30	118.40	76.88	–41.52
3.	03 – पुलिस	7,027.07	8.11	7,035.18	5,882.39	–1,152.79
4.	04 – गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	110.47	13.04	123.51	88.68	–34.84
5.	06 – वित्त विभाग से संबंधित व्यय	7,950.77	2,237.94	1,0188.71	9,134.12	–1,054.59
6.	07 – वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	395.95	13.46	409.41	278.96	–130.45
7.	08 – भू–राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,814.11	12.40	1,826.51	1,433.13	–393.38
8.	10 – वन	2,713.50	74.52	2,788.02	1,818.20	–969.82
9.	11 – वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	370.59	218.69	589.28	520.84	–68.44
10.	12 – ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	3,364.01	1,763.74	5,127.74	5,080.85	–46.90
11.	13 – कृषि	6,939.73	1,013.62	7,953.35	7,370.37	–582.98
12.	14 – पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	507.52	22.15	529.67	459.28	–70.39
13.	15 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	203.35	2.96	206.31	131.79	–74.52
14.	17 – सहकारिता	218.27	8.72	226.99	157.22	–69.77
15.	19 – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,279.85	1,030.77	5,310.62	3,962.69	–1,347.93
16.	21 – आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	260.67	2.25	262.92	213.95	–48.96
17.	24 – लोक निर्माण–सड़कें और पुल	1,047.54	150.80	1,198.34	856.92	–341.42
18.	25 – खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	710.84	2.10	712.94	47.57	–665.36
19.	27 – स्कूल शिक्षा	7,340.47	43.24	7,383.71	6,587.97	–795.74
20.	28 – राज्य विधानमंडल	83.51	3.05	86.56	68.67	–17.89
21.	29 – न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	916.29	37.18	953.47	871.72	–81.75
22.	30 – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	7,001.98	124.55	7,126.53	5,302.20	–1,824.33
23.	31 – योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	63.83	8.67	72.50	50.72	–21.78
24.	32 – जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	442.83	30.00	472.83	466.17	–6.67
25.	34 – समाज कल्याण	117.17	10.65	127.82	108.59	–19.23
26.	36 – परिवहन	140.08	55.80	195.88	150.87	–45.01
27.	39 – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	3,015.91	1,798.54	4,814.44	4,598.61	–215.83
28.	41 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	26,410.76	7,003.81	33,414.57	28,392.87	–5,021.70
29.	47 – तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	406.73	12.04	418.76	303.71	–115.05
30.	55 – महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2,840.80	2,455.24	5,296.04	5,011.37	–284.68
31.	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	8,377.32	1,984.16	10,361.48	8,917.36	–1,444.12
32.	65 – विमानन विभाग	140.18	25.00	165.18	155.64	–9.54
33.	66 – पिछड़ा वर्ग कल्याण	278.42	2.00	280.42	206.44	–73.99
34.	67 – लोक निर्माण–भवन	848.63	10.50	859.13	716.28	–142.86

35.	80 – त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,990.12	18.18	4,008.31	3,637.36	–370.95
36.	81 – शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	2,220.14	130.00	2,350.14	1,837.63	–512.51
37.	82 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	425.91	9.37	435.28	340.90	–94.38
	योग	**1,03,472.09**	**20,415.07**	**1,23,887.16**	**1,05,579.89**	**–18,307.27**
	ख– पूँजीगत (मतदान)					
1.	01 – सामान्य प्रशासन	52.72	5.09	57.81	30.15	–27.66
2.	03 – पुलिस	409.66	576.56	986.22	848.32	–137.90
3.	05 – जेल	3.54	31.66	35.20	0.89	–34.31
4.	11 – वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	159.71	306.27	465.98	412.26	–53.71
5.	13 – कृषि	40.75	3.76	44.51	11.20	–33.31
6.	14 – पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	5.50	2.95	8.45	4.51	–3.94
7.	19 – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	133.31	45.47	178.78	136.31	–42.47
8.	20 – लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2,340.53	10.96	2,351.49	1,684.96	–666.53
9.	21– आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	913.37	1,860.13	2,773.50	2,738.79	–34.71
10.	23 – जल संसाधन विभाग	705.46	65.80	771.26	532.38	–238.88
11.	24 – लोक निर्माण–सड़कें और पुल	2,423.85	1,100.00	3,523.85	2,967.99	–555.86
12.	29 – न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	9.33	3.71	13.03	2.26	–10.77
13.	30 – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	780.19	15.00	795.19	448.80	–346.39
14.	33 – आदिवासी कल्याण	15.63	3.00	18.63	14.47	–4.16
15.	36 – परिवहन	11.01	13.12	24.13	10.64	–13.49
16.	37 – पर्यटन	119.85	97.50	217.35	125.88	–91.47
17.	41 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	5,314.20	163.61	5,477.81	3,376.27	–2,101.54
18.	42 – जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित सार्वजनिक कार्य उप–योजना–सड़कें और पुल	1,516.65	920.00	2,436.65	1,944.55	–492.10
19.	43 – खेल और युवा कल्याण	1.92	3.96	5.88	5.10	–0.78
20.	45 – लघु सिंचाई – कार्य	607.21	140.00	747.21	708.04	–39.17
21.	46 – विज्ञान और प्रौद्योगिकी	40.50	36.81	77.31	42.42	–34.89
22.	55 – महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	46.71	15.00	61.71	17.40	–44.31
23.	56 – ग्रामीण उद्योग	87.55	20.06	107.61	100.56	–7.05
24.	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,829.41	248.24	2,077.65	1,330.63	–747.02
25.	65 – विमानन विभाग	60.30	6.50	66.80	37.29	–29.52
26.	67 – लोक निर्माण–भवन	995.78	35.92	1,031.70	334.08	–697.62
27.	68 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना भवनों से संबंधित लोक निर्माण	287.57	4.75	292.32	39.96	–252.36
28.	69 – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	539.51	40.00	579.51	218.32	–361.19
29.	79 – चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	303.24	5.00	308.24	269.77	–38.47
30.	81 – शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	525.10	261.00	786.10	775.00	–11.10
	योग	**20,280.05**	**6,041.81**	**26,321.86**	**19,169.17**	**–7,152.69**
	महायोग	**1,23,752.14**	**26,456.88**	**1,50,209.02**	**1,24,749.06**	**–25,459.96**

स्रोत : वित्त वर्ष 2024–25 के लिए विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ : कंडिका– 2.5.3)

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान समर्पण (₹100 करोड़ से अधिक) के बाद बड़ी बचत वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या और नाम	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पण कर दिया	बचत (समर्पण के बाद)
	क–राजस्व (मतदान)					
1.	01 – सामान्य प्रशासन	456.21	340.99	–115.21	–117.22	2.01
2.	03 – पुलिस	7,035.18	5,882.39	–1,152.79	–1,096.35	–56.44
3.	06 – वित्त विभाग से संबंधित व्यय	10,188.71	9,134.12	–1,054.59	–105.90	–948.69
4.	07 – वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	409.41	278.96	–130.45	–142.90	12.45
5.	08 – भू–राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,826.51	1,433.13	–393.38	–323.08	–70.31
6.	10 – वन	2,788.02	1,818.20	–969.82	–949.12	–20.70
7.	13 – कृषि	7,953.35	7,370.37	–582.98	–574.94	–8.03
8.	19 – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,310.62	3,962.69	–1,347.93	–1,353.57	5.64
9.	23 – जल संसाधन विभाग	708.81	533.92	–174.89	–174.67	–0.22
10.	24 – लोक निर्माण–सड़कें और पुल	1,198.34	856.92	–341.42	–340.86	–0.56
11.	25 – खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	712.94	47.57	–665.36	–665.36	0.00
12.	27 – स्कूल शिक्षा	7,383.71	6,587.97	–795.74	–812.94	17.19
13.	30 – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	7,126.53	5,302.20	–1,824.33	–1,776.30	–48.03
14.	33 – आदिवासी कल्याण	7,276.46	6,543.64	–732.82	–731.55	–1.27
15.	39 – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	4,814.44	4,598.61	–215.83	–215.63	–0.20
16.	41 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	33,414.57	28,392.87	–5,021.70	–5,028.50	6.80
17.	44 – उच्च शिक्षा	1,038.23	879.33	–158.91	–156.74	–2.16
18.	47 – तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	418.76	303.71	–115.05	–115.33	0.28
19.	55 – महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	5,296.04	5,011.37	–284.68	–284.77	0.10
20.	58 – प्राकृतिक आपदाओं और कमी के कारण राहत पर व्यय	1,252.69	1,004.07	–248.62	–239.70	–8.92
21.	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	10,361.48	8,917.36	–1,444.12	–1,460.29	16.17
22.	67 – लोक निर्माण–भवन	859.13	716.28	–142.86	–32.08	–110.77
23.	69 – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	1,557.19	736.26	–820.93	–820.93	0.00
24.	79 – चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	1,485.62	1,022.56	–463.06	–463.30	0.24
25.	80 – त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4,008.31	3,637.36	–370.95	–370.57	–0.38
26.	81 – शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	2,350.14	1,837.63	–512.51	–512.51	0.00
	योग	**1,27,231.40**	**1,07,150.47**	**–20,080.93**	**–18,865.13**	**–1,215.80**
	ख– पूँजीगत (मतदान)					
1.	03 – पुलिस	986.22	848.32	–137.90	–137.90	0.00
2.	08 – भू–राजस्व एवं जिला प्रशासन	258.46	108.54	–149.92	–146.43	–3.49
3.	10 – वन	118.81	7.42	–111.38	–111.39	0.00
4.	12 – ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	626.56	315.54	–311.02	–311.02	0.00
5.	20 – लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2,351.49	1,684.96	–666.53	–666.40	–0.13
6.	23 – जल संसाधन विभाग	771.26	536.57	–234.69	–234.76	0.07

7.	24 – लोक निर्माण–सड़कें और पुल	3,523.85	2,967.99	–555.86	–558.97	3.10
8.	25 – खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	630.25	428.94	–201.31	–201.31	0.00
9.	30 – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	795.19	448.80	–346.39	–294.21	–52.18
10.	41 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	5,477.81	3,376.27	–2,101.54	–1,971.78	–129.76
11.	42 – जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित सार्वजनिक कार्य उप –योजना–सड़कें और पुल	2,436.65	1,944.55	–492.10	–493.84	1.74
12.	58 – प्राकृतिक आपदाओं और कमी के कारण राहत पर व्यय	180.70	0.25	–180.45	–180.45	0.00
13.	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2,077.65	1,329.85	–747.80	–711.49	–36.31
14.	67 – लोक निर्माण–भवन	1,031.70	334.08	–697.62	–668.28	–29.34
15.	68 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–भवनों से संबंधित लोक निर्माण	292.32	39.96	–252.36	–223.41	–28.95
16.	69 – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	579.51	218.32	–361.19	–361.19	0.00
17.	75 – जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	353.01	246.97	–106.04	–105.99	–0.04
18.	76 – लोक निर्माण विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	575.62	341.15	–234.47	–227.63	–6.85
योग		**23,091.11**	**15,188.80**	**–7,902.31**	**–7,770.04**	**–132.27**
महायोग		**1,27,231.40**	**1,22,339.27**	**–27,983.24**	**–26,635.17**	**–1,348.07**

स्रोत : वित्त वर्ष 2024–25 के लिए विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ : कंडिका– 2.5.3)

वित्त वर्ष 2022–23 से वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निरंतर बचत (₹ 100 करोड़ रुपये से अधिक) वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या/विभाग का नाम	बचत		
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25
राजस्व (क)				
1.	03 – पुलिस	–729.7	–940.75	–1,152.79
2.	08 – भू–राजस्व एवं जिला प्रशासन	–355.42	–200.3	–393.38
3.	10 – वन	–257.01	–460.62	–969.82
4.	13– कृषि	–442	–450.39	–582.98
5.	19 – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	–477.98	–775.7	–1,347.93
6.	23– जल संसाधन विभाग	–131.62	–155.46	–174.89
7.	24 – लोक निर्माण–सड़कें और पुल	–537.56	–171.23	–341.42
8.	27 – स्कूल शिक्षा	–433.16	–827.66	–795.74
9.	30 – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	–894.24	–1,888.7	–1,824.33
10.	39 – खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	–246.51	–462.01	–215.83
11.	41 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	–2,328.29	–4,001.96	–5,021.70
12.	47 – तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	–128.49	–276.88	–115.05
13.	55 – महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	–389.41	–262.4	–284.68
14.	58 – प्राकृतिक आपदाओं और कमी के कारण राहत पर व्यय	–515.61	–556.21	–248.62
15.	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	–735.62	–1,291.1	–1,444.12
16.	67 – लोक निर्माण–भवन	–123	–143.17	–142.86
17.	69 – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	–151.93	–472.11	–820.93
18.	79 – चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	–233.88	–334.56	–463.06
19.	80 – त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	–279.25	–102.98	–370.95
20.	81 – शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	–108.44	–346.25	–512.51
योग		**–9,499.12**	**–14,120.40**	**–17,223.59**
पूँजीगत (ख)				
1.	08 – भू–राजस्व एवं जिला प्रशासन	–139.33	–169.42	–149.92
2.	23 – जल संसाधन विभाग	–305.05	–182.44	–234.69
3.	24 – लोक निर्माण–सड़कें और पुल	–388.08	–540.59	–555.86
4.	41 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	–769.8	–1,808.9	–2,101.54
5.	42 – जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित सार्वजनिक कार्य उप–योजना–सड़कें और पुल	–561.61	–422.31	–492.10
6.	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	–272.74	–629.36	–747.80
7.	67 – लोक निर्माण–भवन	–350.01	–290.16	–697.62
8.	75 – जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	–524.91	–411.99	–106.04
9.	76 – लोक निर्माण विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	–158.43	–339.27	–234.47
योग		**–3,469.96**	**–4,794.44**	**–5,320.04**
महायोग		**–12,969.08**	**–18,914.84**	**–22,543.63**

स्रोत : विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ : कंडिका– 2.5.3)

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान बजट और बचत के उपयोग का अनुदान–वार प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या और नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत (–)/ अतिरिक्त (+)	प्रयोग का प्रतिशत	प्रयोग की सीमा (प्रतिशत)
1.	09 – राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	30.23	7.63	–22.60	25.25	50 तक
2.	25 – खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	1,343.39	476.71	–866.68	35.49	
3.	35 – पुनर्वास	2.75	0.87	–1.88	31.74	
4.	49 – अनुसूचित जाति कल्याण	2.86	1.01	–1.85	35.25	
5.	50 – 20 सूत्रीय कार्यक्रमों को लागू करने वाले विभागों से संबंधित व्यय	4.49	2.01	–2.48	44.83	
6.	51 – धार्मिक ट्रस्ट और बंदोबस्ती	49.20	13.84	–35.36	28.13	
7.	57 – जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	57.00	7.04	–49.96	12.35	
8.	68 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–भवनों से संबंधित लोक निर्माण	292.32	39.96	–252.36	13.67	
9.	69 – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	2,136.70	954.58	–1,182.12	44.68	
10.	71 – सूचना प्रौद्योगिकी और जैव–प्रौद्योगिकी	267.26	93.69	–173.57	35.06	
	कुल (1)	**4,186.20**	**1,597.35**	**–2,588.85**		

1.	01 – सामान्य प्रशासन	564.52	409.73	–154.79	72.58	>50 से 75
2.	02 – सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	118.48	76.95	–41.53	64.95	
3.	04– गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	146.59	101.73	–44.86	69.40	
4.	05 – जेल	270.42	181.56	–88.86	67.14	
5.	07 – वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	525.81	379.65	–146.17	72.20	
6.	08 – भू–राजस्व और जिला प्रशासन	2,085.12	1,541.66	–543.46	73.94	
7.	10 – वन	2,912.24	1,826.97	–1,085.27	62.73	
8.	15 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	237.31	162.79	–74.52	68.60	
9.	16 – मत्स्य पालन	106.20	75.32	–30.88	70.92	
10.	17 – सहयोग	263.66	175.22	–88.44	66.46	
11.	18 – श्रम	243.36	171.20	–72.15	70.35	
12.	19 – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,490.85	4,099.87	–1,390.98	74.67	
13.	20 – सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2,688.94	1,951.67	–737.27	72.58	
14.	23 – जल संसाधन विभाग	1,481.58	1,071.19	–410.39	72.30	
15.	26 – संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	91.22	61.59	–29.63	67.52	
16.	30 – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	7,922.00	5,751.09	–2,170.91	72.60	
17.	31 – योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	72.85	50.78	–22.07	69.70	
18.	36 – परिवहन	221.70	161.55	–60.15	72.87	
19.	37 – पर्यटन	315.54	184.84	–130.71	58.58	
20.	43 – खेल और युवा कल्याण	78.15	46.34	–31.81	59.29	
21.	46 – विज्ञान और प्रौद्योगिकी	97.01	55.64	–41.37	57.35	
22.	47 – तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग	445.23	318.96	–126.27	71.64	
23.	58 – प्राकृतिक आपदाओं और कमी के कारण राहत पर व्यय	1,433.39	1,004.32	–429.07	70.07	

24.	66 – पिछड़ा वर्ग कल्याण	307.91	219.69	−88.23	71.35	
25.	67 – लोक निर्माण भवन	1,892.42	1,051.85	−840.57	55.58	
26.	75 – जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	353.01	246.97	−106.04	69.96	
27.	76 – लोक निर्माण विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	575.62	341.15	−234.47	59.27	
28.	79 – चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	1,793.88	1,301.64	−492.24	72.56	
	कुल (2)	**32,735.03**	**23,021.91**	**−9,713.12**		

1.	03 – पुलिस	8,022.67	6,732.04	−1,290.63	83.91	>75 से 90
2.	06 – वित्त विभाग से संबंधित व्यय	10,196.90	9,137.42	−1,059.48	89.61	
3.	11 – वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	1,055.32	933.10	−122.22	88.42	
4.	14 – पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	538.75	464.31	−74.44	86.18	
5.	22 – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय	44.05	38.56	−5.48	87.55	
6.	24 – लोक निर्माण–सड़कें और पुल	4,742.69	3,833.63	−909.06	80.83	
7.	27 – स्कूल शिक्षा	7,447.16	6,640.23	−806.93	89.16	
8.	28 – राज्य विधानमंडल	88.74	69.86	−18.88	78.72	
9.	29 – न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	1,116.27	992.22	−124.05	88.89	
10.	33 – आदिवासी कल्याण	7,295.43	6,558.10	−737.32	89.89	
11.	34 – समाज कल्याण	134.25	114.06	−20.20	84.96	
12.	41 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	38,893.48	31,770.03	−7,123.45	81.68	
13.	42 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना सड़कों और पुलों से संबंधित सार्वजनिक कार्य	2,437.60	1,944.55	−493.05	79.77	
14.	44 – उच्च शिक्षा	1,050.47	882.47	−168.00	84.01	
15.	54 – कृषि अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित व्यय	420.83	322.03	−98.80	76.52	
16.	56 – ग्रामीण उद्योग	237.55	208.02	−29.53	87.57	
17.	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12,439.13	10,247.21	−2,191.92	82.38	
18.	65 – विमानन विभाग	231.98	192.93	−39.06	83.16	
19.	81 – शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	3,236.24	2,712.63	−523.61	83.82	
20.	82 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	512.78	418.40	−94.38	81.59	
	कुल (3)	**1,00,142.28**	**84,211.80**	**−15,930.48**		

1.	12 – ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	6,094.31	5,736.39	−357.92	94.13	
2.	13 – कृषि	7,998.40	7,382.05	−616.35	92.29	
3.	21 – आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	3,036.41	2,952.74	−83.68	97.24	
4.	32 – जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	473.87	467.05	−6.82	98.56	
5.	39 – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	4,832.73	4,599.63	−233.10	95.18	>90 से

6.	45 – लघु सिंचाई कार्य	838.22	786.94	−51.28	93.88	100
7.	53 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	180.79	175.37	−5.43	97.00	
8.	55 – महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	5,357.76	5,028.82	−328.94	93.86	
9.	60 – जिला योजना स्कीमों से संबंधित व्यय	208.53	202.98	−5.55	97.34	
10.	80 – त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4,124.81	3,753.85	−370.96	91.01	
11.	83 – वित्तीय सहायता जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–शहरी निकाय	215.94	211.15	−4.79	97.78	
	कुल (4)	**33,361.77**	**31,296.96**	**−2,064.80**		

1.	CH1 – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9,360.44	10,870.67	+1,510.23	116	>=100
2.	CH2 – लोक ऋण	8,679.55	8,706.62	+27.07	100	
	कुल (5)	**18,039.99**	**19,577.29**	**+1,537.30**		
	कुल (1+2+3+4+5)	**1,88,465.26**	**1,59,705.33**	**−28,759.93**		

स्रोत : वित्त वर्ष 2024–25 के लिए विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ : कंडिका– 2.5.5)

2024–25 के दौरान बिना किसी व्यय के नई नीतिगत पहल

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना का शीर्ष और नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
1.	7043 – छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर न्यायाधिकरण	5.00	0.00
2.	7044 – उद्यम पुनर्वोधन योजना	1.00	0.00
3.	7046 – एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली 2.0	11.00	0.00
4.	7062 – पीएम वाणी परियोजना	37.00	0.00
5.	7069 – मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण योजना	0.25	0.00
6.	7070 – कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय	0.50	0.00
7.	7071 – यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो अधिनियम 2012)	3.30	0.00
8.	7078 – उपभोक्ता कल्याण अंशदान (कॉर्पस) फंड	20.00	0.00
9.	7084 – युवा रत्न सम्मान योजना	1.50	0.00
10.	7086 – पंचायतों में (फाइबर टू द होम) एफ.टी.टी.एच. के लिए सहायता	15.00	0.00
11.	7087 – नवाचार संवर्धन और नई तकनीक	5.00	0.00
12.	7088 – संचार सुविधा के लिए सहायता	0.30	0.00
13.	7101 – सी.जी.आई.टी. की स्थापना	7.50	0.00
14.	7108 – छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन	1.00	0.00
15.	7110 – ग्रिड से जुड़ा सोलर रूफटॉप प्रोग्राम	50.00	0.00
16.	7112 – शहरी कार्य पर्यवेक्षण और मूल्यांकन प्रणाली	2.00	0.00
17.	7121 – प्रशासनिक व्यय	0.87	0.00
18.	7153 – राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद	0.50	0.00
19.	7154 – प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान कार्यक्रम	2.72	0.00
20.	7157 – स्मार्ट गवर्नेंस के लिए केंद्र	0.50	0.00
21.	7061 – सौर सामुदायिक सिंचाई योजना	30.00	0.00
22.	7072 – स्मार्ट मीटर परीक्षण बेंच की स्थापना	9.27	0.00
23.	7081 – छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सीआईएमएस) सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल	50.00	0.00
24.	7085 – एल्युमिनियम पार्क की स्थापना	5.00	0.00
25.	7114 – पॉलिटेक्निक संस्थानों की प्रयोगशालाओं का उन्नयन (सीटी–191)	2.20	0.00
	कुल	**261.41**	**0.00**

स्रोत : वित्त वर्ष 2024–25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ : कंडिका– 2.5.6)

अनुदान–वार उप–शीर्ष जहां मार्च 2025 में बजट प्रावधानों (₹ 50 करोड़ से अधिक) के मुकाबले पूरा खर्च किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा प्रमुख	योजना का नाम	बजट के प्रकार		वास्तविक व्यय मार्च के दौरान
				मूल बजट	अनुपूरक बजट	
1.	12	2801–101–101–7620	बिजली शुल्क में राहत के लिए उपभोक्ता को सब्सिडी	0.00	163.49	163.49
2.	20	4215–102–704–6383	जल जीवन मिशन योजना	899.76	0.00	899.76
3.	39	2408–102–101–3229	सिविल खाद्य निगम को खरीदी में खाद्य हानि के लिए मुआवजा	6.50	43.50	50.00
4.	39	2408–101–101–3248	राज्य निगम विपणन संघ को खरीदी में खाद्य हानि के लिए मुआवजा	0.00	300.00	300.00
5.	41	4225–102–1002–5480	जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार अनुच्छेद 275(प)	80.00	0.00	80.00
6.	41	2408–101–102–6839	मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना	0.00	708.32	708.32
7.	41	5054–337–702–7064	पीएम जन मन सड़कों का निर्माण	180.00	0.00	180.00
8.	41	5054–337–705–7064	पीएम जन मन सड़कों का निर्माण	120.00	0.00	120.00
9.	41	2801–101–102–7620	बिजली शुल्क में राहत के लिए उपभोक्ता को सब्सिडी	0.00	124.25	124.25
10.	79	4210–110–311–6385	मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल	50.00	0.00	50.00
11.	80	3604–197–480–4610	स्टांप शुल्क की वसूली के लिए पंचायतों को अनुदान	70.00	0.00	70.00
कुल				**1,406.26**	**1,339.56**	**2,745.82**

स्रोत : वित्त वर्ष 2024–25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ : कंडिका– 2.5.6)

2024–25 के दौरान सभी प्रमुख मदों के लिए तिमाहीवार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मेजर हेड	विवरण	2024–25 के दौरान आवंटन	व्यय					2024–25 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2025 में व्यय
				पहली तिमाही	दूसरी तमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	मार्च में			
1.	2011	संसद/राज्य/संघ	87.74	16.51	14.14	16.41	21.82	10.74	68.88	31.68	15.60
2.	2012	राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक	19.78	3.59	3.30	3.39	4.10	1.17	14.38	28.52	8.15
3.	2013	मंत्रिपरिषद	110.15	8.52	11.59	14.73	34.04	22.69	68.88	49.42	32.94
4.	2014	न्याय प्रशासन	702.99	164.86	156.29	161.40	141.61	26.43	624.16	22.69	4.23
5.	2029	भू–राजस्व	1315.61	136.16	99.79	125.39	648.12	86.99	1009.45	64.21	8.62
6.	2030	टिकटें और पंजीकरण	187.89	16.18	6.52	15.94	88.13	81.93	126.77	69.52	64.63
7.	2039	राज्य आबकारी	151.95	29.75	17.31	34.09	32.98	5.52	114.14	28.90	4.84
8.	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	149.73	27.95	24.52	28.06	27.72	9.74	108.25	25.61	9.00
9.	2041	वाहनों पर कर	165.95	25.74	43.44	12.14	45.51	38.27	126.83	35.89	30.17
10.	2045	अन्य कर और शुल्क वस्तुओं और सेवाओं पर	355.00	3.49	2.26	2.74	2.24	0.47	10.73	20.87	4.35
11.	2048	ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग	480.00	35.00	0.00	0.00	445.00	445.00	480.00	92.71	92.71
12.	2051	लोक सेवा आयोग	29.83	4.82	2.04	7.64	8.89	0.39	23.40	38.01	1.66
13.	2052	सचिवालय – सामान्य सेवाएं	442.45	69.15	68.07	78.90	131.76	66.91	347.88	37.88	19.23
14.	2053	जिला प्रशासन	510.00	121.42	94.47	110.93	95.95	34.16	422.77	22.70	8.08
15.	2054	ट्रेजरी और अकाउंट्स प्रशासन	144.61	28.62	21.57	25.19	25.89	4.75	101.26	25.57	4.69
16.	2055	पुलिस	6,732.14	1,625.72	1,175.20	1,615.23	1,261.05	429.79	5,677.20	22.21	7.57
17.	2056	जेलें	235.22	43.35	40.18	43.33	53.81	28.85	180.67	29.79	15.97
18.	2058	स्टेशनरी और प्रिंटिंग	26.30	1.70	1.07	2.60	2.12	0.70	7.49	28.28	9.28
19.	2059	लोक निर्माण	787.54	227.54	151.88	157.09	129.47	37.62	665.98	19.44	5.65
20.	2062	सतर्कता	8.96	1.78	1.34	1.67	1.34	0.27	6.13	21.84	4.38
21.	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	380.51	62.28	52.84	62.28	50.83	17.64	228.23	22.27	7.73
22.	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,517.03	2,768.96	3,269.33	2,488.98	1,772.05	38.85	10,299.32	17.21	0.38
23.	2075	विविध जनरल सेवाएं	485.96	0.00	435.14	0.02	50.32	0.11	485.48	10.36	0.02
24.	2202	सामान्य शिक्षा	24,181.55	6,175.02	4,278.00	6,201.76	4,819.66	1,304.00	21,474.43	22.44	6.07
25.	2203	तकनीकी शिक्षा	317.32	59.78	61.78	62.11	57.52	22.52	241.19	23.85	9.34
26.	2204	खेल और युवा सेवाएं	137.20	8.35	13.75	16.45	52.38	34.29	90.94	57.60	37.71
27.	2205	कला और संस्कृति	83.93	4.43	6.81	15.79	38.68	29.81	65.71	58.86	45.37
28.	2210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	11,000.47	1,426.27	1,394.27	1,832.99	3,335.03	1,654.31	7,988.57	41.75	20.71
29.	2211	परिवार कल्याण	440.70	118.75	68.33	86.03	54.68	8.47	327.79	16.68	2.58
30.	2215	जल आपूर्ति और स्वच्छता	781.33	78.53	62.51	90.98	73.01	21.05	305.02	23.93	6.90
31.	2216	फ़्लैट आदि	8,400.70	53.17	2,795.29	2,614.92	1,255.84	1,085.86	6,719.22	18.69	16.16
32.	2217	शहरी विकास	3,244.90	35.21	453.41	401.98	548.77	343.34	1,439.37	38.13	23.85
33.	2220	सूचना और प्रचार	482.83	8.43	120.19	100.60	246.79	148.49	476.00	51.85	31.20
34.	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	487.41	34.09	24.80	63.52	78.42	49.85	200.84	39.05	24.82
35.	2230	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	498.43	75.44	80.97	79.26	98.43	36.26	334.10	29.46	10.85
36.	2235	सामाजिक सुरक्षा और	11,520.00	2,715.51	2,640.25	2,732.95	3,042.37	1,268.29	11,131.08	27.33	11.39

		कल्याण									
37.	2236	पोषाहार	840.56	151.42	234.20	124.43	160.81	33.55	670.86	23.97	5.00
38.	2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,252.69	31.59	172.81	182.70	605.88	563.57	992.99	61.02	56.75
39.	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	18.84	0.00	0.09	0.53	12.62	6.63	13.24	95.28	50.05
40.	2251	सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	28.52	6.71	5.27	5.58	4.08	1.10	21.64	18.85	5.07
41.	2401	फसल पालन	14,729.64	240.76	321.55	449.79	12898.97	2,580.49	13,911.07	92.72	18.55
42.	2402	मृदा और जल संरक्षण	212.71	14.70	8.63	11.72	19.88	10.93	54.93	36.19	19.91
43.	2403	पशुपालन	587.22	122.26	97.51	131.93	150.35	70.40	502.05	29.95	14.02
44.	2405	मत्स्य पालन	221.45	12.79	17.26	36.96	61.97	37.56	128.97	48.05	29.12
45.	2406	वानिकी और वन्य जीवन	3,254.58	212.22	241.01	427.43	1,250.37	348.52	2,131.04	58.67	16.35
46.	2408	खाद्य, भंडारण और भंडारण	10,470.50	165.62	2,173.04	1,871.48	5,832.88	4,115.19	10,043.03	58.08	40.98
47.	2415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	341.14	70.57	70.48	70.69	67.62	38.47	279.36	24.20	13.77
48.	2425	सहयोग	381.50	16.10	13.20	27.25	208.90	197.22	265.45	78.70	74.30
49.	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	860.76	82.43	22.94	237.48	311.72	246.61	654.57	47.62	37.68
50.	2505	ग्रामीण रोजगार	2,788.32	63.64	389.77	482.87	242.32	118.62	1178.60	20.56	10.06
51.	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,485.42	318.80	885.11	786.23	1,131.31	759.26	3,121.46	36.24	24.32
52.	2700	प्रमुख सिंचाई	124.73	14.37	31.04	34.10	36.14	18.02	115.66	31.25	15.58
53.	2701	मध्यम सिंचाई	584.09	116.52	91.70	111.48	98.55	28.86	418.26	23.56	6.90
54.	2702	लघु सिंचाई	106.15	9.04	18.96	25.19	37.53	21.40	90.72	41.37	23.59
55.	2801	शक्ति	9,209.58	1,328.40	1,673.81	1,564.18	4,642.98	3,439.64	9,209.37	50.42	37.35
56.	2810	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	168.25	0.00	0.00	66.45	23.30	13.05	89.75	25.96	14.54
57.	2851	ग्राम और लघु उद्योग	275.94	39.26	56.10	67.45	75.96	45.68	238.77	31.81	19.13
58.	2852	उद्योगों	819.91	3.19	200.62	28.34	449.08	433.36	681.22	65.92	63.62
59.	2853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	952.66	14.61	9.93	13.95	9.27	1.86	47.77	19.41	3.90
60.	3053	नागरिक उड्डयन	10.55	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
61.	3054	सड़कें और पुल	1,007.79	77.69	136.64	100.28	477.37	284.35	791.98	60.28	35.90
62.	3275	अन्य संचार सेवाएं	186.26	13.04	16.42	3.80	55.65	45.18	88.91	62.59	50.81
63.	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	20.80	2.88	1.55	4.89	4.77	1.82	14.08	33.88	12.93
64.	3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	49.60	10.60	6.09	6.98	13.60	0.74	37.28	36.49	1.98
65.	3452	पर्यटन–व्यवसाय	98.19	0.00	24.78	7.85	26.33	6.33	58.96	44.65	10.73
66.	3454	जनगणना, सर्वेक्षण और स्टैटिस्टिक्स	51.22	10.51	7.72	9.27	7.69	2.40	35.19	21.86	6.81
67.	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	14.10	3.25	1.67	2.91	1.90	0.25	9.73	19.49	2.56
68.	3604	स्थानीय निकायों और पंचायती राज सँस्थाओं को मुआवज़ा और कार्यभार	1,427.32	303.75	239.17	337.45	546.94	70.00	1,427.32	38.32	4.90
69.	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	991.76	8.51	38.61	71.89	734.58	659.11	853.59	86.06	77.22
70.	4058	स्टेशनरी और प्रिंटिंग पर पूंजीगत परिव्यय	3.94	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	100.00	0.00
71.	4059	लोक निर्माण पूंजी पर पूंजीगत परिव्यय	823.50	68.36	65.79	50.27	155.29	67.71	339.72	45.71	19.93
72.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर कार्य पूंजीगत परिव्यय	107.39	0.56	24.86	6.00	22.55	18.77	53.97	41.78	34.79
73.	4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर परिव्यय,	820.89	35.79	38.91	122.56	187.81	111.04	385.07	48.77	28.84
74.	4210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत	1,063.76	60.09	85.97	65.54	480.04	412.62	691.65	69.41	59.66

		परिव्यय									
75.	4215	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	4,813.57	23.22	1,617.79	10.19	1,778.16	1,762.18	3,429.37	51.85	51.39
76.	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	897.60	7.55	61.03	8.00	763.33	762.11	839.90	90.88	90.74
77.	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	3,564.14	383.13	535.24	340.59	1,574.93	1,129.93	2,833.89	55.57	39.87
78.	4220	सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	1.04	0.00	0.00	0.00	0.89	0.39	0.89	100.00	44.11
79.	4225	अनुसूचित जातियां, अनुसूचित अन्य पिछड़े हुए जनजातियाँ वर्ग और अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	818.67	2.50	3.79	4.17	349.00	285.56	359.46	97.09	79.44
80.	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	132.64	0.00	0.00	12.40	50.91	42.45	63.32	80.41	67.05
81.	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	337.05	1.25	4.07	3.86	8.59	2.99	17.77	48.33	16.82
82.	4401	फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	57.94	0.23	0.16	0.00	7.34	6.59	7.73	94.92	85.22
83.	4402	मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	5.05	1.98	2.50	9.96	4.69	19.49	51.09	24.05
84.	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	12.55	0.00	0.00	0.03	4.92	3.83	4.95	99.36	77.35
85.	4405	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	8.81	0.06	0.00	0.00	1.71	1.14	1.77	96.58	64.51
86.	4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	130.29	0.00	1.55	1.45	9.22	6.07	12.22	75.46	49.63
87.	4408	खाद्य भंडारण और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय	1.83	0.00	0.00	0.00	0.96	0.86	0.96	100.00	89.72
88.	4415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	118.34	1.25	26.28	1.50	33.94	13.54	62.96	53.90	21.51
89.	4425	सहयोग पर पूंजीगत परिव्यय	42.42	0.00	9.32	−0.09	8.12	9.08	17.35	46.80	52.33
90.	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	666.84	0.99	88.02	191.78	379.32	279.66	660.11	57.46	42.37
91.	4700	प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	953.91	116.18	135.65	72.03	241.54	104.56	565.39	42.72	18.49
92.	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	177.78	21.42	18.38	9.41	56.24	34.04	105.45	53.33	32.28
93.	4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–	1,386.44	182.69	481.16	112.99	482.27	306.81	1,259.11	38.30	24.37
94.	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	85.50	16.12	12.39	11.22	35.75	27.94	75.49	47.36	37.01
95.	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	948.21	0.00	226.56	37.11	325.27	89.00	588.94	55.23	15.11
96.	4810	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	711.20	0.00	0.00	117.00	125.20	125.20	242.20	51.69	51.69
97.	4851	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	577.82	0.02	132.97	10.44	368.78	356.72	512.21	72.00	69.64
98.	4853	अलौह खनन और	445.25	0.00	0.04	0.74	428.16	127.92	428.94	99.82	29.82

		धातुकम उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय								
99.	5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	68.10	2.01	4.61	0.45	30.53	18.05	37.60	81.20	48.00
100.	5054	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय–	8,663.37	1,006.57	603.32	966.87	4,016.03	3,328.48	6,592.79	60.92	50.49
101.	5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	24.13	1.36	0.00	0.20	9.08	8.54	10.64	85.34	80.33
102.	5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	85.78	0.00	0.00	0.00	9.56	9.56	9.56	100.00	100.00
103.	5425	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	81.81	0.00	0.40	2.25	43.73	5.85	46.38	94.29	12.60
104.	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	217.35	0.00	13.38	97.53	14.98	0.35	125.88	11.90	0.28
105.	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.49	0.00	0.00	0.07	0.06	0.06	0.13	49.41	49.41
106.	6215	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण	26.50	0.00	4.00	12.16	1.05	0.00	17.21	6.12	0.00
107.	6217	शहरी विकास के लिए ऋण	193.05	0.00	190.74	0.25	65.46	63.50	256.45	25.53	24.76
108.	6245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण	0.20	0.00	35.00	13.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00

स्रोत : वीएलसी से संकलित जानकारी

परिशिष्ट : 3.1

(संदर्भ : कंडिका 3.11)

31 मार्च 2025 तक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के खातों के बकाया का विवरण

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जहां तक के खातों को प्रस्तुत किया गया था	लंबित खातों की संख्या
1	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	2008–09 की स्थापना के बाद से प्राप्त नहीं हुआ	16
2	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम	2022–23	1
3	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर	2018–19	5
4	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग	2019–20	4
5	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव	2017–18	6
6	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दंतेवाड़ा	2022–23	1
7	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर	2012 में स्थापित, अभी तक लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये	13
8	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धमतरी	2021–22	2
9	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	2019–20	4
10	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरगुजा (अंबिकापुर)	2020–21 से 2021–22 और 2024–25 के प्राप्त नहीं हुए	2
11	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांकेर	2022–23	1
12	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा	2016–17	7
13	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरिया (बैकुंठपुर)	2016–17	7
14	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर	2022–23	1
15	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्तर (जगदलपुर)	2020–21	3
16	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली	2022–23	1
17	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलौदा बाजार	2016–17	7
18	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोंडागांव	2016–17	7
19	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा	2019–20	4
20	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़	2019–20	4
21	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद	2022–23	1
22	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जाजगीर चंपा	2022–23	1
23	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद	2019–20	4
24	उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	2019–20	4
	कुल		**106**

स्रोत : विभागीय डेटा/जानकारी

परिशिष्ट : 3.2

(संदर्भ : कंडिका 3.12)

दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि के लंबित प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग/निगम का नाम (मुख्य शीर्ष)	दुर्विनियोजन / हानि/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जांच की प्रतीक्षा		विभागीय कार्रवाई शुरू हुई लेकिन अंतिम रूप नहीं		आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली लंबित	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
न्यायिक विभाग (एमएच–2014)	6	0.08	––	––	6	0.08	––	––
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (एमएच–2029)	12	0.02	3	0.00	7	0.02	2	0.00
राज्य आबकारी विभाग। (एमएच–2039)	1	0.00	––	––	1	0.00	––	––
सामान्य प्रशासन विभाग (एमएच–2053)	5	0.01	––	––	5	0.01	––	––
वित्त विभाग (एमएच–2054)	5	0.12	––	––	5	0.12	––	––
गृह विभाग (पुलिस) (एमएच–2055)	302	0.77	49	0.10	244	0.62	9	0.04
लोक निर्माण विभाग (एमएच–2059)	472	100.45	363	86.12	109	14.33	––	––
उच्च शिक्षा विभाग। (एमएच–2202)	16	0.14	5	0.01	11	0.13	––	––
स्कूल शिक्षा (एमएच–2202)	58	2.36	5	0.37	53	1.99	––	––
कला और संस्कृति विभाग (एमएच–2205)	2	0.01	––	––	2	0.01	––	––
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (एमएच–2210)	19	0.46	––	––	19	0.46	––	––
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (एमएच–2211)	11	0.01	1	0.00	10	0.01	––	––
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (एमएच–2215)	1	1.90	––	––	1	1.90	––	––
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग का कल्याण विभाग (एमएच–2225)	15	0.23	2	0.01	13	0.22	––	––
श्रम एवं रोजगार (एमएच–2230)	23	0.55	––	––	22	0.53	1	0.02
पंचायती राज और समाज कल्याण विभाग (एमएच–2235)	2	0.01	––	––	2	0.01	––	––
महिला एवं बाल विकास (एमएच–2235)	3	0.04	1	0.00	2	0.04	––	––
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (एमएच–2245)	2	0.00	––	––	2	0.00	––	––
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग (एमएच–2401)	3	0.01	1	0.00	2	0.00	––	––
पशुपालन विभाग (एमएच –2403)	221	0.24	163	0.11	58	0.13	––	––
डेयरी विकास विभाग (एमएच–2404)	2	0.00	––	––	2	0.00	––	––
वन और जलवायु परिवर्तन विभाग (एमएच–2406)	946	8.79	124	1.27	821	7.52	1	0.00
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (एमएच–2408)	5	0.40	1	0.00	4	0.40	––	––
सहकारिता विभाग (एमएच–2425)	1	0.96	––	––	1	0.96	––	––
ग्रामीण विकास विभाग (एमएच–2501)	20	0.18	11	0.05	9	0.13	––	––
ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं (एमएच–2515)	2	0.04	1	0.00	1	0.04	––	––
जल संसाधन विभाग (एमएच–2701)	22	6.90	5	0.01	17	6.90	––	––
हथकरघा एवं वस्त्र विभाग (एमएच–2851)	1	0.03	––	––	1	0.03	––	––
खान और भूविज्ञान विभाग (एमएच–2853)	2	0.00	––	––	2	0.00	––	––
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (एमएच–3454)	1	0.00	––	––	1	0.00	––	––
कुल	**2,181**	**124.72**	**735**	**88.06**	**1,433**	**36.60**	**13**	**0.06**

स्रोत : विभागीय डेटा/जानकारी

नोटः राशि ₹0.00 राशि को करोड़ों में पूर्णांकित करने के कारण दिख रहा है।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/hi